अष्टम माला, खंड 27, अंक 40 Tuesday, 5th May, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अष्टम माला, खंड 28, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 45, मंगलवार, 5 मई, 1987/15 वैशाख, 1909 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	...	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 900, 903, 906, 907, 910, 911, 913 और 914		...	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	25—180
तारांकित प्रश्न संख्या : 901, 902, 904, 905, 908, 909, 912, 915 और 917 से 919			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8946 से 9039, 9041 से 9123 और 9125 से 9158			
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	180—184
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	184—188
(एक) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिलों में अल्कोहल-आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग			
श्री राज कुमार राय	...	...	184
(दो) महाराष्ट्र में नासिक जिले की मालेगांव, चांदवाड और येवला तहसीलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'नार' और 'पार' नदियों पर बांधों का निर्माण करने की मांग			
श्री एस० एस० भोये	...	...	185
(तीन) टूंडला जंकशन पर गोमती एक्सप्रेस के ठहरने और फिरोजाबाद तथा शिकोहाबाद रेलवे स्टेशनों पर कतिपय एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने की मांग			
श्री गंगाराम	...	...	185—186
(चार) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद जिले में आग से प्रभावित लोगों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उनके लिए मकानों का निर्माण भी करने की मांग			
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	...	...	186

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
(पांच) खुदाई में प्राप्त मूर्तियों को सम्बन्धित समुदायों को सौंपने खासकर हरियाणा में हांसी और मध्य प्रदेश में दमोह में खुदाई में प्राप्त जैन मूर्तियों को जैन समुदाय को सौंपने, की मांग			
श्री डाल चन्द्र जैन	...	...	186—187
(छह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को जबलपुर से मांडला होते हुए रायपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 से जोड़ने की मांग			
श्री एम० एल० झिकराम	...	...	187
(सात) रेलवे कर्मचारी सहकारी समूह आवास समिति, दिल्ली के कार्यकलापों की जांच करने की मांग			
श्री अजित कुमार साहा	...	...	187
(आठ) सिक्किम में गंगटोक में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की मांग			
श्रीमती डी० के० भंडारी	...	...	188
राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक		...	188—213
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	188—189
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	189—193
श्री शरद दिघे	...	...	193—196
श्री दिनेश गोस्वामी	...	...	196—201
श्री पी० नामग्याल	...	...	201—202
श्री बृज मोहन महन्ती	...	...	202—204
श्री नारायण चौबे	...	...	204—206
श्री राज कुमार राय	...	...	206—207
सरदार बूटा सिंह	...	...	208—212
खंड 2 और 1	...	...	213
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
सरदार बूटा सिंह	...	...	213
जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक		...	213—227
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री राम निवास मिर्धा	...	...	213—214

विषय			पृष्ठ
श्री पी० अप्पालानरसिंहम	...	...	215—216
श्री शांति धारीवाल	...	...	216—218
श्री राम बहादुर सिंह	...	...	218—220
श्री मनोज पांडे	...		220—223
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	223—227
भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बारे में चर्चा	...	...	227—252
श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	...	228—236
श्री बी० आर० भगत	...	...	236—243
श्री बी० बी० रमैया	...	...	243—246
श्री० जी० जी० स्वैल	...	...	246—251
श्री सैयद शहाबुद्दीन	...	...	251—252

लोक सभा

मंगलवार, 5 मई, 1987/15 वैशाख, 1909 (शक)

[लोक सभा 11 बजे म० पू समवेत हुई ।]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जैन ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : प्रश्न संख्या 900 ।

अध्यक्ष महोदय : यहां दो जीरो कैसे आ गए हैं ? एक ही जीरो काफी है । इसे बढ़ाने की क्या जरुरत है ?

[हिन्दी]

राजस्थान में कोलयार्ड खोला जाना

*900. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती थार रेगिस्तानी क्षेत्र में कोयले और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अंधाधुन्ध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है;

(ख) क्या बालोतरा, पाली और जोधपुर में रंगाई और छपाई के कार्यों में लगे लघु उद्योगों में और विभिन्न अन्य उद्योगों में कोयले और गैस की अनुपलब्धता अथवा उनके मूल्य अधिक होने के कारण बड़े पैमाने पर ईंधन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ग) क्या जोधपुर में और राजस्थान के अन्य भागों में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए एक "कोलयार्ड" स्थापित करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मन्त्री तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) : पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा, पाली और जोधपुर में लघु उद्योग पारंपरिक तौर पर ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि, कुल मिलाकर उनकी भट्ठियों के डिजाइन वही पुराने बने हुए हैं और इसीलिए वे कोयले का प्रभावी इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं ईंधन लकड़ी के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कोल इण्डिया लि०

ने बहुत पहले अर्थात् 1982 में ही उठाई थी। कोल इण्डिया लि० ने कोटा और भरतपुर में पहले ही स्टाकयार्ड खोल रखे हैं तथा विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन स्टाकयार्डों में काफी यानी लगभग 11,000 टन कोयले का सुविधाजनक स्टाक है। राजस्थान सरकार के जोधपुर में तथा राज्य के अन्य स्थानों में अपनी स्वयं की कोयला वितरण व्यवस्था है। कोल इण्डिया लि० ने भी राज्य सरकार को राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित उनके मौजूदा कोयला डिपो की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपनी सेवायें प्रस्तुत की हैं। उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर, कोल इण्डिया लि० के उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार का कोयला देने के लिए अन्य प्रकार की वितरण प्रणालियों के लिए भी सहर्ष कोयला सप्लाई करेगा।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया है कि राजस्थान में काफी कोयले का इन्होंने प्रबन्ध किया है। प्रश्न यह है कि कोल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने कोटा और भरतपुर में जो स्टाक कोल यार्ड का प्रबन्ध किया है यह दोनों जगह जोधपुर से एक हजार मील की दूरी पर हैं। बीकानेर डिवीजन में भी कोयले का उपयोग कर सकते हैं। यह रेगिस्तान क्षेत्र हैं और यहां पर अंधाधुन्ध लकड़ियां काटी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि जब जोधपुर की स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन वहां इस यार्ड की व्यवस्था करने को तैयार है और जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, उसने केन्द्रीय सरकार को भी एप्लाई किया है, तो क्यों नहीं जोधपुर यार्ड की स्थापना करके वहां कोयले की जरूरत को पूरा किया जाये ?

श्री वसन्त साठे : राज्यों में राज्य सरकारों की स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन हुआ करती थी जिनकी राज्य सरकार की मान्यता हुआ करती थी। उन्होंने स्टाक यार्ड खोलने की जिम्मेदारी ली है जिससे विश्वास है कि वह बराबर सहयोग दे पायेंगी। हमने इससे पहले जोधपुर में कोलयार्ड खोलने के लिए वहां की जो स्माल इन्डस्ट्रीज की एसोसिएशन हैं उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां इसके लिए प्रयास किया। लेकिन राजस्थान सरकार ने हमें बताया कि यहां कोई कोयला उठाने के लिए और सामने आने के लिए तैयार नहीं है इसलिए हम वहां स्टाक यार्ड नहीं खोल सके। हमने एक समिति इसके लिए नियुक्त की और उसने रिपोर्ट दी कि यहां क्या-क्या करना चाहिए। आपने जो एसोसिएशन की बात कही है, हमें खुशी है कि कोई स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन जिम्मेदारी लेकर स्टाक यार्ड खोलना चाहती हैं, इसकी गारन्टी होनी चाहिए। यह जरूरी है कि छोटे-छोटे लोगों को बराबर कोयला मिले।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : यह जवाब सन्तोषप्रद है। बालोतरा, पाली और जोधपुर में जो लघु उद्योग इकाइयां रंगाई-छपाई का कार्य कर रही हैं वे वहां लकड़ी का अन्धाधुन्ध प्रयोग ईंधन के लिए कर रही हैं। जब तक उनकी भट्टियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक वह कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि वह कोयले का प्रयोग करें, अगर भट्टियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उनको कम्पेल किया जाए। रेगिस्तानी क्षेत्र में वह लकड़ियों का अन्धाधुन्ध प्रयोग कर रही हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : यह एक महत्व का प्रश्न है। रंगारियों की जो पुरानी भट्ठियां हैं उसमें लकड़ी ही जलाई जाती है। जब तक उन भट्टियों में परिवर्तन नहीं किया जाता आधुनिक तरीके से, तब तक वह कोयले का उपयोग नहीं कर पायेंगी। भट्टियों में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों को

बैंकों और अन्य माध्यमों से उनकी मदद करनी चाहिए। आप भट्टियों के परिवर्तन की व्यवस्था करें तो मैं कोयला देने के लिए तैयार हूं। मैं तो सिर्फ कोयला ही दे सकता हूं, आप जितना चाहें देने के लिए तैयार हूं लेकिन भट्टियों का परिवर्तन आप करवा दीजिए। जहां तक लकड़ी न काटने देने का प्रश्न है, आपकी और हमारी सबकी इच्छा है कि हर सम्भव लकड़ी न काटने दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी जैसे कौन बैठे हैं, वहां। आप ही हैं क्या। (**व्यवधान**) इसीलिए देखना पड़ा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये भी अभी यही कह रहे थे कि अध्यक्ष जी आपको पहचानेंगे भी या नहीं। मैंने कहा कि न ही पहचानें तो अच्छा है, मेरा नम्बर आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी चेष्टा की मैंने···(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूंकि ···

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी, दण्डवते जी कुछ पूछ रहे हैं, ये अपने सवाल का जवाब मांगते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आज आप 'टापलैस' क्यों हैं ?

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : टॉपलैस नहीं टोपीलैस हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आप लोगों को टोपी उछालने की आदत है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने इण्डस्ट्रियल सैन्टर्स हैं और खासतौर से अपने भीलवाड़ा की बात करना चाहूंगा जहां काफी मात्रा में इन्डस्ट्रियल सैन्टर लगे हुए हैं, उन सब में कोयले की बहुत जरूरत है। दूसरे आपने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के माध्यम से कोयले के वितरण की जिस तरह से व्यवस्था की है, वह काफी दोषपूर्ण है। इस विषय पर मैंने पिछली दफा भी आपसे पूछा था कि हमारे यहां स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन जब कोयले के वितरण की व्यवस्था ठीक से नहीं करते, जितना कोयला उनको मिलता है, उसे वे ब्लैक में बेच देते हैं, इस कारण वहां जितने छोटे-छोटे इण्डस्ट्रियलिस्टस हैं, जिन्होंने अपनी छोटी-छोटी यूनिटस स्थापित की हुई हैं, उनको कोयला नही मिलता। उन्हें ब्लैक में कोयला खरीदना पड़ता है। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे, खास तौर से भीलवाड़ा के लिए, कि वहां जितने इण्डस्ट्रियल सैन्टर्स हैं, उनके लिए कोयले के डिपू स्थापित किए जाएं ताकि उनको ठीक प्रकार से कोयले की आपूर्ति की जा सके, उन्हें कोयला ठीक तरह से मिल सके।

श्री बसन्त साठे : व्यास जी, मैंने अभी कहा कि हम खुद वहां डिपू खोल नहीं सकते, यदि हम चारों तरफ छोटे-छोटे डिपू खोलेंगे तो वह हमारे लिए इकानौमिकल भी नहीं होगा। जैसा मैंने वृद्धि चन्द्र जैन जी से कहा, यदि छोटे उद्योगों के लोग अपनी कोई एसोसिएशन बना लें तो वे जहां कोयले का डिपू चाहेंगे, वे हमें दरख्वास्त दे दें, पर राजस्थान सरकार की रिकमैन्डेशन भी होनी चाहिए ताकि आप कल ऐसा न कहें कि वे भी ब्लैक में कोयला बेच रहे हैं, उन्होंने पैसा खा लिया, और हमारी मुसीबत हो जाए। ऐसा न होने देने के लिए राजस्थान सरकार की रिकमैन्डेशन आवश्यक है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने कहा कि राजस्थान सरकार की रिकमैन्डेशन आवश्यक है, अगर राजस्थान सरकार किसी कारणवश उसे परमीशन न देना चाहे तब क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : तो आप रिकमैन्ड कर दीजिए···

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं तो कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इनको तो टोपी चाहिए।

श्री बसंत साठे : मतलब, टोपी आपके सर के ऊपर चाहिए साहब। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह···

श्री वी० तुलसीराम : आपके ऊपर टोपी डालने के लिए इन्होंने अपनी टोपी निकाल ली है। (व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : आपको डालना चाहते हैं राजस्थान के लिए···

श्री बसंत साठे : हमारे को टोपी मत चढ़ाओ। चूंकि मधु दण्डवते साहब टोपी नहीं पहनते तो उनका अनुकरण हमारे व्यास जी भी करने लगे। मधु दण्डवते जी टॉपलैस रह सकते हैं, व्यास जी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एम० भोये···,नहीं हैं।

श्री सुमन···,नहीं हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र···

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी कम्पनियों से रिगों की खरीद

+

*903. **श्री प्रकाश चन्द्र**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेरह तेल रिगों की सप्लाई के क्रयादेश रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) भारतीय सप्लाई कर्त्ताओं की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गए हैं अथवा उसका उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (घ) जी, नहीं। टेण्डर को स्थगित रखा गया है, क्योंकि स्वदेशी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों को बेहतर सहायता देने से संबंधित कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश चन्द्र : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी कितने रिग विभाग की तरफ से इस काम में लगे हैं और उनमें से कितने किराये के हैं और कितने ओ० एन० जी० सी० के अपने हैं तथा पिछले तीन वर्षों में हमने कितनी राशि किराये के रूप में दूसरे देशों को अदा है।

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष जी, इस समय हमारे पास **औन-शोर**, जमीन के ऊपर, करीब 82 रिग्स हैं जिनमें से 78 हमारे अपने हैं और 4 किराये के हैं। **औफ-शोर** यानी समुद्र में हमारे अपने 7 हैं और किराये के 13 हैं। कम्पनी ने किस देश को किराये के रूप में क्या अदा किया, इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इनमें से कितने रिग जैकअप रिग हैं और क्या अपना रिग तथा किराये का रिग, दोनों तरह के रिग्स रखना सरकार के लिए इकोनौमिकल है तथा इससे नई ड्रिलिंग टैक्नोलौजी को क्या लाभ है।

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में दोनों को ही लेना उचित है क्योंकि सारी रिग्ज हम एक साथ खरीद नहीं सकते है। इनको खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है। जब हम नई रिग्ज लेते हैं, तो उसमें नई तकनीक का भी ध्यान रखते हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि स्वदेशी कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों को बेहतर सहायता देने से संबंधित कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी स्वदेशी कम्पनियां हैं जिन्होंने तेल रिगों की सप्लाई के टेंडर भेजे थे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनकी क्षमता की जांच की है और यदि हां तो इन स्वदेशी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त : महोदय, इस विशेष निविदा के लिए 14 भारतीयों ने निविदा भरे। निस्सन्देह उन सबको विदेशों से सहयोग प्राप्त था। क्या मैं उन सबके नाम पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री ब्रह्म दत्त : बोली लगाने वाले 7 विदेशियों ने भी अपने टेंडर दिए। लेकिन हम समझते हैं कि सर्विस कम्पनियों को तेल के क्षेत्र में पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हम इस बारे में वित्त मन्त्रालय से बात कर रहे हैं। जैसे ही मामला तय होगा, हम इन निविदाओं को खोलेंगे।

श्री डी० एन० रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस सौदे में कोई बिचौलिया भी था ? **(व्यवधान)**

श्री ब्रह्मदत्त : मुझे अभी एक कोई बिचौलिया नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्ण डिगाल—अनुपस्थित।

श्री मानिक सान्याल—अनुपस्थित।

श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, गाड़ी बड़ी तेज चल रही है।

सभापति महोदय : 'राजधानी' है।

ट्रक के टायरों के मूल्यों में वृद्धि

+

*906. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाजार में ट्रक के टायरों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के बारे में टायर विक्रेताओं, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस और टायर निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी; और

(घ) उनके साथ की गई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) हाल के महीनों में बाजार में ट्रक टायरों की कीमतों में वृद्धि हुई है। 1000 × 20/16 पी० आर० नायलोन और 900 × 20/16 पी० आर० आकार वाले नायलोन टायरों की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध I और II में दिए गए हैं। इन अनुबंधों से देखा जा सकेगा कि 1000 × 20 आकार के टायरों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में टायर उत्पादकों आल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दी आल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। दी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन से बाजारों में जहां कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वहां इन आकारों के टायरों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है। सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

अनुबन्ध-I

ट्रक टायरों की मूल्य प्रवृत्ति

"व्होल्स ऑफ इंडिया" में बताई गई

1000×20-16 पी० आर०-नायलोन (आंकड़े रु० में)

नाम/ब्रैंड	जुलाई, 1986	अगस्त, 1986	सितम्बर, 1986	अक्तूबर, 1986	नवम्बर, 1986	दिसम्बर, 1986	जनवरी, 1987	फरवरी, 1987	मार्च, 1987	अप्रैल, 1787 (24.4.87 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एम०आर०एफ०	5500	5400	5500	5625	5900	5950	5700	5775	5900	6350
एस०एल०	5325	5300	5400	5575	5610	5900	5700	5770	5775	6075
मोदी एन०416	5200	5300	5325	5425	5405	5375	5400	5365	5430	5760
	5200	5210	5310	5400	5375	5350	5350	5350	5335	5525
जे०के०जेट ट्रक	5100	5140	5200	5300	5285	5300	5300	5275	5375	5650
	5075	5100	5160	5220	5240	5285	5250	5260	5300	5400
सीट एच०सी०	5125	5250	5250	5350	5300	5325	5325	5300	5350	5700
एस० 80	5125	5125	5250	5275	5270	5300	5250	5275	5300	5425
हडियर एस०	5200	5275	5275	5350	5350	5350	5300	5275	5375	5650
डी०आर० स्पेशल	5200	5200	5275	5300	5325	5325	5275	5275	5275	5425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अपोलो	5260	5260	5300	5375	5400	5400	5350	5375	5400	5800
हरकुलिस	5260	5150	5200	5325	5350	5350	5325	5350	5375	5400
विक्रांत	5125	5050	5050	5200	5200	5175	5125	5250	5350	5575
एम्परर	5000	5000	5050	5100	5175	5125	5125	5250	5250	5400
डनलप प्लस	15100	5200	5225	5325	5280	5300	5250	5275	5300	5675
101	5060	5100	5200	5250	5280	5300	5250	5275	5250	5415

(ऊपर के आंकड़ों से अधिकतम और नीचे के आंकड़ों से न्यूनतम कीमतों का पता चलता है।)

अनुबन्ध-II

ट्रक टायरों की मूल्य प्रवृत्ति

("व्हील्स ऑफ इंडिया" में सूचित)

(900 × 20-16 पी० आर०-नायलोन) (आंकड़े रु० में)

नाम/ब्रैंड	जुलाई, 1986	अगस्त, 1986	सितम्बर, 1986	अक्तूबर, 1986	नवम्बर, 1986	दिसम्बर, 1986	जनवरी, 1987	फरवरी, 1987	मार्च 1987	अप्रैल 1987 (24.4.87 तक)
एम०आर०एफ०	4575	4650	4700	4750	4750	4750	4750	4650	4725	5000
स्वीक्स	4575	4575	4650	4725	4750	4750	4650	4650	4650	4750
मोदी	4575	4600	4620	4650	4650	4650	4650	4550	4650	4900
एन० 416	4500	4500	4600	4625	4650	4650	4550	4550	4550	4700
सीट	4525	4575	4600	4600	4625	4625	4600	4575	4625	4825
सी०एल०टी०	4500	4525	4600	4600	4600	4600	4575	4575	4575	4720
अपोलो	4500	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4575	4750
हरकुलिस	4500	4500	4525	4525	4525	4525	4525	4500	4500	4625
डनलप प्लस	4450	4450	4450	4500	4500	4500	4500	4500	4525	4700
101	4425	4425	4450	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4600
विक्रांत एक्स	4300	4300	4300	4300	4280	4280	4280	4400	4450	4575
एल०-18	4200	4300	4300	4300	4280	4280	4280	4400	4400	4525

(ऊपर के आंकड़ों से अधिकतम और नीचे के आंकड़ों से न्यूनतम कीमतों का पता चलता है।)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जुलाई, 1986 से अप्रैल, 1987 के बीच—प्रसिद्ध ब्रांड 1000 × 20/16 पी० आर० नायलोन टायरों की कीमत में प्रति टायर 850 रुपये की वृद्धि हुई है। महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है यदि आप अक्तूबर, 84 से अप्रैल, 87 की अवधि पर विचार करें तो देखेंगे कि प्रति टायर की कीमत में 2000 रु० की वृद्धि हुई है।

क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यरो ने 1983 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक ही तरह के टायर की आदान लागत में 153 रु० की वृद्धि हुई है जबकि प्रति टायर के मूल्य में 362 रु० की वृद्धि की गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि निर्माताओं को बहुत लाभ मिलता है ?

क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस स्थिति में अक्तूबर, 1983 में टायर पर उत्पाद शुल्क में 10% कमी की जिसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिला।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, हमने बी० आई० सी० पी० की राय मांगी थी। बी० आई० सी० पी० ने अपनी राय दी है। टायर के मूल्य में वृद्धि हुई है। किन्तु बी०आई० सी० पी० ने इस दौरान लागत में हुए परिवर्तन का अध्ययन नहीं किया तथा केवल मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव तथा कच्चे माल के बारे में ही अध्ययन किया गया था।

महोदय, जहां तक माननीय सदस्या द्वारा पूछे गए प्रश्न का संबंध है : हम भी इस बात से सहमत हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। हमने निर्माताओं की एसोसिएशन को बुलाया और मई में ही कुछ किस्मों के टायरों के मूल्यों में कमी होनी शुरू हो गई। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस बारे में आंकड़े दूंगा। एम० आर० एफ० 1000 × 20 टायर का मूल्य 24.4.87 को 6350 रु० था और 1.5.87 को यह कम होकर 6150 रु० हो गया है। इसी तरह एम० आर० एफ० 900/20 टायर का मूल्य 24.4.87 को 5000 रुपये था जो 1.5.87 को कम होकर 4975 रुपये हो गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय, इतना परिश्रम किस लिए कर रहे हैं ? क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि लागत में हुई वृद्धि टायरों के मूल्यों में हुई वृद्धि के बराबर है ? उनका अभिप्राय: क्या है ? अक्तूबर, 1983 में आपने उत्पाद शुल्क 10% कम किया किन्तु क्या उपभोक्ताओं को इसका फायदा हुआ ?

श्री एम० अरुणाचलम : मैं पहले ही बता चुका हूं, कि बी० आई० सी० पी० ने उस अवधि में 'कन्वर्शन' लागत का अध्ययन नहीं किया था। हम 1985-86 के दौरान निर्माताओं द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के बारे में बी० आई० सी० पी० की दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : आप तीसरा प्रश्न पूछना चाहती हैं। क्या टायर निर्माताओं की भांति आप भी इस प्रश्न पर एकाधिकार जमाना चाहती हैं ? ठीक है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न के भाग 'ख' में मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने निर्माताओं की एसोसिएशन तथा टायर विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। उस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि उन्होंने मुलाकात की थी तो उसके क्या परिणाम निकले ? सरकार का कहना है कि उन्होंने निर्माताओं से बाजार में इस आकार के टायर की सप्लाई करने

के लिए कहा था और सरकार स्थिति का गंभीरता से जायजा ले रही है। इस विषय पर लोक लेखा समिति ने अपने 43वें प्रतिवेदन में बताया है :—

"समिति ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि सरकार ने निर्माताओं के इस दृढ़ निश्चय के आगे स्वयं को असहाय पाया कि वे टायरों की कीमत वही रखेंगे जो वे चाहते हैं।"

मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी स्वयं को असहाय समझती है और केवल स्थिति का जायजा ले रही है या इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि टायरों के मूल्यों में वास्तव में वृद्धि हुई है। बाजार में विशेष रूप से भारी ट्रकों के टायरों की कमी भी है। मार्च में 60,000 टायर बिके। टायर निर्मातों के साथ बातचीत के बाद वे मई और जून में बाजार में 57,000 और टायर सप्लाई करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस पर भी सहमति व्यक्त की है कि इन दो महीनों के दौरान विदेशों को टायर निर्यात नहीं किया जाएगा। इसी कारण हम आशा करते हैं कि मूल्य नीचे आ जायेंगे और टायरों की कमी नहीं रहेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : गोवा फैक्ट्री और कुछ अन्य फैक्ट्रियों में गत 6 महीनों के दौरान तालाबन्दी हो गई हैं। दूसरे मन्त्री महोदय ने हमें अभी बताया था कि निर्यात को दो माह के लिए स्थगित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं टायरों के निर्यात से देश को 50 करोड़ रुपये की आमदनी हो रही है। क्या यह सच है कि टायरों की कमी का कारण यह है कि व्यापारी टायरों की जमाखोरी कर रहे हैं ? क्या आप जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जे० बेंगल राव : महोदय, टायर निर्माण करने वाला उद्योग चार या पांच बड़े एकाधिकार प्राप्त घरानों के हाथ में है। वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने विभिन्न राज्यों को टायरों के निर्माण करने के लाइसेंस दे दिये हैं।

बीच में, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि गोवा में एम० आर० एफ० टायर यूनिट बन्द हो गया है और बम्बई में मोदी इन्टरनेशनल श्रमिक समस्या के कारण बन्द है।

माननीय सदस्य ने निर्यात का भी जिक्र किया है। वे 50 करोड़ रुपये मूल्य के टायरों का निर्यात कर रहे हैं। वे इन दो महीनों के लिए जितना संभव हो सकेगा निर्यात को रोक देंगे। जून के बाद, वे फिर निर्यात कर सकेंगे क्योंकि स्थिति सुधरती जायेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने जमाखोरी के बारे में पूछा था। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : मैंने उन्हें बताया था कि ये चार बड़े व्यापारिक घराने पूरे बाजार पर नियन्त्रण कर रहे हैं। इसी कारण से हमने पंजाब सरकार को टायर बनाने का लाइसेंस पहले ही दे दिया है। और आंध्र प्रदेश में हमने सड़क परिवहन निगम को टायर बनाने का लाइसेंस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें समझा दें कि उन्हें सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत प्रभावी व्यक्ति है। वह कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि ये उलटे कर रहे थे ?

श्री बालकवि बैरागी : ये बनाकर देते नहीं हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि देहातों में टायर्स के इनके डीलर्स हैं, वहां बस के टायर पर 800 रुपये ज्यादा काले बाजार का भाव चल रहा है, 800 रुपये ज्यादा दे दो तो वह टायर दे देते हैं। इस वक्त साइकिल के टायर पर 25 से 30 रुपये तक ब्लैक मार्केट चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है इस देश में, और नहीं है तो वहां आप देखेंगे, लेकिन देहाती स्तर पर ट्रैक्टर का टायर या बस या ट्राली का टायर लेने में जो असुविधा हो रही है इस बारे में आप कब तक बात कर लेंगे और टायरों की पोजीशन कब तक नार्मल कर देंगे ? इसके लिए कोई समय आप उल्लेख कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री जे० बेंगल राव : यह प्रश्न ट्रक टायरों से सम्बन्धित है न कि ट्रैक्टर टायरों से। जैसा मैंने बताया, सरकार इन व्यक्तियों से निपटना जानती है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप यह जानते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए।

श्री जे० बेंगल राव : हमने उन्हें एक माह का समय दिया है। अगर वे नहीं सुधरते हैं तो हम उनसे उचित रूप से निपटेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि आपने जो 'मोडवेट' योजना शुरू की है उसके अनुसार, मूल्य वृद्धित कीमत तैयार उत्पाद पर होगी न कि मध्यवर्ती उत्पादों पर या कच्चे माल पर। यदि हां तो क्या आप इस कारण से सारे ट्रक को तैयार उत्पाद मानेंगे और टायरों को केवल आदान के तौर पर और टायर पर मूल्य वृद्धित कीमत लागू नहीं करेंगे और इसे केवल तैयार ट्रक पर ही लागू करेंगे ?

श्री बेंगल राव : मैं आशा करता हूं कि इसमें माल और चालक भी सम्मिलित नहीं हैं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए संदर्शी योजना

*907 **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने इस शताब्दी के अन्त तक 7120 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की एक संदर्शी योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री दसन्त साठे) : (क) और (ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने आने वाले वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को और भी बढ़ाने के लिए अस्थाई तौर पर एक योजना बनाई है। इस योजना में यह परिकल्पना है कि कारपोरेशन की विद्यमान

बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 5000 मे० वा० अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और बढ़ाई जाए।

(ग) नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने की बात संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

डा० वी० वेंकटेश : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है और मैं यह अत्यन्त वेदना से बता रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं इस सदन में असहाय हूं। बार-बार मुझे एक ही बात दोहरानी पड़ती है। पिछली बार भी, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आप मुझे संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं···

श्री पी० कुलनवईवेलू : अगर यह वही प्रश्न होता तो यह फिर कैसे दोहराया जा सकता था ?

अध्यक्ष महोदय : इससे पता चलता है कि हम उन्हें कितना संरक्षण प्रदान करते हैं।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, मेरा प्रश्न वास्तव में यह नहीं है। इस प्रश्न की मूल प्रति मेरे पास है। मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह 'बाई-प्रोडक्ट' है ?

डा० वी० वेंकटेश : क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1987 के 'बिजनस स्टैंडर्ड' कलकत्ता, में 'एन०एल०सी०पर स्पेक्टिव प्लान अंडर स्टडी बाई द गवर्नमेंट' (एन० एल०सी० की संदर्शी योजना पर सरकार अध्ययन कर रही है।) के शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा और कौन-से कदमों पर विचार किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि· नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटिड अथवा इसके प्रबन्धक किसी प्रकार के निहित स्वार्थों से विकसित न हो।

यह मेरा मूल प्रश्न था। लेकिन मुझे कोई सूचना दिए बिना, मंत्रालय ने एक भिन्न प्रश्न बना दिया है और मैं कोई भी अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं हूं। अपनी सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा किया है। हाल ही में इसी फर्म के बारे में बहुत सी बातें कही गई थीं···(**व्यवधान**)

आपने भी कहा था·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए, समाचार-पत्रों पर अधारित प्रश्न इस तरह से नहीं किए जाते हैं। इसे नियमों के अनुसार किया जाता है। (**व्यवधान**)

डा० वी०वेंकटेश : वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ? शायद इसमें मंत्रालय का कोई निहित स्वार्थ है अत: मैं पूछ रहा हूं अगर कोई इसमें गड़बड़ हो तो···(**व्यवधान**)

इसी कारण मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था। अत: मैं कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या वह इस विशेष फर्म को काली सूची में दर्ज करने जा रही है अथवा वह इसमें सदन समिति से जांच कराएं ? बस यही मैं जानना चाहता था अन्यथा, आम लोगों का धन इस प्रकार से बेकार जाएगा और भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। आपको मुझे संरक्षण प्रदान करना होगा, अन्यथा, मैं असहाय हूं। मैं अपने लोगों के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं आम जनता के प्रति भी जवाबदेह हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं ? अथवा अब आप क्या कर रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : सदन की समिति की जांच की जगह सरकार न्यायिक आयोग बैठा सकती है।

श्री वसंत साठे : महोदय, अब इस बात को खत्म किया जाए। प्रश्नकर्ता द्वारा इतना उत्तेजित होने के लिए वास्तव में मुझे बहुत खेद है। वह बार-बार इसी विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम प्रश्न तैयार करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने तथा मेरे मंत्रालय ने किसी भी प्रश्न को बदला या परिवर्तित नहीं किया है और हम किसी प्रश्न से बचना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे तो हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे !

श्री वसंत साठे : अत: महोदय यह स्पष्ट है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अत: उनका यह आरोप कि मेरे मंत्रालय ने प्रश्न बदल दिया है न केवल गलत है बल्कि बिल्कुल गलत निर्देश देता है। जो वह गुस्से से कह रहे थे उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था। वह कुछ निहित स्वार्थों के बारे में झूठे आरोप लगा रहे थे। मैंने उनसे पिछली बार मुझसे मिलने के लिए कहा था। कोई भी सदस्य मेरे पास आ सकता है। मैंने उन्हें विचार-विमर्श करने के लिए पेशकश की थी··· (**व्यवधान**)

डा०बी० वेंकटेश : इसका कोई प्रश्न नहीं है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित न हों, बात करने दें। हम लोग यहां विषयों पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं।

श्री वसंत साठे : क्या आपकी रुचि केवल आरोप लगाने में है ? मैं उनके तथा अन्य किसी भी माननीय सदस्य के सामने, जो कोई इस पूरे मामले के बारे में तथ्य जानना चाहते हैं तथ्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। वह उस पार्टी को साथ ला सकते हैं जो उन्हें सामग्री दे रही है। मैं उनसे भी मिलने में कोई हर्ज नहीं समझता।

डा० बी० वेंकटेश : मैं दक्षिण भारत से आम व्यक्ति को लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री वसंत साठे : इसके बारे में, के०एफ०डब्ल्यू०' जोकि जर्मनी की वित्तीय एजेंसी हैं और खान संख्या 2—चरण 1,2 और 3 की परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रही हैं—जैसाकि मैंने बताया, उनकी अर्थ-व्यवस्था की शर्त यह है कि टेंडर भरने वाला जर्मनी का होना चाहिए। "ठीक," हमने कहा, "ठीक, अच्छा।" दो पार्टियां आईं। हमने एक जर्मन परामर्शदात्री एजेंसी को नियुक्त किया। हमने उनकी सलाह ली। उनकी सलाह पर, जो उन्होंने कहा हमने मान लिया। अब एक पार्टी जो स्वाभाविक ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसे ठेका नहीं मिला, लगातार सामग्री दे रही है तथा प्रचार कर रही है मानो कोई गलत काम या गड़बड़ हुई है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी किसी भी पार्टी में कोई विशेष रुचि नहीं है। माननीय सदस्य मेरे पास आये, मैं उन्हें सारी फाइलें दिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं "उत्तेजित न हों, और आप किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक ही घृणा और शत्रुता उत्पन्न करने के लिए अपने कंधे इस्तेमाल न करने दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है···डा० वेंकटेश, आपने मुझसे वायदा किया था कि आप केवल एक प्रश्न पूछेंगे। अब आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप विचार कीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इस आक्षेप को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा, श्रीमान ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह आक्षेप, कन्धे इस्तेमाल करने के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आक्षेप नहीं है । डा० वेंकटेश, इधर देखिए । यह प्रश्न जहां सार्वजनिक धन अथवा जनहित का सवाल हो, वह आप जैसे ही सदस्य हैं । अतः आप दोनों की ही चिन्ता लोगों के कल्याण में होनी चाहिए । आप एक ठोस बातचीत करेंगे और फिर किसी बात पर पहुंचेंगे । अतः कोई समस्या नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अस्थिरता पैदा करने का एक हिस्सा है । (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मनोचिकित्सकों का मत है कि मछली पकड़ना मन्त्रियों के लिये अच्छा है । मैं कहूंगा कि प्रश्नकर्ता और मन्त्री जी दोनों को ही मछली पकड़ने का काम करना चाहिए । यह एक अच्छी बात होगी तथा संसद में शान्ति रहेगी ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : डल लेक में भेज देता हूं ।

श्री वसुदेव आचार्य : दोनों को भेज दीजिए ।

[**अनुवाद**]

डा० वी० वेंकटेश : माननीय सदस्य मछली पकड़ने की बात कह रहे हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न पूछूंगा ।

डा०वी० वेंकटेश : वह मछली उद्योग के बारे में बता रहे हैं । इसीलिये मैं कहूंगा कि पिछली बार भी इसी फर्म ने कुछ क्रेनों की सप्लाई की थी···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है । अब आप यदि चाहते हैं तो प्रश्न पूछिये ।

डा० वी०वेंकटेश : अब वही मंत्री इसी सरकार में यह कह रहे हैं कि·····

अध्यक्ष महोदय : इन फर्मों पर भी विश्वास मत कीजिए ।

डा० वी० वेंकटेश : उसी मंत्री ने इसी सरकार के समय में यह कहा है कि इस फर्म को काली-सूची में डाल दीजिए । उन्होंने ऐसा इसी सदन में कहा है । उन्होंने प्रमाणित किया था कि यह एक खराब फर्म है और अब वही मंत्री इसी सरकार में रहते हुए कह रहे हैं कि यह एक अच्छी फर्म है । महोदय यह दोहरा स्तर है ? वह मुझे सदन में मिले थे···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई ऐसी बात बताइये जो प्रामाणिक हो । फिर मैं इसे रखूंगा ।'

डा० वी० वेंकटेश : इस सरकार के इन्हीं मंत्री ने ऐसा कहा था ।

श्री वसंत साठे : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं । मैं सिर्फ यह कहूंगा कि माननीय सदस्य को किन्हीं वरिष्ठ सदस्य जैसेकि श्री जयपाल रेड्डी और श्री मधु दण्डवते, आदि की मदद लेनी चाहिए···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : हम काले को सफेद में नहीं बदल सकते ।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें

+

*910. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री एच०बी० पाटिल } : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के कुछ निर्वाचनों में परीक्षण के तौर पर इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का इस्तेमाल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में प्रयोग करने के लिए ऐसी कुछ और मशीनें खरीदने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अभी तक ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, यदि मुझे ठीक से याद है तो केरल में 1982 में उप-चुनाव के दौरान इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन प्रणाली का उपयोग किया गया था । सर्वोच्च न्यायालय में भी एक मामला उठाया गया था —परूर में ए०सी०जोस बनाम सेवन पिल्लई । सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि चुनावों में इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग कानून के तहत शक्ति वाह्य और गैर कानूनी है । अधिकांशत: यह दो बातों पर निर्भर करता है । एक तो संवैधानिक शक्तियां तथा निर्वाचन आयोग की स्थिति; दूसरे, 1951 के अधिनियम के अनुसार "बैलट" शब्द का अर्थ । अत: मेरे विचार से यह कहना सही नहीं है कि हमें इस प्रणाली का कोई अनुभव नहीं है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग ने कानूनों के उपयुक्त संशोधन की सिफारिश भी की है तथा विधि मंत्रालय, स्वयं और केन्द्र सरकार की राजनैतिक मामलों सम्बन्धी समिति भी सम्पूर्ण चुनाव सम्बन्धी सुधार करने के लिए इस प्रणाली को अपनाने पर सहमत हो गई है । अत: इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और अगले आम चुनाव में इस प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि हाल में हुए चुनाव में मतदान मशीन का उपयोग किया गया था । 1982 में हुए चुनाव को हम किसी भी तरह से हाल ही में हुए चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में तो केरल में चुनाव हुए हैं । यद्यपि केरल में मई 1982 में 50 मतदान केन्द्रों तथा नवम्बर, 1983 में 10 मतदान केन्द्रों पर मतदान मशीन का उपयोग किया गया था । इसके पश्चात् जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है कि 1984 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय लिया । उच्चतम न्यायालय ने ए०सी० जोस बनाम सेवन पिल्लई के मामले में बताया कि चूंकि यह मतदान चुनाव नियमों की प्रक्रिया के अनुसार नहीं किये गये थे, इनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है । इसलिए मतदान मशीनों का जो प्रयोग किया जाने

वाला था उसे वापस ले लिया गया। इस समय सरकार के फैसले के मुताबिक चुनाव में मतदान मशीनों का उपयोग किए जाने के बारे में हम संगत कानूनों में सुधार करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है कि यह चुनाव सम्बन्धी सुधार प्रस्तावों का एक पेकेज है। इन पर राजनैतिक दलों के साथ मिलकर चर्चा की जायेगी उसके पश्चात् ही कुछ निर्णय लिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे हरियाणा चुनावों के पहले ही करवा दीजीए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह किया जा सकता है ?

श्री जगन्नाथ पटनायक : वर्तमान मतदान प्रणाली में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव कराने में कितना व्यय आता है और यदि हम इस इलेक्ट्रानिक मशीन की शुरुआत करें तो क्या खर्च आएगा ? इन दोनों में कितना अन्तर रहेगा। क्या इसके गुण-दोषों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? हम इस इलेक्ट्रानिक मशीन से मतदान कराए जाने पर सोच रहे हैं। इससे पहले बुनियादी आवश्यकताओं तथा मतदाताओं को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इन सब उपायों के बारे में मैं जानना चाहता हूं क्या कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव पर आने वाले खर्च का सम्बन्ध है, वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि मतदान मशीनें लगाई जाएं तो इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में काफी धन की बचत होगी। इस प्रणाली का प्रयोग चुनाव आयोग कर चुका है। चुनाव आयुक्त ने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के उपयोग के 14 प्रशासनिक लाभ बताये हैं और इससे आगे चलकर करोड़ों रुपये की बचत होगी। यह सब मतदना मशीनों के उपयोग करने पर ही होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसाकि माननीय मन्त्री जी पूरी तरह जानते हैं कि चुनाव सम्बन्धी सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता कि यह जो हम सम्पूर्ण सुधार कर रहे हैं उसमें इस विशेष बात का होना आवश्यक है। सरकार तथा चुनाव आयोग दोनों ने ही इलेक्ट्रानिक मशीन प्रणाली शुरू किए जाने का समर्थन किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो आवश्यक चीज है वह एक साधारण-सा संशोधन है जिसे हम इस सदन में एक घन्टे से भी कम अवधि में कर सकते हैं। क्या मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि कितने समय के अन्दर यह संशोधन सदन में लाया जायेगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इससे एकदम सहमत हूं। सरकार ने सिद्धान्त रूप में मतदान मशीनों को अगले चुनाव से पहले शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। जहां तक कानून में प्रावधान का सम्बन्ध है, उस पर मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। जब आप मतदान मशीन को काम में ले रहे हों तो वर्तमान नियमों में कोई भी प्रावधान नहीं मिलेगा। जो मतदान किया गया है उसका क्या होगा ? यदि आप इस पहलू का अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का वोट डाल आता है। और दूसरा वास्तविक व्यक्ति जब मतदान केन्द्र पर जाता है और कहता है 'मेरी जगह गलत मतदान किया गया है।' उसके बाद चुनाव अधिकारी को उसे वोट डालने की अनुमति देनी पड़ेगी और उस वोट को अलग से अपने पास रखते हैं। एक चुनाव याचिका है कि यदि डाले गए वोटों की तुलना में 'टेन्डर्ड वोट' पर विचार किया जाता है और यदि उनमें अन्तर बहुत ही कम है, तो चुनाव पर इसका बहुत ही असर पड़ेगा। अत: मशीन मतदान प्रणाली में आप टेन्डर्ड वोटों के कुल प्रभाव का पता नहीं लगा सकते। इन सब बातों पर

हम चुनाव आयोग के साथ मिलकर परामर्श कर रहे हैं और हमारी चिन्ता भी आप से कम नहीं है लेकिन प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं। चुनाव कराने, मतदान सूचियां तैयार कराने आदि सम्बन्धी जो संशोधन है वे करने होंगे और मैं नहीं चाहता कि हम कानून के एक हिस्से में तो आज संशोधन कर दें तथा दूसरे में बिना आपके साथ चर्चा किए कल संशोधन करें। अत: हम शांत वातावरण का इन्तजार कर रहे हैं, ताकि हम चर्चा कर सकें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप इस पर कब चर्चा करेंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप इस पर चर्चा करने के मूड में नहीं हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप पिछले दो वर्षों से चर्चा करने की बात कर रहे हैं परन्तु अभी तक आगे नहीं आए हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : ठीक है मैं श्री जयपाल रेड्डी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और मैं उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हम कब मिल सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मुझे भी उनके कक्ष में मिलना होगा ?

एक माननीय सदस्य : आप उनके कक्ष में जाकर उनसे मिलिये !

श्री सोमनाथ रथ : सैद्धांतिक रूप में सरकार ने मतदान करने और मतों की गणना के लिए मशीनों का उपयोग करने का निश्चय कर लिया है। अन्य देशों में ऐसा किया जा रहा है। अत: सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत होने तथा विरोधी दलों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होने और मतदान करने और वोटों के गिनने की मशीन प्रणाली के अच्छे होने के कारण मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आने वाले सत्र में यदि आवश्यकता हुई तो क्या वह संशोधन लायेंगे तथा मशीनों से मतदान करने और उनकी गिनती करने का कार्य शुरू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि पहले मैंने बताया है अगले आम चुनावों में मतदान करने की मशीनें शुरू करने की हमारी सरकार की इच्छा है और उसके लिये हम तैयारी कर रहे हैं तथा देख रहें हैं कि कौन सा तरीका आवश्यक होगा, क्योंकि मशीनें काम करना भी बन्द कर सकती हैं। कोई मशीनों में खराबी भी हो सकती है। इन सभी बातों को देखना होगा। क्योंकि इससे सम्पूर्ण देश में चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त प्रसाद सेठी···नहीं हैं।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : महोदय, मैं यहां हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपनी सीट बदल ली है ?

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें

*911. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) वर्तमान नीति ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास में कहां तक उपयुक्त रही है;

(ग) क्या प्राप्त अनुभव के आधार पर, सरकार का वर्तमान नीति को और अधिक युक्ति-

युक्त बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का विचार है, ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क), (ख) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

विवरण

(क) (1) दूरसंचार विभाग सामान्यतया वित्तीय आधार पर व्यवहार्य होने पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करता है । ग्रामीण, पिछड़े, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में इस शर्त में ढील दे दी गई है । इसके लिए विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी आर्थिक सहायता देकर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति को शिथिल बनाता रहा है । तहसील, उप-तपसील तथा खण्ड मुख्यालयों को शामिल करने के लिए आगामी कुछ वर्षों में प्रत्येक गांव को 5 कि० मी० के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इस प्रयोजन के लिए, 5 कि० मी० के षटभुजाकार वाले प्रत्येक बसे हुए भौगोलिक क्षेत्र में पूरी आर्थिक सहायता देकर किसी एक प्रमुख ग्राम में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनाई गई है ।

(2) निजी टेलीफोन कनेक्शनों के लिए, किसी ऐसे स्थान में 9 या 25 लाइनों का छोटा टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा सकता है जहां कम से कम क्रमश: 5 और 10 टेलीफोन कनेक्शनों की मांग हो और उससे अनुमानित वार्षिक आवर्ती खर्च का क्रमश: 35 और 40 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता हो । इसी प्रकार, 50 लाइनों या 100 लाइनों का एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि वहां क्रमश: 23 और 46 टेलीफोन कनेक्शनों की मांग हो और उससे वार्षिक आवर्ती खर्च का क्रमश: 60 और 70 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो ।

(ख) देश में ग्रामीण संचार को बढ़ाने के लिए वर्तमान नीति काफी सीमा तक सफल सिद्ध हुई है क्योंकि यह किसी षटभुजाकार वाले क्षेत्र में जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना दूरसंचार सुविधा को दूर-दूर बसे क्षेत्र में प्रदान करने पर आधारित है । इससे समूचे देश में दूरसचार सुविधाओं का एक समान विस्तार किया जाता है ।

(घ) इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की गई और अभी हाल में अप्रैल, 87 में इसमें संशोधन किया गया । इसके अनुसार निम्न प्रकार से निर्णय लिए गए :—

(i) सभी लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कम से कम 8 घन्टे काम करेंगे ।

(ii) 9, 25, 50 और 100 लाइनों वाले एक्सचेंज खोलने के लिए न्यूनतम राजस्व की शर्त को हटा दिया गया है और अब इन एक्सचेंजों को न्यूनतम मांग के आधार पर खोला जा सकता है जैसा कि ऊपर (क) (2) में बताया गया है ।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी नीति बहुत अच्छी और उपयुक्त है । माननीय मन्त्री जी ने विवरण में कहा है कि "दूरसंचार विभाग सामान्यतया आधार पर व्यवहार्य होने पर दूरसंचार सुविधायें प्रदान करता है । ग्रामीण, पिछड़े, जनजातिय और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले मे इस शर्त में ढील दी गई है । इसके लिये विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी आर्थिक सहायता देकर सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति को शिथिल बनाता रहा है ।"

संसद सदस्य बनने के बाद से मेरा अनुभव रहा है कि जब कभी भी मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव भेजा तो हमेशा ही मुझे नकारात्मक उत्तर मिला। जवाब होता था कि यह प्रस्ताव लाभप्रद नहीं है या फिर वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है अथवा यह प्रस्ताव 5 किलोमीटर के षटभुजाकार वाले क्षेत्र में नहीं आता है। आम तौर पर यही जवाब दिया जाता है। नीति तो बहुत अच्छी हैं, मैं नहीं समझता कि अन्य सभी जन प्रतिनिधियों को भी इसी तरह का जवाब दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों से जन प्रतिनिधियों से 1985 से इस तरह के कितने प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं क्या इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है। और इनमें से कितनों को रद्द किया गया है। क्या आप रद्द किये गये प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, यदि नहीं, तो क्या इन पर विचार करने के लिये आपके पास कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों पर विचार किये जाने के लिए क्या मानदण्ड हैं या फिर आप विभाग में बैठ कर सिर्फ नक्शे को ही देखते रहते हैं या गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकारीगण स्वयं जाकर देखते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि हाल ही में नीति में परिवर्तन किया गया है। पहले लाभ को देखते हुऐ विचार किया जाता था। अब जनजातीय, ग्रामीण इलाकों के लिये इस विशेष राजस्व प्राप्ति वाले कारक को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और उस क्षेत्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम वरीयता दी गई है।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि आपने रियायत दी है अथवा नहीं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं आपको बता रहा हूं कि सम्पूर्ण देश को 50,280 षटभुजाकार वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में 25,856 सार्वजनिक टेलीफोन हैं तथा सातवीं योजना में 10,000 का लक्ष्य रखा गया है। करीब 31,000 का बकाया है, इस तरह, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम सभी क्षेत्रों को कवर नहीं कर पायेंगे। लेकिन हमें ब्लाक स्तर के मुख्यालय, तहसील स्तर के मुख्यालय और राजस्व गांवों पर विचार कर रहे हैं। जनसंख्या का विचार भी किया जायेगा।

पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या 2,500 और अन्य क्षेत्रों के लिए 5,000 रखी गई है। अगर इस नीति के परिवर्तन के पश्चात्, माननीय सदस्य को कोई ऐसा अनुभव हो तो, मैं समझता हूं, वह हमें दुबारा लिख सकते हैं और हम कुछ क्षेत्रों में उन्हें सहायता दे पाने में समर्थ होंगे।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, विभाग के अधिकारी अपने कक्ष में नक्शों को देखकर ही फैसला ले लेते हैं, या वे उस जगह जाकर हैक्सागॉन के मानकों द्वारा स्थान की उपयोगिता, लाभ प्रदता आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : *फील्ड में पूरी तरह अध्ययन करके ही यह हैक्सागन तैयार किया* गया है। अगर कोई ऐसा सुझाव दिया जाता है कि हैक्सागन की सीमा में परिवर्तन किया जाए या यह व्यवहारिक नहीं है तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। माननीय सदस्य हमें लिख सकते हैं। मैं उन्हें उड़ीसा राज्य के लिए तैयार की गई हैक्सागन दिखा सकता हूं। उनका मेरे यहां स्वागत है।

श्री आशुतोष लाहा : आरम्भ में, मैं कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए, माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। अपने अनुभव से हमनें पाया है कि इलैक्ट्रोनिक प्रणाली बहुत अच्छी है और टेलीफोन में इसके प्रयोग से टेलिफोन प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली को आरम्भ करने के लिए क्या रचनात्मक उपाय किये गए हैं; क्योंकि अब तक वहां संचार व्यवस्था काफी खराब है और शायद ही किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई इलैक्ट्रोनिक केन्द्र कार्य कर रहा हो ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई रचनात्मक योजना आरम्भ करने जा रही है; अगर हां तो कब ?

श्री सन्तोष मोहन देव : अभी तक ज्यादातर इलैक्ट्रोनिक केन्द्र महानगरों में ही स्थापित किये गए हैं। लेकिन सरकार ने विभिन्न फर्मों को छोटे इलैक्ट्रोनिक केन्द्रों के उत्पादन के लिए लाइसेन्स जारी किये हैं। सी-डॉट और आई० टी० आई० ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जहां वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नमूना छोटे इलैक्ट्रोनिक केन्द्रों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। एक दफा इनके अर्थश्रम सिद्ध हो जाने पर, हम इन्हें धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को इलैक्ट्रोनिक केन्द्र उपलब्ध करवाने का है। अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक केन्द्र उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हम छोटे शहरों को कुछ आयातित इलैक्ट्रानिक केन्द्र मुहैया करवा रहे हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : देश में दूरसंचार व्यवस्था खराब है और असम में इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालियाबोर और गोहाटी में अगर आप जायें तो पायेंगे कि वहां टेलिफोन तो हैं, लेकिन वे कार्य नहीं कर सकते है। मैं समझता हूं कि संचार राज्य मन्त्री, जोकि असम से चुन कर आये हैं, उनके असम के घर में लगा हुआ टेलिफोन शायद खराब ही होगा। पिछले 20 वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है। मैंने माननीय मन्त्री को इस बारे में मैंने कई पत्र लिखे हैं। लेकिन मुझे हमेशा यही उत्तर मिलता है कि मामले पर विचार किया जा रहा है। जब कभी हमने मन्त्री को लिखा, उन्होंने हमेशा कहा कि वह इसकी जांच करेंगे या यह मामला उनके विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : मन्त्री महोदय जोकि खुद असम से हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि असम विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालियाबोर और गोहाटी में संचार प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालियाबोर में नये डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह प्रश्न ग्रामीण केन्द्रों के बारे में है न कि डाकघरों के बारे में, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी डाक देखें। जहां तक असम का सम्बन्ध है, मैंने सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखा है, उन्हें अपनी डाक देखनी चाहिए और फिर अगर उनका कोई सुझाव हो तो मुझे लिखें।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैंने उन्हें लिखा है·····

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनसे सम्पर्क कीजिए। कृपया व्यवधान न डालिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में टेलिफोन व्यवस्था के कार्यकरण से हम काफी परिचित हैं। हम यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी दशा कितनी खराब होगी या हो सकती है। मेरे अनुभव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलिफोन छह महीने तक या लगातार महीनों तक खराब रहते हैं। अत: मेरा सरल सा प्रश्न है कि रखरखाव की जो कुछ भी सुविधाएं विद्यमान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में टेलिफोन लाइन औसतन कितने समय तक खराब रहती है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। अगर कोई सदस्य छह माह तक औसतन रोजाना दस पत्र लिखता है तो मैं समझता हूं कि वह मुझे वैसे ही आराम से नहीं बैठने देंगे। मुझे कोई विशेष उदाहरण दें तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली लगातार फेल होती रहती है, वहां यह हो सकता है कि कुछ विशेष टेलिफोन केन्द्र कुछ समय तक कार्य न करते हों। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हमने एक केन्द्र स्थापित किया है लेकिन बिजली की भारी चोरी के कारण सारे गांव की बिजली ही काट दी गई। अत: हम कुछ भी करने में असमर्थ है। वहां हमने बैटरी प्रणाली आरम्भ की है। ऐसे मामले हो सकते हैं। जहां तक असफलताओं का सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि हमारे विभाग से उनको जो टेलिफोन बिल प्राप्त होते हैं, उनसे वे संतुष्ट होंगे। ज्यादातर सदस्य अपने बिलों के आधार पर कह सकते हैं कि हमारा कार्य निष्पादन इतना बुरा नहीं है।

चण्डीगढ़ में आवंटित किये गये स्थानों के लिए तेल कम्पनियों द्वारा किराये का भुगतान

*913. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या यह सच है कि तीन बड़ी तेल कम्पनियां चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के लिए उन्हें आवंटित किये गये स्थान के किराये का गत दस वर्षों से भुगतान नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क), के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इन तेल कम्पनियों के पास पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के लिए जो स्थान हैं क्या वे पट्टे के आधार पर हैं या मालिकाना आधार पर; अगर लीज आधार पर है तो उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त : श्रीमन्, वे लीज आधार पर हैं। आई० ओ० सी० के पास छह, एच०पी०सी० के पास सात और बी०पी०सी० के पास चार स्थान हैं। एक व्यवस्था के आधार पर 1-1-76 तक

कुछ राशि अदा करने का अनुबंध था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके स्पष्टीकरण में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को स्थायी आधार पर बेचने के लिए अपनी भूमि खरीदने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त : श्रीमन्, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि का मूल्य कितना है और इसके लिए कितने निवेश की आवश्यकता है, तथापि अगर उचित मूल्य पर यह मिलती है तो हम निश्चिय ही उस पर विचार करेंगे। हम चण्डीगढ़ प्रशासन से किराये आदि के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

श्री पी०कुलनदईवेलू : श्रीमन्, जहां तक तेल कम्पनियों का सम्बन्ध है, वे सभी अर्ध-सरकारी निगम हैं और इसके अलावा वे स्वायतशासी निकाय हैं। तेल कम्पनियां पांच या दस वर्षों के लिए किसी खाली स्थान के लिए लीज-अनुबंध करती हैं। यह अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् भी, वे उस स्थान को खाली नहीं करती हैं। लिखित पत्र द्वारा मैंने पहले भी मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। श्रीमती सुशीला रोहतगी जब पेट्रोलियम मन्त्रालय की प्रभारी थी, तब भी मैंने उन्हें पत्र लिखा था और उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर दिया था, लेकिन पिछले दो माह से माननीय मन्त्री जी से मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई गैर-सरकारी व्यक्ति सरकार से किसी स्थान के बारे में अनुबंध करता है तो करार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसे वह स्थान खाली करना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो सरकार कानूनी कार्यवाही करके पुलिस द्वारा उसे बेदखल करा देती है। लेकिन समय समाप्त हो जाने पर कोई भी तेल कम्पनी उस स्थान को खाली नहीं करती है। अत: मैं चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय तेल कम्पनियों को आदेश देंगे कि लीज का समय समाप्त हो जाने के पश्चात वे उन स्थानों को खाली कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त : श्रीमन्, दो तरह के मामले हैं। तेल कम्पनियां किसी खाली पड़े स्थान को लीज पर लेकर उस पर भवन आदि बनाने में पूंजी निवेश करती हैं, अत: दूसरी जगह बदलने में उनकी पहली पूंजी बेकार चली जाती है। जहां तक भवन आदि का सम्बन्ध है, कई दफा किराया नियन्त्रण अधिनियम के तहत इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे जिन मामलों में वास्तविक आवश्यकता है, वहां वे स्थान खाली कर दें।

बंगलौर में टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें

*914. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान बंगलौर में गलत अथवा अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितने मामलों में यह सिद्ध हो गया कि बिल गलत थे अथवा अधिक राशि के थे;

(ग) अधिक राशि के अथवा गलत बिल बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक राशि के अथवा गलत बिल बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1986 के दौरान बंगलौर में अधिक राशि के बिल अथवा गलत बिल के सम्बन्ध में 3,033 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) और (ग) गलत बिल सम्बन्धी कोई मामला नहीं था। फिर भी, शिकायतों के 429 मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में सन्देह का लाभ दिया गया और उन्हें छूट प्रदान की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार नहीं पाया गया।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : श्रीमन्, बंगलौर में टेलिफोन बिल कम्प्यूटरों से तैयार किये जाते हैं। कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् स्थिति अधिक खराब हो गई है। एक मामले में, एक माह का मेरा बिल 30,000 रु० आया, इतनी बड़ी रकम को देखकर मैं हैरान हो गया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैंने प्राधिकारियों से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह उनकी गलती नहीं है, बल्कि कम्प्यूटर की गलती है। जब उन्हें पता चला कि यह किसी सांसद का बिल है तब उन्होंने उस बिल को आराम से वापस ले लिया। ऐसा यह एक ही उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी एक मामले में गलत बिल आया। ज्यादा बिल आना एक नियमित बात है। अगर इसमें ताला भी लगा हो तो भी मीटर में रीडिंग आती रहती है, कई अन्य माननीय सदस्यों ने इस बारे में शिकायत की है। पिछले दिनों प्रो० मधु दण्डवते ने इस बारे में शिकायत की थी। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करेंगे, जिससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाए, इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि अधिक राशि का बिल न आये।

श्री सन्तोष मोहन देव : अधिक राशि के बिलों की बात ही नहीं हैं। लेकिन तथ्य यह है कि बंगलौर में उपभोक्ताओं को 4,22,639 बिल भेजे गए। इनमें से 2,793 उपभोक्ताओं से शिकातें प्राप्त हुई, जोकि औसतन 0.66 प्रतिशत हैं। यह सही आकड़े हैं। अगर आप अखिल भारतीय आकड़े जानना चाहते हैं, तो मैं दे सकता हूं। 1985-86 में 1,05,90,084 बिल बनाये गए; और 87,089 मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई। मैं यह मानता हूं कि कुछ मामलों में शिकायतें सही भी हो सकती हैं, लेकिन हम हमेशा उपभोक्ताओं को संदेह का लाभ देते हैं। आपने प्रो० मधु दण्डवते द्वारा दिये गए सुझाव का जिक्र किया है। इस मन्त्रालय का मन्त्री बनने के बाद, अपने अनुभव से मैंने पाया है कि सांसद अपने टेलिफोन का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर उन्हें बिल भेजे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर अधिक बिल के बारे में शिकायत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मुफ्त कालों की संख्या बढ़ाकर, उनकी सहायता कर सकते हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं और मेरे केबिनेट मन्त्री इस मामले पर विचार करके, शीघ्र ही कोई फैसला ले लेंगे ·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुफ्त कालें बढ़ाने के साथ-साथ आप इनकी दरों में भी वृद्धि करते हैं, तब ऐसा करने का लाभ ही क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमन्, मैंने खुद कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के मकान के टेलिफोन की निगरानी की है और पाया है कि, हर मिनट, उनका टेलिफोन व्यस्त रहता है, आप कह रहे हैं कि

आप इसका दावा नहीं करेंगे, मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, लेकिन आप इसका दावा नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, वह हमारे टेलिफोन को सुनते रहते हैं, अतः हमारी गोपनीयता समाप्त हो गई है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या माननीय मन्त्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि कम्प्यूटर द्वारा बिल तैयार करने के पश्चात्, उनकी व्यक्तियों द्वारा जांच करवायी जाये। कम्प्यूटर से प्राप्त बिलों को सीधे ही उपभोक्ताओं को नहीं भेज दिया जाना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा भी कुछ जांच होनी चाहिए। अतः क्या उपभोक्ताओं को भेजने से पूर्व बिलों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार लेखानुभाग को इस प्रकार के अनुदेश जारी करेगी कि उपभोक्ताओं को भेजने से पूर्व उनकी व्यक्तियों द्वारा जांच की जाए?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह एक अच्छा सुझाव है और इस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 915—श्री कुंवर राम। अनुपस्थित। प्रश्न 917—श्री कृष्ण राव। अनुपस्थित। प्रश्न 918—श्री श्री कान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार। अनुपस्थित।

प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मतदाताओं को पहचान-पत्र

*901. **श्री आर० एम० भोये** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मतदान के प्रयोजन के लिए मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) : सिक्किम, नागालैण्ड और मेघालय राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, निर्वाचन के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने की एक स्कीम प्रारंभ की गई है। इस स्कीम को और बढ़ाने के लिए अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

*902. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और दूर संचार विभागों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास आबटित करने के लिए कौन से मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) क्या कुछ प्रतिशत क्वार्टर अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लोगों को

आबंटित किये जाने के लिए आरक्षित किये गए हैं और यदि हां, तो इन श्रेणियों के लोगों को मकानों के आबंटन के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

संचार मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) डाक और दूरसंचार विभाग में अलग-अलग कर्मचारियों को प्रत्येक वेतनमान में सरकारी आवास का आबंटन वरीयता तारीख के अनुसार किया जाता है। टाइप I से IV तक के आवास आबंटन के लिए कर्मचारी उस तारीख से पात्र होते हैं जिस तारीख से वे निरंतर सेवा में हों अर्थात जिस तारीख से केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति पाई हो। टाइप V और इससे ऊपर के आवास के लिए पात्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह वेतनमान लिया जाता है जिसके आधार पर वह ऐसे टाइप को आवास पाने का पात्र हुआ है। क्वार्टरों के आबंटन के लिए वर्ष में एक बार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और प्रत्येक टाइप के आवास के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान मकान खाली होने पर कर्मचारियों की बारी आने पर मकान का आबंटन कर दिया जाता है।

(ख) जी हां। अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों को सरकारी मकान का आबंटन करने के मामले में टाइप I से IV तक के क्वार्टरों के आबंटन का आरक्षण प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि पात्र कर्मचारियों से क्वार्टरों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में प्रत्येक टाइप के आवास की अलग से प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाती हैं। इस प्रकार निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष के दौरान क्वार्टरों का वास्तविक आबंटन किया जाता है। आरक्षण कोटे के अन्तर्गत खाली स्टाफ क्वार्टरों को प्रतीक्षा सूची में दर्ज अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति कर्मचारियों द्वारा टाइप I और टाइप II क्वार्टरों के 10 प्रतिशत आरक्षण में से 2 : 1 और टाइप-III और टाइप IV क्वार्टरों के लिए 5% के अनुपात में बांटा जाता है।

[अनुवाद]

मारूति उद्योग लिमिटेड को हुआ लाभ

*904. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1983-84 से लाभ हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मारूति उद्योग लिमिटेड को प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा वर्षवार अर्जित लाभ निम्नप्रकार है —

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपये में)
1984-85	0.90
1985-86	3.00
1986-87	7.05 (अनन्तिम)

चाय बागान मजदूरों को गेहूं और चावल की सप्लाई

*905. **श्री मानिक साग्याल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा चाय बागान मजदूरों के उपयोग के लिए सड़ा हुआ गेहूं और चावल सप्लाई किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) चाय बागान कामगारों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की घटिया किस्म होने के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया था। इस मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि सप्लाई किया गया खाद्यान्न खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में निर्धारित की गई सीमाओं के अनुरूप था।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के उत्पादन का लक्ष्य

*908. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या नई चीनी नीति के अन्तर्गत यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो यह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सातवीं योजना के दस्तावेज में, 1989-90 के लिए 102 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) नई चीनी नीति में परिकल्पित विभिन्न उपायों से गन्ने की खेती का विकास करने और साथ ही चीनी का उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त चीनी क्षमता स्थापित करने में मदद मिलेगी। इन उपायों से चीनी-उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

ग्रामीण निर्धन व्यक्ति की स्मृति में डाक-टिकट

*909. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे ग्रामीण निर्धन व्यक्ति की स्मृति में एक डाक-टिकट जारी किया है, जिसने अपना जीवन साम्प्रदायिकता और अस्पृश्यता के उन्मूलन सहित, देश के हित में समर्पित किया हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) हालांकि ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की स्मृति में ऐसा कोई डाक-टिकट जारी नहीं किया गया है, फिर भी, डाक विभाग ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेक सुविख्यात महापुरुषों की स्मृति में डाक-टिकट जारी किए हैं जिन्होंने ग्रामीण निर्धन लोगों के उत्थान के साथ-साथ साम्प्रदायिकता और छुआछूत को समाप्त करने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया। इनमें महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डा० बी० आर० अम्बेडकर, ई० वी० रामासामी, जयप्रकाश नारायण, कामराज आदि महापुरुष शामिल हैं।

चर्खा, पंचायती राज, पोस्ट-कार्ड की शताब्दी आदि भारतीयडाक-टिकटों में भी ग्रामीण निर्धन लोगों के उत्थान से संबंधित अनेक विषयों को चित्रित किया गया है। भारतीय डाक-टिकटों की छठी नियत शृंखला का विषय और कृषि और ग्रामीण विकास था।

विद्युत संयंत्रों के आटोमेशन और इन्स्ट्रूमेंटेशन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*912. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संयंत्रों के आटोमेशन और इन्स्ट्रूमेशन के संबंध में 15 दिसम्बर, 1986 को बंगलौर में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन-सी सिफारिशें की गई; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे : (क) सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशें विद्युत केन्द्र में कम्प्यूटर पर आधारित तकनीकों को लागू करने, पारेषण प्रणालियों को सुदृढ़ करने और पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने की आवश्यकता, भार प्रेषण सुविधाओं को सुदृढ़ करने, भार प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों को लागू करने, अन्त:सम्बद्ध ग्रिड प्रचालनों, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार लाने तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों एवं राज्य बिजली बोर्डों के बीच अधिक निकट पारस्परिक संबंधों के बारे में थीं।

(ख) विद्युत संयंत्रों के आटोमेशन और इन्स्ट्रूमेंटेशन में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में सम्मेलन की सिफारिशें नोट कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग

*915. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान बिहार में विभिन्न विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना उपयोग किया गया;

(ख) यह उपयोग राष्ट्रीय औसत से कम था अथवा अधिक था;

(ग) उनकी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने हेतु पर्याप्त संसाधन जुटा सकेगा; और

(ङ) वर्ष 1986-87 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को कितना घाटा हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान बिहार में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 33.3% था, जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 53·2 प्रतिशत थी। जल विद्युत केन्द्रों की क्षमता का उपयोग करना मुख्य रूप से उनके जलाशयों के स्तरों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, चालू की गई यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करना, विद्युत केन्द्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, कोयले और हिस्से पुर्जों की सप्लाई में सुधार करना तथा संयंत्र एवं उपस्कर के प्रचालन और अनुरक्षण की आधुनिक तकनीकें लागू करना। बिहार राज्य बिजली बोर्ड राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के प्रयास कर रहा है।

(ङ) वर्ष 1986-87 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड की वाणिज्यिक हानियां अनन्तिम रूप से रूप से लगभग 147 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

कोयला संसाधनों के विकास के लिए योजना

*917. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला संसाधनों के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में दीर्घावधि योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) कोयले की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी, हां। देश में कोयला संसाधनों के विकास के लिए मध्यम और लम्बी अवधि की योजनायें बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अनुसार, सातवीं, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक कोयले का वार्षिक उत्पादन 169.79 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर क्रमशः 226 मि० टन, 325 मि० टन तथा 417 मि० टन हो जाएगा। अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना में रु० 6700.58 करोड़ की राशि (अनुसंधान और विकास के लिए रु० 120 करोड़ सहित) आबंटित की गई है।

(घ) कोयले की चोरी रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:—

(1) आकस्मिक जांच करना;

(2) उड़न दस्तों द्वारा छापामार जांच। इन उड़न चौकसी दस्तों में पुलिस, कोयला कम्पनियों के कर्मचारी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक हैं;

(3) जिला प्राधिकारियों द्वारा 3 कि० मी० के घेरे में स्थित निजी कोयला डिपों के लाइसेंस रद्द करना;

(4) उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की सप्लाई का अधिक कड़ा विनियमन;

(5) खान मुहानों से रेलवे साइडिंग तक कोयले/कोक के आंतरिक परिवहन का विभागीकरण।

बंगलौर के निकट येलाहंका में विद्युत परियोजना की स्थापना

*918. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर के निकट येलाहंका में प्राकृतिक गैस पर आधारित एक विद्युत परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) उपकरणों की सप्लाई के बारे में किन आधारों पर निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) द्रव पैट्रोल ईंधन पर आधारित येलाहंका में 120 मेगावाट का गैस टरबाइन संयंत्र स्थापित करने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमति प्रदान कर दी गई है, परन्तु अन्य बातों के साथ-साथ शर्त यह है कि विद्युत उत्पादन सेटों की पूंजी लागत कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी और यदि संयंत्र आयात करने की अनुमति दी जाती है तो फ्री विदेशी मुद्रा के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली देने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ग) आशा की जाती है कि राज्य बिजली बोर्ड दिसम्बर, 1987 तक परियोजना पर कार्य शुरू कर देगा।

तालचेर कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना

*919. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तालचेर कोयला क्षेत्र में एक अस्पताल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तक तब स्थापित किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। तालचेर में अस्पताल की स्थापना केन्द्रीय सरकार नहीं बल्कि इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कोयला कम्पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्डर्स लि० करेगी।

(ख) राज्य सरकार ने कोयला कम्पनी को अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया है। हालांकि कम्पनी ने राज्य सरकार के पास मुआवजे की पूरी राशि जमा करा दी है। कम्पनी ने फरवरी, 1988 तक अस्पताल का सिविल निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है बशर्ते कि इस बीच उसे जमीन उपलब्ध हो जाए। अस्पताल के प्रथम चरण में 100 बिस्तर होंगे और उसके दिसम्बर, 1989 से काम शुरू कर देने की आशा है। अस्पताल के दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त बिस्तर होंगे, और उसे फरवरी/मार्च, 1991 से कामकाज शुरू कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा भण्डारण के लिए अधिक प्रभार वसूल किया जाना

8946. **श्री एम० महालिंगम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम के भंडारण प्रभार राज्य भांडागार निगमों और निजी भांडागारों के भण्डारण प्रभारों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि निजी भांडागार उन स्थानों पर बन गए हैं जिन स्थानों का केन्द्रीय भांडागार निगम ने पहले ही सर्वेक्षण किया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा भण्डारण के लिए केन्द्रीय भांडागार निगम/राज्य भांडागार निगमों की अपेक्षा निजी भाडागारों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राज्य भाण्डागार निगम सामान्यतया वही भण्डारण दरें अपनाते हैं जो केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा निर्धारित की जाती है; तथापि, ये हमेशा तुलनीय नहीं हो सकती हैं। प्राइवेट भांडागारों द्वारों ली जा रही भण्डारण दरों से तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) केन्द्रीय भांडागार निगम के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केन्द्रीय भांडागार निगम की 80 प्रतिशत से भी अधिक भांडागारण क्षमता का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन अपने सामान को रखने में प्राइवेट भांडागारों को तरजीह देते हैं। राज्य भांडागार निगमों के बारे में इस पहलू पर सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी एजेन्सी के माध्यम से आयात की जाने वाली औषध

8947. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात की जाने वाली उन औषधों के नाम क्या हैं, जिनके लिए उनके मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान अनापत्ति पत्र जारी करने की सिफारिश की है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी एजेन्सियों द्वारा ओपन जनरल लाइसेंसों के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य औषधों के आयात की अनुमति दी गई; और

(ग) इन मदों के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया था और अनापत्ति पत्रों के अधीन अनुमति दी गई। इन आयातित मदों का अवतरण मूल्य क्या था ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्रसिंह) : (क) सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात की जाने वाली औषधों, जिनके लिए मन्त्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की है निम्नलिखित हैं :—

1985-86

1. डाइथाइलीन डाएमाइन

2 विटामिन ए एसिटेट फार्मा (0.5 एम० आई० यू०/ग्राम)

3. विटामिन ए एसिटेट नान फार्मा

4. विटामिन ए एलकोहल

5. स्ट्रेप्टोमाइसिन केलसियम क्लोराइड काम्पलेक्स

6. एसपारन

7. केलसियम सिनामाइड

1986-87

1. विटामिन ए वाटर मिसिबल पाउडर

2. मेन्डाडियोना सोडियम बाइसल्फेट आई० पी० (विटा० के०)

3. केलसियम सिनामाइड

(ख) गत दो दो वर्षों के दौरान सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से ओपन जनरल लाइसेंसों के अन्तर्गत निम्नलिखित मात्रा में और मूल्य की औषधों के आयात की अनुमति दी गई थी:—

1985-86

क्रम सं०	मद	मात्रा (मी० टन)	सी० आई० एफ० मूल्य (रु० लाख)
1.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	70.000	181.97
2.	6-ए० पी० ए०	134.305	1074.28
3.	डेपसोन	18.000	34.46
4.	विटामिन ए	18.200	59.63
5.	मिथाइल डोपा	15.000	129.49
6.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	—	—
		255.505	1479.75

1986-87

1.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	शून्य	—
2.	6-ए० पी० ए०	शून्य	—
3.	डेपसोन	29.000	71.03
4.	मिथाइल डोपा	शून्य	—
5.	विटामिन ए	28.000	112.94
6.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	12.000	42.38
		69.000	226.35

(ग) गत दो वर्षों 1985-86 और 1986-87 के दौरान आयातित औषध मदों के वितरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकिलो ग्राम पूल्ड मूल्य निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	मदें	पूल्ड मूल्य (प्रति किलो ग्राम)
1.	6-ए० पी० ए०	रु० 1230/- 4.3.86 तक
		रु० 1778/- 5.3.86 से
2.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	रु० 510/- 4.3.86 तक
		रु० 544/-5.3.86 से
3.	विटामिन ए पालमीटेट 1.0 एम० आई० यू० (ग्राम)	रु० 716/- 11.4.85 तक
	फार्मा/नाम फार्मा	रु० 990.95/- 12.4.85 से
4.	विटामिन ए पालमीटेट (1.7 एम० आई० यू०/ग्राम) फार्मा/नान फार्मा	रु० 1267.20 11.4.85 तक
		रु० 1735.14 12.4.85 से
5.	विटामिन ए एसिटेट (0.5 एम० आई० यू०/ग्राम)	रु० 365/- 11.4.85 तक
	फार्मा/नान-फार्मा	रु० 648.93 12.4.85 से
6.	डेपसोन	रु०250/- आज तक
7.	मिथाइल डोपा	रु० 1835.13 20.3.86 से 12.1.86 तक
		रु० 2148 13.1.86 से
8.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	रु० 847.42 16.4.86 तक
		रु० 1147/- 17.4.86 से

अनापत्ति प्रमाणपत्रों के अधीन आयातित मदों का अवतरण मूल्य उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आयात का प्रबन्ध सीधे ही वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा किया गया था ।

देश में बिक्री के लिए विदेशी ट्रेड मार्क "क्रास" का प्रयोग

8948. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री आनन्द पाठक } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए पेनों पर विदेशी ट्रेडमार्क "क्रास" का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस ट्रेडमार्क का प्रयोग करने के लिए मैसर्स चन्द्र इण्डस्ट्रीज के पंजीकृत प्रयोक्ता करार को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सरकार का देश में बिक्री के लिए विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग करने के विरुद्ध कब तक कानून बनाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापार तथा पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के बगैर व्यापार चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आंतरिक बिक्री के लिए विदेशों व्यापार चिन्हों के प्रयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता है, अगर ऐसे प्रयोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई प्रतिफल सम्मिलित हो।

मे० चन्द्रा इंडस्टीज ने व्यापार चिन्ह "क्रास" के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह, बम्बई को कोई आवेदन नहीं दिया है।

(घ) आंतरिक बिक्री पर विदेशी व्यापार चिन्हों के प्रयोग को नियमित करने के मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है।

भारतीय तेल निगम द्वारा महिला कर्म-नारियों के साथ भेदभाव

8949. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री सी० माधव रेड्डी } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम चिकित्सा प्रतिपूर्ति और आश्रित माता-पिता के लिए यात्रा रियायत के सम्बन्ध में अपनी महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव करता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) आई० ओ० सी० में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में महिला कर्मचारियों के साथ कोई पक्षपात नहीं बरता जाता है। कारपोरेशन के एक प्रभाग में एल० टी० सी० के सम्बन्ध में अलग व्यवस्थाएं हैं।

(ख) एल० टी० सी० के मामले में बहुत पहले से ही पक्षपात होता रहा है। इसमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से आई०ओ०सी० के सम्बन्धित प्रभाग की मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ पहले से ही बातचीत चल रही है।

विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देना

8950. **श्रीमती माथुरी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने विकलांग व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन किया था;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं; और

(ग) कनेक्शन दिए जाने की सूची के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं है। अत:

विकलांग व्यक्तियों की संख्या बतला पाना संभव नहीं है, जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है।

समाचार पत्रों की बढ़ती हुई एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच

8951. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यहार आयोग का विचार समाचार पत्रों की एकाधिकारीवादी प्रवृत्तियों में हाल ही में हुई वृद्धि एक ही समाचार पत्र के कई संस्करण निकालने और लघु तथा मध्यम दर्जे में समाचार पत्रों पर उसके प्रभाव की जांच करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस समय, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से "एनर्जी बसिस" की खरीद

8952. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय आर्थिक समुदाय से "एनर्जी बसिस" की खरीद करने का विचार है जिनमें ऊर्जा की खपत का पता लगाने के लिए आवश्यक उपकरण लगे हों ताकि मध्यम और लघु उद्योग दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा संरक्षण उपायों के बारे में सुझाव दिए जा सकें।

(ख) यदि हां, तो कितनी बसें आयात की जायेंगी और उन पर कितना पूंजी परिव्यय होगा; और

(ग) इन बसों को कहां और किस प्रकार तैनात किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग के औद्योगिक निगम पर कार्यकारी दल की 25-26 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में हुई प्रथम बैठक में यह समझौता हुआ था कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऊर्जा सम्बन्धी लेखा-परीक्षा कराने हेतु भारत और यूरोपीय समुदाय सहायता करेंगे। प्रस्ताव में यह परिकल्पना की गई है और औद्योगिक यूनिटों में ऊर्जा के समुपयोजन की मानीटरिंग करने के लिए ऐसी बसिस का उपयोग किया जाएगा जिनमें ऊर्जा मापी उपकरण लगे होंगे। तथापि, प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में परिवर्तन

8953. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**
कुमारी ममता बनर्जी } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 अभी भी सरकार की औद्योगिक नीति का मूल आधार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य बिजली बोर्डों के उपकरणों को बदलने के कारण हुआ घाटा

8954. **डा० एस० के० पटेल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्ड को घिसे-पिटे, जल गये अथवा क्षतिग्रस्त ट्रांसमिटरों स्विच गीयरों और ट्रांसमिशन लाइनों को बदलने के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना घाटा हुआ; और

(ख) इन पर किया गया व्यय बिजली उत्पादन पर कुल वार्षिक व्यय का कितने प्रतिशत है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बल्क औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

8955. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जो बल्क औषधियों का निर्माण करती हैं; और

(ख) उन स्वदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो बल्क औषधियों का निर्माण कर रही हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) प्रपुंज औषधों का निर्माण करने वाली फैरा कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-I में दिये जाते हैं। संगठित क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कम्पनियों के बारे में उपलब्ध सीमा तक ऐसे ही ब्यौरे विवरण-II में दिए जाते हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	मै० बेयर इण्डिया लि०
2.	मै० जोनसन एण्ड जोनसन इंडिया लि०
3.	मै० सिनामिड इंडिया लि०
4.	मै० आई० ई० एल० लि०
5.	मै० फाइजर लि०
6.	मै० सेण्डोज (इंडिया) लि०
7.	मै० वेयथ लेबोरेट्रीज लि०
8.	मै० रोचे प्रोडक्टस
9.	मै० ई० मर्क (इंडिया) लि०

विवरण-II

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	मै० अबोट लेबोरेट्रीज (आई) प्रा० लि०	26.	मै० केफीनल ओर्गेनिक एण्ड कैमिकल्स फार्मास्युटिकल्स लि०
2.	मै० अलबर्ट डेविट लि०		
3.	मै० एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कं० लि०	27.	मै० केडिला कैमिकल्स प्रा० लि०
4.	मै० अलटा लेब्रोरेट्रीज प्रा० लि०	28.	मै० कलकत्ता कैमिकल्स कं० लि०
5.	मै० अशीश केपसुल्स (प्रा०) लि०	29.	मै० केपसुलेशन सर्विस प्रा० लि०
6.	मै० अमरतारा इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	30.	मै० कैमिकल इंडस्ट्रीयल एण्ड फार्मा-स्युटिकल्स लेब्स लि०
7.	मै० अमृतांजन लि०		
8.	मै० आंध्रा सूगर लि०	31.	मै० चेमो फार्मा० लेब्स लि०
9.	मै० अंग्लो फ्रेंच ड्रग कं० (ईस्टर्न) लि०	32,	मै० चौगुले एण्ड कंपनी (हिन्द) प्रा० लि०
10.	मै० अनिल स्टार्च प्रोडक्टस लि०		
11.	मै० एशियन कैमिकल्स वर्क्स	33.	मै० केलसियम (इंडिया) प्रा० लि०
12.	मै० एसोसिएटेड केपसुल प्रा० लि०	34.	मै० हिन्दुस्तान सीबा गेगी आफ इंडिया लि०
13.	मै० अतुल प्रोडक्टस लि०		
14.	मै० बेरोफार्मा कैमिकल्स लि० एण्ड कैमि-कल्स इंडस्ट्रीज	35.	मै० सीबातुल लि०
		36.	मै० क्यूरवेल (इंडिया) लि०
15.	मै० बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा लि०	37.	मै० डाबर (डा० एस०के० बर्मन) प्रा० लि०
16.	मै० बंगाल इम्युनिटी लि०		
17.	मै० भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन	38.	मै० डी० पी० पटेल (यू०एस०ए०) इन्ड० ब्यूरो (गुजरात सरकार का उपक्रम)
18.	मै० बायोकेमीकल एण्ड सिन्थेटिक प्रोडक्टस लि०	39.	मै० डे मेडिकल स्टोर्स प्रा० लि०
19.	मै० बायोलोजिकल ई० लि०	40.	मै० डी० सी० चेम लि०
20.	मै० बोहरिंगर नोल लि०	41.	मै० डोनिस क्रेम लेब० प्रा० लि०
21.	मै० बूटस (इंडिया) लि०	42.	मै० घूफर इन्टरफ्रान लि०
22.	मै० बुरोज बेलकम कं० (आई०) प्रा० लि०	43.	मै० ईस्ट इंडिया फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि०
23.	मै० बी०एच०सी० कैमि० प्रा० लि०	44.	मै० इलीज कैमिकल लेब्स प्रा० लि०
24.	मै० बोमीडिला ब्रोस० लि०	45.	मै० लूफरिक फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि०
25.	मै० चन्द्रा फार्मास्युटिकल्स	46.	मै० फेयरडील कारपोरेशन प्रा० लि०

क्र० सं० कम्पनी का नाम	क्र० सं० कम्पनी का नाम
47. मै० गेलीकेप्स प्रा० लि०	72. मै० जैन कालीवाला कैमिकल्स (प्रा०) लि०
48. मै० गुजरात सिन्थेटिक ड्रग्स लि०	73. मै० जे०एल० मोरीशन, सन एण्ड जोन (आई) लि०
49. मै० घारधा कैमिकल्स प्रा० लि०	
50. मै० ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी लि०	74. मै० जे०एस० मोरीशन, सन एण्ड जोन (आई) लि० बम्बई
51. मै० ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज (इंडिया) लि०	
52. मै० जर्मन रिमेडीज लि०	75. मै० जयन्त विटामिन्स लि०
53. मै० हाफकिन्स बायो फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि०	76. मै० जगजीत इंडस्ट्रीज लि०
	77. मै० जेसी ड्रग्स एण्ड फार्मा० (प्रा०) लि०
54. मै० हमदर्द (वाकफ) लेबोरेट्रीज प्रा० लि०	78. मै० केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०
55. मै० हेचेम लि०	79. मै० खेर सर्जीकल एण्ड एलाइड प्रोडक्टस (प्रा०) लि०
56. मै० हिको प्रोडक्टस लि०	
57. मै० हिरीमथ कैमिकल्स लि०	80. मै० कोठारी प्लांटेशन इंडस्ट्री लि०
58. मै० एच० आई० गांधी	81. मै० लेबोरेट्रीज विफोर (आई) प्रा० लि०
59. मै० हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	82. मै० लिफिन कैमिकल्स
60. मै० हेक्सट इंडिया लि०	83. मै० लेबिनी कपूर (प्रा०) लि०
61. मै० हिन्द कैमिकल्स लि०	84. मै० मेक लेबोरेट्रीज (प्रा०) लि०
62. मै० एच० एम०एम० लि०	85. मै० मे एण्ड बेकर (आई०) लि०
63. मै० हैदराबाद कैमिकल्स एण्ड फार्मा० वर्क्स लि०	86. मै० मालदी ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०
	87. मै० मेक गो रविन्द्रा लेब्स (आई०) लि०
64. मै० हैदराबाद बोटलिंग	88. मै० महाराष्ट्रा एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मा० लि०
65. मै० इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० सिन्थेटिक प्रोजेक्टस	
	89. मै० मेघालय फाइटो कैमिकल्स लि०
66. मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० एण्टीबायोटिकल्स प्रोजक्टस	90. मै० मेहता फार्मा० लि०
	91. मै० आस्ट्रा आई०डी०एल० लि०
67. मै० इंडियन ड्रग्स फार्मा० लि०	92. मै० माइलोज इंडिया लि०
68. मै० इंडियन हेल्थ इन्स्टीटयूट एण्ड लेबोरेट्रीज लि०	93. मै० मुनीराबाद कैमिकल्स कं० लि०
	94. मै० मेट्रोनी ड्रग्स (आई०) लि०
69. मै० इंडियन फार्मा० केप एण्ड कैमिकल्स प्रा० लि०	95. मै० हरूरकर लेबोरेट्रीज (प्रा०) लि०
	96. मै० नीला प्रोडक्टस
70. मै० केमल प्रा० लि०	97. मै० न्यू ड्रग्स (इंडिया) लि०
71. मै० इंडो फार्मा फार्मास्युटिल्स वर्क्स प्रा० लि०	98. मै० ईनफार (आई०) लि०
	99. मै० ओरियन्टल फार्मा० इंडस्ट्रीज लि०

क्र०सं०	कम्पनी का नाम
100.	मै० ओरियन्ट फार्मा० प्रा० लि०
101.	मै० पार्क डेविस (आई०) लि०
102.	मै० पालेग प्रोडक्टस (प्रा०) लि०
103.	मै० पेफको फाउन्ड्री एण्ड कैमिकल्स लि०
104.	मै० प्लेटवेल प्रोसेस एण्ड कैमिकल्स लि०
105.	मै० पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
106.	मै० फार्मास्युटिकल केपसूल्स लेबोरेट्रीज
107.	मै० पायोनील लेबोरेट्रीज
108.	मै० प्रोमियर ड्रग्स कं० लि०
109.	मै० रामराजू सर्जीकल कोटन मिल्स लि०
110.	मै० आर० ए० सिकारिया
111.	मै० पंजाब लेबोरेट्रीज लि० पंजाब
112.	मै० रेनवेक्सी लेबोरेट्रीज लि० नई दिल्ली
113.	मै० रेलिस इंडिया लि० (बम्बई) फार्मा० प्रभाग
114.	मै० रेलिस इंडिया लि० वेस्ट बंगाल
115.	मै० रेलिस इंडिया लि० मद्रास
116.	मै० रेपटेक्स ब्रीट एण्ड कम्पनी प्रा० लि० बम्बई
117.	मै० रेपटेक्स ब्रीट एण्ड कम्पनी प्रा० लि० मद्रास
118.	मै० रेकिट एण्ड कोलमन आफ इंडिया लि०
119.	मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०
120.	मै० रेओला कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
121.	मै० रुसल फार्मा० (इंडिया) लि०
122.	मै० सिन्थोजाइल लेब्स
123.	मै० साराभाई एम० कैमिकल्स
124.	मै० साराभाई एम० कैमिकल्स
125.	मै० सलेग (इंडिया) लि०
126.	मै० सुधा ड्रग्स एण्ड कैमि० (इंडिया) लि०
127.	मै० श्रीजै ओर्गेनिक लि०
128.	मै० श्री राजपाल सिंह कोछड़
129.	मै० सोनल फार्मास्युटिकल्स
130.	मै० इसमेजीफ लि०
131.	मै० स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मा० लि०
132.	मै० सारदा कैमिकल्स प्रा० लि०
133.	मै० स्टैन्डर्ड आर्गेनिक लि०
134.	मै० स्टैन्डर्ड फार्मा० लि०
135.	मै० एस० जे० गोयल, बम्बई
136.	मै० स्टैन्डर्ड फार्मा० कं० हैदराबाद
137.	मै० स्वास्तिका फर्टिलाइजर लि०
138.	मै० संघी कैमि० (प्रोप० संघी मोटर्स बम्बई) लि०
139.	मै० एस० जी० कैमिकल्स एण्ड फार्मा०
140.	मै० सुनीता लेबोरेट्रीज (प्रा०) लि०
141.	मै० सुनील सिनोचेम लि०
142.	मै० सिनबायोटिक्स लि०
143.	मै० तमिलनाडू दाधा फार्मा० लि०
144.	मै० थोमिस फार्मा०
145.	मै० थीरापुटिक फार्मास्युटिकल्स
146.	मै० थेमिस कैमि० लि० बम्बई
147.	मै० थेमिस ओर्गेसिन कैमिकल
148.	मै० यूनीचेम लेब्स प्रा० लि० बम्बई
149.	मै० यूनीचेम लेब्स प्रा० लि० गाजियाबाद
150.	मै० यूनीलोइड लि०
151.	मै० यूनीक्यू कैमिकल्स लि०
152.	मै० यूनी सेक्यो लि०
153.	मै० यूनी०यू०सी०बी० (आई) प्रा० लि०
154.	मै० वी० जी० उपाध्याय
155.	मै० वेंकटेश्वरा हेटचरीज (प्रा०) लि०
156.	मै० वानडर लि०
157.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि०
158.	मै० झंडू फार्मा० लि०
159.	मै० गर्वनमेंट ओपियम एण्ड एलक वर्क्स गाजीपुर।
160.	मै० गर्वनमेंट यूनी क्वीनाइन फैक्ट्री सिनकोना डिपार्टमेंट, मद्रास।
161.	मै० गर्क्नमेंट क्वीनीन फैक्ट्री, वेस्ट बंगाल

कागज मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण

8956. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ कागज मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कागज मिलों के अधिग्रहण का विचार है;

(ग) सरकार का किस आधार पर कागज मिलों का प्रबन्ध अपने नियत्रण में लेने का विचार है; और

(घ) इस दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन किसी कागज मिल को अधिगृहित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

8957. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कानपुर टेलीफोन विभाग के पास "एस० एस०" श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए भारी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों के पास इस प्रकार के कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) प्रतीक्षा-सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) शून्य ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मेक्स II एक्सचेंजों की स्थापना

8958. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में तहसील तब डिवीजन मुख्यालयों में मैक्स-II एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय राज्यों में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं । सभी तहसील/उप-मंडलीय मुख्यालयों में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एम० ए० एक्स-II एक्सचेंजों के संस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

द्रुत डाक स्पीड (पोस्ट) सेवा, आरम्भ करना

8959. **श्री एस० पलाकेन्द्रायुडु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और राजामुन्द्री से नई दिल्ली के लिए द्रुत डाक सेवा, आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) तिरुपति, विजयवाड़ा और राजामुन्द्री से नई दिल्ली के लिए द्रुत डाक सेवा शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। विशाखापत्तनम से द्रुत डाक सेवा को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था लेकिन प्रचालन समस्याओं के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(ग) विशाखापत्तनम से सेवा प्रारम्भ करने के कारणों का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। तिरुपति, विजयवाड़ा और राजामुन्द्री से इस सेवा को प्रारम्भ न करने के कारण इस प्रकार हैं :—

इस सेवा को प्रारम्भ करने की मुख्य शर्त यह है कि वहां उपयुक्त आवक/जावक समय के साथ-साथ डाक को भेजने और प्राप्त करने के समय सहित हवाई सेवाएं उपलब्ध हों। तिरुपति, विजयवाड़ा और राजामुन्द्री से नई दिल्ली के लिए इस सेवा को प्रारम्भ करने में यह शर्त पूरी नहीं होती है।

केरल में चिरेयिकिल टेलीफोन एक्सचेंज का विकास

8960. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में चिरेयिकिल टेलीफोन एक्सचेंज विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) चिरेयिकिल के 90 लाइनों वाले एक्सचेंज को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 लाइनों तक बढ़ाने की योजना है।

कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कर्मचारियों के ब्यौरे का प्रकाशन

8961. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कर्मचारियों के ब्यौरे के प्रकाशन के बारे में 2 दिसम्बर, 1986 के प्रश्न संख्या 4423 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम्पनियों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 36,000 रुपये से अधिक वार्षिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों का विवरण पास-पास छापने पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-कश्मीर राज्यों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का दलवार ब्यौरा

8962. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू तथा कश्मीर विधान सभाओं के लिए मार्च, 1987 में चुनाव हुए;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक दल के कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी;

(ग) प्रत्येक राज्य में विजयी उम्मीदवारों की दलवार स्थिति क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में उन उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है, जिनकी जमानत जब्त हो गई;

(ङ) इन राज्यों में चुनाव कराने पर सरकार द्वारा राज्यवार कितना व्यय किया गया; और

(च) प्रत्येक राज्य में दलवार कुल कितनी जमानत राशि जब्त की गई ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) निर्वाचन आयोग अपेक्षित जानकारी इकट्ठी कर रहा है और जब आयोग उन्हें उपलब्ध करा देगा तब सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 1987

उन अभ्यर्थियों की दलवार संख्या जिन्होंने निर्वाचन लड़ा और निर्वाचन जीता

(अनंतिम आंकड़े)

दल का नाम	जम्मू-कश्मीर		केरल		पश्चिमी बंगाल	
	लड़े	जीते	लड़े	जीते	लड़े	जीते
1	2	3	4	5	6	7
1. इं० ने० कां०	29	24	74	33	294	40
2. इं० कां० सो० (श० च० सि०	2	—	14	6	4	—
3. ज० पा०	11	—	12	7	30	—
4. भा० ज० पा०	28	2	105	—	57	—

1	2	3	4	5	6	7
5. लो० द०	10	—	2	1	18	—
6. भा० क० पा०	6	—	25	16	12	11
7. भा० क० पा० (मा०)	3	—	67	36	213	187
8. रे० सो० पा०	—	—	—	—	23	18
9. फा० ब्ला०	—	—	—	—	34	26
10. ज० क० ने० का०	44	39	—	—	—	—
11. ज० क० पैं० पा०	23	—	—	—	—	—
12. ज० क० पी० क०	22	—	—	—	—	—
13 मु० ली०	—	—	23	15	36	1
14. के० कां०	—	—	14	5	—	—
15. सो० यु० से०	—	—	—	—	45	2
16. निर्दलीय	332	8	896	19	731	9
योग :	*510	*73	**1232	**138	1497	294

*47-भदरवाह (अ०जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिया गया था और 43-लेह तथा 44 कारगिल सभा निर्वाचन क्षेत्रों (हिमाच्छादित क्षेत्र) में मतदान स्थगित किया गया। उपरोक्त आंकड़े केवल इन तीन निर्वाचन-क्षेत्रों के आंकड़े हैं।

**90-कोट्टायम और 130-वमनपुरम सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रत्यादिष्ट हो गया। उपरोक्त आंकड़े केवल इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े हैं जहां मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिया गया था।

टिप्पणी :—ऊपर स्तंभ 1 में दिए गए दलों के नामों के संक्षेपाक्षरों के पूर्ण रूप संलग्न हैं।

राजनैतिक दलों के नाम और संक्षेपाक्षर

क्रम सं०	राजनैतिक दल का नाम	संक्षेपाक्षर
1	2	3
1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	इं० ने० कां०
2.	इंडियन कांग्रेस सोसलिस्ट (शरत चन्द्र सिन्हा)	इं० का० सो० (श० चं० सि०)
3.	जनता पार्टी	ज० पा०
4.	भारतीय जनता पार्टी	भा० ज० पा०
5.	लोक दल	लो० द०

1	2	3
6.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	भा० क० पा०
7.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	भा० क० पा० मा०
8.	रेबोल्युशनरी सोसलिस्ट पार्टी	रे० सो० पा०
9.	आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	फा० ब्ला०
10.	जम्मू कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस	ज० क० ने० का०
11.	जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी	ज० क० पैं० पा०
12.	जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांन्फ्रेंस	ज० क० पी० का०
13.	मुस्लिम लीग	मु० ली०
14.	केरल कांग्रेस	के० कां०
15.	सोसलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया	सो० यू० सें०
16.	निर्दलीय	निर्द०

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में चावल मिलों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

8963. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में चावल मिलों को प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली की मांग और सप्लाई की स्थिति

8964. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1985 से जनवरी, 1987 तक बिजली की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार औसत मांग और सप्लाई की स्थिति क्या थी; और

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं : नई क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, ऊर्जा संरक्षण और मांग प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को लागू करना तथा फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था करना।

विवरण

जनवरी, 1985 से जनवरी, 1987 तक विद्युत सप्लाई की स्थिति

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में—निवल)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	795	758	37	4.7
दिल्ली	10789	10776	13	0.1
हरियाणा	11963	9417	2546	21.3
हिमाचल प्रदेश	1720	1712	8	0.5
जम्मू और कश्मीर	3827	3234	593	15.5
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब	22532	20919	1613	7.2
राजस्थान	15718	14233	1485	9.4
उत्तर प्रदेश	38673	33384	5289	13.7
जोड़	106017	94433	11584	10.0
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	30863	30064	799	2.6
मध्य प्रदेश	24523	24508	15	0.1
गोवा सहित महाराष्ट्र	56160	54001	2159	3.8
जोड़	111546	108573	2973	2.7
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	29242	29242	—	—
कर्नाटक	26483	20321	6162	23.3
केरल	11090	10664	426	3.8
तमिलनाडु	31794	28674	3120	9.6
जोड़	98609	88901	9708	9.8

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	9479	6776	2703	28.5
दामोदर घाटी निगम	14068	12110	1958	13.9
उड़ीसा	12033	9451	2582	21.5
पश्चिम बंगाल	16164	14971	1193	7.4
जोड़	51744	43308	8436	16.3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
योग	8789	3594	195	5.1
अखिल भारत	371705	338809	32896	8.9

असम और नागालैंड में डाक और दूरसंचार सेवाएं

8965. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम और नागालैण्ड में दूरसंचार और डाक सेवाओं के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान डिब्रूगढ़ और दीमापुर में डाक और दूरसंचार सेवाओं मे सुधार करने की क्या योजना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार :

1. महाप्रबन्धक के अधीन एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

2. असम और नागालैण्ड में प्रशासनिक यूनिटों का पुनर्गठन सुदृढ़ और दर्जा बढ़ाया गया है।

3. उत्तर पूर्व में दूरसंचार सेवाओं की मानीटरिंग शुरू की गई है।

4. उपस्कर का प्राथमिक आधार पर आबंटन और नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।

डाक।

15.11.86 से गुवाहटी में द्रुत सेवा शुरू की गई है । डाक के तेजी से संचारण के लिए कोहिमा और दीमापुर के बीच एक विभागीय डाक मोटर सेवा शुरू की गई है।

(ग) दूरसंचार :

सेवा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की गई है।

डाक :

निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्य पूर्ण डाकघरों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए

डिब्रूगढ़ और दीमापुर क्षेत्रों में तथा साथ ही साथ उत्तर-पूर्वी सर्किल के अन्य क्षेत्रों में एक मूल्यांकन किया जा रहा है । सर्वेक्षण के परिणामों तथा वित्त मन्त्रालय की मंजूरी के आधार पर ही इन क्षेत्रों में अतिरिक्त डाकघर खोले जा सकेंगे। आगामी 2-3 माह के दौरान इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री

8966. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक-उपभोग की कौन-कौन-सी अत्यावश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों के माध्यम से विपणन किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1985-86 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों से देश में प्रत्येक वस्तु का कितनी-कितनी मात्रा में विपणन किया गया; और

(ग) वर्ष 1985-86 में प्रत्येक वस्तु का प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में विपणन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) : केन्द्रीय सरकार सार्वनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात गेहूं, चावल, लेवी चीनी, साफ्ट कोक, कंट्रोल का कपड़ा, मिट्टी का तेल तथा आयातित खाद्य तेल, सप्लाई करती है। इसके अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्य वस्तुओं को शामिल करने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु ऐसी वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा वितरण की व्यवस्था वे स्वयं करती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन वस्तुओं के वितरण की मात्रा तथा तरीके का निर्धारण राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और इसलिए ये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अलग-अलग होते हैं।

विवरण

वस्तु	वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित की गई मात्रा
1. चावल	6105.2 हजार मी० टन
2. गेहूं	3648.4 हजार मी० टन
3. मिट्टी का तेल	5634.3 हजार मी० टन
4. आयातित खाद्य तेल	538.7 हजार मी० टन
5. कोयला	16.77 हजार मी० टन
6. कन्ट्रोल का कपड़ा	
(क) सूती कपड़ा	2625.30 लाख वर्ग मीटर
(ख) पोलीएस्टर-सूती मिश्रित कमीज का कपड़ा	81.70 लाख मीटर

7. लेवी चीनी

उपर्युक्त वस्तुओं के अलावा, 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए प्रति मास 3.13 लाख मी० टन लेवी चीनी आबंटित की गई। वर्ष 1985-86 के दौरान जून, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1985 के महीनों में त्यौहारों के लिए 50,000 मी० टन का अतिरिक्त मासिक लेवी कोटा आबंटित किया गया।

चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

8967. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज दिल्ली से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ख) उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1.4. 1987 की स्थिति के अनुसार चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 6347 है।

(ख) चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत और अधिक कनेक्शन प्रदान करने की क्षमता उपलब्ध नहीं है। 20,000 लाइनों की क्षमता का एक नया डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 1990-91 तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इसके बाद कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी

8968. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी ताप विद्युत संयंत्रों को मन्जूरी दी गई है और संयंत्रवार उत्पादन क्षमता और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी संयंत्र सरकारी क्षेत्र में हैं; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित संयंत्रों में से कितने संयंत्र ताप और गैस पर आधारित हैं और प्रत्येक के लिए कितने कोयले और गैस की आवश्यकता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी की थोक डीलरशिप के लाइसेंस जारी करना

8969. **श्री जैनुल अबेदिन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी की थोक डीलरशिप के लिए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी आदेश वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) चीनी में व्यापार करने के लिए नये थोक व्यापारी लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध, जोकि खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में उछाला आने के कारण व्यापारियों की सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में अगस्त, 1985 में लगाया गया था, को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। यद्यपि जुलाई, 1985 में चल रही स्थिति की तुलना में चीनी की वर्तमान स्थिति बेहतर है लेकिन यह इतनी अधिक सुगम नहीं है कि सरकार द्वारा किए गए विनियामक उपायों को वापस लेने का औचित्य सिद्ध होता हो। इस प्रतिबन्ध के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से चलाने में राज्य सरकारों द्वारा बतायी गई कठिनाइयों, यदि कोई हुई हों, को सन्तोषजनक ढंग से हल कर लिया गया था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को सहायता

8970. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जा रही है ताकि और अधिक आवश्यक वस्तुओं को इसके अंतर्गत लाया जा सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (गुलाम नबी आजाद) : केन्द्रीय नागरिक पूर्ति विभाग राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है :—

1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना करने और गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता।
2. राज्यों को चलती-फिरती वैनें खरीदने के लिए सहायता।
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोडाइज्ड नामक और छोटे पैकों में लेवी चीनी की आपूर्ति हेतु सहायता।

1986-87 के दौरान इन योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को 125.32 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।

इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा सात आवश्यक वस्तुएं अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और कंट्रोल का कपड़ा, अधिप्राप्त किया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आम खपत की और अधिक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने और उचित दर दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भता में सुधार लाने के लिए अन्य वस्तुओं को जिनकी अधिप्राप्ति और वितरण के लिए उन्हें स्वयं प्रबन्ध करने होंगे, शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सिक्किम में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

8971. **श्रीमती डी० के० मण्डारी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत

उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 1986-87 के दौरान सिक्किम के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई; और

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कुल कितनी राशि निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। भारत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है और तदनुसार राज्यवार कोई आवंटन नहीं किये जाते हैं। 1986-87 के दौरान सिक्किम सरकार से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) भारत सरकार सिक्किम सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर, जब भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, विचार करेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

8972. **श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सात आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किया जा रहा है;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी ये सात वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सप्लाई की जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार पहले से ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल साफ्ट कोक तथा कंट्रोल के कपड़े की आपूर्ति कर रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम दिल्ली में पेट्रोल पम्प

8973. **डा० गुलाम यजदानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ रोड पर तिलक नगर के बाद कोई पेट्रोल पम्प नहीं है जिसके कारण जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर के सैकड़ों मोटर चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों की सुविधा के लिए जनकपुरी के नये बन रहे जिला केन्द्र में एक पेट्रोल पम्प के लिए स्थान आवंटित करने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नजफगढ़ में तीन, जनकपुरी में एक और जेल रोड पर एक पेट्रोल/डीजल फुटकर बिक्री केन्द्र द्वारा इस समय उस क्षेत्र में मोटर चालकों की आवश्यकताएं पूरी की जा रही है। उत्पाद की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से, तेल उद्योग की दिल्ली में जनकपुरी में एक और विकासपुरी में एक पेट्रोल/डीजल फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त स्थलों के आबंटन होने पर आगे की और कार्रवाई निर्भर करेगी।

केरल के कोट्टायम जिले में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन और गैस एजेन्सियों के लिए लम्बित पड़े आवेदन

8974. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोट्टायम जिले में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए सरकार के पास कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) उस जिले में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उस जिल में और अधिक गैस एजेंसियां खोलना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) पहली मार्च, 1987 को कोट्टायम जिले में एल० पी० जी० कनेक्शन लेने के लिए लगभग 1260 आवेदन बकाया थे।

(ख) इस जिले में 10 एल० पी० जी० वितरणशिपें काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। तेल उद्योग की कोट्टायम में 6 और वितरणशिपें खोलने की योजना है। उनका विवरण इस प्रकार है :—

स्थान

1. चेंगनाचेरी
2. कोट्टायम
3. वैकोम
4. पंपाडी
5. एरुमेलि
6. पुथुपल्ली

तमिलनाडु में रानीपेट में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करना

8975. **श्री आर० ओवरचिनम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में रानीपेट में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से इस संयंत्र की स्थापना कराने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण यूनिटों की उत्पादन क्षमता

8976. **श्री पी० कुलनवईवेलू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977-78 के दौरान पोलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माताओं को उत्तम कोटि के डेनियर बेस यार्न के स्थान पर मोटे रेशेयुक्त डेनियर यार्न का अपनी लाइसेंस युक्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां तो उस समय इन यूनिटों की लाइसेंस युक्त क्षमता क्या थी और वहां तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न विनिर्माता यूनिटों की वर्तमान लाइसेंसयुक्त क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन क्या था ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता-टन/प्रतिवर्ष	उत्पादन (लगभग)		
			1978	1979	1980
1.	मै० बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन लि०	576	690	650	580
2.	मै० गरवारा नाइलोन लि०	576	470	410	600
3.	मै० जे० के० सिन्थेटिक लि०	960	1,000	1,180	1,430
4.	मै० मोदीपान लि०	576	440	800	850
5.	मै० निरलोन सिन्थेटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	922	1,080	1,120	1,310
6.	मै० श्री सिन्थेटिक लि०	360	460	520	610

(ग) जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता-टन/प्रतिवर्ष	उत्पादन (लगभग) 1984	1985	1986
1.	मै० गरवारा नाइलोन लि०	3,500	2010	1,830	1,860
2.	मै० जे० के० सिन्थेटिक लि०	6,960	2,490	5,670	7,700
3.	मै० निरलोन सिन्थेटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	2,655	2,450	2,850	4,380
4.	मै० मोदीपोन लि०	1,723	3,460	3,650	3,220
5.	मै० श्री सिन्थेटिक लि०	2,056	1,900	3,630	3,460
6.	मै० बड़ौदा रेयन कार्पो० लि०	1,777	1,450	1,560	1,880
7.	मै० पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लि०	9,000	8,180	7,940	8,500
8.	मै० सेन्चुरी इंका लि०	6,540	6,100	6,230	7,010
9.	मै० ओके० सिल्क मिल्स लि०	6,000	6,110	8,450	9,443
10.	मै० रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०	25,125	20,040	23,760	30,000
11.	मै० इंडियन ओर्गेनिक कैमिकल्स लि०	3,500	—	—	—

बिहार में बिजली की खपत और आवश्यकता

8977. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की वर्तमान खपत और आवश्यकता कितनी है; और

(ख) बिहार में वर्ष 1986-87 के दौरान कुल कितनी बिजली पैदा की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी :) (क) मार्च, 1987 के दौरान बिहार में ऊर्जा की आवश्यकता 457 मिलियन यूनिट थी, जिसकी तुलना में उपलब्धता 340 मिलियन यूनिट थी।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान बिहार में कुल 3680 मिलयन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था।

गुजरात में लोक अदालतें

8978. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि**
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 से 20 अप्रैल, 1987 तक गुजरात तथा अन्य राज्यों में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई; और

(ख) कितने मामलों को निपटाया गया ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) तारीख 1.1.1986 से 5.4.87 तक गुजरात राज्य में 36 लोक अदालतें आयोजित की गई और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 410 लोक अदालतें आयोजित की गई ।

(ख) पूर्वोक्त अवधि के दौरान लोक अदालतों द्वारा गुजरात में 5962 मामले और संघ राज्य क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों में 356365 मामले निपटाए गए ।

इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि० द्वारा एम०ई०जी० का उत्पादन बन्द किया जाना

8979. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री एस० एम० गुरड्डी } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों द्वारा एम०ई०जी० का उत्पादन बन्द कर दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० अयचन्न सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । केवल इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० का संयंत्र योजना बद्ध ढग से लगभग तीन सप्ताह के लिए बन्द है ।

(ग) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि रख-रखाव आदि के लिए इस प्रकार काम बन्द करना एक आम बात है ।

पणजी न्यायालय में चोरी के मामले

8980. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी में हाल ही में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक न्यायालय भवन से नगदी और सम्पत्ति की चोरी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चोरी की गई नकदी और सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) 11,045.57 रुपए मूल्य की सम्पत्ति और नकदी की चोरी हुई है ।

(ग) पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और मामले का अन्वेषण किया जा रहा है ।

नई चीनी मिलों की स्थापना

8981. **श्री एम० डेनिस** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जिनकी पहले ही चीनी मिलें हैं, नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के बारे में कोई मार्गनिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या चीनी मिलों की स्थापना के लिए नए आवेदन मांगे जाएंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों की जांच सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाएगी। हाल ही में घोषित की गई नीति के अनुसार लाइसेंस देने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और उसके बाद सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को आखिर में प्राथमिकता दी जाती है।

राज्य विधानमंडलों में अंग्रेजी का प्रयोग

8982. **श्री रामधन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य विधान मंडलों ने अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए कानून नहीं बनाये हैं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 210 (2) के अधीन अपेक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो उन विधान मंडलों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक ऐसा कानून पारित नहीं किया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जानकारी, राज्य सरकारों से इकट्ठी करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सप्लाई

8983. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या यह मात्रा उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो आदिवासी लोगों की खाद्यान्न की पूर्ण आवश्यकता किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आदिवासी इलाकों सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सार्वनिजक वितरण प्रणाली सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा शासित होती है। उपभोक्ताओं को जारी की जाने वाली मात्रा का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्तियां अनुपूरक स्वरूप की होती हैं।

राज्यों में कर अपवंचन के मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

8984 **श्रीमती वसुंधराजेश्वरी**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में कर अपवंचन के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया गया है;

(ग) कितने राज्यों की सरकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) कितने राज्यों में अब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित कर दिये गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 47 वीं रिपोर्ट में, आर्थिक अपराधों के प्रभावी और शीघ्र अभियोजना के लिए, विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने की सिफारिश की है । तत्पश्चात, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे बारह विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 भी सम्मिलित है, के अधीन आने वाले केवल आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिए विद्यमान न्यायालयों में से कुछ को नियत कर दें या अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करें ।

(ग) और (घ) अभी तक दस राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा ठेके

8985· **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या **ऊर्जा** मन्त्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने स्वदेशी और विदेशी सप्लाई कर्ताओं से दोषपूर्ण सप्लाई के विरूद्ध अपने हितों की समुचित रूप से रक्षा करने के लिए ठेकों की शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है;

(ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा विभिन्न पार्टियों के साथ ऐसे कितने ठेके किए गए जिनके लिए वर्ष 1986 और 1987 में आशय पत्र जारी किए गए थे;

(ग) उनकी शर्तों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन ठेकेदारों के पिछले कार्य निष्पादन की जांच करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) देशी और विदेशी सप्लायरों की उपकरण सप्लाई में त्रुटियों से अपने हितों की पर्याप्त रक्षा करने के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन संविदाओं में आवश्यक शर्तें शामिल करता रहा है ।

(ख) प्रमुख पैकेजों के लिए वर्ष 1986 और 1987 में जारी विस्तृत आशय-पत्र की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

1980 ... ... 17 (सत्रह)

1987 ... ... 11 (ग्यारह)

(ग) विस्तृत आशय-पत्रों में ऐसे खंड शामिल हैं जिनमें संविदा के विभिन्न अंशों के लिए विभिन्न चरणों में किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिशत, सुपुर्दगी अवधि, वारंटी अवधि, निष्पादन परीक्षण, आदि के सम्बन्ध में विवरण और व्यवस्थाएं हैं।

(घ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन निविदा आमंत्रण नोटिसों में अर्हतापूर्व अपेक्षाएं निर्धारित कर देता है तथा सप्लायरों से पिछली सप्लाई की संदर्भ सूची भी मांगता है। इस प्रकार के मूल्यांकन के साथ-साथ जहां आवश्यक होता है वहां परामर्शदाताओं के साथ संयंत्र में जाकर स्वयं भी सारी बात देखने से कार्य निष्पादन के निर्धारण में सहायता मिलती है।

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में कोलाघाट ताप-विद्युत संयंत्र के यूनिटों के निर्माण के लिए ऋण

8986. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में कोलाघाट ताप विद्युत संयंत्र के यूनिट चार, पांच और छः के निर्माण के लिये ऋण लेने के प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ सहित सावधिक ऋण देने वाले संस्थान, विशेष मामले के रूप में, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कोलाघाट ताप विद्युत संयंत्र (सोपान-दो) की परियोजना लागत के एक भाग का वित्त-पोषण करने हेतु 232 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने के लिये सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

हरिद्वार और देवबन्द में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

8987. **श्री राम सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की शहर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्थानान्तरित करने के लिये भवन तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज को नये भवन में किस तारीख तक स्थानान्तरित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) हरिद्वार और देवबन्द में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली की सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) हरिद्वार में 1991-92 के दौरान आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने की योजना है। देवबन्द में पहले से ही आटोमेटिक एक्सचेंज काम कर रहा है।

[अनुवाद]

बड़ौदा-हलोल, बड़ौदा-अंकलेश्वर और अहमदाबाद-सुरेन्द्र नगर के बीच सीधा टेलीफोन/टेलेक्स सम्पर्क

8988 . **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़ौदा और अहमदाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक शहरों और उनसे 40 से 80 किलोमीटर तक की दूरी के भीतर के उपनगरीय उद्योग समूहों में उपलब्ध टेलीफोन सेवा अपर्याप्त है और इन केन्द्रों के बीच सीधा टेलीफोन टेलेक्स सम्पर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ौदा-हलोल, बड़ौदा-अंकलेश्वर और अहमदाबाद-सुरेन्द्रनगर के बीच सीधे टेलीफोन/टेलेक्स सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव : (क) जी हां।

(1) बड़ोदरा तथा हालोल के बीच 3 चेनल तथा 8 चैनल कैरियर प्रणाली कार्य कर रही है। दूसरी 8 चैनल की प्रणाली संस्थापनाधीन है।

(2) बड़ोदरा तथा अंकलेश्वर के बीच इन्टर स्टाइस के बिल प्रणाली प्रदान की जा रही है।

(3) अहमदाबाद तथा सुरेन्द्र नगर, के बीच 12 एम एच जेड कोएक्सियल प्रणाली उपलब्ध है।

(4) बड़ौदरा, अंकलेश्वर, सुरेन्द्रनगर, में टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध हैं हरोल स्थित टेलेक्स एक्सचेंज द्वारा हालोल को सेवा प्रदान की जाती है। 30 जून 1987 तक हालोल में 20 लाइनों की क्षमता का एक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित किए जाने की योजना है।

(5) इसके अतिरिक्त 2.6 एम एच जेड कोएक्सियल प्रणाली बड़ोदरा तथा हालोल के बीच प्रदान करने की योजना है।

(6) अंकलेश्वर को अहमदाबाद बम्बई आप्टिकल फाबर लाइन पर सुपर रूट बनाए जाने की योजना है ।

नई लाइनें चालू करने और नये कनेक्शन देने का लक्ष्य

8989. **श्री एस० एम० गुरुडो**
श्री एच० एन०नन्जे गौड़ा } : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने वर्ष 1986 के दौरान नई लाइनें चालू करने और नए कनेक्शन देने सहित अनेक क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों से अधिक कार्य-निष्पादन किया है।;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे और इन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ग) वर्ष 1987-88 में में क्या सुधार किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अपना लक्ष्य पार कर लिया है जिसमें नई लाइनें चालू करना तथा नए कनेक्शन देना शामिल है।

(ख) और (ग) 86-87 की उपलब्धियों तथा 87-88 के लक्ष्य का विवरण संलग्न है।

विवरण

मद	1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य की प्रतिशतता	1987-88 लक्ष्य
विकस				
1. नई स्विचिंग क्षमता चालू करना (लाख लाइनों में)	2.8	3.21	115	3.0
2. कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करना (लाख लाइनों में)	2.2	3.24	147	2.4
3. लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	1120	1558	139	1200
4. टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करना	3000	4130	138	4500
5. आई०एस०डी० पर जुड़े शहरों की संख्या	220	323	147	—
6. वी० एफ० टी० चैनल	1500	1852	123	1600
7. कैरियर चैनल	1160	1215	105	1000
8. मैनुअल ट्रंक बोर्ड	100	145	145	80
प्रचालन				
9. दोष दर (प्रति 100 स्टेशन प्रतिमाह दोषों की संख्या)	30	29	3.3% सुधार	27.5
10. एस० टी० डी० कॉलों की पूरी होने की दर (निशुल्क टेलीफोन के लिए जांच करालें)	31.6	44.9	142	47.0

टायरों का उत्पादन

8990. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टायर का उत्पादन टायर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो 1986 के अन्त में टायरों की अनुमानित मांग कितनी थी। विभिन्न टायर निर्माता यूनिटों की उत्पादन क्षमता कितनी थी और इनमें वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) यदि उत्पादन में कमी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) से (ग) इस समय देश में आटोमोटिव टायरों की जो अधिष्ठापित और अनुमोदित क्षमता है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टायरों की देशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी

जाती है। अक्तूबर, 1986 के बाद दो एकक बन्द हो जाने पर भी 1985 की तुलना में वर्ष 1986 के दौरान टायरों का उत्पादन अधिक हुआ है।

दिल्ली और लेह के बीच संचार व्यवस्था

8991. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली और लेह के बीच उपग्रह टेलीफोन सम्पर्क बार-बार टूट जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बार-बार टूट जाने के क्या कारण हैं और लेह और दिल्ली के बीच संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

कोयला खनन उद्योग का आधुनिकीकरण

8992. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कोयला खनन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए गए और उन पर क्या लागत आई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान आरम्भ की जाने वाली आधुनिकीकरण की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 में खनन कार्य का आधुनीकीकरण करने के लिए जो उपाय किए गए उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपाय शामिल हैं : वर्तमान खानों के पुनर्गठन पर निवेश करके उत्पादन,क्षमता बढ़ाना, नई खाने खोलना, आधारभूत सुविधाओं और सहवर्ती सेवाओं में वृद्धि। वर्ष 1986-87 में इन विकास कार्यों पर किया गया पूंजीगत खर्च नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपये)
कोल इंडिया लि०	966.61
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	99.77
अनुसंधान और विकास	5.00
जोड़ :	1071.30

कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की खानों में 1985-86 की तुलना में 1986-87 में उत्पादन में अनुमानित वृद्धि 11.58 मिलियन टन रही।

(ग) जो उपाय ऊपर बताए गए हैं वैसे ही उपाय 1987-88 में भी चलते रहेंगे।

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनी को जूते बनाने का ठेका

8993. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की एक कम्पनी को जूते बनाने का ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो ठेका कब दिया गया और उस कम्पनी का नाम क्या है जिसे ठेका दिया गया है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनी को जूते बनाने का ठेका देने का क्या औचित्य है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में लातुर और नान्देड़ में एस० टी० डी० सुविधा

8994. **श्री अरबिन्द तुलसी कांबले** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातूर और नान्देड़ में एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) लातुर और नान्देड़ को सातवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

फल संसाधन एककों की स्थापना

8995. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने शीतल पेय फल उत्पाद बनाने के लिए फलों का इस्तेमाल करने हेतु फल संसाधन एकक स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान मात्रा की दृष्टि से उनका उत्पादन बढ़ा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के खाद्य विभाग ने फल पेय तैयार करने के लिए दिल्ली में एक फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट लगाया था। यह प्लांट माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड (जिसका बाद में नाम बदलकर माडर्न फ्रूट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड कर दिया गया था) को अप्रैल, 1982 में दे दिया गया था और कम्पनी ने इसे उसी मास चालू कर दिया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्लांट द्वारा तैयार किए गए फल पेयों के उत्पादन के

आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	उत्पादन (लाख क्रेटों में—प्रत्येक क्रेट में प्रत्येक 200 मि० लि० की 24 बोतलें होती हैं)
1984-85	6.05
1985-86	7.24
1986-87	6.75 (अनन्तिम)

1986-87 के दौरान उत्पादन में गिरावट आने का मुख्य कारण प्लांट का बार-बार बन्द हो जाना था ।

आन्ध्र प्रदेश को लेवी सीमेंट का आवंटन

8996. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार लेवी सीमेंट की कुल कितनी मात्रा का आवंटन किया गया और राज्य सरकार ने उपयुक्त अवधि के दौरान वर्ष वार वास्तव में कितनी मात्रा में सीमेंट प्राप्त किया;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश को लेवी सीमेंट की आवश्यकता और राज्य द्वारा की गई मांग से बहुत कम आवंटन किया गया;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के लिए लेवी सीमेंट का कोटा बढ़ाये जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य कोटा के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को आवेदन किए गए लेवी सीमेंट की मात्रा तथा वास्तव में प्राप्त किए गए सीमेंट की मात्रा नीचे दी गई है:—

वर्ष	सीमेंट की मात्रा		(1000 मी० टनों में प्रतिशतता)
	आवंटन किए गए	प्राप्त किये गए	
1984	582	539	93
1985	621	635	102
1986	568	528 (अनन्तिम)	93

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से लेवी सीमेंट की मांग का नियमित आधार पर पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन नियमित रूप से अपनी मांग ही भेजते हैं तथापि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से लेवी सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध के प्राप्त होने पर उसकी जांच की जाती है, लेवी सीमेंट का समस्त उपलब्धता और यथासम्भव अतिरिक्त आवंटन को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था की जाती है ।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उपकर के रूप में वसूल की गई धनराशि का सामान्य बजट में उपयोग

8997. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपकर के रूप में वसूल की गई है;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि का सामान्य बजट घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया है; और

(ग) इस धन राशि का सामान्य बजट में उपयोग किये जाने से करनाल, मंगलौर तथा असम के तीनों नये महत्वपूर्ण तेल शोधक कारखानों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) एकत्र की गई उप-कर की राशि निम्न प्रकार थी :—

	(करोड़ रुपये)
1984-85	843.53
1985-86	872.92
1986-87	981.30 (अस्थायी)

(ख) अधिनियम की धारा 16 की व्यवस्थाओं के अनुसार उपकर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि भारत की संचित निधि में जमा करनी होती है और यदि इस सम्बन्ध में संसद नियम के द्वारा विनियोग करके ऐसी व्यवस्था करें तो केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग विकास फंड को उतनी राशि दे सकती है, जितना आवश्यक समझेगी। इसे देखते हुए यह कहा नहीं जा सकता है कि कोई अन्तरण किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मानक चिन्हों का दुरुपयोग किए जाने के मामले

8998. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानक चिन्हों को धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने के बढ़ते हुए मामलों को सख्ती से निटपने के लिए भारतीय मानक संस्थान के निरीक्षकों को अधिक शक्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और पिछले छः महीने के दौरान धोखे से मानक चिन्हों के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मानक चिन्ह के गलत प्रयोग से निपटने के लिए ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारियों को दी गई अतिरिक्त शक्तियों का ब्यौरा ब्यूरो आफ इंडियन स्टेण्डर्डस अधिनियम, 1986 की धारा 26 (1), (2) व (3) तथा ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेण्डर्डस, नियम 1987 के नियम 21 (ई) व (एफ) में दिया गया है।

दी गई अतिरिक्त शक्तियां, ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेन्डर्स अधिनियम, 1986 के तहत ब्यूरो की स्थापना के साथ ही, 1 अप्रैल, 1987 से लागू हो गई है। 1 अप्रैल, 1987 के बाद छलपूर्ण मानक चिन्ह तथा उसके दुरुपयोग के बारे में न्यायालय में कोई मामला दायर नहीं किया गया है। तथापि, गत छः महीनों के दौरान पुराने भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह अधिनियम के तहत देश के विभिन्न भागों में न्यायालयों में 3 मामले दायर किए गए। अभी तक इन मामलों को सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा नहीं निपटाया गया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-आवश्यक दवाइयों के उत्पादन को प्रोत्साहन न देने का प्रस्ताव

8999. **श्री राजकुमार राय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह संच है कि कुछ गत वर्षों के दौरान गैर-आवश्यक और गैर फायदेमन्द द्रव दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में गैर आवश्यक और गैर फायदेमन्द औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन न देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० अयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) देश में इस्तेमाल के लिए प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का अनुमोदन औषध नियंत्रक (भारत), जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात दिया जाता है। उत्पादन के लिए अनुमति केवल ऐसी ही अनुमोदित प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के लिए दी जाती है। हाल ही में घोषित उपायों के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि देश में इस्तेमाल के पहले से ही अनुमोदित औषधों पर आधारित नये सूत्रयोगों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उनकी चिकित्सीय प्रभावशीलता एवं युक्तिसंगत की पर्याप्त जांच न कर ली गई हो।

पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्रों की क्षमता

9000. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन के अपतट सहित कई नये तेल क्षेत्रों की खोज से पश्चिमी तट में तेल की क्षमता में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण क्या है;

(ग) क्या तेल उत्पादक क्षेत्रों के निक्षेपों की क्षमता का और अधिक वास्तविक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कोई पुनः आंकलन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं योजना के प्रारम्भ से अपतट में 10 संरचनाओं में तेल मिलता रहा है, यथा :—

डी०—18	बी०—131
आर०—172	बी०—179
आर०—71	बी०—42
आर०—7 ए	पन्ना के पूर्व में
सी० ए० दमन	
सी० डी० अपतट	

इन खोजों के सम्बन्ध में चित्रण किया जा रहा है और वास्तविक उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता आगे और चित्रण खुदाई और परीक्षण पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। क्षेत्र मूल्यांकन के अनुसार निष्पादन प्राप्त हो रहे हैं और उत्तम तैलाशय पद्धतियों के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ (उ० प्र०) में भू-स्थित रेडियो रिले लिंक योजना

9001. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ (उ० प्र०) में भू-स्थित रेडियो रिले लिंक योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1988 तक।

[अनुवाद]

"मैसर्स रेइनब्रॉन कनसल्टिंग आफ वेस्ट जर्मनी" से तकनीकी सेवाओं के लिए "कनसल्टेशन-फीस"

9002. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० "मैसर्स रेइनब्रॉन कन्सल्टिंग आफ वेस्ट जर्मनी" से तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए "कन्सल्टेशन फीस" अदा करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परामर्शदाता फर्म को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की प्रत्येक परियोजना के लिए दी जाने वाली फीस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए इस परामर्शदाता फर्म को नियुक्त करना और अथवा परियोजनाओं के सम्बन्ध में उसकी सलाह मानना अनिवार्य है क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए मुख्यतः पश्चिम जर्मनी की एक वित्त संस्था "के० एफ० डब्ल्यू०" से सहायता प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी की वित्त एजेंसी के० एफ० डब्ल्यू० वित्तीय सहायता देती है और उसके निर्देश के अनुसार ने० लि० का० के लिए यह आवश्यक है कि वह एक स्वतंत्र योग्यता प्राप्त परामर्शी इंजीनियर रखे। ऐसे परामर्शदाता के काम में बोली प्रलेखों की तैयारियां, बोलियों का मूल्यांकन, वार्ता के दौरान सहायता तथा संविदा करने और उनके मसौदे बनाने में सहायता करना है। इसके अलावा परामर्शदाता परियोजना के लिए आयोजन कार्य में भी सलाह देगा तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

विवरण

क्र०सं०	जो संविदा किए गए हैं उनमें परामर्शी कार्य की गुंजाइश	राशि मार्क
1.	खानII-, चरण-I के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, उपकरणों के लिए निर्दिष्टियां तैयार करने आदि में सहायता के लिए परामर्शी सेवा	386,600
2.	लिग्नाइट खान-II, चरण-I, के कार्यान्वयन के दौरान परामर्शी सेवाएं	2,655,588 तथा साथ में रु० 300,000
3.	लिग्नाइट खान-II, चरण-II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा हेतु परामर्शी सेवाएं	255,000
4.	लिग्नाइट खान-II, चरण-II के कार्यान्वयन के दौरान परामर्शी सेवाएं	3,530,754 तथा साथ में रु० 329,200

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

9003. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल की सप्लाई का कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने फरवरी, 1987 में अनुरोध किया था कि सर्दियों के ब्लाक (नवम्बर, 1986 से फरवरी, 1987) के लिए दिए गए राज्य के मिट्टी के तेल के कोटे को गर्मियों के ब्लाक (मार्च से जुन, 1987) में भी बहाल रखा जाए। राज्य सरकार ने बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए मार्च, 1987 के लिए 5000 मी० टन अतिरिक्त तेल की मांग की है।

पिछले सर्दियों के ब्लाक के लिए राज्य सरकार के लिए आबंटन 50970 मीट्रिक टन प्रति माह का था तथा वर्तमान गर्मी के ब्लाक के लिए आबंटन 50250 मी० टन प्रति माह का है। मिट्टी के तेल की आवश्यकता प्रत्येक मौसम के लिए अलग-अलग होती है और यह सर्दियों में अधिक होती है। पश्चिमी बंगाल को मार्च, 1987 के लिए 2000 मी० टन का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया था।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोज कार्यों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग

9004. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज हेतु कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरु करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और कम्प्यूटरों का कहां-कहां प्रयोग किया जाएगा;

(ग) क्या कम्प्यूटर केवल तेल मिलने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अथवा कुछ अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग किए जायेंगे; और

(घ) इस योजना से क्या मुख्य लाभ होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय राज्य में मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) ओ० एन० जी० सी० की सातवीं योजना के दौरान अन्वेषण कार्यों के लिए अपने विभिन्न कार्य स्थलों पर अलग-अलग प्रकार के अनेक कम्प्यूटरों को लगाने की योजना है। इन कम्प्यूटरों का उपयोग छः रीजनों, मुख्यालय, केशवदेव मालवीय पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान, देहरादून और इंस्टीट्यूट आफ रिजरवायर स्टडीज, अहमदाबाद में किया जायेगा।

(ग) इन कम्प्यूटरों का प्रयोग मुख्य रूप से भूकम्पीय और गुरुत्व/चुम्बकीय आंकड़ों को प्रोसेस करने, भौगोलिक आंकड़ों और लॉग सैम्पलों के विश्लेषण तथा आंकड़ों पर आधारित प्रबन्ध प्रणाली भंडारण तथा अन्य व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाएगा।

(घ) कम्प्यूटरों की स्थापना से ओ० एन० जी० सी० की भूकम्पीय आंकड़ों को संसाधित करने में अपनी क्षमता बढ़ जाएगी और इसके तेल और गैस के अन्वेषण कार्यक्रमों में भी सुविधा मिलेगी।

"भेल" तिरुचि में ठेका श्रमिक

9005. **डा० पी० बल्लल पेरुमल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुचि, रानीपेट आदि में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(भेल) जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सफाई और जलमल निकासी कार्य करने के लिए हजारों ठेका श्रमिक रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें कुछ समय बाद स्थायी आधार पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) बी० एच० ई० एल० तिरुचि और रानीपेट में श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा सफाई और जलमल निकासी का कार्य ठेके के आधार पर किया जाता है, जिन्होंने इस कार्य के लिए लगभग 100 व्यक्तियों को लगाया है।

(ख) चूंकि इन व्यक्तियों को बी० एच० ई० एल० द्वारा नहीं लगाया गया है, इसलिए उनके खपाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बान्धव ताप बिजलीघर के लिए कोयला खानों को निर्धारित करना

9006. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बान्धव ताप बिजलीघर की शेष दो इकाइयों को कोयला सप्लाई करने के लिए कुछ कोयला खानें निर्धारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) बान्धव ताप बिजलीघर के लिए कोयले का तार्किक स्रोत सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। बान्धव ताप बिजलीघर के लिए अभी तक कोई खास कोलियरी नियत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पावर बोंडों के माध्यम से धनराशि जुटाना।

9007. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए धनराशी जुटाने हेतु 'पावर बांड' जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जुटाई गई धन राशि किन-किन विद्युत परियोजनाओं पर लगाई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग कवास (गुजरात) अन्टा (राजस्थान) तथा औरैया (उत्तर प्रदेश) में गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजनाओं और दादरी (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय राजधानी ताप-विद्युत परियोजना के लिए किया जाएगा। फालतू निधियों का उपयोग यदि उपलब्ध होगीं, राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम की अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

कोल इंडिया लि० को विभिन्न सहायक कम्पनियों को सामग्री की जांच के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सुरक्षा की मदों का सप्लाई किया जाना

9008. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोल इंडिया लि० ने पता लगाया है कि धनबाद स्थित फर्मों का एक समूह कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहायक कम्पनियों को केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र, धनबाद के सामग्री की जांच के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सुरक्षा की मदें सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को आगे जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। हाल ही में की गई जांच-पड़ताल के दौरान कोल इंडिया लि० को पता चला है कि धनबाद स्थित फर्मों का एक दल कोल इंडिया लि० की कुछ सहायक कम्पनियों को तिकोनी चोक, स्टील प्राप तथा स्टील के अन्य सामानों की सप्लाई में कदाचार कर रहा है। सम्बन्धित कम्पनियों के सतर्कता प्रभाग कदाचार के इन मामलों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा, कोल इंडिया लि० ने भी मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामला सौंपने के सम्बन्ध में निर्णय पहले ही से चल रही आंतरिक जांच समितियों की रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा क्षमता का उपयोग

9009. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल**
चौधरी अख्तर हसन } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ताप और पन विद्युत उत्पादन सेटों के उत्पादन का क्षमता उपयोग कितना था;

(ख) यदि क्षमता का कम उपयोग किया गया था तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कम्पनी को 1987-88 में पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्षमता के उपयोग के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) मौजूदा क्रयादेशों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में थर्मल तथा हाइड्रो निर्माणकारी सुविधाओं के लिए औसत क्षमता उपयोग क्रमशः 59% और 32% है। यद्यपि कम्पनी के पास 1987-88 के लिए पर्याप्त क्रयादेश हैं, 1988-89 तथा आगामी वर्षों के लिए क्रयादेशों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। नये बिजली संयन्त्रों को स्थापित करने में क्षमता का कम उपयोग होने का मूल कारण संसाधनों की रुकावट है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उत्पाद विविधीकरण तथा सेवाओं को सुदृढ़ करने और फालतू हिस्से-पुर्जों की सप्लाई का काम शुरू किया गया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि

9010. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर कितनी धन राशि व्यय की; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० ने 1986-87 में बायलरों/कोयला के गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों, स्टीम टर्बाइनों, उत्पादों/प्रणालियों का पारेषण तथा वितरण, औद्योगिक नियंत्रण और इलेक्ट्रानिक्स, हीट एक्सचेंजरों आदि से सम्बन्धित अनुसन्धान एवं विकास के कार्यक्रमों पर 42 करोड़ रुपये (लेखा परीक्षाधीन) खर्च किया ।

नए बिजली संयंत्रों को स्वीकृति

9011. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में पन बिजली और ताप-बिजली की कितनी नई बिजली परियोजाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) सरकार इस समय कितनी नई ताप बिजली परियोजनाओं को जांच कर रही है और ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ;

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान योजना आयोग द्वारा 22 जल विद्युत परियोजनाएं और 18 ताप विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) इस समय 14 ताप विद्युत परियोजनाओं को सरकार की स्वीकृति दी जानी है । ये परियोजनाएं पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू, उड़ीसा, असम तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित हैं ।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम		स्थित	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5
जल विद्युत					
1.	खाविवा लघु जल-विद्युत	(1.1 मेगा वाट)	मिजोरम	2.00	
2.	तुइरीबांग मिनी जल-विद्युत	(0.3 मेगा०)	मिजोरम	0.82	

1	2	3	4	
3.	पहलगांव जल-विद्युत परियोजना (3×1 मेगा०)	जम्मू और कश्मीर	8.39	5
4.	श्रीनगर जल-विद्युत परियोजना (4×50 मेगा०)	उत्तर प्रदेश	144.18	
5.	गुनहो माइक्रो जल-विद्युत (2×20 कि० वा०)	नागालैण्ड	0.08	
6.	दुजुलादी माइक्रो जल-विद्युत (3×100 कि० वा०)	नागालैण्ड	0.69	
7.	वारना बांध ज० वि० परि० (2×8 मेगावाट)	महाराष्ट्र	15.10	
8.	मुयातूपुज्हा लघु ज० वि०परि० (1×6 मेगा०)	केरल	7.80	
9.	चिमोनी बांध लघु ज०वि० परि० (1×2.5 मेगा०)	केरल	3.14	
10.	पेपारा बांध ज० वि० परि० (1×3 मेगा०)	केरल	3.92	
11.	मिनी/माइक्रो ज० वि० परि०,	मध्यप्रदेश		
	रूदरी (2×100 कि० वा०)		0.41	
	कोरना (2×400 कि० वा०)		0.92	
	बारना (2×750 कि० वा०)		2.16	
	महान (2×00 कि० वा०)		0.72	
12.	रंगानदी ज० वि० परि० (6×135 मेगावाट)	एन०ई०सी०	322.32	
13.	बिरसालपुर मिनी० ज० वि० (1×635+1×165 +1×210 कि० वा०)	राजस्थान	2.66	
14.	इटावा माइक्रो ज० वि० (1×500 कि० वा०)	राजस्थान	1.09	
15.	पुयानकुट्टी ज० वि० परि० चरण—I (2×120 मेगावाट)	केरल	250.00	
16.	लिमखोंग ज० वि० चरण--III (2×500 कि० वा०)	मणिपुर	1.85	
17.	श्रीसेलम बायां तट विद्युत घर (9×110 मेगा०)	आन्ध्रप्रदेश	418.00	सिद्धान्त रूप में
18.	कोयाना ज०वि०परि०चरण-4 (6×125 मेगा०)	महाराष्ट्र	277.12	
19.	मायंचु मिनी ज० वि० (4×1 मेगावाट)	सिक्किम	7.42	
20.	अपर रोंगनीचू मिनी ज० वि० (4×2 मेगावाट)	सिक्किम	14.53	
21.	तागो जल विद्युत इलेक्ट्रिक परियोजना (3×1.5 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश	5.29	
22.	लारजी ज० वि० परि० (3×42 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	168.85	

1	2	3	4	5
ताप-विद्युत				
1. मैथोन पर गैस टरबाईन	(3×30 मेगावाट)	दा० चा० नि०	44.57	
2. उत्तरी मद्रास ताप विद्युत केन्द्र	(3×210 मेगावाट)	तमिलनाडु	547.79	
3. कन्नोरटा द्वीप में डी० जी० क्षमता का विस्तार	(3×300 डब्ल्यू० ए०)	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.82	
4. जम्मू और कश्मीर में 2×20 मेगावाट के डी० जी० सेटों का प्रतिष्ठापन		जम्मू और कश्मीर	22.13	
5. मेजाई ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना	(3×210 मेगावाट)	दा० धा० नि०	566.00	
6. पलाना लिग्नाईट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र	(2×60 मेगावाट)	राजस्थान	180.00	
7. ईब ताप विद्युत केन्द्र	(4×210 मेगावाट)	उड़ीसा	887.99	सिद्धान्त रूप में
8. रोखिया पर गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र	(2×5 मेगावाट)	त्रिपुरा	12.30	
9. बकरेश्वर ताप विद्युत केन्द्र	(3×210 मेगा०)	पश्चिम बंगाल	682.58	
10. रंगाट खाड़ी में डी० जी० क्षमता का विस्तार	(3×880 कि० वा०)	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.35	
11. डी० जी० क्षमता का विस्तार		लक्षद्वीप	1.36	
12. कोलार, बिदार, जामा खाण्डी और ईन्दी पर डी० जी० सैटों की प्रतिस्थापना	(77.76 मेगावाट)	कर्नाटक	50.81	
13. बारामूरा में गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की तीसरी यूनिट	(1×5 मेगावाट)	त्रिपुरा	5.26	
14. कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण—I	(4×210 मेगावाट)	रा० ता० वि० नि० केन्द्रीय क्षेत्र	1058.64	

1	2	3	4	5
15.	कवास (4×100 जी० टी०+2×100 एस० टी०) (गुजरात), औरेया (4×100 जी० टी०+2×100 एस० टी० (उत्तर प्रदेश और अन्टा (3×100 जी० टी०+1×130 एस० टी०) राजस्थान में प्रत्येक में एक-एक गैस पर आधारित संयुक्त साईकल विद्युत संयंत्र स्थापित करना।	राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम केन्द्रीय क्षेत्र	1199.86	
16.	8.8 मेगावाट की डीजल जनित्र क्षमता की प्रतिष्ठापना	मिजोरम	5.84	
17.	नेशनल कैपिटल ताप विद्युत केन्द्र चरण—I की स्थापना (4×210 मेगावाट)	रा० ता० वि० नि०	1063.57	
18.	ऊरान में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी संयंत्र में 1×120 मेगावाट की प्रतिष्ठापना	महाराष्ट्र	62.56	

महाराष्ट्र में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना

9012. **श्री प्रताप राव जी० भोंसले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 2000 से 3000 मेगावाट के एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार सुपर ताप विद्युत केन्द्र की पूंजी लागत वहन करने को तैयार है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र के प्राधिकारियों ने चन्द्रपुर में केन्द्रीय क्षेत्र में एक पिट-हैड ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम प्रस्तावित परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत 1000 मेगावाट की क्षमता प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना की गई है। राज्य प्राधिकारी, प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र हेतु केवल जल आपूर्ति प्रबन्ध सम्बन्धी पूंजीगत लागत को वहन करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस केन्द्र के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

पेट्रो-रसायन उत्पादों की एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

9013. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-रसायन निगमों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक निगम के अन्तर्गत पेट्रो-रसायन उत्पादनों की एजेंसियों की संख्या कितनी है और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ग) प्रत्येक एजेंसी का वार्षिक कारोबार कितना है;

(घ) क्या इन एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये कोई आरक्षण किया गया है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ङ) क्या इस प्रकार के आरक्षण के अनुसार आबंटन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) देश में सरकारी क्षेत्र में दो पेट्रो-रसायन निगम है (इंडियन पेट्रो कैमिकल कारपोरेशन लि०) (आई० पी० सी० एल०)' बड़ौदा (गुजरात) और (2) बोंगाई गांव रिफाइनरी एवं पेट्रो केमिकल्ल लि० (बी० आर० पी० एल०) बोंगाई गांव, (आसाम)।

यद्यपि वी० आर० पी० एल० ने अपने पेट्रो-रसायन उत्पादों की बिक्री के लिए अभी अपने एजेंटो की नियुक्ति करनी है लेकिन आई० पी० सी० एल० के पोलीमर उत्पादों अर्थात लो डेन्सिटी पालियिलीन पालिप्रापिलीन पालिविनाइल क्लोराइड और पाली बुटाडीन रबड़ को बिक्री के लिए इसके 61 वितरक डीलर हैं जो 45 केन्द्रों/स्थानों पर काम कर रहे हैं।

(ग) आई० पी० सी० एल० के वितरकों/डीलरों का औसत सकल कारोबार 525 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(घ) से (च) जी, नहीं। अन्य बातों के समान होने पर वितरक के लिए अन्य आवेदनों की तुलना में आई० पी० सी० एल० के द्वारा अनु०जातियों/अ०ज०जा० के प्रत्याशियों को वरीयता दी जाती है।

इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतें

9014. **श्री गंगा राम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की एसोशिएशन ने 30 जनवरी, 1987 को कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को 14 शिकायत प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समिति ने कुछ मामले उठाये थे जैसे-पदोन्नति, कैरियर विकास, प्रशिक्षण के लिये अनु० जाति/अनु०जनजाति के कर्मचारियों को नामित करना आदि, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जैसे वर्दी, पदनाम में परिवर्तन, सफाई कर्मचारियों के लिए उच्च पद, आदि, विभागीय पदोन्नति समिति में अनु० जाति/अनु० जनजाति के सदस्यों को बारी-बारी से रखना, और कुछ व्यक्तिगत मामले।

(ग) संघ द्वारा उठाये गये मुद्दों की आई० पी० सी० एल० द्वारा जांच की जा रही है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों की मजूरी में संशोधन

9015. **श्री ए० सी० षण्मुख** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों की मजूरी में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० के कर्मचारियों की मजूरी में 1-9-82 से संशोधन किया गया था और मंजूरी करार 4 वर्षों के लिए वैध था। कर्मचारियों की मंजूरी में और आगे संशोधन करने के लिए संयुक्त समिति के साथ बात चीत पहले ही प्रारम्भ हो गई है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आरक्षित पदों को भरना

9016. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई और दिल्ली में समूह "क" और "ख" संवर्ग की कई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया गया है और उन पर सामान्य प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को तदर्थ आधार पर इन आरक्षित पदों पर पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं कि समूह "क" और "ख" संवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों द्वारा भरी जायें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) बम्बई और दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए अलग से आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है क्योंकि वर्ग "क" और वर्ग "ख" संवर्गों के लिए समूचे देश में समान आधार पर भर्ती की जाती है।

(ख) तदर्थ पदोन्नतियों के लिए, वरिष्ठता एवं योग्यता सम्बन्धी मानदंड अपनाया जाता है। तदर्थ पदोन्नति के लिए कोई औपचारिक आरक्षण या कोटा नहीं होता है।

(ग) वर्ग "क" के लिए पदोन्नति द्वारा वर्ग "ख" से चयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले पर अधिक विचार किया जाता है ताकि इनका कोटा पूरा किया जा सके।

पदोन्नति वाली परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में अर्हक मानदंडों को शिथिल कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के लिए योग्य प्रबन्धकीय कार्मिकों की कमी

9017. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश एककों में योग्य प्रबंधकीय कार्मिकों की पिछले काफी समय से कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार प्रणाली के प्रशासन और कार्यकरण में परिवर्तन

9018. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन के नमूने के आधार पर भारत में दूरसंचार प्रणाली के प्रशासन और कार्यकरण में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांवों का विद्युतीकरण

9019. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समूचे देश में 1986 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने पम्प सेटों को बिजली दी गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : कैलेण्डर वर्ष 1986 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत देश में 20,122 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 4,23,354 पम्प सेटों को ऊर्जित किया गया।

दिल्ली में डाक-तार विभाग के क्वार्टरों का रखरखाव

9020. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1986 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के गठन के पश्चात् दिल्ली में डाक-तार विभाग के क्वार्टरों का रखरखाव तथा महाप्रबंधक (दिल्ली) के कार्यालय और डाक (दिल्ली) कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और दिल्ली की डाक-तार कालोनियों में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण सम्बन्धी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (दिल्ली) की सभी गतिविधियां रूक गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं।

तथापि, महानगर टेलीफोन निगम के सृजन के कारण क्वार्टरों के रख-रखाव की दृष्टि से डाक विभाग को कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। डाक पूल के क्वार्टरों का रख-रखाव सही ढंग से हो इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

उड़ीसा केकटक जिले में टेरेपथेलिक एसिड संयंत्र की स्थापना

9021. **श्री चिंता मणि जेना** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कटक जिले में टेरेपथेलिक एसिड संयंत्र स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन का आवेदन नामंजूर करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयवन्त सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टेरेपथेलिक एसिड परियोजना स्थापित करने के लिये मै० इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि० (आई० पी० आई० सी० ओ० एल०) के आवेदन को रद्द किए जाने के विरूद्ध उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन की सरकार द्वारा जांच की गई थी और क्षमता सम्बन्धी अड़चनों के कारण उसे रद्द कर दिया गया था।

रसायनिक गैस का खाना पकाने की गैस के रूप में इस्तेमाल

9022. **श्री एच० वी० पाटिल**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के रूप में तरल पेट्रोलियम गैस से भिन्न किसी दूसरी रसायनिक गैस की भी सप्लाई और इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस रसायनिक गैस का खानापकाने में इस्तेमाल दुर्घटना और स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र की कुछ गैर-पेट्रोलियम कम्पनियां सी 3/सी 4 हाइड्रो कार्बन स्ट्रीम भरकर मिनी सिलिंडरों का विपणन कर रही हैं। सूचना के अनुसार इन मिनी सिलिंडरों के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं :—

1. यूनियन काबाईड इंडिया लिमिटेड
2. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा
3. नोसिल, बम्बई
4. गुजरात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, अंकलेश्वर

5. कुछ पेट्रो-रसायन संयंत्र फीडस्टाक के रूप में नैफ्था का प्रयोग कर रहे हैं और उनके पास नैफ्था क्रैकर हैं ।

मिनी सिलिंडरों की धारिता 1/2 किलो ग्राम से 6.$\frac{1}{2}$ किलोग्राम है । इनके विनिर्माण तथा इस प्रकार के गैस को सिलिंडरों में भरने के लिए लाइसेंस मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी किया जाता है ।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच सहयोग

9023. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बड़े औद्योगिक गृहों को प्रौद्योगिकी में ऐसे परिवर्तन लाने में सहायक उद्योगों की सहायता करने के लिए कोई अनुदेश जारी किये हैं जिन से यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायक उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादन गुणवत्ता और मूल्य की दृष्टि से देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुसंधान प्रयोग-शालाओं और उद्योगों के बीच बेहतर सहयोग के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) इस आशय के अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं कि औद्योगिक लाइसेंस की मजूरी के सभी आवेदनों की जांच करते समय उन्हें अनुषंगीकरण की गुंजाइश की दृष्टि से भी परखा जाए । वस्तु की अपेक्षित गुणवत्ता व कीमत केन्द्रीय एकक और अनुषंगी एककों के बीच तय की जाती है ।

(ख) अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग द्वारा मिल जुल कर कार्य किये जाने की व्यवस्था अन्यों के साथ-साथ निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा की जाती है :—

(1) आंतरिक अनुसंधान और विकास एककों को मान्यता देना ।

(2) मान्यता प्राप्त आन्तरिक अनुसंधान और विकास एककों द्वारा जानकारी, डिजाइन और परामर्श का आयात ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कार्यकलाप जिनमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं—देश के अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण और लाइसेंसीकरण, उद्योग के सहयोग से विकासात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकीय अंतराल को दूर करना, एन० आर० डी० सी० की प्रौद्योगिकियों को पहली बार उपयोग करने हेतु स्थापित किये गये उपक्रमों में इक्विटी भागीदारी करना, आविष्कार करने वाली प्रतिभाओं को उत्साहित करना तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में प्रौद्योगिकी के क्षैतिजीय अन्तरण को बढ़ावा देना आदि ।

(4) परामर्शदायी संगठनों की मदद करना ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करना

9024. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में देश के अन्य भागों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार उड़ीसा में कुछ और एकक स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ये उद्योग राज्य-जिला-वार किन-किन स्थानों पर लगाए जाने हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) 31/12/1986 को केन्द्रीय सरकार के 228 औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों में से 3 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। किन्तु अनेक उद्यमों ने उड़ीसा राज्य में पूंजी-निवेश किया है, हालांकि उनके पंजीकृत कार्यालय अन्यत्र स्थित हैं। 31/3/1986 को उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजी निवेश 4070.72 करोड़ रुपय था जबकि देश भर में कुल मिलाकर लगी पूंजी कुल 56,695.30 करोड़ रुपये की है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अवस्थिति के बारे में निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किये जाते हैं। तथा इसे राज्य-वार आधार पर पूर्व-निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

मनीआर्डरों की दोषपूर्ण डिलीवरी

9025. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीआर्डरों की डिलीवरी में दोषों को कम से कम करने और इस प्रकार के दोषों से प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मनीआर्डरों की अदायगी में दोषों को कम करने तथा इन दोषों से त्रस्त लोगों को तुरन्त राहत देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) मनीआर्डरों की अदायगी में विलंबी को कम करने के लिए छोटे डाकघरों को नकदी सप्लाई करने की सीमा में संशोधन करके काफी हद तक सुधार किया गया है, अब नकदी विभिन्न चैनलों के माध्यम से सप्लाई की जा सकती है। इसी तरह, एक पोस्टमैन को मनीआर्डरों की अदायगी के लिए सौंपी जाने वाली नकदी की सीमा में भी वृद्धि की गई है।

(ख) मनीआर्डरों की गैर-अदायगी के मामले में, डुप्लीकेट मनीआर्डर तत्काल जारी करने तथा प्राप्तकर्ता या प्रेषक को भुगतान करने, जैसी भी प्रेषक ने इच्छा जाहिर की हो, की हिदायतें विद्यमान हैं।

(ग) गलत भुगतान से बचने के लिए प्राप्तकर्ता की सही पहचान के लिए नियम विद्यमान हैं। जहां भी गलत भुगतान सिद्ध हो जाता है, जैसी भी प्रेषक ने इच्छा व्यक्त की हो, मनीआर्डर की राशि का प्राप्तकर्ता या प्रेषक को भुगतान कर दिया जाता है।

(घ) मनीआर्डरों का तुरन्त भुगतान, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों का दौरा और निरीक्षण करके पर्यवेक्षण को कड़ा करने का एक अभियान चलाने के लिए

हाल ही में आदेश दिये गये हैं। अभियान के बाद प्राप्त रिपोर्ट से पता चला है कि परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

(ङ) डाक विभाग में एक शिकायत संगठन है तथा प्रत्येक प्राप्त शिकायत को तुरन्त पावती दी जाती है तथा इसके तुरन्त निपटान के लिए मामले पर मंडल अधीक्षक स्तर पर कार्रवाई की जाती है। शिकायतों का विश्लेषण तथा अनिर्णीत मामले पर कार्रवाई उच्च स्तर पर की जाती है ताकि शिकायतों के तुरन्त निपटान को सुनिश्चित किया जा सके। इनमें मनीआर्डर की शिकायतें भी शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर और तार घर खोलना तथा सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

9026. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान राज्य-वार कितने नए डाकघर और तारघर खोले गये तथा कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गए;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य-वार कितने तारघर खोले जाने और कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान नये डाकघर तारघर आदि खोलने के मामले में आदिवासी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों की ओर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव):(क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

दूरसंचार : वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान खोले गए तारघरों (संयुक्त डाक तार घर) तथा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या नीचे दी गई हैं। सर्किल राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

	1985-86	1986-87
तारघर (संयुक्त डाक-तार घर)	1316	1046
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलोफोन घर	1509	1558

(ख) **डाक** : अभी तक उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है। शेष सर्किलों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। पदों के सृजन पर लगी रोक को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है। अतः वास्तविक रूप में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण 2 में दी गई संख्या से कम हो सकती है।

दूरसंचार

वर्ष 1987-88 के दौरान 1200 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले जाने की संभावना है। इनमें से जो डाकघरों में खोले जाएंगे उनमें फोनोकॉम आधार पर तार सुविधा भी

होगी। सर्किल/राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) डाक

जी हां। अनुबंध 11 के अनुसार 1987-88 में 222 डाकघर खोले जाने की संभावना है जिनमें से 65 पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में है।

दूरसंचार

जनजातीय/आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष छूट दी जाती है। जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में 2500 या अधिक की जनसंख्या वाले गांव में दूरसंचार सुविधा सुलभ की जा सकती है जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए।

(11) जनजातीय क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या की गणना के लिए केन्द्रीय गांव के 10 कि० मी० के क्षेत्र में सभी गांवों की जनसंख्या मानी जाती है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 100 एल० डी० पी० टी० खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

1985-86 एवं 1986-87 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

	सर्किल	1985-86 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या	1986-87 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—
2.	बिहार	—	—
3.	दिल्ली	—	2
4.	गुजरात	—	—
5.	जम्मू व कश्मीर	—	—
6.	केरल	—	—
7.	कर्नाटक	1	—
8.	मध्य प्रदेश	2	3
9.	महाराष्ट्र	6	1
10.	उत्तर पूर्व	—	—
11.	उत्तर पश्चिम	—	—
12.	उड़ीसा	—	—
13.	राजस्थान	—	—
14.	तमिलनाडु	—	3
15.	उत्तर प्रदेश	—	—
16.	प० बंगाल	1	—
	योग	10	9

विवरण-II

1987 के दौरान खोले जाने वाले संभावित डाकघरों की संख्या

सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
बिहार	55
केरल	31
राजस्थान	17
महाराष्ट्र	4
मध्य प्रदेश	113
पंजाब	2
हिमाचल प्रदेश	—
आंन्ध्रप्रदेश	—
योग	222

विवरण-III

1985-86, 86-87 के दौरान खोले गए तथा 1987-88 के दौरान खोले जा सकने वाले तारघरों (संयुक्त डाक-तारघर) और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची

सर्किल का नाम	1985-86		1986-87		1987-88	
	तारघर (संयुक्त)	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	तारघर (संयुक्त)	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	तारघर (संयुक्त)	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	44	127	7	61	—	10
2. बिहार	245	245	2	107	—	145
3. गुजरात	11	56	74	74	—	45
4. जम्मू व काश्मीर	35	22	—	7	—	25
5. कर्नाटक	81	49	271	113	—	45
6. केरल	11	11	6	8	—	—
7. मध्य प्रदेश	300	300	135	133	—	170
8. महाराष्ट्र	92	109	70	304	—	130

1	2	3	4	5	6	7
9. उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, आरुणाचल, प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम सहित)	12	19	—	30	—	50
10. उत्तर पश्चिम (86 से 87 तक) (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश)	87	87	26	87	—	—
11. राजस्थान	45	142	56	191	—	240
12. उड़ीसा	116	119	111	114	—	70
13. तमिलनाडु	84	77	55	67	—	—
14. उत्तर प्रदेश	117	117	230	230	—	70
15. पश्चिम बंगाल	36	29	3	32	—	80
16. असम 87 से 88 तक	—	—	—	—	—	50
हरियाणा	—	—	—	—	—	30
हिमाचल	—	—	—	—	—	25
पंजाब	—	—	—	—	—	10
योग	1316	1509	1040	1558	—	1200

ताप बिजली परियोजनाओं, पनबिजली परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन

9027. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है और ताप बिजली परियोजनाओं, पनबिजली परियोजनाओं तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से प्रति वर्ष कितना ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है;

(ख) सातवीं योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उन स्थलों की संख्या और नाम क्या है जहां सातवीं योजना के दौरान नई ताप बिजली परियोजनाएं और पन-बिजली परियोजनाएं चालू होने की सम्भावना है और उन परियोजनाओं में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा; और

(घ) इस शताब्दी के अन्तर्गत देश में ऊर्जा का उत्पादन कितना हो जाने का अनुमान है और अधिक ताप बिजली परियोजना तथा पन-बिजली परियोजना चालू करके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान, कुल विद्युत उत्पादन 187568 मिलियन यूनिट हुआ था, जिसमें 128802 मिलियन यूनिट ताप विद्युत, 5022 मिलियन यूनिट न्यूक्लीय विद्युत और 53744 मिलियन यूनिट जल विद्युत थी ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के दौरान देश में युटिलिटीज में सकल विद्युत उत्पादन 275.5 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 193.9 बिलियन यूनिट ताप विद्युत, 73 बिलियन यूनिट जल विद्युत और 8.6 बिलियन यूनिट न्यूक्लीय विद्युत है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल ताप विद्युत जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत परियोजनाएं तथा उनसे प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2000 ईस्वी तक की देश की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता में वृद्धि और कुल परिव्यय का निर्धारण करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दीर्घकालिक योजना अध्ययन शुरू किए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

लक्षित क्षमता को शुरू करने में किसी भी प्रकार की कमी से बचने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें ये शामिल हैं : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग करना, उपस्कर और सामिग्रियों की सप्लाई शीघ्र करने के प्रयास करना, समस्याओं को हल करने तथा परियोजना के क्रियान्वयन को समन्वित करने के लिए संबंधित एजेंसियों की समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियरों द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करना। परियोजना को क्रियान्वित करने में समय और लागत में वृद्धि को न होने देने की आवश्यकता के बारे में भी राज्य प्राधिकारियों पर निरन्तर बल दिया जा रहा है।

विवरण

सातवीं योजना में चालू की जाने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता

क्रम सं०	क्षेत्र/स्कीम	लाभ (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		6649
1.	पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत स्कीम (हरियाणा)	48
2.	दादुपुर जल विद्युत स्कीम (हरियाणा)	10
3.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-II (हरियाणा)	220
4.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र चरण-III (हरियाणा)	210
5.	आन्ध्रा जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	17
6.	रोंगटोंग जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	2
7.	भाभा जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	120
8.	थिरोट जल विद्युत स्कीम (हिमाचल प्रदेश)	4.5
9.	अपर सिन्ध जल विद्युत स्कीम चरण-II (जम्मू और कश्मीर)	70
10.	करनाह जल विद्युत स्कीम (जम्मू और कश्मीर)	2

1	2	3
11.	सतकना जल विद्युत स्कीम (जम्मू और कश्मीर)	4
12.	मुकेरियां जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	162
13.	यू० बी० डी० सी० अल विद्युत स्कीम चरण-II (पंजाब)	45
14.	दौधार लघु जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	1.6
15.	धारीवाल जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	2.4
16.	थुही जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0.8
17.	रोहती जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0.8
18.	निघमपुर जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	0.8
19.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-II (पंजाब)	420
20.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम (पंजाब)	134
21.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (राजस्थान)	210
22.	रामगढ़ गैस टरबाईन केन्द्र (राजस्थान)	3
23.	माही जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	140
24.	मंग्रोल जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	6
25.	चरणवाला जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	2
26.	सुरतगढ़ जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	4
27.	अनुपगढ़ नहर जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	9
28.	पुगल जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	2.1
29.	जाखम जल विद्युत स्कीम (राजस्थान)	9
30.	मानेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण-II (उत्तर प्रदेश)	304
31.	अनपारा "क" ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	630
32.	टांडा ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	440
33.	ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र (उत्तर प्रदेश)	420
34.	सलाल जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	345
35.	चमेरा जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	180
36.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-I सोपानII- (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
37.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
38.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	470

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		6531.5
39.	उकई बायां तट नहर जल विद्युत स्कीम (गुजरात)	5
40.	कडाना पम्प स्टोरेज जल विद्युत स्कीम (गुजरात)	120
41.	वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (गुजरात)	630
42.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र (गुजरात)	120
43.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (गुजरात)	210
44.	हसदेव जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	120
45.	बारगी जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	90
46.	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (मध्य प्रदेश)	210
47.	संजय गांधी बीरसिंघपुर ताप विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश)	210
48.	बाणासागर जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश)	210
49.	भीरा टेल रेस जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	80
50.	टिल्लारी जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	60
51.	पवाना जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	10
52.	भंडारदारा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	10
53.	खडकवासला जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	16
54.	भतसा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	15
55.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	420
56.	खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	420
57.	उरान गैस केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	324
58.	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (महाराष्ट्र)	210
59.	उज्जैनी पम्प स्टोरेज जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	12
60.	उरान गैस टरबाइन केन्द्र यूनिट सं०-8 (महाराष्ट्र)	108
61.	वैतरणा जल विद्युत स्कीम (महाराष्ट्र)	1.5
62.	पेंच जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)	160
63.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	500
64.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
65.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	1260

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		5452.75
66.	बालीमेला जल विद्युत स्कीम (आन्ध्र प्रदेश)	60
67.	नागार्जुनसागर जल विद्युत स्कीम चरण-II (आन्ध्र प्रदेश)	100
68.	श्रीसेलम जल विद्युत स्कीम चरण-II (आन्ध्र प्रदेश)	330
69.	पन्ना अहोबिलाम जल विद्युत स्कीम (आन्ध्र प्रदेश)	20
70.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर जल विद्युत स्कीम) (आंध्र प्रदेश)	60
71.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	30
72.	पोचमपाद जल विद्युत स्कीस (आं० प्र०)	27
73.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (आंध्र प्रदेश)	210
74.	ककातिया नहर जल विद्युत स्कीम (आंध्र प्रदेश)	1.5
75.	वराही नहर जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	239
76.	सुपा बांध जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	100
77.	घाटप्रभा जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	32
78.	रायचुर ताप विद्युत केन्द्र (कर्नाटक)	210
79.	मालापुर जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	9
80.	कैलमलईगेनेरकल जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	0.75
81.	सिरवाल जल विद्युत स्कीम (कर्नाटक)	1
82.	मादुर ब्रांच जल विद्युत स्कीम और अन्य मिनी/माइक्रो (कर्नाटक)	175
83.	ईदमलायर जल विद्युत स्कीम (केरल)	75
84.	कक्कड़ जल विद्युत स्कीम (केरल)	50
85.	इदुक्की जल विद्युत स्कीम चरण-दो (केरल)	390
86.	कल्लड जल विद्युत स्कीम (केरल)	15
87.	सरवलार जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	20
88.	कदमपराई जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	400
89.	कुंडाह जल विद्युत स्कीम चरण-पांच (तमिलनाडु)	20
90.	लोअर मैत्तूर जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	120
91.	वेंगाई माइक्रो जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	6
92.	पिकारा माइक्रो जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	2

1	2	3
93.	लोअर भवानी जल विद्युत स्कीम (तमिलनाडु)	8
94.	मैत्तूर ताप विद्युत केन्द्र (तमिलनाडु)	420
95.	मैत्तूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (तमिलनाडु)	210
96.	तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (तमिलनाडु)	210
97.	रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
98.	नेवेली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	210
99.	नेवली दूसरा माइन कट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	210
100.	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-2 (केन्द्रीय क्षेत्र)	235
पूर्वी क्षेत्र		3182.60
101.	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-19 (बहार)	110
102.	उत्तर कोल जल विद्युत स्कीम (बिहार)	24
103.	सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	6.6
104.	पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	15
105.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-2 (बिहार)	110
106.	तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र (बिहार)	210
107.	सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत स्कीम (बिहार)	3.3
108.	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	240
109.	हीराकुंड जल विद्युत स्कीम चरण-तीन (उड़ीसा)	37.5
110.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	100
111.	पोट्टेरू जल विद्युत स्कीम (उड़ीसा)	6
112.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम विस्तार (उड़ीसा)	100
113.	रोंगीचु जल विद्युत स्कीम चरण-दो (सिक्किम)	2.5
114.	रिबी जल विद्युत स्कीम (सिक्किम)	1
115.	रम्मन जल विद्युत स्कीम (पश्चिम बंगाल)	50
116.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र (पश्चिम बंगाल)	420
117.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (पश्चिम बंगाल)	210
118.	दुर्गापुर परियोजना लि० ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (पश्चिम बंगाल)	210
119.	तीस्ता नहर जल विद्युत केन्द्र (पश्चिम बंगाल)	22.5
120.	रोंचिंगटों जल विद्युत केन्द्र विस्तार (पश्चिम बंगाल)	1

1	2	3
121.	फाजी जल विद्युत स्कीम विस्तार (पश्चिम बंगाल)	1.2
122.	पंचेत हिल जल विद्युत परियोजना (दा० घा० नि०)	40
123.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र (दा० घा० नि०)	210
124.	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (दा० घा० नि०)	420
125.	गैस टर्बाइनें (दा० घा० नि०)	90
126.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (केन्द्रीय क्षेत्र)	630
127.	डीजल स्कीम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में	12
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		429.40
128.	लोअर बोर-पानी जल विद्युत स्कीम (असम)	100
129.	लकवा गैस केन्द्र विस्तार (असम)	15
130.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (असम)	30
131.	बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र (असम)	60
132.	लकवा ताप विद्युत केन्द्र फेज-दो (असम)	60
133.	घानसिरी जल विद्युत स्कीम (असम)	20
134.	लोकचाव जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.4
135.	कैथलमन्बी जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.6
136.	लैमखोंग जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1
137.	नंगसुंगखंग जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1.5
138.	गेलनोल माइक्रो जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	0.4
139.	बोनिंग जल विद्युत स्कीम (मणिपुर)	1
140.	डीजल सेट (मणिपुर)	2
141.	दिखु जल विद्युत स्कीम (नागालैंड)	1
142.	महारानी जल विद्युत स्कीम (त्रिपुरा)	1
143.	बारामूरा गैस थर्मल केन्द्र (त्रिपुरा)	10
144.	न्यू गैस टर्बाईन (त्रिपुरा)	10
145.	टागो जल विद्युत स्कीम (अरुणाचल प्रदेश)	4.5
146.	सोसा जल विद्युत स्कीम (अरुणाचल प्रदेश)	1.5
147.	लघु जल विद्युत (अरुणाचल प्र०)	3.60
148.	कोपिली जल विद्युत स्कीम (उत्तर पूर्वी परिषद)	100
149.	लघु जल विद्युत (मिजोरम)	0.9
150.	लघु डीजल (मिजोरम)	5
	जोड़—(यूटिलीटिज)	22245.25

डाक और दूरसंचार कर्मचारियों को रिहायशी आवास

9028. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में डाक और दूरसंचार कर्मचारियों को रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक डाक मंडल और दूर-संचार मंडल और जिलों में प्रत्येक वर्ष के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ग) इस समय प्रत्येक प्रशासनिक एकक में कितने व्यक्तियों को रिहायशी आवास दिए गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने लोगों को मकान दे दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

डाक

(क) जी हां।

(ख) इस अवधि के दौरान डाक सर्किलों को किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यदि हम सम्पूर्ण स्टाफ को ध्यान में रखें, तो डाक सर्किलों में इस समय संतोषजनक स्तर 3 से 9 बैठता है। तथापि, मकान किराया भत्ता में वृद्धि हो जाने के कारण वास्तविक आवेदनों की संख्या में कमी आई है।

सातवीं योजना के अन्त तक, विभाग को लगभग 3000 क्वार्टरों की वृद्धि करने की आशा है। इससे सन्तोषजनक स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी।

दूरसंचार

(क) से (घ) विभिन्न यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाक विभाग में रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया प्रावधान

(करोड़ों में)

क्र०सं०	सर्किल का नाम	84-85 (व्यय)	85-86	86-87 (प्रावधान)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.60	1.48	0.63
2.	बिहार	0.72	1.13	0.44
3.	दिल्ली	0.38	0.08	0.01

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	1.87	1.39	1.31
5.	जम्मू एवं कश्मीर	0.13	0.03	0.21
6.	कर्नाटक	1.46	1.87	0.99
7.	केरल	0.54	0.84	0.58
8.	मध्य प्रदेश	0.79	0.40	0.10
9.	महाराष्ट्र	1.10	1.61	1.24
10.	उत्तर पूर्वी	0.28	0.58	0.57
11.	उत्तर पश्चिमी	0.42	0.55	0.34
12.	उड़ीसा	0.25	0.46	0.35
13.	राजस्थान	1.88	1.95	1.06
14.	तमिलनाडु	0.65	1.03	1.30
15.	उत्तर प्रदेश	1.50	1.86	0.72
16.	पश्चिम बंगाल	0.39	0.62	0.55
	कुल	14.16	15.89	10.40

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार के लिए "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो रिले सिस्टम"

9029. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार हेतु "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो रिले सिस्टम" जैसी कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है :—

(1) मल्टी एक्सेस सरल रेडियो प्रणाली (एम० ए० आर० आर०)

(2) छोटी क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

(3) सिंगल चैनल वी० एच० एफ०

(4) छोटी क्षमता का यू० एच० एफ०

प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं :—

विवरण

निम्नलिखित की महत्पूर्ण विशेषताएं :—

(क) एम० ए० आर० आर० प्रणाली :

(1) एम० ए० आर० आर० प्रणाली में संचारण के लिए विश्वसनीय रेडियो मीडिया का इस्तेमाल होता है।

(2) इस प्रणाली को उन दूरवर्ती जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है जो दुर्गम हैं और जहां बिजली के अभाव के कारण ओपन वायर लाइनों की पारंपरिक प्रक्रिया या तो व्यवहार्य न हो या फिर तकनीकी दृष्टि से संभव न हो।

(3) इस प्रणाली से 50 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतरी लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा सकते हैं।

(4) इस प्रणाली पर प्रदान किया गया संचार अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता।

(5) लम्बी दूरी के सार्वजानक टेलीफोन द्वारा की जाने वाली कालों की संख्या बहुत कम होने के कारण बहुत कम रेडियो चैनलों से ही अधिक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों को सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) छोटी क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

(1) वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं होती।

(2) इसमें दूरवर्ती मानीटरिंग सुविधाएं होती हैं।

(3) कठिन स्थितियों में काम कर सकता है।

(4) बेहतर विवश्वसनीयता

(5) इसमें इन विल्ट मीटरिंग सुविधा होती है।

(ग) सिंगल चैनल वी० एच० एफ०

दूरवर्ती और दुर्गम स्थानों के लिए विश्वसनीय सिंगल चैनल प्वाइंट टू-प्वाइंट रेडियो मीडिया प्रदान करता है।

(घ) छोटी क्षमता यू० एच० एफ०

ओपन वायर लाइनों की तुलना में ग्रामीण एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय रेडियो मीडिया पर ट्रंक जंक्शनों का ग्रुप प्रदान करता है।

कम्पनियों की वार्षिक आम बैठकों के कार्यवाही सारांश तैयार करना

9030. **डा० वी० एल० शैलेश :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत

शेयरधारकों को कम्पनियों की वार्षिक आम बैठकों के कार्यवाही सारांश परिचालित करना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि बड़ी कम्पनियों के हजारों, बल्कि लाखों शेयरधारी दूरी अथवा अन्य कारणों से वार्षिक आम बैठकों में भाग नहीं ले पाते और अधिकांशतः ये बैठकें परोक्षी (प्राक्सी) के आधार पर होती हैं;

(घ) क्या शेयर धारकों को कोई कार्यवाही सारांश अथवा संक्षिप्त रिकार्ड परिचालित न किए जाने के कारण वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही की जानकारी नहीं मिलती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम में आगामी संशोधन करते समय निर्देशक बोर्डों के लिए शेयर धारकों को कार्यवाही सारांश का परिचालन अनिवार्य किए जाने की वांछीयता पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी की वार्षिक महासभा की बैठकों के कार्यवृत्तों को उसके सदस्यों को परिचालित करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 196 के अनुबन्धों में, सदस्यों को महासभा की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों के निरीक्षण करने का अधिकार है तथा निर्धारित शुल्क देने पर एक प्रति प्राप्त करने का भी अधिकार है। तदनुसार विधि में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ब्रिटेन की फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना

9031. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की फर्मों का एक 14-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सस्थागत प्रबन्ध संगठन और प्रशिक्षण के अवसरों सहित प्रौद्योगिकी अन्तरण की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए पिछले महीने के अन्त में व्यापार मिशन पर भारत यात्रा पर आया था;

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मण्डल ने परियोजनाओं के वित्त पोषण और भारत में संयुक्त उद्यमों का स्थापना पर भी विचार किया; और

(ग) इस व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई सरकार की बातचीत के क्या परिणाम निकले और इस प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यदि कोई पेशकश की गई है तो उसका स्वरूप क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंग्लैंड (यू० के०) से एक शिष्टमंडल ने मार्च के अन्तिम सप्ताह और अप्रैल, 1987 के प्रारम्भ में भारत का दौरा किया था। शिष्टमंडल ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण और संयुक्त उद्यमों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक भारतीय कम्पनियों के साथ विचार विमर्श किया था। सरकारी स्तर पर कोई परस्पर बातचीत या विचार विमर्श नहीं हुआ। भारत में शिष्टमंडल की विचारणाओं से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यह शिष्टमंडल गैर सरकारी था।

राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने हेतु एजेंसियों की स्थापना

9032. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी एजेंसी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसी कोई एजेन्सी स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण पर निगरानी रखने हेतु इस प्रकार की एजेन्सियां स्थापित करने की सलाह दी गई है; और

(घ) प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु अन्य उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिवीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले साप्ताहिक, मासिक तथा तिमाही आंकड़ों के जरिए करती है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कहा गया है कि वे मौजूदा प्रबन्धों की विस्तृत पुनरीक्षा करें, कमियों का पता लगाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों में सुप्रवाही बनाने तथा मजबूत करने के लिए कार्यवाही की एक योजना बनाएं और उसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर कार्यान्वित करें।

केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे ब्लाक, जिला मुख्यालयों में एक उपयुक्त परिवीक्षा प्रणाली स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध हो।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूरी की जा रही कच्चे तेल की आवश्यकता तथा इसका आयात

9033. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित और कच्चा तेल की कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूरी की गई; और कितने प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने मूल्य के अशोधित तेल का आयात किया गया; और

(ग) उन देशों और कम्पनियों के नाम क्या है, जो कच्चे तेल में उत्पादन में आयोग की सहायता कर रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह की सहायता की जा रही है और वे कब से सहायता कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	ओ० एन० जी० सी० द्वारा पूरी की गई कच्चे तेल की कुल आवश्यकता की प्रतिशतता	आयात द्वारा पूरी की गई कच्चे तेल की कुल देशी आवश्यकता की प्रतिशतता
1984-85	62.9	30.5
1985-86	62.6	31.3
1986-87 (अस्थायी)	59.4	35.0

कच्चे तेल की अंशिक आवश्यकता को आयल इंडिया लि० द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) 9367 करोड़ रुपये (अस्थायी)

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में बाहर से कोई सहायता नहीं ली जा रही है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ नई प्रौद्योगिकी के विकास, संसाधनों और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, विशेषकर विकसित तेल प्रतिप्राप्ति तकनीकों के सम्बन्ध में निरन्तर अन्तरकारवाई की जा रही हैं।

उड़ीसा में खरीफ धान की विवश बिक्री

9034 **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों, विशेषकर उड़ीसा में खरीफ धान की भारी पैमाने पर विवश बिक्री की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और धान की निर्धारित दरों पर खरीद के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में कुल कितनी मात्रा में धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और किस सीमा तक लक्ष्य को प्राप्त किया गया;

(ग) उड़ीसा में नवम्बर, 1986 से फरवरी, 1987 तक भारतीय खाद्य निगम के महीने-वार और जिला-वार कितने-कितने डिपो और खरीफ केन्द्र कार्य कर रहे थे और इसकी कितनी खरीद की गई है; और

(घ) राज्य में धान और चावल की विवश बिक्री रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (घ) उड़ीसा सहित किसी राज्य से खरीफ विपणन मौसम 1986-87 के दौरान धान की मजबूरन बिक्री करने के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। किसानों को मूल्य समर्थन देने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा धान क्रय केन्द्र खोले गए हैं।

(ख) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि धान की वसूली किसानों को मूल्य समर्थन देने के लिए की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नवम्बर, 1986 से फरवरी, 1987 तक कार्य कर रहे केन्द्रों/वसूल की गई मात्रा के जिलेवार ब्यौरे बताने वाला विवरण ।

राजस्व जिले का नाम	एफ० एस० डी० वसूली केन्द्र के नाम	खरीदी गई मात्रा (आंकड़े मीटरी टन में)	विनियमित मंडी वसूली केन्द्रों के नाम	खरीदी गई मात्रा (आंकड़े मीटरी टन में)
1	2	3	4	5
कोरापुट	एफ० एस० डी० उमेड़ी	—	डाबुगांव	13.0
	रायगाडा	—	नवरंगपुर	—
	एस० डब्ल्यू० सी० रायागाडा	—	गुनुपुर	—
	एफ० एस० डी० नवरंगपुर	—		
	एस० डब्ल्यू० सी० नवरंगपुर			
कालाहांडी	एफ० एस० डी० केसिंगा	—	जूनागढ़	4.6
	एस० डब्ल्यू० सी० खरियार रोड	—	धर्मगढ़	—
	एफ० एस० डी० खरियार	—	नारला	—
बोलंगिर	एफ० एस० डी० डुंगिरिपल्ली	—	डुगिरिपल्ली	88.5
	एस० डब्ल्यू० सी० तितलीगढ़	—	बिका	70.5
	एस० डब्ल्यू० सी० कन्टाबंजी	—	रामपुर	48.6
	एस० डब्ल्यू० सी० बोलंगिर	—	चुड़ापल्ली	5.8
		—	कंटाबंजी	—
सम्बलपुर	एफ० एस० डी० झरसुगुडा	—	सतलामा	10.8
	एफ० एस० डी० हीराकुण्ड	—	गुडुभागा	16.8
	एफ० एस० डी० बालीझड़ी	—	अट्टाबिरा	1.4

1	2	3	4	5
	मी० डब्ल्यू० सी० सम्बलपुर	—	बरपली	5.1
	एस० डब्ल्यू० सी० अट्टाबिरा	—	सेहरूटिकरा	—
	एफ० एस० डी० अट्टाबिरा	—	बालगढ़	—
बालासौर	एफ० एस० डी० रानीताल	—	चन्दाबालो	—
	एफ० एस० डी० रूपसा			
	एफ० एस० डी० जालेश्वर			
	एस० डब्ल्यू० सी० भद्रक			
गंजम	एफ० एस० डी० फुलबनी	—	पारलेखेमुंडी	—
	सी० डब्ल्यू० सी० बेरहामपुर	—	—	—
			जोड़	265.1

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम उत्पादों का अभाव

9035. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों विशेषकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम उत्पादों और डीजल का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन वस्तुओं के अभाव होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में विगत में पेट्रोलियम उत्पादों की सामान्य कमी होने की न तो कोई सूचना मिली है और न इससे सम्बन्धित शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं।

पहले उड़ीसा में कुछ कमी हुई थी जिसके कारणों से फरवरी, 1987 में बालासौर, कटक और राऊरकेला में डिपुओं की भराई करने वाली सप्लाई में रेल परिवहन सम्बन्धी रुकावटें, मार्च, 1987 में कटक और बालासौर में बिजली का न होना तथा राऊरकेला में लोड शैडिंग थी। पश्चिमी बंगाल में आई० ओ० सी० तथा आई० बी० पी० कम्पनी के सामने उत्पन्न औद्योगिक समस्याओं, दिसम्बर, 1986 में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने, नवम्बर, 1986 में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल होने के कारण राज्य के कुछ भागों में सप्लाई करने में बाधाएं उपस्थित हुई। स्थिति से निपटने के लिए यथा संभव वैकल्पिक उपाय किए गए थे, और उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।

आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करने के लिए केरल से प्राप्त आवेदन पत्रों का लंबित रहना

9036. **श्री टी० बशीर**
श्री सुरेश कुरूप : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंसों के लिए केरल से प्राप्त ऐसे कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं, जिनके लिये केरल सरकार ने सिफारिश की है; और

(ख) आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 29.4.1987 को केरल राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन प्राप्त हुए छः औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में थे। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि सभी लम्बित औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों को जितनी शीघ्रता से हो सके निपटाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली को और सुप्रवाही बनाया गया है।

केरल में कट्टकडा टेलीफोन एक्सचेंज का विकास

9037. **श्री टी० बशीर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कट्टकडा टेलीफोन एक्सचेंज का विकास करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां,

(ख) कट्टकडा में सातवीं योजना के दौरान 90 लाइनों वाले छोटे एक्सचेंज को 200 लाइनों के छोटे एक्सचेंजों तक बढ़ाने की योजना है।

झरिया-रानीगंज कोयला क्षेत्र में वायु प्रदूषण

9038. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित झरिया-रानीगंज कोयला क्षेत्र में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या धनबाद स्थित केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों के अनुसार इस क्षेत्र में, वायु में प्रदूषण तत्वों की मात्रा अनुमत सीमा से बहुत अधिक बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला खानों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाकलाप बढ़ रहा है जिसका कारण है—खनन कार्य तथा ताप बिजलीघर, उर्वरक कारखानें, इस्पात कारखाने, रीफैक्टरी निर्माण, लैड स्मेल्टर तथा सहायक उद्योगों का विस्तार और उनके कारण वहां वायु प्रदूषण हो रहा है। केन्द्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन, धनबाद ने झरिया-

रानीगंज क्षेत्र में जो अध्ययन किए हैं उनसे यह पता चला है कि वहां वायु में "गिरती धूल" तथा "स्थिर कण द्रव्य" निर्धारित स्तर से अधिक हैं किन्तु सल्फर डायआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड आदि गैसें तथा गंधक का अंश अभी निर्धारित सीमाओं के भीतर ही है।

(ग) कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) नई कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंध योजनाएं निश्चित रूप से बनाई जाती हैं। इन योजनाओं में यह बातें शामिल रहती हैं भू-आकृति पर कोयला खनन का प्रभाव, फूल-पौधों और बनस्पतियों पर कोयला खनन का प्रभाव, जीव-जन्तुओं और वन्य जीवन पर कोयला खनन का प्रभाव, पानी की गुणवता पर कोयला खनन का प्रभाव, सूक्ष्म मौसम विज्ञानी परिमापों तथा जल-विज्ञानी व्यवस्था पर और शोर स्तर पर कोयला खनन का प्रभाव।

(2) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० ने मुरमा में यंत्रीकृत साफ्ट कोक विनिर्माण संयंत्र विकसित किया है तथा वह सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इसकी तकनालॉजी अपना लेने पर वायु में न्यूनतम प्रदूषण होगा।

(3) प्रमुख कोयला रख-रखाव संयंत्रों और प्रमुख धूलो-जनन क्रियाकलाप केन्द्रों में धूल को निकालने और धूल को अलग करने के लिए समुचित डिजाइनों वाले यंत्र आदि लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके फलस्वरूप स्थिर कण द्रव्य पर नियंत्रण होगा और हवा में शुद्धता बढ़ेगी।

(4) सड़क परिवहन के कारण काफी वायु प्रदूषण होता है। झरिया कोयला क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उनके फल-स्वरूप हवा की गुणवता बेहतर हो सकेगी।

(5) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० धुआंरहित कोयले का विकास कर रहा है और इस प्रकार के कोयले का वाणिज्यिक स्तर पर प्रचार-प्रसार और प्रयोग होने से वायु प्रदूषण न्यूनतम हो जाएगा।

(6) झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए जो विस्तृत पर्यावरण अध्ययन प्रस्तावित हैं उनके फलस्वरूप एक समग्र नियंत्रण नीति के विकास में सहायता मिलेगी।

दिल्ली में टेलीफोन सामग्री उपकरणों का दुरुपयोग/दुर्विनियोजन

9039. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन सामग्री उपकरणों के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन चोरी छिपे बिक्री की घटनाएं होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्योरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) क्या दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार के दो मामले जानकारी में आए हैं। उपस्कर का परीक्षण करते समय अगस्त 1986 में 160 ए प्लेटिनम कानटैक्स सहित रिले स्प्रिंग की चोरी का पता चला था इस मामले की जांच की गई थी परन्तु कोई जिम्मेदारी नहीं निश्चित की जा सकी।

अन्य मामलों में करोल बाग एक्सचेंज अप्राधिकृत रूप से कुछ पुरानी स्टोर मदों जैसे अरेस्टर और हीटकोइल स्ट्रिप्स एवं टेस्ट जैक ले जाए जाने का समाचार मिला था। इस मामले की जांच की जा रही है।

(घ) पर्यवेक्षण का कार्य देख रहे आधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें और विशेष रूप से मदों के समय।

वनों पर आधारित उद्योग

9041 **श्री एच० वी० पाटिल**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में वनों पर आधारित ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में वनों पर आधारित उद्योगों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में वनों पर आधारित ऐसे कितने उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इनकी स्थिति अनुमानित लागत का ब्योरा क्या है और इनसे वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) चार कागज/अखबारी कागज की मिलें, जो वन के कच्चे माल के उपयोग पर आधारित हैं, विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

राज्य का नाम	कारखानों की संख्या	विनिर्माण की वस्तु
1. असम	1	लिखाई और छपाई के कागज
2. केरल	1	अखबारी कागज
3. मध्य प्रदेश	1	अखबारी कागज
4. नागालैंड	1	लिखाई, छपाई और क्राफ्ट पेपर

उपर्युक्त में से, असम में अवस्थित कागज की मिल ने अक्तूबर 1985 से कार्य करना शुरू किया था, जबकि शेष मिलें 3 से अधिक वर्षों से चल रही हैं।

(ग) वन के कच्चे माल के उपयोग पर मुख्य रूप से आधारित एक कागज की मिल असम

राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है जिसके वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) उद्योग मन्त्रालय के पास कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में वन पर आधारित किसी उद्योग को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाल ही में हुए विधान सभा चुनावों और उप चुनावों में चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त शिकायतें

9042. **डा० ए० के० पटेल**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री तेजा सिंह दर्दी
: क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 मार्च, 1987 को विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों और उप चुनावों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की सभी शिकायतों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सम्बन्धित राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा शिकायतों के ब्यौरे का अभी संकलन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) शिकायतों का संकलन और विश्लेषण करने के पश्चात् ही ये प्रश्न उठेंगे।

सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग लगाना

9043 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**
श्री दिलीप सिंह भूरिया
: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योग लगाने से सम्बन्धित राज्य वार कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ उद्योग राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अवस्थिति के बारे में निर्णय व्यापक तकनीकी—आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर लिये जाते हैं तथा इसे राज्य-वार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

9044. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों में, विशेषकर निर्माता उद्योगों में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों से कम उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में समग्र औसत विकास दर कितने प्रतिशत रखी गई है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कुछ उद्योगों ने छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी दिखाई है। यह मुख्यत: कच्चे-माल, अवस्थापना तथा मांग में अड़चनों और कुछ मामलों में श्रमिक असंतोष के कारण हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए समग्र रूप से वार्षिक औसतन विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक रखी गई है। सातवीं योजना की नीतियों के अनुसार, सरकार उद्योग की पुन: संरचना, पूंजी के कुशल प्रयोग, अवस्थापना सुविधाओं में सुधार तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिये विभिन्न उपाय कर रही है ।

सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की वेतन-वृद्धि

9045. **श्री नित्यानन्द मिश्र**
श्री राधाकांत डिगाल } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन मंहगाई भत्तों और अन्य भत्तों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी वृद्धि की गई है और यह वृद्धि किस तिथि से की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के कार्यपालकों के मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तो में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले एवं मजदूरी समझौतों द्वारा शासित न होने वाले मुख्य कार्यपालकों, कार्यकारी निदेशकों, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए तदर्थ राहत स्वीकार की गई है। यह तदर्थ राहत राशि मुख्य कार्यपालकों और कार्यकारी निदेशकों को 1500/- रुपये से लेकर 2500/- रुपये तक और अन्य कर्मचारियो को 120/- रुपये से लेकर 1200-/ रुपये तक प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश के लिए चीनी का अतिरिक्त कोटा

9046. **श्री परसराम मारद्दाम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले

लोगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु चीनी का अतिरिक्त कोटा दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेवी चीनी के मासिक कोटे राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग/अनुरोध के आधार पर आवंटित नहीं किए जाते हैं बल्कि ये कोटे कुछेक एकसमान मानदण्डों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश का लेवी चीनी का मासिक कोटा फरवरी, 1987 से 23,276 मीटरी टन से बढ़ाकर 25,031 मीटरी टन प्रति मास कर दिया गया है। राज्य के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का आवंटन करने के पैटर्न का निर्णय शहरी इलाकों, ग्रामीण इलाकों, आदिवासी इलाकों जैसी स्थानीय जरूरतों और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों पर आधारित परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

गेहूं और चावल की खरीद का लक्ष्य

9047. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में गेहूं और चावल की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि गेहूं और धान की वसूली मूल्य समर्थन के अधीन की जाती है और चावल की वसूली मिल-मालिकों और व्यापारियों पर लेवी लगाकर की जाती है। 1986-87 के रबी (अप्रैल-मार्च) और खरीफ (अक्तूबर-सितम्बर) विपणन मौसमों के दौरान 105.3 लाख मीटरी टन गेहूं और 86.5 लाख मीटरी टन चावल की वसूली की गई थी। (30.4.87) की स्थिति के अनुसार)।

राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बिजली के बंटवारे के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय विवाद

9048. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बिजली के बंटवारे के सम्बन्ध में विवाद के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाफथा, झंकरी, कोल, आनन्दपुर साहिब, थीन, मुकेरिया, शाहपुर, कांडी, यू० बी० डी० सी० चरण-दो और चमेरा पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बिजली के बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी):(क) आनन्दपुर साहिब, थीन बांध, मुकेरिया, शाहपुर कण्डी और अपर बारी दोआब नहर चरण-दो जल विद्युत परियोजनाओं से लाभों के सम्बन्ध में अपने दावों के बारे में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब को राज्य सरकारों ने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय परियोजनाओं और सांझा उपक्रमों के सम्बन्ध में विद्युत का बंटवारा केन्द्रीय फार्मूले के अनुरूप होगा।

ताप विद्युत उत्पादन

9049. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ताप विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री श्री बसन्त साठे : (क) और (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं;

—देश में 34 ताप विद्युत केन्द्रों में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

—विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने जैसे मामलों में राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना।

—अपेक्षित मात्रा में और वांछित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई।

—चालू की गई नई यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के सम्बन्ध में निगरानी करना।

(ख) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानित ताप विद्युत उत्पादन 193.9 बिलियन यूनिट है जो कि छठी योजना के अंतिम वर्ष में हुए वास्तविक ताप विद्युत उत्पादन से 95.1 बिलियन यूनिट अधिक है।

पुन: प्रयोग में लाये जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग

9050. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने पुन: प्रयोग में लाए जा सकने वाली ऊर्जा के लिए एक संदर्शी योजना बनाई है;

(ख) क्या पुन: प्रयोग में लाई जा सकने वाली ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक प्रौद्योगिकी हाल के वर्षों में विकसित की गई है और प्रयोग की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इन नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने हेतु आगामी वर्षों में कौन से कदम उठाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिये पुनः प्रयोग में लाई जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के लिए योजना में किए गए धनराशि नियतन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बायोगैस संयंत्रों उन्नत धुआंरहित चूल्हों, सौर तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों आदि में लघु विद्युत प्रयोगों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय जैसी पूर्ण विकसित तथा बड़े पैमाने पर उपयोगी प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों तथा युक्तियों के विस्तृत उपयोग को बढ़ाने, वाणिज्यिक क्षमता की अवस्था में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को गहन करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विद्युत की बढ़ती हुई क्षमता और ताप उत्पादन स्रोतों तथा प्रणालियों को स्थापित करने तथा स्थानीय तौर से उपलब्ध ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतो के संयोजनों का प्रयोग करके गांवों का उत्तरोत्तर ऊर्जाकरण करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) वर्ष 1985-86 से वर्ष 1987-88 वर्ष के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए योजना नियतन निम्न प्रकार से हैं :

1985-86	119.35 करोड़ रुपये
1986-97	125.00 करोड़ रुपये
1987-88	100.00 करोड़ रुपये

खाद्य तेलों का आयात और उनका आबंटन

9051. **डा० वी० वेंकटेश** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 में राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आबंटन किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जनवरी, 1987 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की 41050 मी० टन मात्रा आबंटित की गई।

(ख) गत तीन तेल वर्षों के दौरान खाद्य तेलो की आयात की गई मात्रा इस प्रकार है :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	मात्रा (लाख मी० टनों में)
1984-85	13.68
1985-86	11.79
1986-87 (मार्च, 1987 तक)	4.64

कोयले की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर

9052. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के कोयले की मांग और सप्लाई के बीच भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो यह अन्तर किस सीमा तक है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य में कोयले की मांग और उसको की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) देश में महत्वपूर्ण उद्योगों—जैसे बिजलीघर, रेलवे, इस्पात संयंत्र, सीमेंट कारखानें और उर्वरक कारखानें—के लिए कोयले की कुल मांग का निर्धारण योजना आयोग करता है। अन्य विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की मांग का निर्धारण सम्बद्ध प्रायोजन प्राधिकारी करता है। यह प्रायोजन प्राधिकारी राज्य-वार नहीं बल्कि उद्योग-वार हैं—जैसे तकनीकी विकास महानिदेशालय, इंडियन शुगर मिल ऐसोसिएशन, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन कपड़ा उद्योग के लिए आदि—और इसीलिए मांग का क्षेत्रवार निर्धारण होता है और क्षेत्रवार ही प्रायोजन होता है।

जहां तक इस्पात क्षेत्र के लिए प्राइम कोककर कोयले को छोड़कर 1986-87 में अन्य कोयले की मांग का सवाल है, सभी इस्पात कारखानों की सारी मांग पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। प्राइम कोककर कोयले की कमी को आयात करके पूरा किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों के मामले में भी मांग की पूर्ति का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है, जैसाकि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :—

क्षेत्र	मांग पूर्ति का प्रतिशत
(1) बिजली	95.4%
(2) रेलवे	89.7%
(3) सीमेंट	90.8%
(4) उर्वरक	85.6%
(5) ईंट-भट्ठा/ग्रहीत बिजलीघर/अन्य	92.4%

कोयले की क्षेत्र-वार काम का निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ में किया जाता है और यह प्रत्याशित विस्तार, नए यूनिटों में कार्यारम्भ, आदि बातों पर निर्भर करती है। क्योंकि यह केवल निष्कर्षित मांग होती है इसलिए यह कोयले की वास्तविक मांग से कुछ अधिक होती है।

कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी कोयला सप्लाई में कमी रही है जिसके अनेक कारण रहे हैं। किन्तु इन कारणों को दूर करने और सप्लाई ठीक रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा

9053. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के उद्योग-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) विदेशी सहयोग के इन प्रस्तावों के राज्य-वार आंकड़े क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने वर्ष 1983 में 673 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। सभी विदेशी सहयोगों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग का प्रकार भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपनी मन्थली न्यूज मैगजीन के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) विदेशी सहयोग के राज्य-वार ब्यौरों से सम्बन्धित सूचना के आंकड़े औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में नहीं रखे जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के एककों के मुख्यालय

9054. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकारी क्षेत्र की उन धारक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं; और

(ख) किन-किन धारक कम्पनियों के मुख्यालय दिल्ली से अन्यत्र स्थानान्तरित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की जिन धारक कम्पनियों की एक या एक से अधिक संघटक सहायक कम्पनियां हैं और जिनके मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. भारतीय सीमेंट निगम लि०
2. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०
3. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०
4. भारतीय तेल निगम लि०
5. इण्डियन एअरलाइन्स
6. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि०
7. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
8. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

किसी भी धारक कम्पनी को हाल ही में दिल्ली से बाहर अन्तरित नहीं किया गया है।

कोयला संसाधनों में सुधार लाने की तकनीकों का प्रयोग

9055. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला संसाधनों में सुधार करने, उनका उपयुक्त और कुशल विदोहन करने, उन्हें

लाभप्रद बनाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर आदि द्वारा खोजी गई तकनीकी का ब्यौरा क्या है;

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत कोयले के संरक्षण के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयले तथा अन्य सामग्री की स्लरी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कोयले की उत्पादन लागत में कितनी कमी हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) केन्द्रीय खान अनुसंधान स्टेशन, धनबाद ने स्तर व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो माडल बनाए हैं उनके फलस्वरूप यह प्रणालियां विकसित हुई हैं—थिक स्पिलट तथा अंशत: विकसित सीमों के लिए खनन प्रणालियां, ऊपर निर्मित संरचनाओं के नीचे वाइड स्टाल खनन प्रणाली, संकरा पैनल खनन, खड़ी सीमों में प्रयुक्त क्रास स्लाईसिंग, आदि। केन्द्रीय खान अनुसंधान स्टेशन ने जो धंसाव अन्वेषण किए है वह धरातली संरचनाओं के नीचे से विशाल मात्रा में कोयला निकालने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कोयला उपयोग के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसके फलस्वरूप इस्पात कारखानों में प्राइम कोककर कोयले का संरक्षण संभव हो सका। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान ने कोयले के परिष्करण के लिए तेल संपिडन प्रणाली का विकास किया है और इस विकास का एक पायलट संयंत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर ने कोयला परिष्करण और परिवहन के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह भी व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है।

(ख) कोयला संरक्षण के लिए विज्ञान और तकनालॉजी योजना के अधीन जो योजनाएं चालू की गई हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: नाइटोजन भरके भूमिगत खान अग्नि पर नियंत्रण, हाइड्रोलिक खनन, वाइड स्टाल, ब्लास्टिंग गैलरी प्रणाली यंत्रीकृत बोर्ड और पिलर खनन प्रणाली जैसी नई खनन प्रणालियां प्रारंभ करना जिनमें लोड होल डम्परों तथा साइड डिस्चार्ज लोडरों और चेन कन्वेयरों आदि का प्रयोग होता है।

(ग) भारतीय दशाओं में कोयले के स्लरी परिवहन के लिए प्रदर्शन सुविधा लगाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। परम्परागत परिवहन प्रणाली की तुलना में इस प्रकार की परिवहन प्रणाली के आर्थिक लाभ-हानि का पता तो तभी चलेगा जब प्रदर्शन परियोजना में कार्यारम्भ हो जाए।

ऊर्जा बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन

9056. **श्री के० वी० शंकर गौडा**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों का स्वरूप क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उद्योगों द्वारा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यमान वित्तीय प्रोत्साहन स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने और इनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण

किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों में मुख्य रूप से ये शामिल हैं :—आय कर नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ऊर्जा की बचत करने वाले कुछ यन्त्रों के संबंध में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास भत्ते की छूट और ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों के संबंध में कुछ सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संबंधी छूट।

तेल कम्पनियों का कार्य-निष्पादन

9057. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल कम्पनियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी तेल कम्पनियां नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रही हैं;

(ग) क्या कोई तेल कम्पनी घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी कम्पनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (1985-86 को छोड़कर) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड, बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड।

(ग) से (ङ) क्षमता के कम उपयोग, उत्पादों का अप्रचलित होना, पुराने उपकरण और संयंत्र मोटरों, के बाजार में मंदी तथा असंतोषजनक औद्योगिक संबंधों के कारण बीको लारी लिमिटेड घाटे में चल रही है। इस मंत्रालय की सलाह पर कम्पनी द्वारा अपने सुधार के लिए योजनाएं बना ली गई हैं और इनकी जांच की जा रही है।

कर्नाटक में अन्न बचाओ अभियान

9058. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में "अन्न बचाओ अभियान" प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित आभियान आरम्भ किया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई अभियान आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह अभियान कर्नाटक के कितने जिलों में आरम्भ किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम सभी राज्यों में 17 केन्द्रीय दलों के जरिये शुरू कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 10 जिले।

उड़ीसा में कोयला डिवीजन की स्थापना

9059. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही**
श्री हरिहर सोरन } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में एक कोयला डिवीजन स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे : (क) उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों का कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	(आंकड़े मिलियन टनों में)
1984-85	5.44
1985-86	6.04
1986-87	7.08 (अनंतिम)

(ख) उड़ीसा राज्य में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान खानों में कोयला उत्पादन में वृद्धि तथा मंजूर खानों से उत्पादन की शुरूआत करने के अलावा वहां कुछ नई परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं—जैसे समलेश्वरी ओपनकास्ट, अनन्त ओपन कास्ट, लक्ष्मनपुर ओपनकास्ट, नन्दिरा, लिन्दराज और कलिंग वेस्ट। फलस्वरूप 7वीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 तक कोयला उत्पादन बढ़कर 12.85 मिलियन टन हो जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा संरक्षण के लिए एक पृथक संगठन बनाया जाना

9060. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री बृज मोहन महन्ती
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड ने देश में ऊर्जा के संरक्षण हेतु एक कानून बनाये जाने और एक पृथक संगठन बनाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में किस सीमा तक उत्प्रेरक भूमिका निभाएंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने के पश्चात एक समुचित ऊर्जा संरक्षण कानून अपनाया जाना चाहिए। इस विषय पर कानून का प्रारूप बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अध्ययन कार्य भी आरम्भ किए गए हैं। देश में ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु बोर्ड ने अलग से एक संगठन की आवश्यकता पर बल भी दिया है।

(ग) ऊर्जा संरक्षण कानून बनाने की प्रक्रिया अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए अलग से एक संगठन से संबंधित सुझावों की जांच की जा रही है।

(घ) चूंकि दोनों ही सिफारिशों की अभी जांच की जानी है इसलिए इस समय इसके प्रभावों पर टिप्पणी देना संभव नहीं है।

विन्ध्याचल परियोजना

9061. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संबंधी भारत-सोवियत कार्यकारी दल ने, जिसकी बैठक 3 अप्रैल, 1987 को समाप्त हुई थी, विंध्याचल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की थी ताकि प्रत्येक 210 मेगावट के दो पहले यूनिट वर्ष 1987-88 के दौरान चालू किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो कहलगांव परियोजना संबंधी परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या होंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बिहार के भागलपुर जिले में 1059.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोवियत सहायता से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-एक स्थापित की जा रही है। विद्युत केंद्र में 210-210 मेगावाट की क्षमता की चार यूनिटें होंगी। सोवियत पक्ष द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य-प्रणाली की ड्राईंगें तैयार करने, उपस्कर की सप्लाई के लिए ठेकों और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

तूतीकोरिन, तमिलनाडु में ताप बिजली परियोजना

9062. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरुडी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में औद्योगिक एककों के एक समूह (कंसर्शियम) द्वारा तूतीकोरिन में 210 मेगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजना स्थापित करने हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की साझेदारी में एक व्यापारी-संघ के सहयोग से स्थापित एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी के माध्यम से तूतीकोरिन ताप-विद्युत केंद्र में विस्तार चरण-तीन (2×210 मेगावाट) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों से राज्य प्राधिकारियों को सितम्बर, 1986 में अवगत करा दिया गया था, जिसकी प्रतीक्षा है।

दूरसंचार नेटवर्क के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

9063. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एम० एस० गुरुडी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को व्यापक रूप से भागीदार बनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय दूरसंचार के लिए उपकरणों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) इस संबंध में दूरसंचार विभाग की सहायता करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कुल कितनी कम्पनियां आगे आई हैं;

(घ) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के योगदान के बिना इस समस्या का किस हद तक समाधान किया है; और

(ङ) क्या दूरसंचार विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) निजी क्षेत्र को दूरसंचार नेटवर्क में प्रयोग के लिए टेलीफोन उपकरण, पी०ए०वी०एक्स० टेलीप्रिंटर, की-फोन्स, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, टेलांटेक्स उपस्कर आदि जैसे टर्मिनल उपस्कर के विनिर्माण की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र दूरसंचार नेटवर्क के लिए अपेक्षित स्थानीय केबिल का विनिर्माण भी करता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4010 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय में से दूरसंचार सेवाओं के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) दूरसंचार विभाग के लिए टर्मिनल उपस्कर के विनिर्माण के लिए लगभग 92 प्राइवेट कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट पार्टियों को दूरसंचार नेटवर्क के लिए केबिल विनिर्माण के लिए लाइसेंस या आशय पत्र दिए गए हैं।

(घ) दूरसंचार विभाग की 90 प्रतिशत मांग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूरी की जाती है।

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में इलेक्ट्रानिक विभाग के तत्कालीन उप-मंत्री ने 23 मार्च, 1984 को संसद में एक वक्तव्य में स्पष्ट की थी।

पोलिएस्टर फिलामेंट धागे और पोलिएस्टर फाइबर की कीमतों में वृद्धि

9064. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर फिलामेंट धागे और पोलिएस्टर फाइबर एककों ने चालू वर्ष के चार महीनों में तीसरी बार कीमतों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कीमतों में की गई इस वृद्धि और एकाधिकार निर्माण एककों को भारी लाभ कमाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पोलिएस्टर फिलामेंटयार्न और पलिएस्टर स्टेपल फाइबर की कीमतों में समय-समय पर घट-बढ़ होती रहती हैं। हाल के महीनों में कीमतों में विशेष रूप से पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है। इन उत्पादों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

(ग) बी० आई० सी० पी० ने पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न और पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर की लागत मूल्य का अध्ययन आरम्भ किया है। बी० आई० सी० पी० के निष्कर्षों के आधार पर, यदि आवश्यक समझा गया तो उपयुक्त समय पर उचित उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों की स्मृति में स्मृति डाक टिकट जारी करना

9065. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों और अन्य विख्यात व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के लिए इस वर्ष कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से महान शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने की मांग की जाती रही है, जिसके लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) शहीद चन्द्र शेखर आजाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने

का एक प्रस्ताव विचाराधीन रहा है और फिलैटली सलाहकार समिति ने जो स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए विभाग में कार्य करती है, इस महान विभूति पर 'भारतीय स्वाधीनता संग्राम" शृंखला के अन्तर्गत स्मारक डाक-टिकट जारी करने की सिफारिश की है। तथापि टिकट जारी करने की तारीख के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है। इस मामले को फिलैटली सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

इस वर्ष (1987) के दौरान जिन स्वतन्त्रता सेनानियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मान में डाक-टिकट जारी की गई है/जारी करने का प्रस्ताव है, उनके नामों की सूची

क्रम सं०	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	डाक-टिकट जारी करने की तारीख
1.	हकीम अजमल खां	13.2.87
2.	लाला हरदयाल	18.3.87
3.	एम० एन० राय	21.3.87
4.	त्रिपुरानेनी रामास्वामी चौधरी	25.4.87
5.	श्री श्री मां आनन्दमयी	1.5.87
6.	छत्रसाल	
7.	गुरु घासी दास	
8.	हृदयनाथ कुंजरु	
9.	जे० कृष्णमूर्ति	
10.	के० एन० काटजू	
11.	मदन लाल ढींगरा	
12.	रवीन्द्रनाथ टैगोर	
13.	एस० सत्यमूर्ति	
14.	संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल	
15.	ठाकुर अनुकूल चन्द्र	

[अनुवाद]

बल्क औषधों के मूल्य

9066. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्क औषधों और उनके फार्म्यूलेशन के मूल्य काफी कम हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मूल्यों में किस सीमा तक कमी की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मूल्य नियंत्रित प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं, जो अधिकतम मूल्य सीमा के रूप में प्रयोग होते हैं। तथापि, अलग-अलग उत्पादों की मांग और उपलब्धता में परिवर्तनों के कारण बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता रहता है।

(ख) बताया जाता है कि गत छः माह के दौरान निम्नलिखित औषधों के मूल्यों में कमी आई है :—

1. एनलजिन
2. एम्पसिलीन
3. इथाम्बुटोल
4. इब्युप्रोफिन
5. एमोक्सीलिन

टैक्सी ड्राइवरों द्वारा एल० पी० जी० का प्रयोग

9067. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री प्राकृतिक गैस से चलाने के लिए आटोमोबाइल इंजनों में सुधार करने के बारे में 3 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली और अन्य स्थानों में टैक्सी ड्राइवरों ने पेट्रोल के स्थान पर सिलेंडरों से एल० पी० जी० प्रयोग करना आरम्भ किया था; और

(ख) क्या पेट्रोल के स्थान पर एल० पी० जी० के प्रयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया था और यदि हां, तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम की चलती-फिरती प्रयोगशालाएं

9068. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री पेट्रोलियम पदार्थों की जांच के लिए भारतीय तेल निगम में चलती-फिरती प्रयोगशालाओं के बारे में 24 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न सं० 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम और सरकारी क्षेत्र की अन्य पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा चलती-फिरती प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव पर पहले कब स्वीकृति दी थी;

(ख) स्वीकृति परियोजना के पूरे होने का निर्धारित समय क्या था और क्या इसका अनुपालन किया गया है;

(ग) अब तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया और आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार का और कितना व्यय किया जायेगा;

(घ) इन प्रयोगशालाओं के पूर्ण रूप से कब तक चालू होने की सम्भावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में देश में अब तक कितने नमूनों का परीक्षण किया गया और उनमें से कितने घटिया स्तर के पाये गए तथा कितने डीलरों को दंडित किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) केवल इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पास ही चलती-फिरती प्रयोगशालाएं हैं। प्रोटोटाइप चलती-फिरती प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव को आई० ओ० सी० के प्रबन्धकों द्वारा अप्रैल, 1984 में अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त आई० ओ० सी० के प्रबन्धकों द्वारा अन्य चार चलती-फिरती प्रयोगशालाओं के लिए फरवरी, 1986 में अनुमति दी गई।

(ख) प्रोटोटाइप प्रयोगशाला के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया है।

(ग) अभी तक इन पर कुल 27 लाख रुपये का खर्च (दोनों ही गैर-आवर्ती और आवर्ती) किया गया। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष प्रत्येक प्रयोगशाला पर 9 लाख रुपये का गैर-आवर्ती खर्च और 2 लाख रुपये का प्रतिवर्ष आवर्ती खर्च किया जाएगा।

(घ) पश्चिमी क्षेत्र में चलती-फिरती प्रयोगशाला ने मई, 1985 से काम करना आरम्भ कर दिया है। उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में चलती-फिरती प्रयोगशालाओं ने अप्रैल, 1987 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ये इस महीने से कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

(ङ) मई, 1985 से मार्च, 1987 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र की प्रयोगशाला ने कुल 2431 नमूनों का परीक्षण किया। इसमें से 23 नमूने घटिया किस्म के पाये गए। जिन डीलरों ने नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए उनके विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की गई। अन्य क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान किसी भी प्रयोगशाला ने कार्य नहीं किया।

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

9069. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ और इन दो वर्षों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य का इनके उत्पादन पर कितनी रायल्टी दी गई; और

(ख) खम्भात से आगे गंधार क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान ओ० एन० जी० सी० द्वारा गुजरात में उत्पादित कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1985-86	1986-87
क्रूड आयल (एम० एम० टी०)	4.319	4.561
नैचुरल गैस (एम० एम० एम० 3)	919	934

1985-86 तथा 1986-87 में ओ० एन० जी० सी० द्वारा गुजरात सरकार को दी गई रायल्टी इस प्रकार है :—

(रुपये/लाख)

वर्ष	क्रूड आयल कंडसेट	नैचुरल गैस	कुल
1985-86	8189.75	213.11	8402.86
1986-87 (अस्थायी)	8603.98	162.54	8766.52

(ख) खंभात क्षेत्र में अभी भी रेखांकन का कार्य चल रहा है।

गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवाओं में सुधार करना

9070. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवाओं में सुधार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में गुजरात के वाणिज्य मंडलों अथवा मिल और उद्योग संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा में सुधार करना न केवल गुजरात में बल्कि भारत के अन्य भागों में भी एक सतत कार्यकलाप है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में टेलीफोन व्यवस्था

9071. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में टेलीफोन व्यवस्था में कौन-कौन से सुधार लाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : तमिलनाडु सर्किल के अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं में सुधार की दृष्टि से प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तमिलनाडु सर्किल में टेलीफोन सेवाओं के सुधार के लिए की गई कार्रवाई

1. बेहतर ग्राहक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए फील्ड यूनिटों को निदेश दिए गए हैं कि

तमिलनाडु सर्किल में विभिन्न क्लास सैक्शन के साथ "नो दी सर्विस" के अन्तर्गत चर्चा करें तथा आमने-सामने बैठकर समस्याओं का निदान करें।

2. जनता के सम्पर्क में आने वाले स्टाफ के लिए समुचित पाठ्यक्रम तैयार किए गए प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करके इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण किया जा रहा है।

3. दोषयुक्त टेलीफोनों का पता करने की दृष्टि से एक योजना तैयार की गई है ताकि सेवाओं का शीघ्र पुनर्गमन और सुधार किया जा सके।

4. टेलीफोन नेटवर्क के सभी वितरण प्वाइंटों की सफाई ठीक-ठाक करने और ताला लगाए जाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है।

5. एस० टी० डी० नेटवर्क में व्यवधान नित्य मानीटर करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है ताकि शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करके सेवा बहाल की जा सके।

6. "बेहर संचार" अभियान (मिशन) के अन्तर्गत टेलीफोन सेवाओं में सम्पर्क सुधार के लिए एक विस्तृत योजना भी तैयार की गई है।

तमिलनाडु दक्षिणी अर्काट जिले में डाकघरों का बन्द किया जाना

9072. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में डाकघरों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) एक सामान्य पद्धति के बतौर डाकघरों के कार्यभार और वित्तीय स्थिति की आवधिक समीक्षा की जाती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिन डाकघरों का कार्यभार पर्याप्त नहीं पाया जाता अथवा जिनके घाटे पर चलने का पता चलता है उन्हें कायम नहीं रखा जाता जब तक कि सम्बन्धित सर्किल अध्यक्ष यह निर्णय न ले लें कि विशेष कारणों से किसी डाकघर को कायम रखना आवश्यक है। दक्षिण अर्काट के मामले में यह स्थिति बेहतर है परन्तु इस जिले के किसी डाकघर को फिलहाल बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में उद्योगों की स्थापना

9073. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 से 1985-86 के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को उद्योगों की स्थापना के लिये कितने आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये और इनके द्वारा कौन सी वस्तुएं बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन यूनिटों ने इन्हें जारी किये गये आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केन्द्र सरकार के एक उपक्रम मैं० नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को तमिलनाडु राज्य में दक्षिण अर्काट जिले की विर्वाचलम तहसील में स्थित अपने विद्यमान लिग्नाइट माइनिंग यूनिट में पर्याप्त विस्तार करने के लिए 6.5.86 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। इस आशय-पत्र को 25.11.85 को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जा चुका है।

तमिलनाडु में आदर्श डाकघर

9074. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोई आदर्श डाकघर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तमिलनाडु के लिए और अधिक आदर्श डाकघर मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि सभी डाकघरों में आवश्यक स्तर तक दक्षता हो। किसी भी विशेष डाकघर को माडल डाकघर नहीं माना गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी भी डाकघर को अलग से माडल डाकघर के बतौर स्वीकृत नहीं किया गया है। सर्किल अध्यक्ष विशेष कारणों के लिए मौजूदा डाकघर का एक माडल डाकघर के रूप में पुनर्गठन कर सकते हैं। जहां तक तमिलनाडु सर्किल का सम्बन्ध है स्थिति उपर्युक्त (क) के अनुसार है।

"इंग्लिश लेदर" नाम के विदेशी ब्रांड के अन्तर्गत प्रसाधन और शृंगार सामग्री की बिक्री

9075. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री आनन्द पाठक } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अडवाणी आंइर लिकान, बंलौर ने "इंग्लिश लैंदर" नाम के विदेशी ब्रांड के अन्तर्गत प्रसाधन और शृंगार सामग्री की बिक्री शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म ने देश में बिक्री के लिए विदेशी ट्रेड नाम का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त की है; और

(ग) यदि नहीं, तो फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यदि आन्तरिक बिक्री पर विदेशी व्यापार चिन्ह उपयोग करने हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कीमत चुकाना निहित हो तब उक्त प्रकार के उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक है। पार्टी ने बताया है कि व्यापार चिन्ह "इंग्लिश लैंदर" उपयोग करने के इस मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप

से कीमत चुकाना निहित नहीं है इस लिए इस पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (ग) के उपलबन्ध लागू नहीं होते।

व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम के अधीन पंजीकरण कराए बिना व्यापार चिन्ह उपयोग में लाए जा सकते हैं। इस मामले में, व्यापार चिन्ह "इंग्लिश लैदर" के पंजीकृत उपयोक्त के रूप में पंजीकरण हेतु पार्टियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

तेल चयन बोर्ड

9076. **श्री अरविंद तुलसीराम कांबले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तेल चयन बोर्ड (आयल सेलेक्शन बोर्ड) का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त होगा और नया बोर्ड कब गठित किया जायगा;

(ख) क्या नये बोर्ड का गठन पुराने रूप के आधार पर किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो नई पद्धति क्या होगी; और

(घ) तेल चयन बोर्ड (आइल सेलेक्शन बोर्ड) द्वारा निर्णय दिये जाने के लिये कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) चार तेल चयन बोर्डों का कार्यकाल जून, 1986 में समाप्त हो गया। तेल चयन बोर्ड (दक्षिण) का पुनर्गठन मार्च 1987 में कर दिया गया है, अन्य तीन बोर्डों का भी पुनर्गठन शीघ्र ही किए जाने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 31.3.1987 को इन तेल चयन बोर्डों के पास एल० पी० जी० की वितरणशिपों खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) तथा एस० के० ओ० एल० डी० ओ की डीलरशिपों के कुल 1015 मामले बकाया थे।

बम्बई महानगर टेलीफोन निगम की टेलीफोन सलाहकार समिति

9077. **श्री अरविंद तुलसी काम्बले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम की टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 1986 में समाप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो नई सलाहकार समिति कब गठित की जायेगी;

(ग) नई समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी; और

(घ) इस समिति में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी होगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव : (क) बम्बई के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति की अवधि अक्तूबर, 1986 में समाप्त हो गई है।

(ख) बम्बई के लिए नई टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन पहले ही 26-2-1987 को कर दिया गया है।

(ग) केवल 40 सदस्य।

(घ) 40 सदस्यों में से कोई भी दूरसंचार विभाग में से नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना

9078. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जनवरी, 1987 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निर्वाचनों में जाली वोट डालने को रोकने के लिए तेलानी में सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ऐसे पहचान-पत्र जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश के किन-किन क्षेत्रों में ऐसी पद्धति अपनाई गई है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । प्रेस रिपोर्ट संभवतः आन्ध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित है, जिसकी बाबत निर्वाचन अयोग को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग) सिक्किम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पहचान पत्र के प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर, निर्वाचन आयोग किसी ऐसी प्रणाली के पक्ष में है जिसमें पहचान पत्र का प्रयोग न केवल निर्वाचन के प्रयोजन के लिए किया जाएगा अपितु अन्य बहुउद्देशीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग, कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर कुछ प्रयोग कर रहा है और इस बाबत वह अपने विचारों से सरकार को सम्यक् अनुक्रम में अवगत कराएगा।

(घ) अभी फोटो-पहचानपत्र की योजना सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ही प्रारम्भ की गई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में अनियमितताओं/कदाचार के मामले

9079. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में अनियमितताओं और कदाचार के अनेक मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें विभागीय जांच की जा रही है; और

(घ) कितने मामलों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उनके निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपने 17 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई है। कथित अनियमितताओं में उनका हाथ किस सीमा तक है, इस सम्बन्ध में स्थिति का पता जांच के पूरा होने के बाद ही चल सकेगा।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दालों की खरीदारी तथा भारतीय खाद्य निगम को उनकी सप्लाई में की गई अनियमितताओं के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और इस पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में उन मामलों तथा कदाचारों के बारे में सूची, जिन्हें जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है :—

क्र० सं०	मामले का विवरण
*1.	दालों की खरीदारी तथा भारतीय खाद्य निगम को उनकी सप्लाई के बारे में अनियमितताएं।
2.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा प्रेषित कट्रोल के कपड़े की 633 गांठें जो मार्ग में खो गई।
3.	खिलचीपुर (मध्य प्रदेश) में एक सोसाइटी का प्रेषित कट्रोल के कपड़े की अनिर्दिष्ट मात्रा जिसे पुनः पण्योपयोगी बनाने के लिए फरूखाबाद (उ० प्र०) को भेज दिया गया।
4.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, के मुख्य विपणन सलाहकार के विरुद्ध गंभीर आरोप, जिनमें कट्रोल के कपड़े, जनता कपड़े का दुरुपयोग आदि शामिल हैं।
5.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की कलकत्ता शाखा द्वारा आदर्श बाजार सहकारी समिति, पटना को गैर-कट्रोल का कपड़ा सप्लाई करने में अनियमितताएं।
6.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के 3 क्षेत्रीय प्रबंधकों के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप।
7.	सिक्किम को भेजी जाने वाली कट्रोल के कपड़े की 1576 गांठों का गबन।
8.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के एक उप-प्रबंधक तथा दो सहायक प्रबंधकों द्वारा 35000 खाली बोरों के निपटान में गंभीर अनियमितताएं बरतना।
9.	3000 मी० टन छुहारों के आयात तथा निपटान में कथित अनियमितताएं।

*केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण एकीकृत डिजिटल नेटवर्क

9080 **श्री वी० तुलसी राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिलों को ग्रामीण एकीकृत डिजिटल नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जायेगा; और

(ख) उन शेष जिलों के नाम क्या हैं, जिनमें इस सुविधा की व्यवस्था करने का कार्य सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) आन्ध्र प्रदेश में 1987-88 के दौरान ग्रामीण संघटित डिजिटल नेटवर्क लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) खमाम, आन्ध्र प्रदेश का सेकेण्डरी क्षेत्र है जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण संघटित डिजिटल नेटवर्क के अन्तर्गत लागू करने की योजना बनाली गई है। इसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाए।

(1) प्रथम चरण में छोटी क्षमता वाले डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संस्थापना; और

(2) दूसरे चरण में रेडियो उपस्कर की संस्थापना।

वैसे अरमूर, कोठागुदम, रामचन्द्रपुरम में छोटी क्षमता वाले डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाते हैं।

आदिवासी लोगों को गेहूं और चावल की रियायती दरों पर सप्लाई संबंधी योजना के बारे में शिकायतें

9081. **श्री हरिहर सोरन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आदिवासी लोगों को रियायती दरों पर गेहूं और चावल की सप्लाई सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के बारे में कुछ राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) ये शिकायतें मुख्यतः विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का अनधिकृत माध्यमों के लिए विशाखन करने के बारे में हैं। राज्य सरकारों को इस मामले में लिखा गया है और उनसे कदाचारों को समाप्त करने के लिए कड़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

औषधों का आयात

9082. **श्री राजकुमार राय**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों के आयात में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान औषधों के आयात और इस पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) आयात में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औषधों एवं भेषजों का कुल आयात इस प्रकार था :—

		(सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ रुपये में)
1983-84	—	163.34
1984-85	—	215.62
1985-86	—	267.40

(ग) विभिन्न औषधों और मध्यवर्तियों के आयात को आयात-निर्यात नीति के उपबंधों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। आयात की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जिनमें स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है और लागत सार्थक स्वदेशी उत्पादन स्थित नहीं हो पाया है या जहां एकमात्र उत्पादक है और यह मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। उचित परिवर्तनों को शामिल करने के लिए आयात नीति समय-समय पर संशोधित की जाती है। यद्यपि देश में ही अधिक से अधिक मात्रा में प्रपुंज औषधों और मध्यवर्तियों का उत्पादन करने की आवश्यकता स्पष्ट है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि कोई भी देश सभी औषधों और मध्यवर्तियों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आयात करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत क्लर्कों की सेवाओं को स्थाई करना

9083. **श्री राजकुमार राय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में ऐसे कितने क्लर्कों को बिना किसी कारण के सेवा से निकाल दिया गया है, जो फरवरी, 1986 से फरवरी, 1987 तक निरन्तर कार्य करते रहे थे; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने निरन्तर सेवा कुछ महीने पूरे कर लिए हैं के स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियमित संस्थान में 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1987 तक निरन्तर काम करने वाले किसी भी लिपिक को नौकरी से निकाला नहीं गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रसायन और पेट्रो रसायन कारखानों की कार्य-योजना

9084. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अन्तर्गत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के कारखानों से अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य और समयावधि निश्चित करते हुए कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों ने इस दिशा में कौन से कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रस्तावित कार्य-योजना में निर्धारित संपूर्ण कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्त के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने की आशा की जाती है।

पश्चिम बंगाल में "ऊर्जा ग्राम"

9085. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक कितने गांवों को "ऊर्जा ग्रामों" के रूप में नियत किया गया;

(ख) वहां ऊर्जा के कौन-कौन से गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में और अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और कौन-कौन से जिलों में यह किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) अब तक पश्चिम बंगाल के 7 गांवों में ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

(ख) सौर प्रकाश वोल्टीय पर आधारित सड़क रोशनी, पम्प एवं सामुदायिक टेलीविजन, और जल पम्पन पवन चक्कियां जैसी विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों का एक संयोजन इन ग्रामों में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य के कई ग्रामों में ऊर्जा सर्वेक्षण प्रारम्भ किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं बनाने पर विचार किया जाता है। प्रारम्भ में राज्य के प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक ऐसी परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा को दिल्ली से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ना

9086. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा नगर का दिल्ली से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने

की सुविधा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अल्मोड़ा पहले से ही बरेली ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के जरिए दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा 21-3-86 से जुड़ा हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भिक्यासैंण (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) में डाकघर भवन का निर्माण

9087. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिक्यासैंण (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) में इस वर्ष डाकघर भवन का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए विभागीय भवन के निर्माण में लगने वाला समय बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में छोटे टेलीफोन केन्द्र खोलना

9088. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में वर्ष 1987-88 के दौरान कुछ नए छोटे टेलीफोन केंद्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये केंद्र किन स्थानों पर और कब तक खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी हां। अल्मोड़ा जिले में 1987-88 के दौरान जैन्ती और जालानी में दो नए एक्सचेंज खोलने की योजना है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में शाखा डाकघर खोलना

9089. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1987 88 के दौरान कुछ नए शाखा डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिथौरागढ़ जिले के बंगा स्याली नामक ग्राम में शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। जहां तक अल्मोड़ा जिले का सम्बन्ध है, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो डाकघर खोलने के मानंदण्ड पूरे करता हो।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अधिकारियों की पदोन्नति

9090. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालय में महा-प्रबन्धकों के पद के लिए सफल अधिकारियों की सूची में से वर्ष 1987 में लगभग 20 अधिकारियों की उक्त पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जो साक्षात्कारों में सफल होने और अपने सम्बन्धित कार्य क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने के फलस्वरूप इस पदोन्नति के हकदार थे, उक्त आदेशों में पदोन्नति नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सभी प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल पदोन्नति कर उनके मन में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति केवल वरिष्ठता अथवा विशेष कार्य क्षेत्र में अच्छे निष्पादन के लिए दिए गए कुछ पुरस्कारों के आधार पर ही नहीं, बल्कि गुणअवगुणों और समग्र कार्य-निष्पादन के आधार पर की जाती है।

(ग) महा प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के प्रति 65 उप-महा-प्रबंधकों के मामलों पर विचार किया गया था। इनमें से 20 को महा-प्रबंधक के रूप में नियुक्ति करने के लिए चयन करने से पूर्व आयोग के सभी सदस्यों के साथ चयन समिति ने अर्हता, अनुभव और समग्र कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रत्येक को सफलता के क्रम में अंक देकर अपना निर्णय दिया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीधी ट्रंक डायल सेवा आरम्भ करना

9091. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में क्रियान्वयन हेतु (एक) जिला मुख्यालयों और राज्यों की राजधानियों (दो) जिला मुख्यालयों और संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों (तीन) ब्लाक, तहसील और सब-डिवीजन मुख्यालयों की जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों से सीधी ट्रंक डायल सेवा से जोड़ने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिये कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और प्रत्येक वर्ष का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सीधी ट्रंक डायल सेवा शुरू करने और सभी स्थानों के मध्य सम्पर्क कायम करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक और अन्य आधार पर किस प्रकार प्राथमिकता निश्चित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) (i) जिला मुख्यालयों तथा सम्बन्धित राज्य की राजधानियों के बीच एस० टी० डी० शुरू करने का कार्य प्राथमिकता की योजना के अन्तर्गत आता है। यह सुविधा समुचित किस्म के आटोमेटिक एक्सचेंज का संस्थापन मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर सहित विश्वसनीय संचारण माध्यम का संस्थापन, नए ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों का संस्थापन, मौजूदा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजो का विस्तार करके तथा स्थानीय एक्सचेंजों में संयोजन उपस्करों की संस्थापना के जरिए प्रदान की जाएगी। जिला मुख्यालयों तथा सम्बन्धित राज्य की राजधानियों के बीच एस० टी० डी० शुरू करने सम्बन्धी योजना का प्रत्येक वर्ष ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ii) जिला मुख्यालयों तथा देश की राजधानी दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सेवा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज नेटवर्क के माध्यम से उत्तरोत्तर शुरू की जा रही है।

(iii) ब्लाक, तहसील तथा उप-मंडल मुख्यालयों को उनके जिला मुख्यालय तथा राज्य की राजधानी के बीच एस० टी० डी० शुरू करने का कार्य प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) सीमित मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए एस० टी० डी० का व्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है:—

(1) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ना।

(2) जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्य की राजधानी के साथ जोड़ना।

(3) दिल्ली से लगे हुए 300 कि० मी० एवं बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से 200 कि० मि० की दूरी के बीच स्थित स्थानों को उनसे संबद्ध महानगरों के साथ जोड़ना।

(4) 1000 लाइनों तथा अधिक क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज वाले स्थान।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे स्थानों पर यदि उपर्युक्त पाया गया तो एस० टी० डी० के लिए विचार किया जाता है जहां समुचित किस्म के आटोएक्सचेंज हैं तथा जिन्हें आसानी से मौजूदा स्थाई संचारण माध्यम के साथ जोड़ा जा सकता है।

जनहित समुदाय वाले स्टेशनों के बीच इंटर डायलिंग सुविधा यदि व्यवहार्य पाई गई, तो परियात के औचित्य के आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण

सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में सम्बन्धित राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच एस० टी० डी० प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिला मुख्यालयो की कुल संख्या	7वीं योजना में (1.4.85 को) के प्रारंभ में संबंधित राज्य की राजधानियों से जोड़े गए जिला मुख्यालयों की संख्या	संबंधित राज्य की राजधानियों के साथ जोड़े गए जिला मुख्यालयों की संख्या दौरान—		सातवीं योजना की शेष अवधि के लिए कार्यक्रम		
				85/86	86-87	87-88	88/89	89/90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	23	20	01	02	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	00	00	00	00	03	07
3.	असम	18	01	02	01	02	02	10
4.	बिहार	39	11	02	02	02	08	14
5.	गुजरात	19	10	00	02	00	01	06
6.	हरियाणा	12	06	03	00	00	00	03
7.	हिमाचल प्रदेश	12	02	00	01	04	00	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	जम्मू एवं कश्मीर	14	05	00	00	00	01	08
9.	कर्नाटक	20	13	02	02	00	00	03
10.	केरल	14	11	01	00	01	00	01
11.	मध्य प्रदेश	45	11	01	03	07	09	14
12.	महाराष्ट्र	30	15	01	02	02	04	06
13.	मणिपुर	08	00	01	00	00	00	07
14.	मेघालय	05	01	02	00	00	01	01
15.	मिजोरम	03	01	00	00	01	00	01
16.	नागालैंड	07	01	00	00	00	00	06
17.	उड़ीसा	13	01	02	00	05	00	05
18.	पंजाब	12	07	00	00	03	01	01
19.	राजस्थान	27	06	00	02	04	01	14
20.	सिक्किम	04	01	00	00	00	00	03
21.	तमिलनाडु	19	14	00	03	01	00	01
22.	त्रिपुरा	03	00	01	00	01	01	00
23.	उत्तर प्रदेश	57	19	02	10	02	06	18
24.	पश्चिम बंगाल	17	11	00	02	00	00	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केन्द्र शासित प्रदेश								
1.	अंडमान निकोबार	02	00	00	01	00	00	01
2.	चंडीगढ़	01	01	—	—	—	—	—
3.	दिल्ली	01	01	—	—	—	—	—
4.	दादर और नगर हवेली	01	00	00	00	00	01	—
5.	गोवा	01	01	—	—	—	—	—
6.	लक्षदीप	01	00	00	00	01	—	—
7.	पांडिचेरी	02	01	00	00	00	00	01

टिप्पणी :—स्विचिंग और संचारण उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण कुछ जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम आठवीं योजना में भी जा सकते हैं।

टेलीफोन के खराब रहने की अवधि के किराए की वापसी की योजना

9092. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन खराब रहने की अवधि के किराए की वापसी की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा यह योजना किस तारीख से किन-किन स्थानों पर आरम्भ की गई है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा कितने टेलीफोन प्रयोक्ताओं को कितनी राशि वापस की गई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी अवधि के लिए कितनी राशि वापस की गई है; और

(घ) क्या इस योजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) योजना के अनुसार टेलीफोनलाइन के प्रभार में छूट उस स्थिति में दी जा सकती है यदि टेलीफोन लाइन 30 दिन अथवा इससे अधिक समय तक खराब रहा हो। किसी टेलीफोन के बिल में निःशुल्क कालों को उस अवधि के लिए दी गई छूट के आनुपातिक कम कर दिया जाता है।

उपर्युक्त योजना 31.10.85 से शुरू की गई थी। 1.3.87 से छूट के लिए मंजूरी की निर्धारित न्यूनतम अवधि कम करके 15 दिन कर दी गई है।

उपर्युक्त योजना पूरे देश में लागू है।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में डाक मंडलों की स्थापना

9093. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल डाक सर्कल में कितने डाक मंडल हैं;

(ख) क्या केरल राज्य के प्रत्येक जिले में एक डाक मंडल है;

(ग) केरल के किस जिले में डाक मंडल नहीं हैं; और

(घ) क्या सभी जिलों में डाक मंडल स्थापित करने के उद्देश्य से केरल में और अधिक डाक मंडल स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) 23

(ख) 14 जिलों में से 13 में एक या अधिक डाक डिवीजन हैं।

(ग) वायनाड जिले में, जिको अंशतः कालीकट डाक डिवीजन तथा अंशत. तेल्लीचेरी डाक डिवीजन द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।

(घ) जी नहीं, क्योंकि वायनाड जिले के लिए अलग से डाक डिवीजन का सृजन वहां के कार्यभार की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

गोवा में उपभोक्ता सैल की स्थापना

9094. **श्री शांता राम नायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव की सरकार ने कोई उपभोक्ता सैल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सैल का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर की दुकानों की संख्या कितनी है;

(घ) इन उचित दर की दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उचित दर की नई दुकानें खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति में हाल ही में परिवर्तन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो नई नीति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गोवा, दमण और दीव सरकार ने सूचितकिया है कि 31.3.1987 को संघ राज्य क्षेत्र में 526 उचित दर की दुकानें थीं।

(घ) गोवा,दमण और दीव सरकार ने सूचित किया है कि उचित दर दुकानों के माध्यम से वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, पामोलीन और कंट्रोल का कपड़ा, वितरित की जा रही हैं।

(ङ) जी हां।

(च) गोवा, दमण और दीव सरकार ने सूचित किया है कि नई उचित दर की दुकानें खोलने के लिए सहकारी समितियों के अतिरिक्त अब अन्यों के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में माण्ड कछार क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में कोयले की खोज

9095. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के माण्ड कछार के आसपास के क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता का पता लगाने का कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) :(क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र में समन्वेषण कार्य कर रहा है। अभी तक कोयले के लिए समन्वेषण कार्य धर्मजयगढ़-

खारगांव-मिथारा, कुरमकेला-आमगांव और चाल क्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है तथा गारे-पेलमा क्षेत्र में चल रहा है।

माण्ड-रायगढ़, कोयला क्षेत्र की कोयला सीमें आमतौर पर घटिया किस्म की हैं। धर्मजयगढ़ -खारगांव, सिथारा, कुरुमचेला, आमगांव और चाल क्षेत्रों में कुल 2224.38 मिलियन टन के कोयला भंडार का अनुमान लगाया गया है जिसमें 124.27 मिलियन टन प्रमाणित वर्ग का तथा 2100.11 मिलियन टन इंगित वर्ग का है। गारे-पेलमा और फतेहपुर-तराईमार क्षेत्रों में मानचित्रण के आधार पर 4044 मिलियन टन के अतिरिक्त भंडार निष्कर्षित किए गए हैं।

[अनुवाद]

रोलर फ्लोर मिलों को लाइसेंस देना

9096. **श्री मती डी० के० भंडारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में रोलर फ्लोर मिलों के लाइसेंस सम्बन्ध विद्यमान नियमों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विद्यमान मानदंडों में ढील देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह संशोधित मानदंड प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी रोलर फ्लोर मिलों पर लागू होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो दी गई इस ढील के अन्तर्गत किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किये जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद):(क)से (घ) देश में इस समय गेहूं की सुगम उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, गेहूं रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर उद्योग(विकास और विनियमन)अधिनियम, 1951 के उपबंधों से जुलाई, 1986 में छूट दे दी गई थी :—

(1) उपक्रम निम्नलिखित स्थानों पर स्थित नहीं होना चाहिए :—

(क) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र सीमा के अन्दर, जैसा कि भारत की जनगणना 1981 में निर्धारित की गई थी; अथवा

(ख) पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहर की नगरपालिका सीमा के अन्दर, जैसाकि उपर्युक्त जनगणना में निर्धारित की गई थी।

(2) औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। उन स्थानों को छोड़कर, जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन आते हैं, देश में किसी जगह रोलर फ्लोर मिलों को अब क्षमता पर किसी प्रतिबंध के बिना लगाया जा सकता है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए धनराशि का नियजन

9097. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए चालू वर्ष के बजट प्रावधान में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान वास्तव में कितना व्यय हुआ ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में केन्द्रीय बजट में वर्ष 1986-87 में पूरक अनुदानों सहित 125.00 करोड़ रुपये की परिव्यय की तुलना में वर्ष 1987-88 में 100·00 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है। इस वर्ष का यह नियतन समग्र बजट सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया, बताया गया।

(घ) 1986-87 के दौरान वास्तविक योजना व्यय 124.5 करोड़ रुपये था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिजली परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

9098. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिजली परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना के लिए कुल कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम ने विश्व बैंक से सहायता के लिए अनुरोध किया है अथवा अनुरोध करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दादरी के निकट 1063.57 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय राजधानी ताप-विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (840 मेगावाट) की स्थापना की जा रही है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और अस्थायी निर्माण-कार्यों तथा आधारमूलक सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य भी आरम्भ किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परियोजना के सम्बन्ध में आंशिक वित्त पोषण के लिए परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बातचीत शुरू किए जाने की आशा है।

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

9099. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच इस समय चल रहे सहयोग करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम नामतः इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और हिन्दुस्तान

टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड विनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों में लगे हुए हैं। दूरसंचार उपस्करों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए इन दोनों उपक्रमों ने कई विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करार किए हैं। कुछ प्रमुख सहयोग करार नीचे दिए गए हैं :—

1. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने निम्नलिखित फर्मों के साथ सहयोग किया है :—

एक) "इण्डियन क्रासबार प्रोजेक्ट" डिजाइन के क्रासबार स्विचिंग उपस्करों के विनिर्माण के लिए बेल्जियम की मैसर्स बैल (बी०ई०एल०एल०) टेलीफोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के साथ। इस समय यह उपस्कर रायबरेली यूनिट में निर्माणाधीन है।

दो) स्थानीय प्रकार के डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर और डिजिटल ट्रंक स्वचल स्विचिंग उपस्कर की क्रमशः आई० टी० आई० के मनकापुर और पालघाट यूनिटों में स्वदेशी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्काटेल के साथ।

तीन) बंगलौर और नैनी यूनिटों में आधुनिक डिजाइन के टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए इटली की फेस स्टैन्डर्ड के साथ।

2. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की स्वदेशी विनिमाण क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रांस के मैसर्स साजेम के साथ सहयोग करार किया है।

इसकें अतिरिक्त दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित फर्मों के साथ सहयोग करार किया है—

एक) कलकत्ता में दूरसंचार फैक्ट्री में केबल टर्मिनेटिंग बाक्स के विनिर्माण के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रोन (के० आर० ओ० एन० ई०) के साथ।

दो) अनुसंधान और विकास सहायता के लिए और इलेक्ट्रानिक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों की आपूर्ति के लिए और संबधित सेवाओं के निष्पादन के लिए फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्काटेल के साथ।

तीन) इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्करों के प्रचालन और अनुरक्षण आदि में तकनीकी सहयोग और विविध उपस्करों की आपूर्ति के लिए मैसर्स सोफरेकॉम (फ्रांस की पी० टी०टी० की एक सहयोगी कम्पनी) के साथ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विविध प्रकार के दूरसंचार उपस्करों के निर्माण के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्होंने विदेशी कम्पनियों के साथ कतिपय सहयोग करार किया है, को अनुज्ञप्तियां प्रदान की हैं/आशय पत्र जारी किए हैं।

(ख) दूरसंचार तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न स्कीमें चालू की गई हैं जिनमें डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की प्रतिष्ठापना, आप्टीकल फाइबर, सूक्ष्म तरंग और समाक्ष डिजिटल प्रणाली का प्रयोग, भूमिगत केबलों के लिए डर्विटग प्रणाली, स्थानीय जंक्शनों के लिए सूक्ष्म तरंग प्रणाली का प्रयोग और डायरेक्टरी इन्क्वायरी सेवा का कम्प्यूटरीकरण आदि शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल में इलेक्ट्रानिक क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

9100. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचारमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज या क्रासबार

एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां । आंध्र प्रदेश में वारंगल-हनुमकोण्डा में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज तथा करीमनगर में एक क्रासबार एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है ।

(ख) दोनों ही एक्सचेंज आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में चालू किए जाने की योजना है ।

गोबर गैस संयंत्रों और पवन चक्कियों की स्थापना

9101. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान किन-किन राज्यों ने गोबर गैस संयंत्रों और पवन चक्कियों की बड़ी संख्या में स्थापना की है;

(ख) उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने गोबर गस संयंत्र स्थापित किए गए;

(ग) सरकार ने पवन चक्कियों और गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास क्या किए हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने 1984-85 तथा 1985-86 दोनों ही के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ गए । इसके अतिरिक्त बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम व पश्चिम बंगाल तथा संघ क्षेत्र अंडमान व निकोबार, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा गोआ, दमन और द्वीव ने 1985-86 के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के अपने लक्ष्यों को या तो पूरा कर लिया या लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त की ।

1984-85 तथा 1985-86 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्यों ने पवन चक्कियों की स्थापना में काफी अच्छा निष्पादन किया है ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित संयंत्रों सहित विभिन्न राज्यों में 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान स्थापित बायोगैस संयंत्रों (गोबर गैस संयंत्रों) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) परिवार आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान, वायोगैस संयंत्रों के निर्माण तथा रखरखाव में गांव के मिस्त्रियों तथा तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन करना, प्रयोक्ता प्रशिक्षण कोर्स, दो वर्ष की निःशुल्क रखरखाव वारंट अवधि के साथ टर्न-की जांब फी, प्रोत्साहकों को नकद प्रोत्साहन, मरम्मत तथा रखरखाव योजना, क्षेत्रीय बायोगैस प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्रों की स्थापना इत्यादि । निजी लाभार्थियों सहित प्रयोक्ताओं को पवन चक्कियां उपलब्ध कराई गई हैं बशर्ते है कि वे भण्डार टंकों तथा अन्य सिविल कार्यों की लागत को पूरा करें ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित वित्तीय परिव्यय के अंतर्गत 5.5 लाख परिवार आकार के संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 5000 पवन चक्कियों का लक्ष्य भी रखा गया है।

विवरण

1984-85 तथा 1985-86 की अवधि में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना की उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की संख्या		
		1984-85	1985-86	योग
1.	आंध्र प्रदेश	18525	19120	37645
2.	असम	681	457	1138
3.	बिहार	5634	9744	15378
4.	गुजरात	9451	13563	23014
5.	हरियाणा	2986	2266	5252
6.	हिमाचल प्रदेश	2510	2650	5160
7.	जम्मू और कश्मीर	44	155	199
8.	कर्नाटक	9113	8361	17474
9.	केरल	4236	3937	8173
10.	मध्य प्रदेश	4405	5668	10073
11.	महाराष्ट्र	52546	60344	112890
12.	उड़ीसा	2914	5429	8343
13.	पंजाब	1943	1807	3750
14.	राजस्थान	8078	5398	13476
15.	सिक्किम	—	4	4
16.	तमिलनाडु	18340	19514	37854
17.	उत्तर प्रदेश	27698	28096	55794
18.	पश्चिम बंगाल	3007	3268	6275
19.	दिल्ली	135	80	215
20.	गोआ, दमन तथा द्वीव	189	156	345
21.	मिजोरम	1	115	116
22.	पांडिचेरी	95	65	160
23.	अन्य	70	29	99
	कुल योग	172601	190222	362823

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नए माडल की कारों का निर्माण

9102. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड का कुछ नए माडल की कारें बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इन नए माडलों की कारों का निर्माण कब तक किये जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 72.14 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से, अपने विद्यमान माडलों के अलावा, 1000 सी० सी० इंजन की तीन खाने वाली कार का निर्माण करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा निवेश

9103. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आगामी तीन वर्षों में दिल्ली और बम्बई में दूरसंचार पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(ख) निवेश के लिए वित्तीय प्रबन्ध कैसे करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क)	(करोड़ रुपये में)
1987-88	260
1988-89	330
1989-90	354

(ख) इसके लिए निवेश की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों एवं यदि आवश्यक हुआ टेलीफोन बांड जारी करके पूरी की जाएगी।

बिहार में स्थापित किये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

9104. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र में कितनी नयी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं या की जा रही हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार या उसकी किसी एजेन्सी की प्रस्तावित या प्रस्तुत कोई औद्योगिक परियोजना 30 सितम्बर, 86 को केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करना

9105. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का न्यूनतम सेवा और समय-सीमा दोनों के रूप में विस्तार करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ब्लाक को टेलीफोन और तार सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 86 को प्रत्येक राज्य में कितने ब्लाकों में टेलीफोन नहीं थे, कितनों में तार सुविधाएं नहीं थी और कितनों में दोनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं; और

(घ) 1987 के अन्त तक इस प्रकार के कितने ब्लाकों में टेलीफोन और तार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान 1200 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का लक्ष्य है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

दूरसंचार सुविधा से सम्बन्धित ब्लाक मुख्यालयों का स्तर

क्रम सं०	सर्किल/स्टेट का नाम	दिसम्बर, 86 बिना दूर-संचार सुविधा वाले	दिसम्बर, 86 तक बिना तार सुविधा वाले	दिसम्बर, 86 टेलीफोन और तार सुविधा के बिना ।	दिसम्बर 1987 तक टेलीफोन तार सुविधा शामिल होने वाले ।
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—
2.	बिहार	—	—	—	—
3.	गुजरात	—	—	—	—
4.	जम्मू और काश्मीर	21	21	21	10
5.	कर्नाटक	—	—	—	—
6.	केरल	—	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	—	1	—	—
8.	महाराष्ट्र	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
9.	पंजाब	—	—	—	—
10.	हरियाणा	—	—	—	—
11.	हिमाचल प्रदेश	11	—	—	2
12.	उड़ीसा	5	5	5	—
13.	राजस्थान	—	—	—	—
14.	तमिलनाडु	—	—	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	5	5	5	—
16.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	—	—	—	—
					टेलीफोन/तार
17.	अरुणाचल प्रदेश	28	36	82	—/20
18.	मणिपुर	9	16	9	1/10
19.	मेघालय	1	12	1	1/8
20.	मिजोरम	14	15	14	—/10
21.	नागालैंड	1	1	1	—/1
22.	त्रिपुरा	4	6	4	1/4
23.	असम	12	17	12	8/7

न्यायाधीशों की नियुक्ति में लगने वाला समय

9106. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए नामों की अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा और जांच की गई है;

(ख) सरकार द्वारा सम्यकत: सिफारिश किए गए प्रस्ताव की प्राप्ति तथा उसे अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के बीच औसत रूप से कितना समय लगता है; और

(ग) इस अन्तराल को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) किसी व्यक्ति की आरम्भिक नियुक्ति करने से पूर्व, सरकार उस व्यक्ति की उपयुक्तता का सभी पहलुओं से निर्धारण करने की दृष्टि से उसके चरित्र, ख्याति, पूर्ववृत्त, आदि का सत्यापन करने के लिए जानकारी प्राप्त करती है।

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले में स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। इस बारे में औसत समय निकालना कठिन होता है क्योंकि किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के किसी प्रक्रम पर संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना पड़ सकता है।

सरकार, न्यायाधीशों के रिक्त पदों का यथासंभव शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।

मुख्य न्यायमूर्तियों का उनके मूल-राज्य से बाहर स्थानान्तरण

9107. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनके मुख्य न्यायाधीश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर के राज्य अथवा क्षेत्र के हैं;

(ख) क्या शेष मुख्य न्यायाधीशों को उनके मूल-राज्य के बाहर के उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं कि क्या पदधारी अथवा नामित व्यक्ति राज्य से बाहर का है अथवा नहीं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) 1-5-1987 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पटना पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति राज्य के बाहर के हैं।

(ख) कलकत्ता और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानान्तरण का मामला सरकार के ध्यान में है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को स्थानान्तरण-नीति के निबंधनानुसार इसलिए स्थानांतरित नहीं किया जाना है कि वे शीघ्र ही सेवा-निवृत्त होने वाले हैं।

(ग) आम धारणा यह है कि यदि कोई न्यायाधीश, अपनी पदोन्नति के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के अधीन न्यायिक अधिकारी था या उस न्यायालय में विधि-व्यवसायी था तो उसे उसी उच्च न्यायालय का माना जाएगा। किन्तु कुछेक मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें यह मानदण्ड लागू नहीं होता है।

औषध फर्मों को उत्पादन सम्बंधी विष्पादन प्रस्तुत करने को सलाह

9108. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न औषध फर्मों को अपना उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन और उत्पादन योजनाए प्रस्तुत करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी औषध फर्मों ने उक्त सूचना प्रस्तुत की है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० अमरचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) ड्रग इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से संगठित क्षेत्र के औषध निर्माता एककों से कहा गया है कि वे अपने उत्पादन कार्यक्रम इस विभाग को 1 माह के अन्दर भेजे ताकि तीन वर्ष की अवधि में संशोधित अनुपात मानदण्डों को प्राप्त किया जा सके। संबंद्ध जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्र

9109. **श्री प्रताप राव वी० भोंसले** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में 12वां विद्युत सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में बिजली की अनुमानित मांग और उपलब्धता क्या होगी;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (छ) ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

12वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, सातवीं योजना के अंत में महाराष्ट्र में ऊर्जा की आवश्यकता 37011 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है, जब कि इसकी तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता 37367 मिलियन यूनिट होने की सम्भावना है ।

विवरण

क्रम सं०	ताप विद्युत परियोजना का नाम और क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	उरण अपशेष ऊष्मा-I (120 मेगावाट)	62.56	अनुमोदित
2.	उरण अपशेष ऊष्मा-II और III (240 मेगावाट)	122.4	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी है । निवेश संबंधी अनुमोदन और गैस के लिए वचनबद्धता की प्रतीक्षा है ।
3.	पश्चिमी महाराष्ट्र (बी० एस० ई० बी० लि० (500 मेगावाट)	470.73	"सिद्धांत रूप में" अनुमोदन राज्य सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 6/86 में भेज दिया गया था । यह अनुमोदन

1	2	3	4
			कोयला लिंक, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति एम० आर० टी० पी० की स्वीकृति आदि जैसे कुछ शर्तों के अध्यधीन था।
4.	खापरखेड़ा विस्तार (420 मेगावाट)	371.9	मूल्यांकन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इन स्कीमों की जांच की जा रही है तथा वित्तीय संसाधनों सहित सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित कर दिए जाने के बाद और अपेक्षित स्वीकृति यथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति, प्राप्त हो जाने के बाद अनुमोदन हेतु इन स्कीमों पर विचार किया जा सकता है।
5.	पारली "ग" यूनिट 6 और 7 (420 मेगावाट)	460.8	
6.	चन्द्रपुर यूनिट 7 (500 मेगावाट)	434.1	
7.	उज्जैनी (1000 मेगावाट)	241.9	
8.	भुसावल "ख" (हातुर) (2000 मेगावाट)	874.0	
9.	दभौल चरण-I (420 मेगावाट	190.7	कोयले की उपलब्धता और इसकी ढुलाई की पुष्टि नहीं की गई है। 2-6-82 को राज्य प्राधिकारियों को वापस भेज दी गई है।
	चरण-II (630 मेगावाट)	260.3	
10.	उरन गैस टर्बाइन चरण-III (864 मेगावाट)	337.0	गैस की उपलब्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा स्कीम 10-1-86 को राज्य प्राधिकारियों को वापस भेज दी गई थी।

कोआपरेटिव आयल्स लिमिटेड, गदग (कर्नाटक) को लाइसेंस जारी करना

9110. **श्री जी० एस० वसवराजू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोआपरेटिव आयल्स लिमिटेड गदग (कर्नाटक) ने पचास टन की उत्पादन क्षमता के एक वनस्पति कारखाने की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टि में रद्द कर दिया गया है।

नैवेली में दूसरे ताप बिजली एकक का पूरा होना

9111. **श्री ए० सी० षणमुख** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली में दूसरे ताप बिजली एकक को पूरा करने पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) तीसरे ताप बिजली एकक के कब तक पूरे होने की सम्भावना है; और

(ग) इन प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के दूसरे ताप बिजलीघर चरण-1 में 210 मेगावाट (प्रत्येक) क्षमता वाली तीन यूनिटें हैं। अभी तक दो यूनिटें चालू हो चुकी हैं। अंतिम यूनिट के मार्च, 1988 तक चालू हो जाने की आशा है। सम्पूर्ण परियोजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित रु० 483.42 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान की तुलना में अभी तक रु० 448.06 करोड़ (अनन्तिम) का खर्च हुआ है।

हाजिरा-वीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना की लागत में वृद्धि

9112. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाजिरा-वीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन परियोजना की वास्तविक लागत बढ़कर उसकी संविदात्मक लागत से 100 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां तो और निर्माण लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) इस समय एच० बी० जे० परियोजना की उस स्वीकृत लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है जो 1700.17 करोड़ रुपये की है। परियोजना की रुपया-लागत में परिवर्तन रुपये की तुलना में येन, फ्रैंक और डालर के मूल्य के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में जूनियर इन्जीनियरों के रिक्त पदों को भरना

9113. **श्री सोहन लाल झिकराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने वर्ष 1986 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जूनियर इंजीनियरों को रिक्त पद अनारक्षित कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

बम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, बम्बई द्वारा विद्युत केन्द्र की स्थापना

9114. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड बम्बई को 500 मेगावाट की क्षमता का विद्युत केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति सिद्धान्त रूप में किन परिस्थितियों में दी गई;

(ख) क्या कम्पनी को इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था सीधे बाजार से धन जुटा कर करनी होगी, अथवा इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों से धन उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) बम्बई के समीप बस्सीन में 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के मैसर्ज बम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड के प्रस्ताव को सरकार ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है परन्तु शर्त यह है कि परियोजना स्थापित करने के लिए संसाधन सीधे बाजार से जुटाए जाएंगे और परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सभी कानूनी एवं अन्य अपेक्षाओं का विधिवत् पालन किया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

9115. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और वे कौन-कौन से राज्य हैं जो 50 प्रतिशत गांवों का भी विद्युतीकरण करने में असफल रहे हैं;

(ख) इस असन्तुलन के क्या कारण हैं; और

(ग) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हरियाणा केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ने 50% ग्राम विद्युतीकरण पूरा नहीं किया है।

(ख) कुछ राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति धीमी होने के कारण ये हैं; विद्युत की कमी, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र में दुर्गम तराइयां, भार में बहुत कम वृद्धि, निर्माण सामग्रियों की कम सप्लाई, अपर्याप्त उप-पारेषण प्रणाली आदि।

(ग) 31.3.1985 की स्थिति के अनुसार जिन राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण 65% से कम था उन्हें सातवीं योजना के दौरान संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए आसान शर्तों पर निधियां आबंटित की जाती हैं ताकि उन्हें विद्युतीकरण के वांछित स्तर तक लाया जा सके। विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने तथा राज्य बिजली बोर्डों की गतिविधियों को राज्यों की अन्य विकास सम्बन्धी एजेन्सियों के कारगर रूप से समन्वित करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/ग्राम विद्युतीकरण निगम के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

न्यायिक प्रणाली पर लोक अदालतों का प्रभाव

9116. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में न्यायिक प्रणाली पर लोक अदालतों के अनुभव के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का अध्ययन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति लोक अदालतों के कार्य को मानीटर करती है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक अदालतों ने न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने और शीघ्र तथा कम खर्चीला न्याय दिलाने में सहायता की है। लोक अदालतों को कानूनी प्रास्थिति देने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

औषधों के मूल्य निर्धारित करना

9117. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि औषधों के मूल्यों का निर्धारण एक विधायी कार्य था न कि अर्ध न्यायिक कार्य, इसीलिए यह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है और बल्क औषधों तथा फार्मुलेशंस के मूल्य निर्धारित किए जाने की अधिसूचना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में छः वर्ष से लगाई गई रोक हटाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का औषधों के अधिसूचित मूल्यों को लागू करने के लिए अब क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) इन औषधों का ब्यौरा क्या है जिनके मूल्य सरकार को दिए गए आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार किए जाने के पश्चात् तदनुसार लागू किए जाएंगे; और

(घ) सरकार ने पुनरीक्षित आवेदन पत्रों के निपटाये जाने तक कुछ आवश्यक औषधों को अधिसूचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जय चन्द्र सिंह) : (क) जी, हां उच्चतम न्यायालय ने केवल मैसर्स साइनामाइड इंडिया लि० के मामले में अपना फैसला दिया है।

(ख) से (घ) फैसले की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। सम्बन्धित बल्क औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण के लिए निर्णय को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है आवश्यक औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

सुजुकी मोटर्स लिमिटेड द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में इक्विटी शेयरों को बढ़ाने का प्रस्ताव

9118. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड की जापान की सहयोगी सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के वर्तमान 26 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कपड़े का उत्पादन

9119. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग और विभिन्न राज्यों के सभी खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा, अलग अलग कितने मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उद्योग में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कपड़ा नहीं बनाता। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत खादी कार्यक्रम राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों और सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन होते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की सूची में प्रत्यक्षत: सम्मिलित कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों (राज्यवार) द्वारा पिछले तीन वर्षों 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान उत्पादित किए गए खादी कपड़े (सूती, मलमल, ऊनी व रेशमी) की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) खादी कार्यक्रम लागू करने के लिए देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान बांटी गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

खादी कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशियां :

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल (करोड़ रुपयों में)
1983-84	25.57	17.85	43.43
1984-85	24.83	26.45	51.28
1985-86	36.99	29.90	68.89

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी क्षेत्र के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

खादी के अन्तर्गत रोजगार

(लाख व्यक्तियों में)

वर्ष	सूती	मलमल	ऊनी	रेशमी	कुल
1983-84	10.53	0.31	2.13	0.62	15.59
1984-85	9.91	0.28	2.20	0.66	13.05
1985-86	10.20	2.32	0.66	0.66	13.47

विवरण

खादी का उत्पादन

(क) सूती खादी

क्रमांक	राज्य तथा संघ क्षेत्र	1983-84			1984-85			1985-86		
		राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I-राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.87	52.24	54.11	1.45	47.34	48.79	1.34	51.07	52.41
2.	असम	1.02	0.29	1.31	1.41	0.46	1.87	2.17	0.46	2.63
3.	बिहार	4.66	69.69	74.35	3.90	58.32	62.22	3.89	67.73	71.62
4.	गुजरात	23.83	—	83.83	75.03	1.49	76.52	86.53	1.41	87.94
5.	हरियाणा	0.80	9.03	9.83	0.29	9.94	10.23	0.36	10.45	10.81
6.	हिमाचल प्रदेश	0.37	1.46	1.83	0.51	0.65	1.16	0.14	—	0.14
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	0.66	0.66	—	0.44	0.44	—	0.55	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	कर्नाटक	13.34	37.65	50.99	14.42	37.53	51.95	24.26	37.06	61.32
9.	केरल	13.90	9.20	23.10	12.42	7.66	20.08	11.97	8.22	20.19
10.	मध्य प्रदेश	1.35	9.17	10.52	0.86	10.89	11.75	0.95	10.60	11.56
11.	महाराष्ट्र	—	9.97	9.97	—	12.76	12.76	—	13.30	13.30
12.	मणिपुर	*	—	*	—	—	—	*	—	*
13.	मेघालय	—	—	—	0.01	—	0.01	0.04	—	0.04
14.	नागालैण्ड	—	0.12	0.12	—	0 15	0.15	—	0.10	0.10
15.	उड़ीसा	0.18	1.91	2.09	0.09	1.98	2.07	0.09	1.14	1.23
16.	पंजाब	2.73	35.94	38.67	4.51	35.71	40.22	4.51	36.32	40.83
17.	राजस्थान	7.44	31.14	38.58	5.18	30.14	35.32	6.91	33 87	40.78
18.	सिक्किम	0.25	—	0.25	0.19	—	0.19	0.30	—	0.30
19.	तमिलनाडु	53.67	117.53	171.20	52.59	129.77	182.36	54.74	123.89	178.63
20.	त्रिपुरा	0.12	1.02	1.14	0.14	0.80	0.94	0.26	0.80	1.06
21.	उत्तर प्रदेश	8.76	74.27	283.03	8.75	298.17	306.92	10.36	257.68	267.04
22.	पश्चिम बंगाल	1.67	1.79	3.46	1.83	2.42	4.25	1.83	2.90	4.73
	योग-I	195.96	663.08	859.04	183.58	686.62	870.20	210.66	657.55	868.21

II संघ क्षेत्र										
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. दिल्ली	—	2.19	2.19	—	1.71	1.71	—	1.85	1,85	
3. गोआ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. पांडिचेरी	0.43	—	0.43	0.18	—	0.18	0.29	—	0.29	
योग-II	0.43	2.19	2.62	0.18	1.71	1.89	0.29	1.85	2.14	
योग I+II	196.39	665.27	861.66	183.76	688.33	827.09	210.95	659.40	870.35	

* : 500 से कम

खादी का उत्पादन

(ख) मलमल खादी

मात्रा लाख मीटरों में

क्रमांक	राज्य	1983-84			1984-85			1985-86		
		राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	4.74	4.74	—	4.39	4.39	0.10	4.60	4.70
2.	असम	—	0.03	0.03	—	0.04	0.04	—	0.04	0.04
3.	बिहार	—	1.10	1.10	—	1.66	1.66	0.10	1.97	2.07
4.	कर्नाटक	0.07	0.43	0.50	0.18	0.39	0.57	0.18	1.17	1.35
5.	केरल	3.18	7.08	10.26	4.77	5.19	9.96	5.20	5.71	10.91
6.	महाराष्ट्र	—	0.60	0.60	—	0.34	0.34	—	0.40	0.40
7.	मणिपुर	*	0.04	0.04	*	0.04	0.04	*	0.02	0.02
8.	उड़ीसा	*	0.23	0.23	*	0.23	0.23	*	0.19	0.19
9.	तमिलनाडु	0.23	1.92	2.15	0.36	2.46	2.82	0.38	4.78	5.16
10.	त्रिपुरा	0.06	—	0.06	0.07	—	0.07	0.07	—	0.07
11.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	0.02	0.02	—	0.04	0.04
12.	पश्चिम बंगाल	0.38	5.60	5.98	0.46	4.73	5.19	0.71	5.11	5.82
	योग	3.92	21.77	25.69	5.84	19.49	25.33	6.74	24.03	30.77

* : 500 से कम

खादी का उत्पादन

(ग) ऊनी खादी

(मात्रा लाख मीटरों में)

क्रमांक	राज्य तथा संघ क्षेत्र	1983-84			1984-85			1985-86		
		राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.09	0.85	4.94	5.38	—	5.38	5.50	—	5.50
2.	असम	—	0.06	0.06	—	0.06	0.06	—	0.04	0.04
3.	बिहार	0.83	2.34	3.17	0.48	2.16	2.64	0.36	2.41	2.77
4.	गुजरात	2.89	0.05	2.94	2.99	—	2.99	2.95	0.01	2.96
5.	हरियाणा	1.01	4.70	5.71	2.93	3.06	5.99	3.69	2.67	6.36
6.	हिमाचल प्रदेश	0.26	0.79	1.05	0.26	0.59	0.85	0.16	0.82	0.98
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.76	3.63	4.39	0.55	3.56	4.11	0.26	3.94	4.20
8.	कर्नाटक	8.03	0.06	8.09	7.50	1.03	8.53	7.42	1.63	9.05
9.	मध्य प्रदेश	2.65	3.83	6.48	2.75	2.14	4.89	3.11	2.04	5.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	महाराष्ट्र	0.81	4.76	5.57	0.93	5.47	6.40	0.95	5.95	6.90
11.	पंजाब	0.25	5.73	5.98	0.21	5.30	5.51	0.15	5.60	5.75
12.	राजस्थान	15.09	10.25	33.34	16.19	17.79	33.97	17.00	17.49	34.49
13.	सिक्किम	0.05	—	0.05	0.03	0.02	0.05	0.04	—	0.04
14.	उत्तर प्रदेश	3.35	20.63	22.98	3.56	20.19	23.75	3.12	20.98	24.10
	योग-I	39.07	65.68	104.75	43.75	61.37	105.12	44.71	63.58	108.29
	II-संघ क्षेत्र									
	दिल्ली	—	0.07	0.07	—	0.09	0.09	—	0.06	0,06
	योग I+II	39.07	65.75	104.82	43.75	61.46	105.21	44.71	63.64	108.35

(घ) रेशमी खादी

(मात्रा लाख वर्ग मीटरों में)

क्रमांक राज्य	1983-84			1984-85			1985-86		
	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग	राज्य बोर्ड	संस्थान	योग
1. आन्ध्र प्रदेश	0.04	0.66	0.70	0.04	0.80	0.84	0.10	1.01	1.11
2. असम	1.20	0.55	1.75	1.13	0.68	1.81	0.95	0.67	1.62
3. बिहार	0.35	1.85	2.20	0.38	1.71	2.09	0.42	2.26	2.68
4. गुजरात	0.01	—	0.01	0.01	—	0.01	0.02	—	0.02
5. हिमाचल प्रदेश	0.02	—	0.02	0.02	—	0.02	0.02	—	0.02
6. कर्नाटक	1.37	0.50	1.87	1.21	0.53	1.74	1.32	0.56	1.88
7. केरल	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.09	0.10	0.02	0.12
8. मध्य प्रदेश	—	0.45	0.45	—	0.62	0.62	—	0.42	0.42
9. महाराष्ट्र	0.01	0.03	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	—	0.01
10. मणिपुर	—	0.17	0.17	—	0.10	0.10	—	0.10	0.10
11. उड़ीसा	0.16	0.23	0.39	0.16	0.20	0.36	0.11	0.27	0.28
12. तमिलनाडु	3.49	2.29	5.78	3.30	2.50	5.80	4.19	2.97	7.16
13. उत्तर प्रदेश	—	0.68	0.68	—	0.75	0.75	—	0.84	0.84
14. पश्चिम बंगाल	2.62	18.70	21.32	5.19	17.72	22.91	8.18	15.38	23.56
योग	9.29	26.12	35.41	11.52	25.64	37.16	15.42	24.50	39.92

[अनुवाद]

डाक जीवन बीमा की धनराशि का लौटाना

9120. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि को लौटाने अथवा व्ययगत पालिसियों को पुनः चालू करने से इन्कार किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान डाक जीवन बीमा की विभिन्न योजनाओं के अधीन व्ययगत हुई पालिसियों की संख्या कितनी है;

(घ) कितने लोगों ने उनके द्वारा दी गई प्रीमियम की धनराशि वापस करने के लिए आवेदन किया; और

(ङ) कितने लोगों को वास्तव में प्रीमियम की धनराशि लौटाई गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देब) : (क) और (ख) जी नहीं। डाक जीवन बीमा धनराशि को लौटाने या व्ययगत पालिसियों को पुनः चालू करने के लिए इन्कार नहीं करता है। यदि बीमाकर्ता प्रीमियम की सभी बकायों का भुगतान कर दे, तो पालिसियों को पुनः चालू कर दिया जाता है। जिनकी पालिसियां तीन साल की अवधि से कम की होती हैं उनसे बकाया प्रीमियम की वसूली के बाद पालिसियों को पुनः चालू कर दी जाती हैं। यदि पालिसियां तीन वर्ष से अधिक की हों और यदि बीमाकर्ता चाहे, तो राशि की अभ्यर्पित मूल्य के बतौर अदायगी की जाती है या पालिसियों की परिपक्वता अवधि के बाद अदायगी की जाती है। यदि अभ्यर्पण मूल्य के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, और यह 100/- रु० से कम की हो, तो पालिसी स्वतः जारी रहती है।

(ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान समूचे भारत में व्ययगत हुई पालिसियों की संख्या लगभग 90,000 है जिनमें से अधिकतर अभ्यर्पित की गई हैं या जिनकी अदायगी की गई है।

(घ) जनवरी, 1987 तक 3070 मामले हाथ में थे जिनमें पालिसी धारकों द्वारा जमा कराए गए प्रीमियम को वापस किया जाना था।

(ङ) नियमों के अनुसार ग्राह्य 2157 मामलों में प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया और शेष 913 मामलों की जांच की जा रही है।

उपभोक्ता वस्तुओं में विदेशी ट्रेड नामों का इस्तेमाल

9121. **श्री मानिक साल्याल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का टेलीविजन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं जिनमें विदेशी ब्रांड नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है को रोकने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) एक सामान्य नीति के रूप में, विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की मंजूरी देते समय आंतरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशों व्यापार चिन्हों के प्रयोग की साधारतया अनुमति नहीं दी जाती है। इस आशय की एक मानक शर्त सभी विदेशी सहयोग स्वीकृति पत्रों में लगाई जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ उपभोक्ता लिमिटेड को खजूरों की सप्लाई न किया जाना

9122. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ उपभोक्ता लिमिटेड ने खजूरों की सप्लाई के लिए वर्ष 1983 में मद्रास स्थित मैसर्स ओरियंटल फूड स्टफ कम्पनी के साथ समझौता किया था;

(ख) क्या पार्टी माल की सप्लाई करने में असफल रही है;

(ग) क्या इस समझौते में सप्लाईकर्ता पक्ष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को माल की सप्लाई न किए जाने की स्थिति में मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने की धारा को लागू करने की व्यवस्था थी;

(घ) यदि हां, तो पार्टी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि करार के अनुसार आपूर्तिकर्ता को 3.20 लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी थी और यदि कोई विवाद हो तो मामला मध्यस्थ के पास भेजा जाना था। उक्त पार्टी ने बैंक गारंटी के बदले 3.20 लाख रुपये का चैक दिया। अन्त में जब पार्टी खजूर सप्लाई करने में असफल रही तो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने चैक प्रस्तुत किया जो वापिस लौटा दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने उच्च न्यायालय के निदेशानुसार खजूरों की आपूर्ति न करने के कारण 15 लाख रुपये और बैंक प्रभारों के प्रति 37,385 रु० के अपने दावे के निर्णय हेतु यह मामला मध्यस्थ के पास भेज दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने मुख्य प्रबन्धक (आयात और निर्यात), जिसे चैक के वापस लौटा दिए जाने के लिए जिम्मेदार समझा गया था, की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की योजना

9123. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम दर पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए इस

समय कौन सी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस सप्लाई नहीं की जाती;

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे और वर्ष 1987-88 के लिए चालू लक्ष्य क्या हैं;

(ग) वहां क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) तेरह जिलों के अन्तर्गत कौन-कौन से गांवों को सहायता प्रदान की जा सकी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश भर में प्रारम्भ किए गए अनुसंधान और विकास के गहन कार्यकलापों एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप, कई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है और विद्युत के उत्पादन सहित, उनकी विभिन्न प्रयोगों के लिए सम्भावना निश्चित हो गई है। खाना बनाने की ऊर्जा की प्रति-पूर्ति के लिए, सौर कुकरों को प्रारम्भ किया गया है और आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा लोकप्रिय बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश भर में सौर जल तापीय प्रणालियां, आसवन प्रणालियां आदि की स्थापना की जा रही है। सौर प्रकाश-वोल्टीय प्रणालियों का विकास किया जा चुका है और उनको दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अन्य कम आवश्यकता वाले क्षेत्रों को बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य के लिए सभी सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया है, फिर भी अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1985-86 से मार्च, 1987 तक 13.60 लाख रुपये की लागत से 12 सौर तापीय प्रणालियां, एक सौर टिम्बर भट्टी, 2 सौर विलवणीकरण प्रणालियां, एक सौर वायुतापन/फसल शुष्कन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है और प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी, उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड इनको शुरू कर रहा है और उड़ीसा राज्य के नौ (9) जिलों (फुलबानी, कोरापुट, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, कियोन्जर, ढेंकानल, भुवनेश्वर, बालासोर और पुरी) के 49 ग्रामों में सड़क बत्ती प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, इन ग्रामों में 6 सामुदायिक सड़क बत्ती प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं। इसके बावजूद, 25 किलोवाट क्षमता वाले प्रकाशवोल्टीय संस्थापन, 24 जल पम्पन प्रणालियों और 100 प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियों की भी स्वीकृति दी गई है।

उड़ीसा में बचत बैंक सुविधा वाले डाकघर

9125. **नित्यानन्द मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां बचत बैंक और अन्य सुविधाओं वाले पूर्ण विकसित डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन डाकघरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या योजना तैयार की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) उड़ीसा सर्किल के अन्तर्गत जहां कहीं ग्रामीण डाकघर खोले गये हैं वहां पर्याप्त डाक सुविधाए प्रदान की गई हैं जिसमें बचत बैंक सुविधाए शामिल हैं बचत प्रमाण पत्र का कार्य केवल कुछेक प्राधिकृत शाखा डाकघरों में ही

किया जाता है परन्तु सभी शाखा डाकघरों में बचत प्रमाण पत्र की खरीद के साथ-साथ नकदी भी स्वीकार की जाती है, यहां भविष्य में खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों के मामले में भी स्थिति बेहतर है। उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में 6988 डाकघर हैं। क्या किसी ऐसे ग्राम में जहां की आबादी 3000 है और डाकघर नहीं हैं, इससे संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है, तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मानदण्डों के तहत अतिरिक्त डाकघर की सुविधा प्रदान करने के लिए या तो सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी। विभाग की यह योजना है कि जिन प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध होगा, वहां 1987-88 के दौरान डाकघर खोले जाएंगे। बशर्ते कि नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो जाए।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

9126. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में किन-किन स्थानों पर और कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए तथा विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों में आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं और वे उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या जौनपुर में टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतया खराब ही रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां नए उपकरण स्थापित किये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जौनपुर जिले में गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज है रामपुर 25 लाइन, पट्टी नरेन्द्रपुर 25 लाइन, बीवीगंज 25 लाइन, मुफ्तीगंज 25 लाइन और खेत सराय 25 लाइन। 31-3-87 को मौजूदा एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। सिवाय शाहगंज के जो कि मैन्युअल एक्सचेंज है। एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। टेलीफोन एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं अतः इनको बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

31-3-87 को जौनपुर जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	लाइनों में क्षमता	किस्म
1	2	3	4
1.	बादलपुर	25	एम०ए०एक्स०-III (स्वचल)
2.	बीबीगंज	25	,,
3.	गौराबदशाहपुर	50	,,

1	2	3	4
4.	जौनपुर	800	एम०ए०एक्स०-II (स्वचल)
5.	लालापुर	25	एम०ए०एक्स०-III (स्वचल)
6.	खेतसराय	50	,,
7.	केराकट	25	,,
8.	मरियाहू	50	,,
9.	मछलीशहर	25	,,
10.	मुफ्तीगंज	25	,,
11.	नौपुरवा	25	,,
12.	पट्टी नरेन्द्रपुर	25	,,
13.	राजाबाजार	25	,,
14.	रामपुर	25	,,
15.	खुटाहन	25	,,
16.	मुंगरा बादशाहपुर	50	,,
17.	शाहगंज	200	मैनुअल

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

9127. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान देश में कुछ टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1987-88 में उड़ीसा में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) 33

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा में 25 लाइनों की क्षमता के 25 नए एक्सचेंज खोलने की योजना है, बशर्ते कि इसके लिए मांग प्राप्त हो।

स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि

9128. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दूसरे वर्ष के दौरान स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सन्तोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से किस सीमा तक अधिक है; और

(ग) यदि नहीं तो योजना के अनुसार वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे): (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष, 1986-87 के दौरान 3396.5 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में कुल मिलाकर 2624.5 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की बढ़ोत्तरी हुई थी। सातवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष, 1985-86 के दौरान 4459.5 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में कुल 4223 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की बढ़ोत्तरी हुई थी।

(ग) निर्धारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षमता में किसी प्रकार की कमी न हो इससे बचने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से मानिटरिंग किया जाना, उपस्कर एवं सामग्री शीघ्र सप्लाई करने के लिए प्रयास करना, समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियरों द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा किया जाना तथा परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी समन्वय कार्य करने के लिए सम्बन्धित एजन्सियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना। परियोजना के क्रियान्वयन में लगने वाला समय और लागत में कमी की आवश्यकता पर भी राज्य प्राधिकारियों पर निरन्तर जोर डाला जा रहा है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के दल का पश्चिम जर्मनी का दौरा

9129. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के दल का पश्चिम जर्मनी के दौरों के बारे में 24 मार्च, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले मुहाने की खानों के लिए सुरक्षा जांच कार्यक्रमों के प्रश्न पर मैसर्स रेइनक्रान कन्सल्टिंग आफ वेस्ट जर्मनी के साथ दल की किस प्रकार की बातचीत हुई;

(ख) क्या "डब्ल्यू० एम० आई० क्रेन्स लिमिटेड" और मैसर्स एम० ए० एन० आफ वेस्ट जर्मनी" द्वारा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को पहले सप्लाई किए गए दो "बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स" के तकनीकी मामलों में सलाहकार मैसर्स रेइनक्रान कन्सल्टिंग आफ वेस्ट जर्मनी को सम्बद्ध किया गया था;

(ग) क्या सलाहकार कम्पनी ने उपर्युक्त "बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स" की दुर्घटना के कारणों पर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि "मैसर्स रेइनक्रान कन्सल्टिंग आफ वेस्ट जर्मनी" की सलाह कार्यान्वित की गई है, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने सुरक्षा जांच कार्यक्रमों के प्रश्न पर मैसर्स राइनब्राउन कन्सल्टिंग के साज जो बातचीत की उसमें अनुरक्षण विधियां, निरीक्षण, आदि बातें शामिल हैं। इस बातचीत के बाद नैवेली ने इन्हीं विषयों पर 28-29 अप्रैल, 1987 को एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) मैसर्स राइनब्राउन कन्सल्टिंग से यह नहीं कहा गया था कि वह उस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो अक्तूबर, 1984 में द्वितीय खान-चरण-1 के बक्केटव्हील एक्सकेवेटर में हुई थी।

आंध्र प्रदेश में लंबित विद्युत परियोजनाएं

9130. **श्री बो० तुलसीराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री आंध्र प्रदेश में लम्बित विद्युत परियोजनाओं के बारे में 11 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या स्वदेशी क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए भी विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) (ग) और (घ) विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता, विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सहायता और द्विपक्षीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है। यह सहायता प्रत्येक मामले के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्राप्त होती है। अत: यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त वित्तीय सहायता से खरीदे जाने वाला उपकरण विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है और अनुभव यह है कि स्वदेशी उद्योग काफी मात्रा में आर्डर प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत आमतौर पर अधिकांश उपकरण उसी देश से प्राप्त किए जाते हैं, जिससे वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी है। आंतरिक संसाधनों के समुपयोजन की स्थिति में, केवल उन उपकरणों को छोड़कर जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, सभी स्वदेशी उपकरण खरीदे जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें

9131. **श्री बो० तुलसीराम** : क्या उद्योग मन्त्री आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में 25 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर आंध्र प्रदेश में ऐसी कोई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें नहीं हैं जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु उनका कार्य शुरू नहीं किया गया है। किन्तु, कुछ मन्त्रालयों और विभागों से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है तथा उसके प्राप्त हो जाने के पश्चात् आश्वासन तत्काल पूरा कर दिया जायेगा।

सिक्किम में कंट्रोल के कपड़े की मांग

9132. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 में सिक्किम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों और ग्रामीणों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु कंट्रोल के कितने कपड़े की मांग की गई;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान समस्त मांग पूरी की गई।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1987 में कितनी मांग होगी और उसमें से कितनी मांग पूरी किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए राज्यों का कंट्रोल के कपड़े का वार्षिक कोटा, भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाता है। 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान सिक्कम का कंट्रोल के कपड़े का वार्षिक कोटा और उन्हें निर्मुक्त की गई मात्रा इस प्रकार है ;—

	कोटा	निर्मुक्तयां
1984-85	52 गांठे	987 गांठे
1985-86	48 गांठे	600 गांठे
1986-87	29¼ गांठे	34½ गांठे

1984-85 तथा 1985-86 के दौरान राज्य अभिकरण के अनुरोध पर अधिक कपड़ा निर्मुक्त किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार इन दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई कुल 1587 गांठों में से राज्य को केवल 11 गांठे प्राप्त हुई। चूंकि यह कंट्रोल के कपड़े की अन्यत्र भेजने का मामला था, अत; भारत सरकार ने इसे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया है। जांच कार्य प्रगति पर है।

पश्चिम बंगाल में उचित दर की दुकानों द्वारा मिट्टी के तेल और चीनी की सप्लाई न किया जाना

9133. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश शहरों और सब डिविजनों में उचित दर की दुकानों से चीनी और मिट्टी के तेल की सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश कस्बों तथा उप-प्रभागों में उचित दर की दूकानें चीनी तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति नहीं करती हैं। राज्य में चीनी 19849 उचित दर की दुकानों के माध्यम से तथा मिट्टी का तेल 29820 खुदरा उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग का विदेशी सहयोग करार

9134. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योए द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव इलेक्ट्रानिकी विभाग के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के कहलगांव में कोयले पर आधारित ताप बिजली संयंत्र स्थापित करना

9135. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कहलगांव में कोयले पर आधारित ताप बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का बेगूसराय जिले में भी एक बिजली केन्द्र की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना पर आधारभूत संरचना के विकास और कार्यस्थल को समतल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पाइलिंग और नींव के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है और अस्थायी टाउनशिप

में क्वार्टरों और सम्बद्ध सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सप्लाई के ठेके को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में डाकघर खोलना

9136. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में कितने नये डाकघर खोले गये;

(ख) बिहार में कितने डाकघर ठेके पर चल रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघरों को विनियमित किया गया; और

(ग) चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में कोई नये डाकघर नहीं खोले गए।

(ख) बिहार सर्किल में 16 लाइसेंसशुदा डाक एजेंट काम कर रहे हैं। बिहार के ग्रमीण क्षेत्रों में नियमित डाकघरों की संख्या 10262 है।

(ग) डाकघर खोलने के प्रयोजन से बिहार सर्किल में ग्रामों के 55 ग्रुप निर्धारित किए गए हैं। वैसे पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण 1987-88 के दौरान बिहार में खोले जा सकने वाले डाकघरों की वास्तविक संख्या वित्त मन्त्रालय द्वारा किए गए अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

कोयले के उत्पादन में कमी

9137. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले के उत्पादन में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) देश में वर्ष 1984-85 से 1986-67 तक कोयला उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

	1984-85	1985-86	1986-87
लक्ष्य	152.00	154.50	166.80
वास्तविक उत्पादन	147.41	154.24	165.79 (अनन्तिम)

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1984-85 को छोड़कर बाकी वर्षों में कोयला उत्पादन का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया।

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए गए हैं उनमें यह बातें

शामिल हैं : कोयला कम्पनियों के कार्य निष्पादन की कड़ी निगरानी, कर्मचारियों और मशीनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, प्रबंध और आधारभूत सुविधाओं में सुधार जैसे बिजली सप्लाई आदि पर्याप्त और सही सुनिश्चित करना, परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना, बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध ।

[हिन्दी]

नवादा टेलीफोन एक्सचेंज का स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

9138. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवादा टेलीफोन एक्सचेंज को स्वाचालित एक्सचेंज में बदलने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस कार्य के चालू वर्ष के दौरान पूरा होने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) नवादा टेलीफोन एक्सचेंज को आटोमेटिक एक्सचेंज के रूप में बदलने में कोई विम्लब नहीं हुआ है । 400 लाइनों के एक आटोमेटिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के 1987-88 के दौरान स्थापित किए जाने की योजना है ।

नालन्दा जिले में राजगृह में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

9139. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा नालन्दा जिले के राजगृह में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए खरीदी गई भूमि पर असामाजिक तत्वों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं । राजगृह, नालन्दा जिले में दूरसंचार विभाग द्वारा खरीदी गई भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन आपरेटरों की कमी

9140. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में टेलीफोन आपरेटरों की कमी के कारण संचार सेवा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं । उत्तर प्रदेश में टेलीफोन आपरेटरों की भारी कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनर्जी समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

9141. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनर्जी समिति ने, जिसने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्यकरण की जांच की है, बूढ़े श्रमिकों और कार्य बल में विचार के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बनर्जी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० के कामकाज की जांच करने वाली बनर्जी समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा है कि कम्पनी में बेशी जनशक्ति है और जो जनशक्ति है उसका पूरी तरह उपयोग नहीं होता । समिति ने कम्पनी में जनशक्ति की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं ।

समिति की रिपोर्ट की कोल इंडिया लि० के परामर्श से जांच की जा रही है ।

टिहरी बांध सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट

9142. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध सम्बन्धी कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) टिहरी परियोजना के बारे में पर्यावरण, पुनर्वास, भौगोलिक/भू-आकृतिविज्ञान और भूकम्पीय पहलुओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की एक समिति ने अध्ययन कार्य किए हैं और यह निर्णय लिया है कि विश्वसनीय और मितव्ययी इंजीनियरिंग निर्माण की सफलता के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं एवं अध्ययन कार्य भी किए गए हैं और परियोजना के डिजाइन एवं निर्माण के लिए समुचित तकनीकी सुविज्ञता भी उपलब्ध है । बांध के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की भी जांच की गई है ।

(ग) और (घ) रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दे दी है ।

आयल इण्डिया लिमिटेड में कार्यकारी अधिकारी

9143. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लि० में इस समय कुल कितने कार्यकारी अधिकारी हैं; और

(ख) उनमें से कितने कार्यकारी अधिकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1061 ।

(ख) 527

रुग्ण लघु उद्योगों को सहायता

9144. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को मार्जिन मनी सहायता देने की कोई योजना प्रायोजित है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी लघु उद्योग इकाइयां रुग्णावस्था में हैं;

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितना रुग्ण औद्योगिक इकाइयों ने सहायता प्राप्त की ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों को पुनर्जीव्य बनाने के लिए एक मार्जिन मनी योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत, अनुकूलता के आधार पर राज्य सरकारों को ऋण दिए गए थे। सहायता की अधिकतम राशि 20,000 रु० प्रति एकक तक सीमित थी।

(ग) दिसम्बर, 1985 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पोर्टफोलियो में रुग्ण लघु एककों की कुल संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार जानकारी संलग्न है।

(घ) और (ङ) चूंकि यह योजना अपने वर्तमान रूप में प्रभावशाली नहीं पाई गई थी, इसलिए राज्य सरकारों के परामर्श से इसकी समीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय बजट 1986-87 में केवल नाम-मात्र का प्रावधान किया गया था और राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी गई थी।

विवरण

दिसम्बर 1985 के अन्त में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े

(राशि करोड़ रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8694	62.82
2.	असम	5683	7.80

1	2	3	4
3.	बिहार	8570	48.95
4.	गुजरात	4045	75.03
5.	हरियाणा	1500	25.21
6.	हिमाचल प्रदेश	413	3.24
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1382	6.28
8.	कर्नाटक	5705	77.61
9.	केरल	2378	45.97
10.	मध्य प्रदेश	7843	31.37
11.	महाराष्ट्र	8567	187.32
12.	मणिपुर	669	0.41
13.	मेघालय	141	0.10
14.	नागालैंड	7	0.02
15.	उड़ीसा	5299	29.49
16.	पंजाब	1345	21.69
17.	राजस्थान	5964	28.22
18.	तमिलनाडु	15171	107.71
19.	त्रिपुरा	245	0.79
20.	उत्तर प्रदेश	12036	81.69
21.	पश्चिम बंगाल	18620	142.52
22.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	11	नगण्य
24.	चण्डीगढ़	171	5.73
25.	दादरा एंड नगर हवेली	3	0.06
26.	दिल्ली	2271	67.45
27.	गोआ, दमन एंड दिव	808	8 85
28.	मिजोरम	2	0.01
29.	पांडिचेरी	240	3.31
	योग	117783	1070.67

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना के कार्य का ठेका देना

9145. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बोर्ड द्वारा 560 मेगावाट की गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना के कार्य का ठेका ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कम्पनी, मैसर्ज अल्सथाम एटलांटिक को दिए जाने की सिफारिश पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उठाई गई आपत्ति का क्या आधार है; और

(ग) इस सौदे को किस प्रकार अन्तिम रूप दिया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) तीन संयुक्त साइकिल गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और ठेके देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। प्राप्त हुए प्रस्तावों पर सामान्य प्रक्रियाओं और विश्व बैंक के सामग्री प्राप्त करने के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जा रहा है।

खाना पकाने की गैस का विकल्प

9146. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक गैर-सरकारी क्षेत्र की यूनिट ने खाना पकाने की गैस के विकल्प का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) मैसर्स हिल्टन प्रेसिशन लिमिटेड ने समाचार पत्र के माध्यम से दावा किया है कि उन्होंने सेल्यूलोस की तरल उत्पाद (एल० पी० सी०) नामक गैर-पेट्रोलियम उत्पादन का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो एल० पी० जी० को प्रतिस्थापित कर सकता है, रिपोर्ट है कि फर्म ने कालपी (यू० पी०) में औद्योगिक शैंड के लिए जालान के जिला उद्योग कार्यालय में पैरवी की है। यह उत्पाद इथनाल मिश्रण प्रतीत होता है जो विभिन्न कृषि उत्पादों में पाये जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के समीर के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

हाजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने के दौरान भूमि के प्रयोग तथा फसलों के नष्ट होने केलिए किसानों को मुआवजा देना

9147. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाने के कारण भूमि के प्रयोग करने तथा फसलों के नष्ट होने के लिए गुजरात के किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एच० बी० जे० मार्ग के साथ 30 मी० चौड़ी भूमि की पट्टी के

लिए पेट्रोलियम एवं खान पाइपलाइन अधिनियम 1982 के अधीन आवश्यक सांविधिक अधिसूचना जारी करके उपयोग का अधिकार ग्रहण किया गया है। अधिनियम के अनुसार भूमि मालिकों को उपज के नुकसान आदि के अलावा भूमि लागत की 10 प्रतिशत लागत देय है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० ने सूचित किया है कि उपज का नुकसान अगर कोई हुआ है तो इसका मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है मुआवजे की मात्रा का इस समय निर्धारण किया जा रहा है। गैस अथारिटी आफ इडिया लि० की मंशा है कि उपज के नुकसान का मुआवजा देने के साथ-साथ आर० ओ० यू० के मुआवजों की अदायगी की जाए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुआ भारी घाटा

9148. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1987 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुद्रण में हुई एक परिहार्य त्रुटि के कारण 25 लाख रुपये का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बोली पैकेज स्वायल कंललटेंट की उस रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें एस० क्यू० प्लेट फार्म के स्थान के लिए 78.3 मीटर तक पानी की गहराई बताई गई थी। निर्माण पूर्व-सवक्षण के आधार पर पानी की गहराई 72.3 मीटर तक होने का पुनः अनुमान लगाया गया था। पानी की गहराई में घटबढ़ के कारण ओ० एन० जी० सी० को पुनः इंजीनियरी कार्यों के लिए लगभग 25.74 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। अगर यह इंजीनियरी कार्य दुबारा न किया गया होता तो उंच्चे स्ट्रक्चरल स्टील टनेज आदि के कारण ओ० एन० जी० सी० को लगभग 20 लाख अमरीकी डालर का खर्च बैठता। इस मामले को देखने के लिए ओ० एन० जी० सी० से कहा जा रहा है।

[हिन्दी]

डाक और दूरसंचार विभागों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आवास

9149. **श्री रामप्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को आबंटन के लिए प्रत्येक राज्य में टाइप-वार कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं और उनके आबंटन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) आवास के आबंटन के लिए राज्यवार कितने शहरों को चुना गया है और प्रत्येक

श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आबंटित किए गए और उनका प्रतिशत क्या है और क्या इस सम्बन्ध में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा पूर्णतया पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद

9150. **श्री प्रतापराव बो० भोंसले** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नो की खरीद वर्ष 1986-87 के दौरान भी जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में 21 अक्तूबर, 1986 से 15 मार्च, 1987 तक ज्वार, बाजरा और धान की कितनी मात्रा में खरीद की गई और इनके लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था;

(ग) महाराष्ट्र में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई; और

(घ) महाराष्ट्र में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं किस मूल्य पर बेचा जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1986-87 के दौरान 15.3.87 तक मूल्य समर्थन योजना के अधीन 54 मीटरी टन धान और 7733 मीटरी टन ज्वार की वसूली की गई है। बाजरा की कोई वसूली नहीं की गई है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि अनाजों की वसूली किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए की जाती है। केन्द्रीय सरकार के पास जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) (हजार मीटरी टन में)

विपणन मौसम	धान	मोटे अनाज		
		ज्वार	बाजरा	जोड़
1983-84	0.1	8.1	0.4	8.5
1984-85	1.7	175.0	0.2	175.2
1985-86	1.7	88.5	—	88.5

(घ) महाराष्ट्र के समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों में उपभोक्ताओं को चावल (साधारण) और गेहूं क्रमश: 185/- रुपये और 155/- रुपये प्रति क्विंटल पर जारी किए जा रहे हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के पद को अनारक्षित करना

9151. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने यहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद को अनारक्षित करने के लिए सरकार की सलाह मांगी है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने नियमित अर्हता सेवा की अवधि में ढील देकर अन्य ग्रेडों में सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित कुछ अधिकारियों को पहले ही पदोन्नति कर दिया है जबकि उन्होंने नियमित सेवा की निर्धारित अवधि पूरी नहीं की थी; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिकारियों के मामलों पर भी उसी आधार पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक मामले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने रिक्त स्थान को अनारक्षित करने के बारे में मामला सरकार को भेजा है।

(ख) और (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, अन्य ग्रेडों के कुछ मामलों में साधारण श्रेणी के अधिकारियों को नियमित अर्हता प्राप्त सेवा की अवधि में छूट देकर पदोन्नत किया गया था क्योंकि कोई अन्य अधिकारी विचार किए जाने हेतु उपलब्ध नहीं था। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जाति के श्रेणी के अधिकारी से वरिष्ठ सामान्य श्रेणी के अधिकारी, जो नियमित अर्हता प्राप्त सेवा की निर्धारित अवधि की अपेक्षा को पूरा करते हैं, पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए उपलब्ध है।

शीतल पेय निर्माताओं को आयात लाइसेंस

9152. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय उद्योग द्वारा प्राकृतिक अनिवार्य तेलों, बबूल, गोंद और कोलानट अर्क का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान इन मदों के आयात पर अनुमानत: कितनी लागत आई;

(ग) क्या सुगन्ध और इत्र (फ्लेवर एंड परफ्यूम) उद्योग द्वारा इन मदों का भी आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसी अवधि के दौरान उनके द्वारा कितने मूल्य का आयात किया गया।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (घ) मृदु पेय सांद्रणों के उत्पादकों और इत्र के निर्माताओं द्वारा खुलेआम लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ प्राकृतिक अनिवार्य तेलों तथा कच्ची सामग्री जैसे वानस्पतिक अर्कों का आयात किया जाता

है। यद्यपि उद्योगवार अथवा वस्तुवार आयातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी सभी उपयोक्ता उद्योगों द्वारा नींबू तेल, खाद्य रंगों, खाद्य रंजकों, सुगन्धित पदार्थों के मिश्रणों और प्राकृतिक खाद्य गोंदों आदि वस्तुओं का देश का समेकित आयात वर्ष 1984-85 में 1053.67 लाख रु० का था। वर्ष 1984-85 के बाद के इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को नागपुर दाल मिल और हिंगना स्थित कागज मिल में हुआ घाटा

9153. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को 1983-84 और 1984-85 में नागपुर दाल मिल और हिंगना स्थित कागज मिल में घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसे कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस घाटे के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद):(क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान उसे नागपुर स्थित दाल मिल में और हिंगना में कागज एकक में 25.44 लाख रुपये का घाटा हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने यह भी सूचित किया है कि उसके आंतरिक लेखा परीक्षा दल के जांच-परिणामों के अनुसार दाल मिल में घाटा अप्रैल—जून, 85 में दालों के मूल्यों में गिरावट के रुख के कारण हुआ और हिंगना कागज एकक में घाटा, एकक में मजदूरों की हड़ताल के कारण कागज के स्टॉक के लम्बी अवधि तक पड़े रहने से उत्पन्न ब्याज के बढ़े हुए बोझ के कारण हुआ था।

संयुक्त क्षेत्र में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के औद्योगिक गृह

9154. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले कौन-कौन से औद्योगिक गृह हैं तथा पिछले तीन सालों के दौरान उनकी सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) संयुक्त क्षेत्र के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक गृहों का क्या योगदान है; और

(ग) क्या लोक उद्यम कार्यालय द्वारा संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में माना जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जिस सीमा तक उपलब्ध होगी, सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) केवल इस प्रकार के उद्यम, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से शेयर धारण 51 प्रतिशत से कम नहीं हैं, उनको केन्द्रीय लोक उद्यमों के रूप में माना जाता है।

तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन में "लो सल्फर हाई स्टाक" ईंधन का उपयोग

9155. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मेत्तूर में गैर सरकारी क्षेत्र की एक इकाई ने विद्युत उत्पादन में "लो-सल्फर-हाई स्टाक" ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तमिलनाडु में कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए इस तरल ईंधन का उपयोग करने की अनुमति देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तमिलनाडु में एक निजी क्षेत्र के यूनिट में संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन यूनिट में विद्युत उत्पादन के लिए लो सल्फर हेवी स्टाक (एल० एस० एच० एस०) का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पहले ही मैत्तूर, एन्नौर तथा तूतीकोरिन में स्थित ताप-विद्युत केन्द्रों में स्थिरीकरण संबंधी कार्य के लिए एल० एस० एच० एस० का प्रयोग किया जा रहा है। बेसिन ब्रिज में स्थापित किए जाने वाले 120 मेगावाट के गैस टर्बाइन के संबंध में, जिसमें एल० एस० एच० एस० का उपयोग किए जाने की व्यवस्था है, ईंधन की उपलब्धता अभी सुनिश्चित नहीं हुई है।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की सप्लाई

9156. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत) : (क) और (ख) उड़ीसा और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चालू ग्रीष्मकालीन ब्लाक जिसमें मार्च से जून 1987 के मास शामिल हैं, के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष के इसी ब्लाक अवधि में किए गये आवंटन में 7 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया गया है। इसके अतिरिक्त सूखा, बाढ़, एल० पी० जी०/कोयला के अभाव आदि विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष अनुरोध किये जाने पर अतिरिक्त तदर्थ आवंटन भी किया जाता है।

इस ग्रीष्मकालीन ब्लाक के लिए उड़ीसा को किया गया कुल आवंटन 40640 मी० टन है जबकि पिछले वर्ष में इसी ब्लाक में 38740 मी० टन था। उड़ीसा सरकार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन करने के संबंध में कोई अनुरोध इस मन्त्रालय में लम्बित नहीं हैं।

हरियाणा में हथकरघा उद्योग का बन्द होना

9157. **श्री एच० एम० नंजे गौडा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में हथकरघा उद्योग की पांच बड़ी यूनिटों ने अपना उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र के अधीन हरियाणा स्थित किसी भी हैण्डटूल बनाने वाले बड़े एकक से उत्पादन कार्य बन्द करने की रिपोर्ट नही मिली है।

फाउन्डेशन फॉर आर्गेनाइजेशनल रिसर्च द्वारा "सरकारी उद्यमों में अभिवृत्ति प्रशिक्षण" (एप्टीट्यूडिनल ट्रेनिंग) के सम्बन्ध में अध्ययन

9158. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फाउन्डेशन फॉर आर्गेनाइजेशनल रिसर्च द्वारा" सरकारी उद्यमों में अभिवृत्ति प्रशिक्षण (एप्टीट्यडिनल ट्रेनिंग) के सम्बन्ध में किए गये अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) संगठनात्मक अनुसंधान प्रतिष्ठान जो गैर-सरकारी रूप से संचालित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान हैं; ने प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी उद्यमों में वृत्तिका प्रशिक्षण के विषय में स्वयं अपनी ओर से अध्ययन किया है। किन्तु इस अध्ययन की सिफारिशें सरकार को अग्रेषित नहीं की गई हैं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह एक अच्छा लक्षण है कि राष्ट्रपति सचिवालय के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या वहां सरकार के दस्तावेज सुरक्षित हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद क्या कोई उपाय किये गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है, और वह कायम रहेगा।

श्री शान्ताराम नायक : आप केवल हमें विश्वास दिला सकते है कि वहां सरकारी दस्तावेज सुरक्षित हैं ...

अध्यक्ष महोदय : सरकार को कार्यवाही करनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री शांताराम नायक : मैं जानना चाहता हूं क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कोई उपाय किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं हैं श्री नायक, मैंने उस दिन आपको बताया था यह बहुत आसान है। जब मैं कोई वात कह देता हूं तो वही बात होती हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हमें समाचार पत्र से पता चला है कि श्री गनी खां चौधरी ने त्यागपत्र दे दिया है। हम कारण नहीं जानते है। श्रीमन्, हमें नहीं बताया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, आपको कानून का पता है।

[अनुवाद]

आप प्रक्रियाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि मन्त्री जी वक्तव्य दे सकते हैं। मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। यह तो बहुत सरल है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमन्, तीन मन्त्रियों ने संसद से बिना किसी कारण दिये त्यागपत्र दे दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में मैं क्या कर सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें क्या करना है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए अटकलबाजियां शुरू होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइये मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन केबिनेट मन्त्रियों ने संसद को बिना कारण बताये त्यागपत्र दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : गुप्ता जी, आप मुझे बताइये, मैं क्या कर सकता हूं। उन्हें छूट है वे वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से आप अनुमान को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसे करने दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कभी भी किसी को रोका नहीं है। क्या ऐसा किया है; मेरा कोई कसूर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे पास एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री जयपाल रेड्डी जी।

[हिन्दी]

जयपाल जी, दुनिया में और भी आदमी हैं।

[अनुवाद]

सदन में दूसरे सदस्य भी हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल ही बता दिया था, आज कोई मैंने नया नहीं बताया है।

[अनुवाद]

आपको चर्चा से कौन रोक रहा है ?

[हिन्दी]

आप करिये ।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई-उत्तर मध्य) : श्रीमन्, बम्बई में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के 10 हजार टैक्सटाइल कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाला जा रहा है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत मुझे लिखकर दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : वे धरने पर हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम 377 के अन्तर्गत लिखकर दे दीजिए ।

आप नियम 377 को माध्यम के रूप में प्रयोग करें ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष जी मेरा प्वांइट यह है कि 5 दिन पहले पंजाब और हरियाणा में बड़ी जबर्दस्त बारिश आई, झंक्कड़ आया···

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, आप मुझे लिखकर दे दीजिए···

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत मुझे लिखकर दे दीजिए, बस ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने दिया है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से राहत या धन नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया, करवा देता हूं । आप मुझे नियम 377 के अन्तर्गत लिख कर दे दीजिए ।

[अनुवाद]

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : आज समाचार पत्र में बहुत गम्भीर खबर आई है कि एक आई० ए० एस० अधिकारी जिसने पता लगाने की विधि के सम्बन्ध में सुझाव का प्रयास किया···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ नही प्रोफेसर साहब ।

[हिन्दी]

आप देखिये न, आप फिर वही बात करते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता यह क्या है ।

प्रो० मधुदण्डवते : यह बहुत गम्भीर मामला है, उन्हें बर्खास्त क्यों करते हैं अगर वे पता लगाने के तरीके का सुझाव देते हैं···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह केस है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं उसका कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते है कि आपके द्वारा मुझे दिये गये प्रस्ताव का आकर्षण होगा ।

प्रो० मधुदण्डवते : मैं केवल यह कहता हूं, उन्हें स्पष्ट करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी बात की आवश्यकता नहीं हैं । कोई समस्या नहीं है ।

[हिन्दी]

हां क्या बात है ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर साहब, आसाम में लाखों आदमी अपनी जमीनों से बेदखल किये जा रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : नहीं, मेरा आपसे गुजारिश है कि पार्लियामेंट में आप···

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत मुझे लिखकर दे दीजिए ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने उनसे बात की है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

[अनुवाद]

श्रीमन्, आपका स्वागत है । मैं इसे नहीं कर सकता हूं । आप मुझे नियम 377 के अधीन नोटिस दे दीजिये और मैं इसकी अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वह आसाम एकार्ड के···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

इसकी अनुमति नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : उसकी छानबीन होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये साहब, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास साधन मौजूद हैं, आप उनका सहारा ले लीजिएगा । मेरे ऊपर क्यों डालते हैं ।

———

12.03 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री गुलाम नबी आजाद**) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 को उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक-निस्सारित तेल, तेल रहित आहार और खाद्य आटा (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1986 जो 9 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 378 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4328/87**]

विधि आयोग के 116वें और 118वें प्रतिवेदन

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री एच० आर० भारद्वाज**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के सम्बन्ध में विधि आयोग के 116वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4329/87**]

(2) न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विधि आयोग के 117वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 4330/87**]

(3) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियों की रीति के सम्बन्ध में विधि आयोग के 118वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4331/87**]

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132—सीमा शुल्क में संशोधन करने वाली अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री जगदीश पुजारी**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का०

नि० 421 (अ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि नेपाली मूल के चार और उत्पादों को उन वस्तुओं की सूची में जोड़ा जा सके जो भारत-नेपाल व्यापार सन्धि, 1978 के अनुसार भारत में अधिमानी तौर पर लाई जा सकती हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4332/87]

भारतीय सीमेंट निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 और 1985-86 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण और ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण ।

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय सीमेंट निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय मे रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4333/87]

(ख) (एक) भारतीय सीमेंट निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4334/87]

(ग) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणिया ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4335/87]

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को

[प्रो० के० के० तिवारी]

दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4333 से 4335/87]

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कम्पनी सचिव अधिनियम, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क/18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(एक) का० आ० 266(अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अपोलो जिप्पर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 267(अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडियन हैल्थ इंस्टिच्यूट एण्ड लैबोरेटरी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 268(अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडिया बैल्टिंग एण्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, पश्चिम बंगाल के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 269(अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 270(अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुलूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छह) का० आ० 271 (अ), जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड तथा लिली बार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4336/87]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विद्युत साधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1987, जो 8 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 375(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4337/87]

(3) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1987, जो 23 फरवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710(2) (एम) (1) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इनके अंग्रेजी संस्करण, जो 9 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710(2) (एम) (1) में प्रकाशित हुआ था, का शुद्धि-पत्र।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4338/87**]

(4) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 1 सी० ए० (131)/82 जो 17 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1964 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4339/87**]

(दो) अधिसूचना संख्या 1-सी० ए० (148)/85, जो 17 मई, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विनियम, 1964 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4340/87**]

(तीन) अधिसूचना संख्या 1-सी०ए० (7)/152/86, जो 8 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विनियम, 1964 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4341/87**]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषधि (मूल्य नियन्त्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1986, जो 25 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 864(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4342/87**]

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता की वर्ष 1985-86 इत्यादि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखों और दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1987-88 के बजट प्राक्कलन

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4343/87]**

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम वर्ष 1987-88 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4344/87]

12.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिलों में अल्कोहल-आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग

श्री राजकुमार राय (घोसी) : महोदय, आजमगढ़ व बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े एवं उपेक्षित जनपद हैं। लाखों की संख्या में बेरोजगार युवकों के समक्ष रोटी की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। उद्योग की दृष्टि से प्रदेश के आजमगढ़ व बलिया जनपद सबसे पिछड़े जनपद हैं। आजमगढ़, बलिया तथा इसके निकटवर्ती गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोण्डा, जौनपुर आदि जिलों में चीनी की मिलें काफी संख्या में कार्यरत हैं। इन मिलों के शीरे का समुचित उपयोग न होने के कारण यह बेकार जा रहा है जबकि अल्कोहल पर आधारित उद्योग यहां अच्छी प्रकार चलाए जा सकते हैं जिससे रासायनिकों के आयात में कमी आएगी और विदेशी-मुद्रा की बचत होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को अल्कोहल पर आधारित उद्योग स्थापित करने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व बलिया जनपद में अल्कोहल पर आधारित एक उद्योग की स्थापना की जाए जिससे वहां के क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

(दो) महाराष्ट्र में नासिक जिले की मालेगांव चांदवाड और येवला तहसीलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'नार' और 'पार' नदियों पर बांधों का निर्माण करने की मांग

श्री एस० एस० भोये (मालेगांव) : महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नांदगांव, मालेगांव व वादंड में तीन तहसीलें सूखाग्रस्त हैं। उस जगह अनेक बंधारे भी बांधे हुए हैं परन्तु जितनी चाहिए उतनी पानी की सप्लाई नहीं हो पानी है और इसी वजह से इस जिले के उपरोक्त तहसीलों के निवासियों को पीने के पानी की पूर्ति पूर्णतया नहीं हो पाती है।

पानी की सप्लाई की सुविधा हो इसलिए "पार" तथा "नार" इन दो नदियों पर जो पश्चिम वाहिनी हैं तथा अरब सागर को मिलती हैं, इनके ऊपर कोई "डैम्स" नहीं हैं। इसलिए इनके उद्गम स्थान के पास बड़े-बड़े "डैम्स" बांधकर इनको पूर्व वाहिनी बनाया जाए जिससे कि नासिक जिले के मालेगांव, नांदगांव, चाखंड व देवला, इन तहसीलों को पानी मिले।

12.06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी काम के लिए अनेक माननीय कार्यकर्ताओं तथा संगठनों ने प्रयत्न किया तथा वे अभी भी प्रयत्नशील हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना का सर्वेक्षण भी किया है, परन्तु अभी तक लोगों की गरज व प्रबल मांग होते हुए भी उसी तरह की कार्यवाही नही हुई है। इसलिए इस सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए व खेती के विकास के लिए, अगर केन्द्रीय सरकार विशेष रुचि लेकर प्रयत्न करे तो इस क्षेत्र में जनता का विकास हो सकता है।

अत: भारत सरकार से मेरा खास आग्रह है कि "पार" तथा "नार" इन पश्चिमी वाहिनी नदियों के प्रवाह पूर्व की तरफ करने के लिए अपने सर्वेक्षण दल को भेजें व उसके लिए एक खास "निधि" भी उपलब्ध करें।

(तीन) टुंडला जंक्शन पर गोमती एक्सप्रेस के ठहरने और फिरोजाबाद तथा शिकोहाबाद रेलवे स्टेशनों पर कतिपय एक्सप्रेस/सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के रूकने की व्यवस्था करने की मांग

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला आगरा के टूण्डला तथा शिकोहाबाद रेलवे जंक्शन तथा फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का अपना निजी महत्व है। टूण्डला जंक्शन पर गोमती एक्सप्रेस का हाल्ट होना परमाश्यक है। ज्ञात हुआ है कि इस एक्सप्रेस का हाल्ट इटावा रेलवे स्टेशन पर तो कर दिया गया है जब कि टुण्डला जंक्शन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से न केवल आगरा तथा फिरोजाबाद के लिए रेलगाड़ियां गुजरती हैं बल्कि दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता तथा लखनऊ की ओर से आने वाली और उधर जाने वाली अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी गुजरती हैं और रूकती भी हैं। दिन में गुजरने वाली गोमती एक्सप्रेस के टुण्डला न रुकने के कारण जनता को असुविधा हो रही है। अतएव जनहित में इसका हाल्ट टुण्डला पर होना चाहिए। यही स्थिति फिरोजाबाद की है। वहां मगध एक्सप्रेस एक ओर से ही रुकती है। इसे दूसरी ओर से भी रुकना चाहिए। यह नितान्त खेद का विषय है कि फिरोजाबाद स्टेशन पर पहले रुकने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां आसाम मेल और नीलाचल एक्सप्रेस का हाल्ट भी समाप्त कर दिया गया है। इससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। रेलवे मन्त्रालय को चाहिए वे इस प्रकार की

[श्री गंगा राम]

इकतरफा कार्यवाही से जन-मानस को उद्वेलित कर असन्तोष न फैलने दें और नीलाचल, आसाम मेल का हाल्ट पुनर्जीवित कर दें तथा मगध एक्सप्रेस को भी दूसरी ओर से रोकने का प्रावधान करें। इसी प्रकार शिकोहाबाद जंक्शन पर भी दिन में कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को कुछ मिनटों के लिए रोकने का प्रबन्ध किया जाए। रेल मन्त्रालय से अनुरोध है कि वे इन मामलों को गम्भीरता से लेकर जनता के कष्ट का निवारण करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद जिले में आग से प्रभावित लोगों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उनके लिए मकानों का निर्माण भी करने की मांग

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीष्मकाल में देश के विभिन्न भागों में अग्निकांड की अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं और प्रदेशीय सरकारें अपने स्तर से प्रभावित लोगों की सहायता करती रहती हैं लेकिन उ० प्र० के बस्ती जनपद के खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र में स्थिति मेहदावल और हैंसर बाजार विकास खण्ड के अन्तर्गत जिस प्रकार का भीषण अग्निकांड अभी हाल ही में हुआ है उसने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। केवल एक स्थान मछली गांव में 128 घर जलकर राख हो गए। उन लोगों के खलिहान और घर ऐसे जल गए जैसे उस स्थान पर केवल राख का ढेर इकट्ठा कर दिया गया हो और सम्पत्ति नाम की कोई चीज कभी रही ही न हो, तीन जानवर और एक महिला जलकर मर गई। इस पूरे गांव का दृश्य यदि अग्निकांड के बाद का आंखों के सामने आता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के पास अब न तो रहने के लिए छप्पर है और न खाने के लिए दो रोटी। यद्यपि उ० प्र० सरकार ने इन लोगों की काफी मदद करने का प्रयास किया है, किन्तु उनकी भयावह स्थिति के समक्ष सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता नगण्य है। आज उनके सामने रोटी और मकान की समस्या विकराल रूप धारण करके खड़ी हो गई है जो जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।

अत: मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से मांग करता हूं कि इस आपात काल में इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपने कोष से दस लाख की विशेष सहायता और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत विशेष घर स्वीकृत कराकर उनके लिए आवास की व्यवस्था कराने की कृपा करें जिससे उन लोगों के मकान और रोटी की समस्या का समाधान हो जाए।

(पांच) खुदाई में प्राप्त मूर्तियों को सम्बन्धित समुदायों को सौंपने खासकर हरियाणा में हांसी और मध्य प्रदेश में दमोह में खुदाई में प्राप्त जैन मूर्तियों को जैन समुदाय को सौंपने की मांग

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय खेतों में तथा मकानों में जो धार्मिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वह पूजनीय होती हैं। उन मूर्तियों को उस धर्म को मानने वाले समाज को पूजन तथा उनकी सुरक्षा हेतु सौंप देना चाहिये। यदि यह मूर्तियां उन्हें नहीं दी जाती हैं तो उस समाज की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुंचती है तथा असन्तोष बढ़ता है। जो मूर्तियां किसी भी समाज की नहीं हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग संग्रहालय में उचित व्यवस्था हेतु रखे। उदाहरण के तौर पर हांसी (हरियाणा) प्रान्त में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो कि वहां जिला अध्यक्ष कार्यालय में रखी हुई हैं। जैन समाज ने अनेक बार उनको प्राप्त करने के लिये निवेदन किया, किन्तु उनको कुछ उचित उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

सदन के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि यह मूर्तियां जैन समाज को दे दी जायें जिससे कि समाज के लोग उनकी पूजा इत्यादि कर सकें तथा उनकी सुरक्षा भी करें ।

इसी तरह से बांदकपुर जिला दमोह (मध्य प्रदेश) में जो जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यह भी जैन समाज को पूजन के लिये तथा सुरक्षित व्यवस्था हेतु प्रदान कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे कि समाज में असन्तोष व्याप्त न हो ।

(छह) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 को जबलपुर से मांडला होते हुए रायपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 से जोड़ने की मांग

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई-वे क्रमांक 12, जो जयपुर से जबलपुर को जोड़ती है, उसे बढ़ाकर मांडला होते हुए रायपुर राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 43 में जोड़ा जाये । इससे मांडला एवं कवर्धा आदि आदिवासी बाहुल्य जिले भी लाभान्वित होंगे । वर्तमान में मांडला जिला, मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़ा हुआ जिला है, जहां 61 प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं । वहां एक भी नेशनल हाई-वे नहीं है । इससे आवागमन एवं विकास सम्बन्धी कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो रही है । जिले की प्रगति हेतु आवागमन का उत्तम साधन होना आवश्यक है ।

अत: यातायात परिवहन मन्त्रालय से निवेदन है कि नेशनल हाई-वे क्रमांक 12 को जबलपुर के आगे मांडला होते हुए रायपुर में नेशनल हाई-वे क्रमांक 43 से जोड़ने का कष्ट करने की कृपा करें । इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश पूरी तरह एक साथ जुड़ जायेंगे एवं नेशनल हाई-वे क्रमांक 43 के जुड़ जाने से आन्ध्र प्रदेश भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ जायेगा ।

(सात) रेलवे कर्मचारी सहकारी समूह आवास समिति, दिल्ली के कार्यकलापों की जांच करने की मांग

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मैं कुछ रेलवे कर्मचारियों की दशा के बारे में कहना चाहता हूं—इनमें से अधिकतर सेवानिवृत हो चुके हैं अथवा रेलवे से सेवानिवृत होने जा रहे हैं । इन रेल कर्मचारियों ने रेल कर्मचारी सहकारी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी में अपना पंजीकरण किया हुआ है । आवास सुविधा देने के लिए इसका पंजीकरण 1972 में किया गया था ताकि वे अपने सेवानिवृत जीवन को शान्ति से व्यतीत कर सकें । परन्तु दु:ख की बात है कि अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं । डी० डी० ए० ने 1975 में इस सोसायटी को दो एकड़ जमीन आवंटित की थी और फिर बाद में 1978 में एक एकड़ और जमीन प्रीतमपुरा, शारदा निकेतन, दिल्ली-34 में 50 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए आवंटित की थी । परन्तु, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक आंशिक रूप से ही निर्माण कार्य हुआ है ।

आमतौर पर ऐसी परियोजना का निर्माण डी० डी० ए० द्वारा जमीन आवंटित किये जाने के दो वर्षों के अन्तर्गत हो जाना चाहिए था । इसके बावजूद इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । जून 1984 से इस सोसायटी के खातों की लेखा परीक्षा भी नहीं की गई है । इस प्रकार जिन निर्दोष सदस्यों ने अपने समस्त जीवन का बचत धन फ्लैट प्राप्त करने की आशा में खर्च किया था उनको व्यर्थ में नुकसान उठाना पड़ रहा है । इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की जाच की जाए और सेवा निवृत तथा सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों तथा दूसरे लोगों को और परेशानी से बचाने के लिए कम से कम अवधि में फ्लैटों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी । डी० डी० ए० के रजिस्ट्रार को अनुदेश दिए जाएं ।

(आठ) सिक्किम में गंगटोक में संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्रीमती डी० के० भण्डारी (सिक्किम) : संघ लोकसेवा आयोग के लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में परीक्षा केन्द्र हैं। यह उन राज्यों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान है। सिक्किम में अभी तक यह सुविधा नहीं दी गई है। यहां के लड़के-लड़कियों को सुदूर कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। परीक्षा अवधि के दौरान रहने के लिए ठीक जगह ढूंढने में कठिनाई के अतिरिक्त इसमें बहुत अधिक वित्तिय कठिनाई भी होती है। यह उनके लिए बहुत नुकसान दायक बात है। हमारे लड़के-लड़कियों द्वारा, संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं देने के बारे में न सोचने का यह एक मुख्य कारण है। इसलिए, सरकार से अनुरोध है कि वह कृपया इस मामले पर गौर करें और संघ लोक सेवा आयोग को राज्य की राजधानी गंगटोक में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश करें।

12.15 म० प्र०

राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक

(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 4 मई 1987 को श्री बूटासिंह द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करते हैं, अर्थात् :—

"कि राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वृद्धि चन्द्र जैन, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : जी हां, महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक पर मैं अपने विचार सदन के समक्ष कल प्रस्तुत कर रहा था। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल का पद प्रजातांत्रिक ढांचे में अनिवार्य है। श्री वेंकटरत्नम ने इस बारे में जो अपने विचार प्रकट किए, उनके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। राज्यपाल निष्पक्ष, ईमानदार और उच्च-कोटि का विद्वान होना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जिन-जिन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करे, उनमें ये गुण अवश्य हों इस बात का अवश्य ध्यान रखे। क्योंकि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन हो जाता है तो गवर्नर पर उस राज्य के शासन को देखने की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर वह योग्य नहीं होगा तो वह उस राज्य के शासन को अच्छी तरह से चला नहीं सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यपाल निष्पक्ष, ईमानदार और उच्च कोटि का विद्वान हो।

ऐसा राजनीतिज्ञ जो कि राजनीति से निष्कासित कर दिया गया हो या उसका राजनीति में कोई स्थान न हो उसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। राज्यपाल उस राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर भी होता है। इस कारण उसके ऊपर शिक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर वह उच्च कोटी का विद्वान नही होगा तो भी चांसलर का कर्तव्य अच्छी तरह से अदा नहीं कर सकता है। वैसे हमारे राज्य में बहुत ही विद्वान गवर्नर सम्पूर्णानन्द

जैसे नियुक्त हो कर आये हैं और उनका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। जो गवर्नर योग्य नहीं होते हैं वह यूनिवर्सिटी के मामलों में गलत दखलअंदाजी करते हैं जिससे राज्यपाल का पद अपमानित होता है, अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कांस्टीट्यूशन में कोई प्रावीजन करने की आवश्यकता पड़े तो वह भी कर देना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल के पद का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी गाइड-लाइन्स होनी चाहिए और इसके लिए भी अगर कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो तो वह अमेंडमेंट करके गाइड-लाइन्स निर्धारित करनी चाहियें। या रूल्स से ही काम चल सकता हो तो रूल्स में ही निर्धारित करें क्योंकि कई-कई बार ऐसी जिम्मेदारी उन पर आती है जिसमें वह अच्छी तरह से ऐसी जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं तो उसमें गवर्नर की स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है और वे आलोचना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वे इस प्रकार से योग्य हों और उनके लिए ऐसी गाइडलाइन्स बनाएं जिससे वे उस पद का दुरुपयोग न करें।

जितने भी राज्यपाल के भवन हैं उनमें बहुत ही शान शौकत की व्यवस्था है। हमारा देश गरीब है, हमारा देश इस प्रकार की शान शौकत को किसी प्रकार भी एलाऊ नहीं कर सकता। इसलिए हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है कि इनके भवनों में जो व्यवस्था हो वह मुख्य मन्त्री के भवन की जो शान-शौकत है उससे ज्यादा न हो। अधिकांश मैंने देखा है कि उनकी शान शौकत पर बहुत खर्चा होता है जिससे हमारे प्रजातांत्रिक राज्य में बहुत ही अपमानजनक स्थिति बन गई है।

उनकी सैलरी 5500 से 11 हजार बढ़ाने का जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि उनके पद के अनुकूल उनकी सैलरी होनी चाहिए। जबकि जज की सैलरी 11 हजार कर दी गई है तो गवर्नर की भी सैलरी इसी प्रकार की होनी चाहिए। इस बारे में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यों के साथ-साथ जो उप-राज्य हैं, टेरिटरीज हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता है और वे ऐडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उनको बड़े अधिकार होते हैं। अब समय आ गया है कि इन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को इस प्रकार वाइड पावर्स नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर वहां क जो राय देते हैं उनको भी वे मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए उनका पद उप-राज्यपाल का होकर जिस प्रकार से राज्यपाल के अधिकार हैं उसी प्रकार से उप-राज्यपाल के भी अधिकार होने चाहिए।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमने जजेज का आदर करके उनकी सैलरी बढ़ाई है, हमने स्पीकर्स और मिनिस्टर्स की भी सैलरी बढ़ाई है, परन्तु हमने उसके अनुरूप लोकसभा के सदस्यों को जो स्तर उनका है और जो सम्मान उनका होना चाहिए, उनके सम्मान के और उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। तो उनके सम्मान के अनुरूप और उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी सैलरी और उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे वे योग्यता से अपने कर्त्तव्य को निभा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गवर्नर की बात बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। गैर-कांग्रेसी सरकारें जितने भी प्रदेशों में हैं उसमें उनका दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार की आलोचना हम देख रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, इस तरह के वक्तव्य मत दीजिए, इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता यह एक ठोस मुद्दा है। मैं इस तरह के वक्तव्य की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं कोई भी ठोस बात नहीं बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सामान्य वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। आप एक विशेष आदमी के बारे में कुछ कह रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरे कहने का मतलब यह है कि···**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, आप तो सुनते नहीं हैं।

आपको हिन्दी आती नहीं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कहें कि कोई दूसरा इस प्रकार कह रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप हिन्दी नहीं समझते, मैं इंगलिश नहीं समझता। मैं तमिल नहीं समझता और आप तेलुगु नहीं समझते, इसलिए मुश्किल हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तेलुगु में बोलते हैं, मैं नहीं समझ सकता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप जरा ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से सुनिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल की जो व्यवस्था है और···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कौनसी नई बात को ढूंढ़ रहे हैं;

गवर्नर तो गवर्नर है। इस समझ की दृष्टि से तो मैं आपकी हिन्दी समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी :**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं क्या बोल रहा हूं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक राज्यपाल की व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा है । ऐसी आलोचना करने वालों के लिए भी कोई जांच की व्यवस्था होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री रामप्यारे पनिका : (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मैं रूल कोट कर रहा हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम उद्धृत कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका : राज्यपाल के व्यक्तिगत आचरण की चर्चा यहां सदन में नहीं की जा सकती है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह बता दिया है ।

श्री रामप्यारे पनिका : उनको न बोलने के लिए कहा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है कि इसको उठाने का कोई भी मुद्दा नहीं बनता है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पेपर्स में गवर्नर्स के बारे में आता है। जैसे यहां केन्द्र में एक सरकार है और राज्यों में इनकी पार्टी के खिलाफ सरकार होने के कारण जो चर्चा हो रही है, उसको बदलने के लिए क्या आप संविधान में तब्दीली लाने वाले हैं ? मैं तो

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

चाहता हूं कि मुख्यमन्त्रियों से पैनल आफ नेम्स मंगाकर उसमें से गवर्नर का चुनाव होना चाहिए। अभी केन्द्र सरकार की ओर से, जो कैबिनेट का डिसीजन होता है, उनके अनुसार नियुक्ति होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में विरोधी दलों की सरकार हो, वहां से, गवर्नर की नियुक्ति के समय पर, एक पैनल मंगाकर उसमें से गवर्नर की नियुक्ति होना चाहिए। (**व्यवधान**) आप जानते हैं कि वहां पर·····**·····ने क्या किया, लेकिन वह दूसरी बार नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**) उसका परिणाम जो हुआ वह भी आपने देखा है। (**व्यवधान**)·····**·····मैं कह रहा हूं कि···**·····का नाम छोड़ दीजिए। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल ने जो कुछ किया, उसका परिणाम आपने चुनाव में देखा, कि आपकी सरकार को क्या भुगतना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी सरकार को गिराना चाहते हैं तो उसका फैसला सदन में होना चाहिए, सरकार के भवन में नहीं या राज्यपाल के भवन में नहीं। मुख्यमन्त्री को चुनते समय भी अगर हो सकता है तो गवर्नर साहब को एक दिन पहले हाउस को बुलाना चाहिए और उसमें मुख्य मन्त्री तय करना चाहिए। आजकल चर्चा हो रही है राष्ट्रपति की। क्या कोई कांग्रेस का नेता निकलकर बोला कि राजीव गांधी की मेजारिटी चली गई और हमारी मेजारिटी हो गई ? जैल साहब तो बोले कि मैं संतुष्ट हूं, इनकी मेजारिटी ठीक है।

मैजोरिटी आ गया, तो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आपकी मैजोरिटी है, आप सरकार बनाइए। प्रधानमन्त्री पद के लिए पद स्वीकार करें। इस प्रकार बोलने से तो बड़ी मुश्किल होगी। इसी प्रकार गवर्नर का पद होता है। उस अधिकार को निकालना चाहिए। अगर नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। संविधान में कुछ तबदीलियां लानी चाहिए। हम तो गवर्नर को तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। और गवर्नर साहब को कुछ काम नहीं है, लेकिन गर्व होता है। जब वे कहीं जाते हैं, तो सायरन चलता है, उस वक्त यह महसूस होता है कि यह गणतन्त्र सरकार है या इंग्लिश सरकार है। एक-एक, दो-दो मील तक सायरन चलता है कि गवर्नर साहब आ रहे हैं और बाजु हटो-बाजु हटो। सारा ट्रैफिक रुक जाता है, इससे पता चलता है कि गवर्नर साहब आ रहे हैं या मुख्यमन्त्री जी आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब को मामूली आदमी जैसा देखना चाहिए। राजभवन को देखते हैं, तो राजभवन पांच एकड़ जमीन में बना हुआ है, गैस्ट हाउसेस बने हुए हैं। इस प्रकार से जो चल रहा है, इसमें थोड़ी तबदीली लानी चाहिए यह गवर्नर का पद बाहर से लाई हुई चीज है। इसलिए इसमें इतनी लग्जरी या इतनी जगह की आवश्यकता नहीं है।

गवर्नर साहब विधान सभा में आकर एक-दो बार भाषण देते हैं, तो उनको धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, यह धन्यवाद प्रस्ताव कहां से आया ? मैं कहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव की क्या जरूरत है। सरकार की ओर से केवल एक घन्टा आकर भाषण देना और वह भी कैबिनेट में तैयार किया हुआ पीस स्टीरियो की तरह मुख्यमन्त्री की जो पॉलिसी होती है, उसको अपने मुख्य से बोलते हैं—"मेरी सरकार" जबकि न उनकी सरकार है और न उनकी राय है। केवल मुख्य मन्त्री के निर्णय जो होते हैं या मन्त्रीमण्डल जो करने वाला है, उसको अपने मुख से बोलते हैं। कोई भाषण देते हैं और वह सरकार के खिलाफ जाता है, तो उस सरकार ने मेरे मुख्य से कहलवाया है, क्या इसके लिए आपके पास कोई मापदण्ड है। उसको लागू करने के लिए आपके पास कोई मापदण्ड है। उनको कोई

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया।

अधिकार नहीं है, तो गवर्नर की क्या जरूरत है। केवल सरकार के इशारे पर चलना होगा और सरकार की नीतियों को विधान सभा में बताना होगा। जो विधान आपने बताया है, उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो उसमें कुछ-न-कुछ बदलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जहां-जहां पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनके बारे में आपको अलग से सोचना होगा। अगर संविधान में तबदीली नहीं ला सके तो कम-से-कम मुख्यमन्त्री से एक-दो अनौपचारिक ढंग से बात करें तो जनतन्त्र के लिए अच्छा है और साथ-ही-साथ सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उसमें सीधे दखल नहीं दे सकते हैं। मुख्यमन्त्री के बिना किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, जरूरी नहीं है। मैं श्री शरद दिघे को बोलने के लिए आमन्त्रित करता हूं। समय समाप्त हो गया है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा··· (**व्यवधान**)**

बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। समय समाप्त हो गया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आपने पहले से ही 5-6 मिनट का समय ले लिया है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप लिखित रूप में मन्त्री को उदाहरण दे सकते हैं और वह इसका अध्ययन करेंगे··· (**व्यवधान**) मैं अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा····· (**व्यवधान**)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं गृह मन्त्री श्री बूटासिंह जी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में यह एक साधारण विधेयक है जिसमें राज्यपाल के वेतन को 5500 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 11000 रुपये प्रतिमास करने का प्रावधान है। राज्यपाल को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से 5500 रुपये का वेतन मिल रहा है जिसे काफी वर्षों के बाद बढ़ाकर 11000 रुपये करने का प्रयास किया गया है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से इस संशोधन को बहुत पहले किया जाना चाहिए था और इसीलिए इसे ठीक समय पर लाया गया है।

अब इस साधारण विधेयक पर चर्चा आरम्भ हो गई है। इस विधेयक के सभी विषयों पर चर्चा होने के पश्चात्, इसे कुछ ही मिनटों में पारित किया जाना चाहिए था। प्रथम वक्ता श्री वेंकट रत्नम ने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है कि क्या राज्यपाल के पद की आवश्यकता है और क्या इससे कोई प्रयोजन हल होता है। उन्होने यहां तक कहा है कि यह पद निरर्थक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब सदस्यों ने चर्चा के दौरान इस विधेयक के बहाने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी प्रश्न उठाए हैं। तथा कुछ सदस्यों ने संसद सदस्यों के वेतन के बारे में अपनी शिकायतें रखनी आरम्भ कर दी हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद दिघे]

मेरे विचार से इस विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है लेकिन जैसाकि विपक्ष के शुरू के वक्ता ने एक मूल-भूत मुद्दा उठाया है कि क्या यह पद आवश्यक है और क्या इसे जारी रखना चाहिए या नहीं, मैं इस विषय पर भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

स्वतन्त्रता से पहले राज्यपाल का यह पद केवल एक सांविधानिक तानाशाह का पद और वह एक निरंकुश शासक था जो कि प्रान्तीय तानाशाही का संचालन करता था परन्तु आजादी के पश्चात् उसकी भूमिका पूरी तरह से भिन्न है और इस बात पर सहमत होना बहुत कठिन है कि यह पद बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इस संविधान की संघीय व्यवस्था में जब हमारे यहां राज्य और केन्द्र हैं तो किसी संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता है। मैं ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता हूं जहां कोई भी संवैधानिक प्रधान न हो और सरकार स्वयं ही निर्वाचित विधान सभा या निर्वाचित संसद के प्रति जिम्मेदार हो। अतः कई ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां विधान सभा बुलाने, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के संबंध में निर्णय लेना पड़े और कई अन्य संवैधानिक कार्य करने पड़ें। इसके अलावा मैं कहूंगा कि भारत के संविधान में राज्यपालों को कतिपय विशेष दायित्व देकर यह बात काफी स्पष्ट की गई है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यह राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है कि वह इस पर गौर करे। अनुच्छेद 371 और अन्य कई धाराओं के अन्तर्गत अब ऐसे कई प्रावधान रखे गए हैं जिनकी ओर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए राज्य सरकारों और जिला परिषदों के बीच रायल्टी के हिस्से का फैसला उसके द्वारा किया जाना चाहिए।

इसके अलावा राज्यपाल यह निर्णय लेता है कि कौन से दल के नेता को राज्य का मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाए और संविधान में कई अन्य उपबन्ध हैं जिनके लिए राज्यपाल के पद की आवश्यकता है। मैं इस स्थिति में यह भी कह सकता हूं कि हमारे संविधान में मुख्यतः एक शक्तिशाली केन्द्र की कल्पना की गई है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जब संविधान बनाया गया था तब देश बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। देश का विभाजन हुआ था और कई चीजें की जा रही थीं। अतः इस देश के नेताओं ने फैसला किया कि एक शक्तिशाली केन्द्र होना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया।

इसलिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है यदि संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि केन्द्र का उस कार्य में कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए या किसी तरह की निरीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए जो राज्यों में स्वयं किया जा रहा है। अतः कुछ हक राज्यपाल को दिए गए हैं। उदाहरण के लिए उसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों का प्रशासन संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार चले। यदि यह इस तरह से नहीं चलाया जाता है तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश कर सकता है और उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि वह केवल सत्तारूढ़ दल का ही प्रयोजन सिद्ध करता हो। कई बार यह देश के हित में होता है, क्योंकि यदि संवैधानिक उपबन्धों का उचित ढंग से पालन नहीं किया जाए और राज्यों में एक संवैधानिक सरकार कार्यरत न हो तो केन्द्र को राष्ट्रपति के माध्यम से और स्वयं राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ता है।

अतः, इस दृष्टि से इस देश की एकता और केन्द्र को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए इन सभी शक्तियों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जहां तक अध्यादेश जारी करने की बात है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने पड़ते हैं। परन्तु कुछ परिस्थितियों में यह भी व्यवस्था की

गयी है कि वह अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और वह अध्यादेश को जारी करने की बात पर विचार भी कर सकता है।

जहां तक विधेयकों का सम्बन्ध है कभी कभी यह देखा जाता है कि विधेयक भी विधान सभा की शक्तियों से परे पारित किये जाते हैं और उस स्थिति में भी राज्यपाल को कार्यवाही करनी चाहिए और कार्यवाही करनी पड़ती है तथा उससे आशा की जाती है कि वह कार्यवाही करेगा और जहां तक उस विधेयक का सम्बन्ध है अपनी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कुछ राज्यों ने ऐसे विधेयक भी पारित किये हैं जो स्वयं देश के हितों के विरूद्ध थे और राज्यपाल को उसे रोकना पड़ा। यदि राज्यपाल का पद नहीं होता तो देश के समूचे हित को नुकसान पहुंचता। अतः इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि यह पद नितान्त आवश्यक है।

ऐसे भी उदाहरण हैं जहां राज्य सरकारों ने स्थानीय आन्दोलन कारियों के साथ साठ गाठ की है और कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। लोग बहुत अधिक भयभीत थे। राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया और मुख्य मन्त्री को मन्त्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए कहा और यह भी कहा आपको कार्यवाही करनी चाहिए और यह सब रोकना चाहिए। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि राज्य पालों ने कभी भी कार्य नहीं किया है तथा यह केवल एक अलंकारिक पद है या इसका केवल सतारूढ़ दल द्वारा अपने हितों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है यदि हम इन सभी उपबन्धों, राज्यपाल की सामाजिक जिम्मेदारियों और राज्यपाल की कई शक्तियो पर गौर करें तो यह पता चलेगा कि जहां तक इस पद का सम्बन्ध है यह निहायत जरूरी है।

राज्यपाल की भूमिका का आलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने भी बड़े कौशल से वर्णन किया था उन्होंने कहा था :

> "ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मन्त्रिमंडल के एक मित्र और मध्यस्थ के रूप में कार्य करें और शुरू में सरकार के ठीक ढंग से कार्य करने में सहायता करें। यह बात मुख्य रूप से याद रखनी चाहिए कि राज्यपाल एक सवैधानिक प्रधान एक दूरदर्शी सलाहकार और सरकार का परामर्शदाता होता है जो कि कठिनाई को और बढ़ा सकता है।"

उसकी यह जिम्मेदारी भी है और कई बार राज्यपालों ने इस दायित्व को कुशलता से निभाया है अन्यथा इस देश का हित भी खटाई में पड़ सकता था। संविधान के विशेषज्ञों द्वारा कुछ मार्ग निर्देशों का भी जिक्र किया गया है कि उसे अपनी शक्तियों का, जाकि उसके विवेकाधीन हैं, कैसे उपयोग करना चाहिए। जब वह सरकार की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इस संबंध में बहुत सी बातें दी गई हैं। यह सुझाव दिया गया है कि यदि विधेयक पूरी तरह से असवैधानिक है और यदि यह एकता और अखण्डता की दृष्टि से देश के व्यापक हितों के विरूद्ध है और सर्वोच्य सिद्धान्त को बनाये रखने की आवश्यकता है, तथा संघ की सामान्य नीति से टकराती है या यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का सीधे विरोध करता है या राज्य द्वारा पारित किया गया विधेयक बहुत राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

ये बातें केवल सैद्धान्तिक नहीं है। इन सब वर्षों में हमने ऐसा देखा है और ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यपाल को कार्यवाही करनी पड़ी।

[श्री शरद दिघे]

यह सच है कि इन कृत्यों को करते हुए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना आवश्यक है जो इन सब कर्तव्यों और कृत्यों को कर सके। अत: मैं सरकार से अनुरोध-करूंगा कि राज्यपालों को नियुक्त करते हुए वे कतिपय पहलुओं पर अवश्य ध्यान दें। ये वास्तव में राजनीतिक नियुक्तियां हैं। आप केवल सेवा निवृत्त नौकरशाहों या सेवानिवृत सैनिक-अधिकारियों और भूत पूर्व सैनिकों को ही नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यह केवल एक नौकरशाहों का कार्य या कर्तव्य नहीं है। यह एक राजनीतिक कृत्य है। राज्यपाल जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तब उसे राज्य की राजनीति को देखना होता है, उसका अनुमान लगाना होता है तथा उस राज्य की राजनीति को समझना होता है। यह केवल प्रशासनिक उत्तर दायित्व नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी नीति की समीक्षा करें और केवल निकाले हुए राजनीतिज्ञों या सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों या भूत-पूर्व सैनिकों को ही नियुक्त न करें, अपितु जैसे आप अच्छे राजनीतिज्ञों को मन्त्री बनाते हैं उसी तरह आपको अच्छे राजनीतिज्ञों अच्छे लोगों को राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। यह गलत नहीं है, यदि आप अपने लोगों को नियुक्त करते हैं क्योंकि जब अन्य दल सत्ता में था तो उसने भी अपने लोगों को राज्यपाल बनाया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि जो दल सत्ता में है उसे अपने उन विश्वासी लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो केन्द्र और राज्य के मध्य सम्बन्ध को ठीक प्रकार से बनाये रख सकें और जो उचित ढंग से कार्य कर सकें और जो यह सुनिश्चित कर सकें कि पूरा संघीय सम्बन्ध ठीक ढंग से चले।

यदि हमारे पास ऐसे अयोग्य राज्यपालों के उदाहरण हैं जिन्होंने गलत ढंग से कार्य किया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पद खराब है। हो सकता है कि आपने ऐसे अयोग्य व्यक्तियो को नियुक्त किया हो जिन्होंने अपने कर्तव्य को न समझा हो और उन्होंने अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन न किया हो। यह पद अच्छा है, यह संविधान के अन्तर्गत आवश्यक है, यह हमारे देश के हित में जरूरी है, परन्तु कार्यपालिका को केवल एक कार्य करना चाहिए कि उसे योग्य व्यक्तियों, योग्य राजनीतिज्ञों, अपनी पसंद के लोगों, विश्वासी लोगों, तथा ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो इन बातों को कायम रख सकें तथा देश के हित में इन कार्यों को कर सकें। मेरा यही अनुरोध है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : महोदय, विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। जहां तक इस विधेयक के कार्यक्षेत्र की बात है यह राज्यपाल का वेतन 5500 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये प्रति माह करने के बारे में है और मैं इस बात से ईर्ष्या नहीं करूंगा कि यह धन राशि राज्य-पाल को दी जा रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मन्त्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद सदस्य और अन्य लोगों के वेतन को तदर्थ रूप से बढ़ाने की बजाय, ऐसा कोई सिद्धान्त होना चाहिए जो वेतन बढ़ाने या घटाने में मार्ग दर्शक हो। इसे मूल्य सूचकांक से भी जोड़ा जा सकता है। हर बार गृह मन्त्री द्वारा ससद सदस्यों के वेतन बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना, जोकि गलत प्रभाव डालता है या राज्यपाल के वेतन के लिए विधेयक लाने की बजाय, ऐसा कोई सिद्धांत होना चाहिए कि वेतन मूल्य सूचकांक में एक विशेष वृद्धि के साथ ही बढ़ाया जा सके।

परन्तु जहां तक उस व्यापक पहलू की बात है जिसपर कई सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किये हैं, एक विचार यह है कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाये। खैर, मैं नही समझता

कि इस समय मैं इस पर विवाद करूं, क्यों कि यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। परन्तु माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं, ने कहा था कि राज्यपाल को एक मित्र और एक मध्यस्त होना चाहिए और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि राज्यपाल का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुरूप चले। एक संघीय व्यवस्था का सफल होना केन्द्र और राज्य के मध्य विश्वास पर निर्भर करता है। यदि केन्द्र यह समझता है कि केवल केन्द्र ही संवैधानिक गुणों की खान है और राज्य में केन्द्र का कोई एक एजेन्ट होना चाहिए और यह कि राज्यों पर हमेशा इस बात के लिए सदेह किया जाये कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकेगा यद्यपि यह स्वयं लोगों द्वारा चुनी गयी है तब मेरा विश्वास है कि हमारी संघीय व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

यदि राज्य सरकार आपे से बाहर हो सकती है, यदि राज्य उसी तर्क से संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि केन्द्र सरकार संविधान के अनुसार शासन चलायेगी ? क्या यह सच नहीं है कि इस देश में संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन हुआ है और इस कारण ही जनता ने अपने मतदान द्वारा दलों को सत्ता से हटा दिया ?

स्थिति यह है कि यदि राज्य और केन्द्र का शासन संविधान के अनुसार नहीं होता है, तो कोई व्यक्ति अथवा कोई राष्ट्रपति अथवा कोई राज्यपाल इस देश को बचा नहीं सकता है। यह सुरक्षा जनता स्वयं करेगी। और इसीलिये, मेरी राय में यह महसूस करना ठीक नहीं है कि यदि चुनी गई सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाती है तो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल ही इसके बारे में अंतिम निर्णायक हो सकता है। निर्णायक तो केवल जनता ही होनी चाहिए ? क्योंकि यदि यह शक्ति राज्यपाल को दे दी जाती है तो इसी के आधार पर यह शक्ति इस देश के राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिये और कोई भी इस बात से सहमत हो सकता है कि यदि केन्द्र सरकार संविधान के अनुसार कार्य नही करती है तो राष्ट्रपति इसी आधार पर कि केन्द्र सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, उस केन्द्रीय सरकार को बर्खास्त कर सकता है। मेरा निश्चित विचार है कि संविधान के अधीन राष्ट्रपति को केन्द्र में निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

अन्ततोगत्वा, बचाव के दो रास्ते हैं। पहली बचाव व्यवस्था यह सभा है। जब तक प्रधान मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री के साथ-साथ मन्त्रिमण्डल को सभा का विश्वास प्राप्त है, वह प्रधान मन्त्री बने रहेंगे। मान लीजिये संसद, संविधान के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, तो दूसरी बचाव व्यवस्था स्वयं जनता में निहित है। जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी जिसके बारे में वह यह महसूस करती है कि वह सरकार संविधान के उपबंधों का उलघन कर रही है। और मुझे विश्वास है कि यह सिद्धांत राज्यों के मामलों में भी लागू होना चाहिए। ये दो बचाव व्यवस्था है अर्थात् विधानमडल की बचाव व्यवस्था और जनता की बचाव व्यवस्था, जिसे संविधान में प्रदत्त गारंटी के विरूद्ध कार्य किये जाने पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, कि हमें भली भांति विदित है कि विगत समय में राज्यपाल की शक्ति का दुरूपयोग किया गया है। यदि राज्यपाल मित्र के रूप में अथवा एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करे तो वह कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मंत्रिमंडल और विधान सभा के साथ उसके सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हों। जहां तक राज्य संचालन का सम्बन्ध है, आप से यह आशा नहीं की जाती कि आप किसी भी व्यक्ति को वहां गुप्तचर अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर दें।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

जहां तक राज्यपाल की नियुक्ति का सम्बन्ध है, इसके बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं। संविधान में दिये गये ऐसे कृत्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने स्व-विवेक से काम ले सकते हैं, मूलत: राज्यपाल को मन्त्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। आप उस राज्यपाल से मन्त्रिमंडल की सहायता और सलाह से काम करने की आशा कैसे कर सकते हैं यदि उसका राज्य सरकार के साथ किसी प्रकार का ताल-मेल नहीं है। इसलिये मैं गृह मन्त्री से कम से कम इतना अनुरोध तो करना ही चाहूंगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में राज्य का परामर्श ही नहीं अपितु सहमति भी अपेक्षित है क्योंकि मुख्य मन्त्री या मन्त्रिमंडल की सहमति के बिना उनके सर पर बिठाये गये राज्यपाल के साथ मनमुटाव होना निश्चित है। और प्रजातंत्र में, जहां राज्यपाल की भूमिका बहुत ही सीमित है और ऐसी स्थिति में यदि गलत फहमी के कारण मनमुटाव आरम्भ हो जाता है तो राज्य प्रणाली सही ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर हमने देखा कि आंध्रप्रदेश में क्या हुआ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमने यह भी देखा कि जम्मू और काश्मीर में क्या हुआ। मैं श्री फारूख अब्दुल्ला द्वारा लिखित 'माई डिस्मिसल' नामक पुस्तक अपने साथ नहीं लाया हूं। उन्होंने राज्यपाल के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाये थे। आंध्र प्रदेश और जम्मू-काश्मीर दोनों के बारे में बाद के तथ्यों से पता चलता है कि राज्यपालों के सरकारों को बर्खास्त करने के निर्णय पूरी तरह गलत थे। जनता ने उनके विरूद्ध मतदान किया। मैं एक अन्य जो मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूं वह यह है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल का पद किसी के प्रति जवाब देह नहीं है। यदि राष्ट्रपति संविधान के विरूद्ध कोई कार्य करता है तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अधीन उसपर महाअभियोग चलाया जा सकता है। यदि प्रधानमन्त्री ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किन्तु राज्यपाल के विरूद्ध महाअभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के विरूद्ध जवाब देही तलब करने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अन्तर्गत ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य विधान सभा अथवा संसद में राज्यपाल को जवाबदेह ठहराया जा सके। यह स्थिति नितांत अस्वीकार्य है। इस देश में सभी व्यक्ति तथा सभी जननेता जवाबदेह हैं किन्तु राज्यपाल नहीं। यहां तक कि यदि मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यदि कोई गलत काम करते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु राज्यपाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यदि उसका आचरण संविधान के सर्वथा विरूद्ध है अथवा उत्तरदायित्व हीन है तो कोई भी वहीं केवल प्रधान मन्त्री ही उसके विरूद्ध कोई निर्णय ले सकता है जिसका परिणाम यह है कि राज्यपाल केवल प्रधान मन्त्री को ही खुश रखेगा। उदाहरण के तौर पर हमने देखा है

**

हम इस पर चर्चा नही कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आपवादिक स्थिति में यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में संसद में चर्चा की जा सकती है और यदि प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री संसद और विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं तो राज्यपाल को उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जा सकता है?

इसलिये मेरा आग्रह है·····(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोस्वामी, उस आरोप के बारे में कि किसी राज्यपाल के घर का उपयोग·····

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं कहना चाहूंगा कि किसी राज्यपाल का।

उपाध्यक्ष महोदय, : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मैं श्री जंगा रेड्डी के भाषण में अब विनिर्णय दे चुका हूं और मैं यहां कोई और विनिर्णय नहीं दे सकता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह शक्ति के दुरुपयोग के बारे में हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु आमतौर पर आप ऐसा कह सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं तो यही कहूंगा कि राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग करने के बारे में चर्चा की जा सकती है किसी राज्यपाल विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वह पहले ही कह चुके हैं।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री बृजमोहन महंती : नियम 47 और 352 के अनुसार यह प्रतिबन्ध उन राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में है, जो अपने पदों पर वर्तमान हैं।

जहां तक भूतपूर्व राज्यपालों और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में निर्बाध चर्चा की जा सकती है। मेरा यही मुद्दा है। आप इसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं अथवा ठीक ठहरा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मूल प्रस्ताव पर हम चर्चा कर सकते हैं किन्तु सामान्यतः···

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं सामान्य रूप से ही कह रहा हूं। मैं किसी राज्य विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि अमुक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और केन्द्र के इशारों पर नाचता रहा। अनेक मामले हैं। मैं किसी भी विशेष मामले का उल्लेख नहीं करूंगा। श्री कौशल बिहार राज्यपाल रहे। ठीक है, मैं नहीं सोचता हूं कि उनके खिलाफ मेरी कोई शिकायत है। अतः यह बात व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करती है। इस सदन के दोनों पक्ष के कुछ सदस्यों की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इस प्रयोजन के लिए तथा राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहिए। यह बात नहीं है कि अस्वीकृत व्यक्ति को निकाल ही दिया जाये। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को जनता रद्द कर चुकी है उसे निकाल ही दिया जाये। ऐसी बात नहीं है कि जिन व्यक्तियों को जनता ने रद्द कर दिया है उन्हें इस राज्य से निकाल ही दिया जायें, और न यह कि राज्यपाल को एक

[श्री दिनेश गोस्वामी]

आज्ञाकारी व्यक्ति होना चाहिए और उसे विशेषकर विरोधी दल द्वारा शासित राज्यों में, केन्द्र के एक गुप्तचर अधिकारी के रूप में, अपनी भूमिका निभानी चाहिए जिससे कि वह निर्वाचित सरकार को पदच्युत करने में केन्द्र सरकार की सहायता कर सके।

इसीलिए, मेरा निवेदन है कि अब वह समय आ पहुंचा है जब कि वर्तमान विवादास्पद स्थिति के संदर्भ में जो कि इस देश में राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों के बारे में उठे हैं सम्पूर्ण मामले की जांच कर ली जाये। यह पहली बात है। दूसरी यह कि केन्द्र और राज्यों में निर्वाचित सरकारों के साथ उनके क्या सम्बन्ध होने चाहिए और गृह मन्त्री को यह बात भली भांति ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि कोई सिद्धांत विशेष लागू किया जाता है यानी यह मानना कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि बहुमत से निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर सकता है या लोकप्रिय सरकार राज्य में शासन संचालन कर सकती है, संविधान के अनुरूप नहीं है बल्कि संविधान का उल्लंघन है और तब यही सादृश्यता अथवा यही तर्क केन्द्र के बारे में भी लागू किया जा सकता है। विधेयकों का उल्लेख किया गया है। हो सकता है संसद द्वारा कोई ऐसा विधेयक पारित किया गया हो जिसके द्वारा राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसका उपचार

1.00 म०प० क्या है ? न्यायालय में जाने पर इसका उपाय हो सकता है। यदि संसद कोई ऐसा कार्य करती है अथवा किसी ऐसी शक्ति का उपयोग करती है जो उसे प्राप्त नहीं है तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्याय ही उसकी व्याख्या करेगा और हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए, यदि राज्य ऐसी शक्ति का उपयोग करता है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है अथवा जिसका अधिकार, राज्यों को न तो दूसरी सूची में अथवा तीसरी सूची में ही प्राप्त है, ऐसे मामले में राज्यपाल को मध्यस्थ नहीं बनाया जाना चाहिए। अन्ततोगत्वा न्यायालय ही इस बात का निर्णय करेगा कि वह शक्ति राज्य को उपलब्ध है अथवा नहीं। किन्तु वास्तविकता यह है कि जनता के हित के, जनता के लाभ के अनेक विधेयकों को रोक लिया गया है और अनेक वर्ष बीत जाने पर भी राष्ट्रपति द्वारा उनकी मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने अथवा स्वीकृति न दिये जाने के बारे में भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों की और चर्चा करने की आवश्यकता है।

1.00 म० प०

मुझे केवल इस बात की चिन्ता है कि इस विधेयक पर चर्चा करते समय मुझे इस बात पर गहराई से चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो जा रहा है कि राज्यपाल के क्या-क्या कार्य हैं और उसके क्या-क्या अधिकार हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, स्वीकृति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के क्या अधिकार और कर्त्तव्य हैं; किस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए राज्यपाल को भेजने के सम्बन्ध में राज्यपाल के क्या-क्या अधिकार और कर्त्तव्य हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि विशेष कर आज की विवादास्पद स्थिति के संदर्भ में जो प्रकाश में आई है, इन सभी बातों पर विशद चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां तक प्रधान मन्त्री का यह कथन भी रिकार्ड में दर्ज है कि ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान को उलटने की कोशिश रही हैं। प्रधान मंत्री की ओर से दिए गये इस प्रकार के वक्तव्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वह बात महत्वपूर्ण हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हुआ।

श्री दिनेश गोस्वामी : जब प्रधान मन्त्री खतरा महसूस करते हैं और यह भी सहसूस करते

हैं कि पद का दुरुपयोग हो सकता है तो ऐसी स्थिति में महसूस करता हूं कि पूरे मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह सभा के सभी वर्गों की राय है कि राज्यपाल के कृत्यों और शक्तियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमें कोई अवसर मिलेगा, जब हम इस विषय पर गहराई से और विस्तार से विचार कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और मध्याह्न पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत होंगे।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक

(जारी)

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : राज्यपाल की परिलब्धियों को 5500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रु० प्रति माह करने वाले इस राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 1987 का मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, राज्यपाल की परिलब्धियों मे 1950 से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जब कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों तथा संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की परिलब्धियों में 1985 में वृद्धि की गई थी। 1950 से आवश्यक वस्तुओं और जीवन निर्वाह की अन्य वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए राज्यपालों की परिलब्धियों में यह वृद्धि उचित ही है। अतः मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, विडम्बना यह है कि जो संसद-सदस्य केन्द्रीय सरकार का बजट पारित करते हैं और मन्त्रियों, पीठासीन अधिकारियों, राज्यपालों और सभी अन्य सरकारी कर्मचारियों जैसे सभी मामलों में वेतन वृद्धि का समर्थन करते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। संसद-सदस्यों को जिन वित्तीय समस्याओं और कठिनायों का सामना करना पड़ता है, उस ओर कोई ध्यान नहीं देता है।

संसद-सदस्य, जो अन्य लोगों के मामलों की वकालत करते हैं। उन्हें कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन हमारे मामले पर कौन विचार करेगा ?

एक माननीय सदस्य : ऐसी कोई सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां दो मंत्री उपस्थित हैं।

श्री पी० नामग्याल : कागजों में तो संसद सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान हैं, जैसे—रेल यात्रा, टेलीफोन, विमान यात्रा, रियायती दरों पर आवास, बिजली, पानी, आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं, संसद सदस्य ज्यादातर इन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जिन क्षेत्रों में रेल लाइनें नहीं हैं, कोई वायु सेवा नहीं है, टेलीफोन सुविधायें नहीं हैं, इन सुविधाओं का उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के लिए कोई लाभ नहीं है। अतः सरकार को, निकट भविष्य में इनके भत्तों और सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए, ताकि वे अपने सार्वजनिक वायदों और दायित्वों को सही ढंग से पूरा कर सकें। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के नियमों में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सरकार को जहां रेल या टेलीफोन या अन्य परिवहन सुविधायें नहीं हैं, वहां गुण-दोष के आधार पर इस बारे में विचार करना चाहिए। सरकार को रेल, विमान सेवा, टेलीफोन तथा अन्य सुविधाओं के स्थान पर कुछ और सुविधाएं ऐसे सदस्यों को देने पर विचार करना चाहिए।

श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री को मेरे इन विचारों को संसदीय कार्य मन्त्री तक पहुंचाने का कष्ट करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में आवश्यक संशोधन लाया जा सके, इन कुछ शब्दों के साथ मैं, माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किये गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : राज्यपाल की परिलब्धियों के विषय में वाद-विवाद करते समय, हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि परिषद् के संदर्भ में राज्यपाल के अधिकार तथा कृत्य क्या हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मामला हल हो गया है। 1974 में उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में फैसला दिया था। इस विषय पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 141 के अधीन उच्चतम न्यायालय ने जिस कानून के बारे में फैसला दिया है वह इस देश का कानून है। जब तक इसे बदल नहीं दिया जाता, तब तक किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मुझे शक है कि इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। केशवानन्द भारती मामले द्वारा लगाई गई सीमाओं के कारण, संविधान को मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

अब मैं समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए फैसले के कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें मन्त्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य और राज्यपाल और राज्य मन्त्रि-परिषद् के मध्य सम्बन्धों के बारे में कानून को स्पष्ट किया गया है।

पैरा 153,—पृष्ठ 2230, में

> "हम अपने संविधान की इस सम्बन्ध में जो विधि है उसकी घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जोकि विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत सभी कार्यपालक तथा अन्य शक्तियों के अभिरक्षक हैं, इन उपबन्धों द्वारा अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल अपने मन्त्रियों के परामर्श पर और परामर्श के अनुसार सुविदित विशेष स्थितियों को छोड़कर करेंगे···"

विशेष स्थितियां कौन सी हैं ? अनुच्छेद 100 के अन्तर्गत जब चुनाव आयोग सलाह देता है, तब राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करेगा। अतः अन्तर है। जहां तक राष्ट्रपति और राज्यपाल का सम्बन्ध है, किसी अन्य क्षेत्र में वह कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं कर सकता। देश के विद्वान न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर द्वारा दी गई टिप्पणी को मैं, यहां उद्धत करना चाहता हूं।

> "सिद्धान्तवादी या सर्वांगीण हुए बिना, ये स्थितियां (क) प्रधान मन्त्री (मुख्यमंत्री) की पसंद से सम्बन्धित हैं हालांकि यह पसन्द इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का सभा में बहुमत होना चाहिए···"

वह प्रधान मन्त्री या मुख्यमन्त्री हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसका सभा में बहुमत होना चाहिए। और—

"(ख) ऐसी सरकार को बर्खास्त करना जिसका सभा में बहुमत नहीं रहा है लेकिन वह हट नहीं रही है..."

ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है; यानि जब उसका सभा में बहुमत न रहा हो और हट नहीं रही है।

(ग) "सभा को भंग करना जबकि देश के लिए यह आवश्यक हो, यद्यपि इस क्षेत्र में राज्याध्यक्ष को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और उसे प्रधान मन्त्री (मुख्य मन्त्री) द्वारा यह सलाह दी जाये जोकि इस कदम के लिए अन्ततः जिम्मेदारी लेगा..."

सभा को भंग किए जाने के मामले में भी, उसे प्रधान मन्त्री या मन्त्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए। श्रीमन्, इस बारे में फैसला किया जा चुका है और 1985 से निर्णयों का यही रुख रहा है। उस समय अनुच्छेद 74 में संशोधन नहीं किया गया था। इसका 1977 में ही संशोधन किया गया। बाद में अनुच्छेद 74, में संशोधन करके इसे सुदृढ़ किया गया, और शब्द 'होगा' जोड़ा गया। 1977 में अनुच्छेद 14 में 'होगा' शब्द जोड़ा गया। जब जनता पार्टी शासन में थी, तब भी यथास्थिति रखी गई। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संविधान के कुछ उपबन्धों में परिवर्तन किया गया था, लेकिन इसको नहीं बदला गया। अतः इस पर राष्ट्रीय सहमति है। अतः राष्ट्रपति या राज्यपाल को मन्त्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है।

जहां तक राज्यपाल और मुख्यमन्त्री या राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के मध्य विवाद का सम्बन्ध है, यह कोई नयी बात नहीं है। वास्तव में 1979 में एक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रसारण में इसकी चर्चा की थी। प्रधान मन्त्री को भाषण की एक प्रति भेजी गई थी। इसको देखने के पश्चात् प्रधान मन्त्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उस समय के प्रधानमन्त्री ने जो टिप्पणी की थी, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। यह 21-1-79 की बात है—

"मैं समझता हूं कि यह एक परम्परा रही है कि भाषण को अन्तिम रूप देने से पूर्व राष्ट्रपति अपने भाषण का मसौदा प्रति प्रधान मन्त्री को भेजें। मुझे हैरानी है कि क्या आप इस परम्परा को बदलना चाहते हैं, जिसका आपके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने पालन किया था। यहां तक कि पिछले वर्ष आपने भी ऐसा ही किया था। यह प्रावधान संविधान के भी अनुरूप है।"

यह उद्धरण मोरारजी पेपर्स, पृष्ठ 25 से लिया गया है।

यह बात नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री के बीच में कोई मतभेद नहीं रहे हैं।

कुछ राष्ट्रपतियों ने विदेशों में जाते समय अपने साथ जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव स्वयं ही करना चाहा है, न कि प्रधान मन्त्री द्वारा मार्ग निर्देश दिए गए व्यक्तियों के साथ। आपको यह भी मालूम है कि कुछ राष्ट्रपति विदेशों में गये और वहां उन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त किए। यह भी ब्रिटिश परिपाटी के अनुसार नहीं है। मेरा निवेदन है कि संविधान में जो ये अपगामी बातें हैं उन्हें हटा देना चाहिए। यूनाईटेड किंगडम में सदन के नेता की अनुमति प्राप्त करनी होती है। यहां तक कि विरोधी पक्ष के नेता भी सम्राट (क्राउन) से नहीं मिल सकते। जिस वक्त ग्लैडस्टोन प्रधान मन्त्री तथा डिसरेली विरोधी पक्ष के नेता थे उस समय एक प्रकरण

[श्री बृजमोहन महन्ती]

हुआ था। उस समय से एक परिपाटी निकली कि विरोधी पक्ष के नेता तब तक सम्राट से नहीं मिल सकते जब तक कि उन्हें सदन का नेता अनुमति न दे दे।

1950 से एक तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमारे यहां राष्ट्रपति चूंकि निर्वाचित होता है इसलिए उसे ब्रिटेन के राजा या रानी से जोकि वंशानुगत रूप से पदारुढ़ होते हैं, ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह बात काफी हद तक संविधान में झलकती है तथा राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष होता है, उसके अधिकार ब्रिटेन के राजा या रानी से ज्यादा नहीं होते। अत: उसे अनुच्छेद 74 तथा 78 से कोई ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य है कि प्रेसीडेंट को जिस जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है उसे वह उपलब्ध कराये। परन्तु मेरा कहना है कि अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 74 पर निर्भर है क्योंकि गोपनीयता की शपथ अन्य मन्त्रियों द्वारा ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा नहीं। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेते। उन्हें इस तरह की कोई बन्दिश नहीं है कि उनको जो कोई भी जानकारी दी गई हो चाहे गोपनीय या अन्य किसी भी तरह की वर्गीकृत, वे उसे किसी को भी न बतायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विषय से हटिये मत। राष्ट्रपति की बात मत लाइए। आपको राज्यपालों के बारे में ही बोलना है।

श्री बृजमोहन महन्ती : वह राष्ट्रपति और राज्यपाल से सम्बन्धित है। मैंने उस निर्णय को उद्धृत किया है।

अब मैं एक और बात पर आता हूं। आपको मालूम है कि 1950-51 में एक मतभेद खड़ा हुआ था और तब प्रधान मन्त्री ने भी इस मामले को अटारनी जनरल को सौंपा था और उसने अपने विचार व्यक्त किये और उन विचारों से स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई थी तथा फिर इस विषय को अदालत द्वारा न्याय-निर्णीत किया गया था। अब यह मसला खत्म हो चुका है। कोई भी इसे फिर से नहीं उठा सकता है। जब तक कि आप संविधान में संशोधन न करें या फिर ऐसा कानून पारित न करें कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय मान्य नहीं है, तब तक यह स्वाभाविक है कि इसे फिर से नहीं उठाया जा सकता।

एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन् 1977 में जब नौ विधान सभाओं को भंग कर दिया गया था, तत्कालीन राष्ट्रपति ने तुरन्त ही अपनी सहमति नहीं दी थी और हमने एक दिन का विलम्ब कर दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन किया गया उसमें नारा दिया गया **'नाटक बन्द करो'**। अन्ततः राष्ट्रपति आये और उन्होंने इस पुनर्विचार करने के लिए भेजा तथा फिर आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति दी। अत: स्थिति यह है और परम्परा इस तरह की है। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि इस विषय को फिर से नहीं उठाया जा सकता और न ही इसे फिर से सामने लाना चाहिए।

अत: यह संविधान की भावना है और आप जानते हैं कि संविधान की भावना इस परिपाटी में दिखाई देती है।

श्री नारायण चौबे(मिदनापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो न्यायविद और न ही वकील हूं। मैं तो अपनी सामान्य बुद्धि से बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ज्यादा प्रभावी होगा।

श्री नारायण चौबे : मेरे विचार में राज्यपाल का पद अधिकांशतः सजावटी है, और सारवान कम है। अगर इसमें कुछ ठोस है तो वह मुख्य रूप में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से निपटने में है। राज्य में चाहे जो भी दल सत्तारूढ़ हो, राज्य सरकार के लिए यह पद मुख्य तौर पर सजावटी है। राज्यपाल समारोहों में जाते हैं, अच्छे-अच्छे भाषण देते हैं युवकों को सलाह देते हैं हरेक को सलाह देते हैं लेकिन जब कोई संकट आता है, तो प्रारम्भ से ही वह इस तरह का व्यवहार करते हैं जिसे राज्य के लोग पसन्द नहीं करते परन्तु केन्द्र सरकार को वह पसन्द होता है। जैसा कि श्री शरद दिघे ने कहा है कि वह मुसीबत को और अधिक भड़काते हैं। मैंने कई दफा देखा है कि जब कभी संकट आया हो तो वह उसे और गम्भीर बनाते हैं।

महोदय, आप मद्रास से हैं। आप प्रारम्भ से ही मद्रास से संबद्ध हैं। 1952 के चुनावों में मद्रास के अन्तर्गत तमिलनाडु, आन्ध्र तथा कुछ हिस्सा केरल का आता था। उस राज्य में कम्युनिस्ट दल एक बहुत ही मजबूत दल था और सत्ता में आने के करीब ही था। उस समय केन्द्र सरकार ने एक प्रसिद्ध व्यक्ति, महान व्यक्ति, गौरवशाली व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा था ताकि कम्युनिस्ट सत्ता में न आ सकें। यह बात रिकार्ड में है। पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी थी और उन्हें बहुमत सिर्फ दो सदस्यों का ही मिला था··· (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : राजगोपालाचारी को राज्यपाल बनाने में क्या गलत किया गया ?

श्री नारायण चौबे : कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि उन्हें वहां यह देखने के लिये भेजा गया था कि कम्युनिस्ट कभी भी सत्ता में न आयें। तब भी 1957 में कम्युनिस्ट दल सत्ता में आ गया।

श्री बिपिन पाल दास : उसमें गलत क्या था ? आप इसके पीछे क्यों मन्तव्यों को जोड़ रहे हैं ?

श्री नारायण चौबे : क्योंकि, मैं कहूंगा इसके पीछे मन्तव्य था। उस समय राजाजी ने कहा था कि "कम्युनिज्म मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।" उन्होंने ऐसा कहा था।

श्री बिपिन पाल दास : जी हां, उन्होंने ऐसा कहा है, इसमें गलत क्या है ?

श्री नारायण चौबे : इस समय सरकार यह कभी भी नहीं कहती कि कम्युनिजम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या वे ऐसा कहने से डरते हैं ? महोदय 1957 में पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय ने केरल में शपथ ली थी और उस सरकार को किस तरह गिराया गया यह भी सभी को मालूम है। वास्तव में हमने विधान-सभा में अपने बहुमत को नहीं खोया। फिर भी राज्यपाल के माध्यम से इसे अपदस्थ किया गया। 1967 तथा 1969 में पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही किया गया था। 1971 से 1977 तक पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की क्या भूमिका थी। जैसा कि श्री शरद दिघे ने बताया है कि राज्यपाल का काम आग में तेल डालने का है। कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 100 के करीब लड़के मारे गये। राज्यपाल मूक दर्शक बने रहे। चूंकि उस समय मुख्य मंत्री उसी दल के थे जिस दल की केन्द्र में सरकार थी इसलिए राज्यपाल ने उनकी सलाह को एकदम मान लिया। महोदय क्या आप जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ है और जम्मू तथा कश्मीर में क्या हुआ है। मैंने जो उदाहरण दिये हैं यह वास्तविकता है, न कि वकीलों तथा न्यायविदों द्वारा कही गयी बात। इन सजावटी पदों को रखने का क्या फायदा है ?

[हिन्दी]

"कित्वया क्रियते ध्वन्नाः या न सूता न दुग्धवा"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : आप इसका अनुवाद क्यों नहीं कर देते ?

श्री नारायण चौबे : मेरे विचार से वे इसका अर्थ जानते हैं। महोदय अब आप इनकी पगार 5,500 रुपये से 11,000 रुपये कर रहे हैं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। आप इसे करिये। लेकिन इस पद को होना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप इस पद को रखने के लिए बाध्य हैं तो आप ऐसा संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री से सलाह करके सहमति लेकर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मुख्य मंत्री की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए नामों की सूची होनी चाहिये। केन्द्र तथा राज्य को नामों का चयन करके उन्हें पैनल में रखना चाहिए। इस पैनल में से राज्यपाल का चयन करना चाहिये। राज्य की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए जैसाकि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में किया गया है। महोदय, आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु देशम दल का विधान सभा में बहुमत था। वे हैदराबाद से चलकर दिल्ली में अपना बहुमत दिखाने के लिए आये थे। जानबूझकर उनकी ट्रेनों को विलम्ब किया गया तथा उन्हें परेशान किया गया। लेकिन तब भी राज्यपाल को संतुष्टि नहीं हुई। यह जीवन की सच्चाई के उदाहरण हैं। इस विषय पर हमारे वकीलों, न्यायविदों तथा विधि विद्वानों द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह आज की वास्तविकता के अनुकूल नहीं है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्यपाल के पद को हमेशा के लिए ही क्यों न खत्म कर दिया जाये। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक ऐसी प्रणाली क्यों नहीं निकालते जिससे राज्यपालों की नियुक्ति राज्य सरकारों के परामर्श के बाद की जा सके।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक के विषय में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह ऐसा विषय नहीं है, हर व्यक्ति इस देश का और इस सदन का इस बात का पूरा समर्थन करेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति से काम लेना है, अगर उसको वर्ल्डली-एल्योरमेंट्स से दूर रखना है, सार्थक और सक्षम बनाना है, तो उसे उतनी उपलब्धियां और इतनी सुविधायें मिलनी चाहिए, ताकि वह ईमानदारी से काम का निष्पादन कर सके। तो राज्यपालों के लिए अगर 5,500 रुपये से 11,000 रुपये का वेतन बढ़ाया जा रहा है, तो कोई खास बात नहीं है। पूरे सदन को इसको एक राय से पास कर देना चाहिए। सारे लोगों के इतने दिनों के अन्दर महंगाई भत्ते बढ़े हैं और यह तो ओवरड्यू था। सबके वेतन बढ़े हैं, सबके भत्ते बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बढ़े हैं, हाई कोर्ट के जजेज के बढ़े हैं और दूसरे सिविल सर्वेन्ट्स के बढ़े हैं और ऐसा कोई न होगा, जिसके न बढ़े हों। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इसका औचित्य भी है और इसे कर देना चाहिए।

एक प्रश्न दूसरे और साथियों ने उठाया है और इसका लाभ लेकर उन्होंने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के मामले को इस अखाड़े में लाने का इरादा किया है। मान्यवर, आपकी रूलिंग हो चुकी है कि इस विषय पर हम बात न करें और अभी हमारे एक दूसरे साथी ने राज्यपाल का पद समाप्त करने के लिए कुछ बातें कही। मैं निवेदन करूंगा कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, तो बहुत सोच-समझ कर बनाया था और उन्होंने सोचा था कि भारत का यह स्वरूप होगा कि जहां स्टेट एसेम्बलीज होंगी

और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी और उन्हें सुपरवाइज करने के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए केन्द्रीय सरकार को, चाहे कोई भी हो, सही रिपोर्ट देने के लिए और उसका आकलन करने के लिए कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए, जो उसको स्थिति की सही जानकारी करा सके। इसलिए मौजूदा हालत में कतई इसकी आवश्यकता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और यह बहस कोई मतलब नहीं रखती कि किसी राज्यपाल ने क्या गलती की। अगर किसी राज्यपाल ने कोई गलती की, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसे दंड भी मिला। लोकमत उसके खिलाफ हुआ, सरकार उसके खिलाफ हुई और हाई-अप्स ने उसे छोड़ा नहीं। इसलिए जैसा उसने किया, उसको उसका भोग मिला लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह पद ही समाप्त कर दिया जाए। इस बात पर पूरे सदन की एक राय होगी कि जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी चीज की पैमाइश, किसी भी दृष्टिकोण का आकलन जनता से ही होगा, उसकी भावना से ही होगा और जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है जन-प्रतिनिधि। इसलिए मैं आपके माध्यम से अखबार वालों से और अटकल लगाने वालों से, इस विशेष समय का उपयोग करके, निवेदन करूंगा कि ये सारी अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति जी बर्खास्त करने वाले हैं या कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस किस्म की अटकलें ठीक नहीं हैं। इस किस्म की व्यवस्था न वैधानिक है, न संवैधानिक है और न इसका कोई औचित्य है और यह अखबार का समय बेकार करने वाली हैं और अखबार पढ़ने वालों का बिला-वजह समय लेने वाली हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है।

एक चीज मैं और निवेदन करूंगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि ठीक से काम करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिएं। मैं सांसद की बात लेता हूं। मैं नहीं कहता कि उनका वेतन बढ़ाया जाए लेकिन सुविधाओं का जहां तक सवाल है, वे बढ़ाई जाएं। टेलीफोन की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली पर जो सीलिंग लगी हुई है यह नहीं होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के लोग हमारे पास आते हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए उन्हें बिजली, पंखा भी नहीं दे सकते या एक बार टेलीफोन करने की सुविधा नहीं दे सकते और क्या हम अपने खुद के लोगों से भी सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। मेम्बर आफ पार्लियामेंट की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इसी तरह से स्टेट एसेम्बलीज के जो हमारे साथी हैं, कौंसिल के जो साथी हैं, उनकी सुविधाएं भी नगण्य हैं। वे ठीक से यात्रा नहीं कर सकते। उनके पास वाहन की कुछ सुविधा नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, आप जमीन के आदमी हैं, ग्रास-रूट से आते हैं। आपने इस देश में जनतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 टियर गवर्नमेंट बनाई है। पहले पार्लियामेंट है, फिर स्टेट एसेम्बलीज हैं, फिर जिला परिषद है, फिर ब्लाक्स हैं और उसके बाद गांव पंचायत हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस देश की जम्हूरी गाड़ी, डेमोक्रेसी को ठीक से चलना है, तो इन सारे टियर्स में हमारे जितने भी हेड्स बैठे हैं, गांव पंचायतों में प्रधान हैं, ब्लाक में ब्लाक प्रमुख हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, असेम्बलीज और काउंसिल्स के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, उनके कामों को देखते हुए, उनके समय को देखते हुए, आप कुछ-न-कुछ वेतन और सुविधाएं दें जिससे कि वे जनता की अधिक सेवा कर सकें। सबको कुछ-न-कुछ वेतन और सुविधाएं होनी चाहिएं। अगर आप उनको वेतन और सुविधाएं नहीं देते हैं तो आप उनको छोड़ देते हैं कि वे कुछ बेईमानी करें, आप उन्हें छोड़ देते हैं कि वे नाना प्रकार के काम करें, आप उन्हें छोड़ देते हैं कि वे अभावों में पलें और लोगों की दुर्भावनाओं का शिकार हों कि जो चाहे उन्हें खरीद ले, जिधर चाहे मोड़ ले। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि वे जनता के काम करने में स्वयं सक्षम हों, इसके लिए उन्हें कुछ-न-कुछ देना चाहिए। इससे देश में ईमानदारी बढ़ेगी, जनतंत्र का काम आगे सही और सही दिशा में हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, आज जो विधेयक सदन के सामने है, उसके ऊपर, इस माननीय सदन के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं उनका बहुत आभारी हूं।

मसला तो बहुत साधारण है कि जो राज्यपाल महोदय हैं, वे हमारे राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, उनके वेतन में वृद्धि हो। इसे वेतन तो नहीं कहना चाहिए, उनकी सेवा के लिए, जो कुछ उन्हें दिया जाता है, उसमें वृद्धि की जाए। उसके ऊपर सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इस विषय पर केवल तीन सदस्य बोले। बाकी सबने जो उनका अपना एक राजनीतिक दृष्टिकोण था, वह प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मकसद तो यह है कि राज्यपालों के जो अलाउंसिज हैं उनमें वृद्धि की जाए, मगर उसके बारे में न कह करके, हमारे माननीय सदस्यों ने बड़े-बड़े मुद्दे छोड़े, प्रश्न उठाये। चौबे साहब ने भी अपना पूरा पूरा राजनीतिक भाषण दे दिया। उसमें मुझे ऐसा लगा कि राज्यपाल महोदय गरीब के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि एक पक्षी किसी सरोवर पर पानी पीने के लिए आये और उसके पर काटने का प्रयास किया जाए।

यह बात ठीक है कि गवर्नर की हमारे देश में जो एक संस्था है, इसका सदुपयोग हो और संवैधानिक व्यवस्था में उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको किस तरह से निभाया जा सके। पिछले 37 वर्ष के हमारे सामने उदाहरण हैं और मैं कह सकता हूं कि समूचे तौर पर, सौभाग्यवश, हमारे देश के बड़े-बड़े महान् पुरुषों ने इन पदों को सुशोभित किया है। उन्होंने देश की सेवा की और उनसे हमें एक बहुत अच्छी और बहुत सुन्दर व्यवस्था मिली है और हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल का जो ओहदा है, जो उसकी पदवी है, उसने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है।

मैं एक-एक राज्य का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। किसी एक राज्य की हम चर्चा करें, इसमें असंगति है। चौबे जी ने जो कहा उसके लिए भी मैं उदाहरण दे सकता हूं। हां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ प्रांतों के राज्यपालों का नाम लेकर, उनके पदों का उल्लेख करके, हमारे अच्छे-अच्छे विद्वानों, कानून के पंडित दिनेश गोस्वामी साहब ने भी राज्य का नाम लेकर, उनके दफ्तर का नाम लेकर जो चर्चा की, वह हमारे सदन के रूल्स के मुताबिक नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि जो वर्तमान में विषय है वह सरकारिया कमीशन के सामने पेश है। सभी राज्यों, सभी संस्थाओं, सभी राजनीतिक दलों को एक मौका मिला हुआ है कि जो-जो उनका दृष्टिकोण है वह उसके सामने प्रस्तुत करें। केन्द्र सरकार ने भी किया है, राज्य सरकारों ने भी किया है और हमारे जितने राजनीतिक दल है, चाहे वे सदन में है या सदन के बाहर है उन सबको मौका मिला है कि वे अपना दृष्टिकोण वहां रखें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे देश में केन्द्र और राज्यों के दरम्यान, जो उनका बर्ताव है, जो उनका रिश्ता है···इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी राज्यपाल की है और संविधान की धाराएं हैं, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार आपस में सहयोग के साथ अपने देश के लोगों की सेवा कर सकें। ये सब व्यवस्थाएं उनके सामने प्रस्तुत हैं और वह कमीशन बड़ी गंभीरता के साथ इन विचित्र प्रश्नों पर पूरा समय देकर विचार कर रहा है। सौभाग्यवश उसमें देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, वे भी इसमें सम्मिलित हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता भी उसके सामने पेश हुए हैं, वकील पेश हुए हैं और सभी जितने सारे जनसेवा में लगे हुए हैं, सब पेश हुए हैं। ये सारे-के-सारे मुद्दे उनके सामने रखने चाहिए। यह सरकारिया कमीशन के साथ अन्याय होगा अगर आज हम इस सदन में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करें जो उन निर्णय को किसी तरह से प्रभावित कर सकें। इस विषय को हम खुला छोड़ें, जब तक सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट देश के सामने नहीं आ जाती, इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो जाती, तब तक यदि हम अपने विचार इस ढंग से व्यक्त करेंगे जिससे कि उनके सोचने पर, उनकी कार्य-कुशलता पर कोई

असर पड़ सकता है तो यह मैं समझता हूं कि उनके साथ बे-इंसाफी होगी।

जो कुछ भी आरोप लगाए गए, नाम लेकर भी कुछ राज्यों के बारे में बात की गई, मैं नाम नहीं लूंगा। खासकर कुछ राज्यपालों का नाम लेकर यह भी कहा गया, मैं उन बातों का खण्डन करता हूं। एक तो यह मौका नहीं था और यदि कुछ करना भी है तो हमारे रूल्स जो हैं, उनके अंतर्गत बाकायदा प्रावधान है, माननीय सदस्य एक सब्सटेंसिव मोशन ले आते, उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर सदन का निर्णय ले सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मुझे उनका खण्डन जरूर करना है, नहीं तो क्या होगा कि ये सारे-के-सारे विचार अखबारों में छपेंगे और जिनका नाम लिया गया है, वे राज्यपाल जवाब भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे इनका खण्डन करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि आप मुनासिब समझें, चूंकि यह रूल्स के मुताबिक भी नहीं है तो प्रोसीडिंग को देखकर उसमें से उनके नाम निकाल दें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अनुदेश दे चुका हूं कि वह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : जो चीज रिकार्ड में नहीं है, उसका आप जवाब दे रहे हैं।

श्री राजकुमार राय : लेकिन अखबारों में तो आ ही जाएगा और इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा।

सरदार बूटा सिंह : मेरा फर्ज है कि कुछ सदस्यों ने जो बात कही है, उसका मैं उत्तर दूं।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि समूचे तौर पर हमारे देश में राज्यपाल की जो प्रथा है, पूरे 37 वर्षों के इतिहास में जैसी भूमिका निभाई गई है, उसको देखते हुए हम कभी ऐसा नहीं मानते, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं माना है कि किसी प्रांत में, किसी प्रदेश में किसी राज्य में किसी एक राजनीतिक संगठन का शासन हो तो उसके साथ अलग से बर्ताव किया जाता है, यह हमारा न कभी रवैया रहा है और न आज है। गोस्वामी जी ने बड़े गुस्से के साथ कहा कि हम राज्य सरकारों को अलग से आइडिएंटिटी मानकर उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : गुस्से में नहीं कहा।

सरदार बूटा सिंह : आसाम की खासकर चर्चा की गई, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा जिस राजनीतिक दल की सरकार वहां पर है, उनको केन्द्र का पूरा सहयोग हासिल है। मतभेद हो सकते हैं, सगे भाइयों में मतभेद हो जाते हैं। लोगों की सेवा की दृष्टि से अगर कोई मतभेद है तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई हमारी दुश्मनी है। हमारे सोचने के मुताबिक किसी एक तरीके से

[सरदार बूटा सिंह]

आसाम के लोगों की सेवा अच्छी हो सकती है, वे सोचते हैं किसी दूसरे तरीके से वहां के लोगों की सेवा अच्छे तरीके से हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलत हैं या हम गलत हैं, दोनों ठीक हो सकते हैं, समन्वय हो सकता है, आपस में विचारों के आदान-प्रदान से एक रास्ता निकल सकता है।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

सरदार बूटा सिंह : राज्यपाल के पद पर बोलते हुए आपने कहा था कि इसका स्वरूप राजनैतिक हो गया है और आज भी आपने कहा कि वर्तमान सरकार के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

सरदार बूटा सिंह : इसलिए मैं चाहता हूं कि कार्यवाही वृत्तांत में यह सम्मिलित किया जाए कि हमारे दिमाग में यह बात नहीं है। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : मैं आपको केवल यह आश्वासन दे रहा हूं···

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने वर्तमान स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

[हिन्दी]

हमारे लिए राज्य सरकार चाहे कर्नाटक में दूसरे दल की है, तमिलनाडु में है, आंध्र में तेलगु देशम की है, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, पंजाब हो या मिजोरम हो, सभी प्रान्तों को समूचे भारतवर्ष का एक बराबर का अंग मानकर चलना है। आखिरकार केन्द्र का अस्तित्व भी सभी राज्यों के साथ सहयोग के साथ चलने से ही निर्भर है। आपस में देश के लोगों की जो सेवा हो सकती है, वह अलग-अलग होकर नहीं हो सकती।··· (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : कभी-कभी आप गड़बड़ कर देते हो।

सरदार बूटा सिंह : चौबे जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके दल के और हमारे दल के दृष्टिकोण और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम संकल्प कहते हैं, जो प्रिएम्बल है वह तो मैं समझता हूं कि जितना आप लोगों के मेनिफेस्टो में है उतना ही हमारे मेनिफेस्टो में है और राष्ट्र के मेनिफेस्टो मे है। इसमें तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सभी संस्था चाहे पार्लियामेंट हो, प्रेजीडेंट का आफिस हो, गवर्नर का आफिस हो या कोई भी आफिस इस देश में हो, देश के लोगों की सेवा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। संविधान के तहत, कानून के मुताबिक उन सबका जो लक्ष्य है, वह मैं पढ़ना चाहूंगा —"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामा-

जिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए—वचनबद्ध हैं"। यह हमारा सबका है चाहे हम राजनीतिक दल हों, चाहे लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभा में बैठे हों या राज्यपाल की पदवी पर बैठे हों। यह हमारा सबका ध्येय है। यदि इसकी पूर्ति हो रही है, यदि इसकी सेवा हो रही है तो ये सारे जितने भी इंस्टिच्युशंस हैं, वह उपयोगी हैं, लाभदायक हैं। यदि हम यह पूरा नहीं कर रहे हैं तो वह चाहे कोई सत्ता में दल हो तो वह देश के लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, देश के लोगों के लिए बाधक है। उसको हटाकर, इस दृष्टिकोण में ले आकर ही देश के कांस्टिच्युशन को, देश की व्यवस्था को और देश के ढांचे को चलाया जा सकता है। यही कारण है कि जितने भी आज तक हमारे राज्यपाल महोदय हुए हैं, उनके सामने यही एम्स रहे हैं। राज्यपाल महोदय और उनके दफ्तर के बारे में चर्चा हुई और यह कहा गया कि वह सही मायनों में हमारे मित्र हैं, गाइड हैं। बहुत से हमारे देश के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि "सेन्टर इज ए मिथ"। वह कहते हैं कि सेन्टर का कोई क्षेत्रफल नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुएं में एक मेंढक है और वह समझता है कि सारा संसार कुएं में है और उसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। उसे मालूम होना चाहिए इसके बाहर बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ा संसार है। भारतवर्ष एक महान देश है और भारत की सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, वह मिथ नहीं है। वह असलियत है, वह सच्चाई है और वह देश के लोगों की सेवा करने के लिए लोगों ने चुनी हुई है। राज्यों के साथ हमारा संबंध पूरी सहानुभूति के साथ है। चाहे प्लानिंग कमीशन हो, नेशनल डवलपमेंट काउंसिल हो या कोई भी नेशनल फोरम हो, जब कभी हम देश की राज्य सरकारों की ओर ध्यान करते हैं तो इस दृष्टिकोण के साथ करते हैं कि हमें पूरे देश के लोगों की सेवा करनी है चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, पूरब हो या दक्षिण हो। सभी देशवासियों की सेवा करने के लिए यह संविधान तैयार किया गया है और जितने दफ्तर इसके नीचे आते हैं प्रेजीडेंट से लेकर राज्यपाल तक, वे सारे के सारे इसी उद्देश्य को लेकर बनाए गए हैं चाहे मुख्य मन्त्री हों, प्रधान मन्त्री हों या सदन हो। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और यह कहा है कि हमारी सभा के जितने मैम्बर हैं उनके वेतन का भी प्रश्न है। शीला जी ने बड़े ही ध्यान से सुना और कहा कि मैंने उसको पूरे कब्जे में किया है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही आइन्दा कोई मौका आयेगा, उस वक्त आपके विचारों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा अपने विरोधी दल के नेताओं से कि खासकर यह प्रश्न किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह एक इंस्टिट्यूशन का प्रश्न है। जब भी हम ऐसे इंस्टिट्यूशन पर चर्चा करते हैं, अगर हमारे विचार न भी मिलते हों, अगर हम उस संस्था का आदर खो देंगे तो लोगों की श्रद्धा संविधान से उठ जायेगी, हमारी जो लोकतांत्रिक शक्ति है वह कमजोर हो जायेगी। इसलिए जब भी हम कभी हमारा जो फेडरल इंस्टिट्यूशन है उस पर लोगों की मान्यता है, उस पर चर्चा करें तो उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण को नीचा रखें, खासकर के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को। किसी एक व्यक्ति का चेहरा आपको पसन्द है या नहीं, यह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसने देश के लोगों की कितनी सेवा की है। आज यह भी प्रश्न उठा कि राज्यपालों की नियुक्ति के वक्त राज्य सरकारों को नहीं पूछा जाता। एक भी केस ऐसा नहीं आया है जहां ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में आपस में मेल न हुआ हो। आज तक जितनी भी नियुक्तियां मेरे सामने आई हैं सारी नियुक्तियां परवान हुई हैं और सब नियुक्तियों में लोगों ने अच्छा काम किया है। दुर्भाग्यवश घटना हो जाये, आंध्र की बड़ा चर्चा हुई, एक घटना घटी। उस घटना के फलस्वरूप वहां राज्यपाल की चर्चा हुई, वहां अध्यक्ष महोदय को भी जाना पड़ा। रत्नम् जी कहीं चले गये हैं मालूम नहीं कहां चले गये, यह वही महोदय हैं जो स्पीकर साहब की तरह कुर्सी पर बैठते थे, वह किसने गिरायें, हमने तो नहीं गिराये थे। इस तरह से घटनायें हो सकती हैं। हमारा लोकतंत्र एक

[सरदार बूटा सिंह]

विकासशील लोकतन्त्र है, इसमें अनुभव होता जायेगा, इसमें घटनायें होती जाएंगी। हमारे लोग इतने सम्पन्न हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके निर्णय हमेशा ही इतने सद्बुद्धि से होते हैं कि पढ़े-लिखे लोग, बहुत ऊंचे समाज के लोग चकित रह जाते हैं। सही मायनों में जो इस देश के गरीब लोग हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं वह जानते हैं कि देश का भला किस में है, उनका भला किस में है, उनका फैसला सर्वोपरि होता है। उनके फैसले के प्रति हम सबको माथा झुकाना पड़ता है। इस देश के लोग महान हैं यहां उन्होंने देखा है पिछले 37 वर्षों से लोकतन्त्र ने अपनी बुनियाद पक्के तौर पर यहां कायम की है। यहां लोगों ने एक राजनीतिक घटना भी देखी है। 100 साल से भी ज्यादा समय से इस महान देश की सेवा कर रही इस पार्टी को थोड़े समय के लिए हटना पड़ा। दूसरे किस्म के लोग, सभी विचारों के लोग उसमें आये। अब हमें उपदेश दिया गया है कि आप राज्य सरकारों को नहीं चलने देते, इन्होंने तो आते ही एक दर्जन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। मैं इस खुशफहमी में नहीं हूं उस वक्त की सरकार ने यह सोचा होगा कि जो नीतियां वह चलाना चाहते हैं देश में, शायद वह नीतियों का परिचालन नहीं हो सकता। यह उनका दृष्टिकोण रहा। हमारे दल का यह दृष्टिकोण रहा है कि हम लोगों के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। हम लोगों के फैसले को समझते हैं। सही मायने में देश की कोटि-कोटि जनता अच्छे फैसले करती है। हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों के फैसले का सम्मान किया और लोगों के फैसले से ही वह दुबारा इसी सदन में आईं। लोगों ने उनको भेजा। आज जो लोकशाही के अमलबरदार बन रहे हैं चुनी हुई श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस सदन से उठा दिया था। मगर श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके दल के लोगों के पक्ष में देश की जनता ने फिर फैसला दिया और वह आये और देश की सेवा की। मैं आज के संदर्भ में इतना ही कहूंगा यह एक प्रतिष्ठान है, यहां सदन में एक दायरे के अन्दर राज्यपालों को अलाउंस और उनके मेनटेनेंस के ऊपर चर्चा हो रही है, चूंकि संविधान में आवश्यकता है इसलिए सदन के सामने आना पड़ता है। मैं गोस्वामी जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसे प्राइस इन्डेक्स के साथ जोड़ दिया जाये। आखिर यह बड़े-बड़े इंस्टिट्यूशंस हैं, इनका अपना स्टेटस है, लोगों के मन में इनके प्रति आस्था है, इनके लिए एक श्रद्धा है, उसको कायम रखना है तो हमें संविधान के तहत ही चलना होगा;...हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा संसद-सदस्यों के वेतन आदि का निर्णय यह सदन स्वयं करेगा, उनको मिलने वाली सुविधाओं का फैसला भी सदन करेगा। इसलिए राज्यपालों का वेतन प्राइस-इन्डैक्स के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और न प्राइस-इन्डैक्स बढ़ने के साथ उनका वेतन बढ़ाया जा सकता। अतः मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत नहीं हूं। मेरी मान्यता है कि हमारे संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है, उसे हमारे पूर्वजों ने काफी सोच-समझकर लिखा है। यदि हम उनको मानकर आचरण करते हैं तो वह हम सबके हित में है, इसी से हमारी परम्पराएं, जिन्हें हम कन्वैन्शंस भी कहते हैं, बनी रहेंगी, हमारे देश का गौरव बढ़ेगा और इसी से लोकशाही मजबूत होगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को सर्व-सम्मति के साथ पारित करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सरदार बूटा सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.57 म०प०

जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक

[अनुवाद]

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में कुछ वस्तुओं के प्रदाय और वितरण में जूट पैकेज सामग्री के अनिवार्य प्रयोग का और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, सदन जानता है कि हमारे देश के पूर्वी भागों की आर्थिक सम्पन्नता के लिए जूट उद्योग एक अति महत्वपूर्ण पारम्परिक उद्योगों में से है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के 40 लाख कृषि परिवारों को आजीविका कच्चे जूट की खेती से चलती है। औद्योगिक क्षेत्र 2.5 लाख कामगारों को आजीविका प्रदान करता है। उद्योग हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए की विदेश मुद्रा कमाता है। इसलिए उद्योग, व्यापार, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से जूट क्षेत्र की सुरक्षा और देखभाल की जांच जानी चाहिए।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

सरकार ने इस उद्योग के सामाजिक-आर्थिक महत्व को स्वीकार कर लिया है। इसलिए सितम्बर, 1986 में कलकत्ता के अपने दौरे के बाद प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि इस उद्योग के पुनरुज्जीवन के लिए काफी उपाय किए जाएंगे। हमने 150 करोड़ रुपए की एक जूट आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की है और योजना को 1 नवम्बर, 1986 से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर जोर देने के लिए शुल्क रहित आधार पर बहुत सी ऐसी मशीनरी मदों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है जो देश में उपलब्ध नहीं है।

100 करोड़ रुपए की एक विशेष विकास निधि कच्चा जूट कृषि क्षेत्र, भारतीय जूट निगम और राज्य स्तर की सहकारी खरीद एजेंसियों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, उत्पाद विविधिकरण और अनुसंधान और विकास कार्यों तथा औद्योगिक कामगारों के लाभ की योजनाओं के लिए बनाई गई हैं।

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने यह भी जरूरी समझा कि जूट उद्योग को दीर्घ-कालीन संरक्षण प्रदान किया जाए और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्तमान विधायी उपाय किये गए हैं। काफी सोच-विचार करके और समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद जूट उद्योग को यह सहायता दी गई है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कुल 13.5 लाख मीट्रिक टन जूट वस्तुओं के उत्पादन में से 80% उत्पादन विभिन्न प्रकार की जूट पैकिंग सामग्री का है। आज सच यह है कि उद्योग के इस बड़े भाग को सिंथेटिक क्षेत्र से प्रतियोगिता के कारण नष्ट होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस घटना की उपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के आर्थिक-सामाजिक स्तर पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विधेयक के रूप में जूट उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय एक ओर तो जूट क्षेत्र में व्याप्त स्थिति तथा दूसरी ओर जूट के उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझ कर लिया गया है।

3.00 म०प०

हम जूट उद्योग को वह सहायता तो देना चाहते हैं जिसकी उसे बहुत जरूरत है पर हम जूट पैकिंग सामग्री 100% उपयोग के पक्ष में नहीं है। स्पष्टतया इसी कारण से हमने इस समर्थकारी विधेयक को तैयार किया है जिसमें केन्द्र सरकार को जूट सामग्री में पैकिंग के लिए वस्तुओं के प्रतिशत का समय-समय पर निर्धारण करने के लिए पर्याप्त शक्ति और कार्यक्षेत्र प्रदान किया गया है। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण उपबन्ध स्थायी परामर्शदात्री समिति का गठन है। इस समिति द्वारा जिन मार्गनिर्देशों को अपनाया जाएगा उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संरक्षण हैं कि जूट हितों की ही रक्षा न की जाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त भूमिका निभाने के लिए अन्य पैकिंग क्षेत्रों के हितों की भी रक्षा की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के विचारार्थ इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

3.02 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

*श्री अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, पटसन देश के अनेक राज्यों में उत्पन्न किया जा रहा है। किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। लगातार की गई इस उपेक्षा के कारण देश के पटसन उत्पादक असहाय अवस्था में हैं। न केवल पटसन उत्पादन बल्कि पटसन उद्योग से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति असहाय स्थिति में है। पहले, पटसन से बनी वस्तुएं यथा बोरे विदेशों को निर्यात किए जाते थे। हमारी अर्थव्यवस्था में पटसन उद्योग और पटसन से बनी वस्तुओं का प्रमुख स्थान था। बोरों का इस्तेमाल सीमेंट, चीनी तथा अन्य विभिन्न उत्पादों को पैक करने में बहुतायत में किया जाता था। कृषि तथा उद्योग से संबद्ध उत्पादों के भंडारण और पैकिंग के लिए बोरों का इस्तेमाल नितांत आवश्यक था। किंतु अब पैकिंग सामग्री के लिये पटसन के बोरों के स्थान पर पोलीथिन और प्लास्टिक से बने बोरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पटसन उत्पादकों को, उनके उत्पादों की बाजार मे खपत न होने के कारण घाटा हो रहा है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों की आज दयनीय दशा है। पटसन का बोरा बनाने वाले कारखाने भी बन्द होने की स्थिति में हैं। वास्तविकता यह है कि उनमें से अनेक ने अपना कारोबार बन्द कर दिया है। पटसन के बोरों की बाजार में कोई बिक्री नहीं है। पटसन उत्पादों का न तो विदेशों में और न देश में ही कोई बाजार है। पूरा पटसन उद्योग ही तबाही के कगार पर है देश में पटसन का उत्पादन लगभग 72 से 78 मी० टन तक था। पटसन उद्योग में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति के कारण हाल में पटसन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। अतः सरकार को न केवल उत्पादन स्तर बरकरार रखने के लिए अपितु पटसन उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा करके तथा उनको प्रोत्साहन प्रदान करके उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। पटसन उत्पादकों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस समय पटसन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बनाने की आवश्यकता है। परम्परागत रूप से बनाई जाने वाली सुतली जैसी वस्तुओं के अलावा दरी और चटाई आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन का भी प्रयास किया जाये। पटसन से दरी और चटाई आदि का निर्माण करने के नये तरीके खोज लिए गये हैं। आंध्रप्रदेश में नये तरीके अपनाए भी जा रहे हैं। चटाई और दरी जैसी वस्तुओं का बहुत अच्छा बाजार देश और विदेश दोनों में ही है। विविध वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देकर न केवल पटसन उत्पादको के हितों की सुरक्षा हो सकती है अपितु अपने यहां से निर्यात को भी बढ़ावा जा सकता है अतः सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कदम उठाए। पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। मिल मालिकों को अधिक लाभ मिलेगा और घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं का सस्ते मूल्य पर प्राप्त करके जन साधारण को भी अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए पटसन से विविध वस्तुओं का उत्पादन करने में अब और अधिक समय न गंवाया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।

पैकिंग सामान के रूप में हमें पटसन से बने बोरे के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना चाहिए। पोलिथिन से बनी वस्तुओं से पटसन से बने बोरे कहीं अधिक उपयोगी हैं। बोरे में पैक की गई वस्तुओं की किस्म पूर्णतः सुरक्षित रहती है। उस पर मौसम का असर नहीं पड़ता। सुतली सस्ती और सर्वोत्तम पैकिंग वस्तु

*मूलतः तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अप्पालानरसिंहम]

है। पहले अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा, हम बोरों का निर्यात भी विदेशों को करते थे। अब सरकार की लापरवाही के कारण इसका निर्यात बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। आज यह स्थिति है कि पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बन्द कर दिया गया है। घरेलू खपत भी कम हो गई है। कारखाने बन्द हो गये हैं जिससे मिल मालिक तथा श्रमिकों पर असर पड़ा है। पटसन उत्पादकों को वर्ष दर वर्ष घाटा हो रहा है।

तेजी से बिगड़ती स्थिति पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। सरकार को उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए। कारखानों को कहा जाये कि वे अपना उत्पादन न घटायें। नष्ट होते पटसन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी तंत्र को चुस्त बनाया जाये। पटसन से बनी वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकार को बाजार का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। यदि ये सब कदम उठाए गए तो मुझे कोई संदेह नहीं कि एक बार पुनः अपने देश की अर्थव्यवस्था में पटसन उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना अत्यन्त महत्व का विषय है। पटसन से बनी वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक विदेशी बाजारों की खोज करनी होगी। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र ही कदम उठाएगी। मुझे यह भी आशा है कि इस विधेयक को इस सम्मानित सभा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा।

इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, जूट पैकेज सामग्री विधेयक, 1987 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जूट उद्योग के विकास के लिए यह विधेयक एक जबर्दस्त कदम है, तथा जूट उद्योग की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए लाया गया है। आज जूट के स्थान पर कृत्रिम पैकिंग यानी सिन्थैटिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है और यही मूल कारण है कि सरकार को इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि जहां-जहां पर भी जूट का उपयोग पैकिंग सामग्री के रूप में होता था, उसको किस प्रकार से रोका जाये और उसमें बदलाव लाया जाये और उसे रोकने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है। इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक जूट उद्योग को बहुत बड़ी मदद पहुंचाएगा और केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक से ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई है। जूट पैकिंग के लिए जो चीजें तय की जाएंगी उनको केन्द्रीय सरकार तय करेगी, यह बहुत अच्छा कदम है।

इस विधेयक के मुताबिक एक स्थायी सलाहकार समिति बनाई जाएगी, उसकी स्थापना की जायेगी, जो यह तय करेगी कि जिन-जिन स्थानों पर जिन-जिन चीजों में जूट का उपयोग होता था अब उसके मार्गदर्शन के अनुसार दूसरी चीजें आगे बढ़ाई जायेंगी और उनसे ही जूट सम्बन्धी हितों का संरक्षण होगा। आगे यह सलाहकार समिति मार्गदर्शन करेगी। इससे सिर्फ जूट ही नहीं बल्कि पैकिंग के जो अन्य क्षेत्र हैं वह देश की अर्थ-व्यवस्था में अपनी उचित भूमिका निभा सकेंगे।

जूट सामग्री के स्थान पर कृत्रिम सिंथैटिक सामग्री का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी से जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे जूट उद्योग अब सिंथैटिक के मुकाबले कंपीटीशन

में नहीं आ पाएगा क्योंकि सिंथैटिक से बनी सामग्री बढ़िया किस्म की और हल्की होती है और उसकी कीमत भी कम होती है। इसीलिए ग्राहक सिंथैटिक पैकिंग सामग्री को अपनाने में जल्दी उत्साहित होता है। जूट पर पड़े इस प्रभाव को रोकने के लिए कोई न कोई विधेयक सरकार की तरफ से लाना था जिससे जूट उद्योग के श्रमिकों पर, देश की अर्थ-व्यवस्था पर और उसके निर्यात पर प्रतिकूल असर न पड़े। यह विधेयक इसीलिए लाया गया है, इसलिए मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

आज देखा जाये तो हिन्दुस्तान की जो 4, 5 स्टेट्स हैं, बंगाल है, आसाम है जहां कि जूट उद्योग है, आज सिन्थैटिक पैकिंग के प्रयोग के कारण कई उद्योग वहां पर बन्द हो गये हैं। उनमें लाखों लोगों की छंटनी कर दी गई है, निर्यात में कमी आ गई है। आखिर इसे रोकना सरकार का कर्तव्य बनता है। और सरकार ने यह कदम इस विधेयक को लाकर उठाया है। यह बहुत अच्छी बात है कि श्रमिकों के हित में, उद्योगों के हित में और देश की अर्थव्यवस्था के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस विधेयक को लाने से पटसन के उत्पादन में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और जिन जिलों में पटसन का उत्पादन काफी होता था और वह निगलैक्ट किए जाते थे, अब सरकार का ध्यान उन जिलों पर जाएगा जिससे उनकी उपेक्षा नहीं हो सकेगी। ऐसी व्यवस्थाएं होने से जूट के उत्पादन में सुधार हो सकेगा। लेकिन यहां पर एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले जिन चीजों का निर्माण सिर्फ पटसन के द्वारा किया जाता था भविष्य में पटसन के द्वारा ही उन चीजों का निर्माण हो।

इस विधेयक में एक प्रावीजन यह भी किया गया है कि जिन कम्पनियों द्वारा कानून की अवहेलना की जायेगी उनको शुरू में ही कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाएगा। यह एक स्वागत-योग्य बात है। वह कम्पनियां आगे जाकर भी कोई गलत कदम न उठाएं यह आप देखें। तभी आप इस कानून को तेजी से और सख्ती से कार्यान्वित कर पाएंगे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमने पटसन उद्योग को जिन्दा और जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और वहां के श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा की है। परम्परागत चीजें जो कि पटसन से बनती हैं वही भविष्य में भी बननी चाहिएं तभी हम सही मायने में पटसन उद्योग की मदद कर पायेंगे।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट का कार्यक्रम पटसन उद्योग में होना चाहिए। अगर आप वास्तव में इस उद्योग का काया-कल्प करना चाहते हैं और उसे बचाना चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में रिसर्च किया जाए। मेरे ख्याल में टेक्सटाइल या किसी दूसरे विभाग में रिसर्च की इतनी आवश्यकता नहीं होगी जितनी कि इसमें है।

इसके साथ ही सिंथेटिक का जो बैग बनता है वह सस्ता, टिकाऊ और कम वजन का होता है। आप पटसन की ऐसा पैकिंग वाली बैग निकालिए जोकि सिंथेटिक बैग से सस्ता हो और बाजार में टिक सके। पटसन से अच्छे किस्म का कपड़ा बन सके। यह भी आप देखें। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम को तेजी से चालू करें और जूट उद्योग सरकार की और उद्योगपतियों की मदद के बिना सिंथेटिक के मुकाबले बाजार में और कम्पीटीशन में आ सके इसका ध्यान रखें।

गलत बयानी पर सजा देने का प्रावीजन करना एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात संदेह पैदा करती है और वह यह है कि छूट देने की शक्ति। यह प्रावीजन करना अजीब सा लगता है। हमें डर है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाये क्योंकि जब कभी किसी का फेवर करना चाहते हैं या किसी आदमी को गलती से बचाना चाहते हैं तो यही एक ऐसा क्लाज है जिसके द्वारा छूट देकर बचा सकते हैं। मुझे पूरी

[श्री शांति धारीवाल]

आशा है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह विभाग और यह उद्योग तरक्की करेगा। हमारे मंत्री जो को जो भी विभाग दिए गए हैं सब में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है? आइन्दा भी करेंगे और यही आप से निवेदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि कहीं इस क्लाज का दुरुपयोग न हो जाय। यह देखने वाली बात है। वैसे यह विधेयक स्वागत योग्य है। बहुत ही ज्यादा इस विधेयक की जरूरत थी जिससे हम डूबते हुए जूट उद्योग को बचा सकेंगे। धन्यवाद।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : मान्यवर, खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार जूट उद्योग है। इसमें करीब 40 लाख कृषक परिवार लगे हुए हैं और ढाई लाख मजदूर लगे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य है कि सरकार के इस दृष्टिकोण के बाद भी और आजादी मिलने के बाद भी बराबर यह उद्योग संकट में पड़ा रहा और सबसे पहला संकट तब आया जब देश का बंटवारा हुआ। देश के जिस हिस्से में जूट की खेती अधिकांश रूप से होती थी वह पाकिस्तान में और आज के बंगलादेश में चला गया। इस संकट से उबारने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय प० जवाहर लाल नेहरू ने देश के किसानों से जो जूट उत्पादन के काम में लगे हुए थे, अपील की और किसानों ने मेहनत-मशक्कत करके जूट का उत्पादन शुरू किया और फिर थोड़े समय के लिए यह उद्योग फलने-फूलने लगा। लेकिन फिर इधर आकर के कतिपय कारणों से जैसे जूट का लाभप्रद मूल्य किसानों को न दिया जाना, बढ़ती महंगाई के अनुपात में मजदूरों को मजदूरी न दिया जाना, शोध का काम न किया जाना, उद्योगों का आधुनिकीकरण न किया जाना आदि से जूट उद्योग के सामने पुनः संकट पैदा हो गया। इसलिए मंत्री जी को चाहिए था कि इन तमाम बिन्दुओं के आलोक में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते जिसमें ऐसे उपाय और सुझाए जाते जिनका इस्तेमाल करके इन तमाम संकटों का निवारण हो जाता और जूट उद्योग फिर पहले की तरह फलने-फूलने लगता। लेकिन अन्य संकटों के निवारण के बारे में उन्होंने इतनी ही चर्चा की है कि समय-समय पर भिन्न-भिन्न उपाय किए गए हैं। यह विधेयक तो इसलिए पेश किया गया है कि बाजार में जूट उद्योग के सामने जो भारी प्रतियोगिता खड़ी हो गई है उस प्रतियोगिता से त्राण दिलाया जा सके लेकिन इस विधेयक को देखने से ऐसा लगता है कि यह विधेयक भी पूर्ण रूप से इनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। इन्होंने प्रावधान किया है कि एक स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी होगी लेकिन कहीं नहीं लिखा गया है कि कमेटी का सदस्य कौन होगा, कैसे लोग होंगे और कितने होंगे और उसमें यह भी नहीं लिखा गया है कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि होंगे या नहीं होंगे, मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें किसानों का भी प्रतिनिधि रहे, मजदूरों का भी प्रतिनिधि रहे। कारण कि बिना इनको लिए हुए, बिना इनके सहयोग के जूट उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता है।

फिर बाजार में आज जूट उद्योग के सामने सबसे ज्यादा प्रतियोगिता सिन्थेटिक से है। जिन वस्तुओं की पैकिंग करने में जूट के बोरे और बोरियां लगाई जाती थीं आज उनमें सिन्थेटिक के बोरे और बोरियां लगाई जाती हैं। जैसे कि खाद की पैकिंग सिन्थेटिक के द्वारा बनाई गई बोरियों में होती है, चीनी की पैकिंग होती है, गल्ले की पैकिंग होती है, इन तमाम चीजों की पैकिंग सिन्थेटिक के बैग में होती है जबकि पहले इनकी पैकिंग जूट के द्वारा बनाई गई बोरियों में होती थी। लेकिन आपने कहीं उल्लेख नहीं किया है कि किस मात्रा में इन-इन वस्तुओं की पैकिंग जूट के द्वारा बनाई गई सामग्री में होगी। यह आपको साफ-साफ लिख देना चाहिए था ताकि लोगों को बांधा सकें। फिर आपने प्रावधान किया है कि कोई भी उद्योगपति इस विधेयक की अवज्ञा करेगा, या अवमानना करेगा उसको पांच हजार रुपये दण्ड देने का भागीदार बनना पड़ेगा। मेरी समझ में यह रकम बहुत कम है। बड़े-बड़े पूंजीपति इसकी अवज्ञा करेंगे

क्योंकि सीमेंट का या चीनी का कारखाना कोई अपना आदमी नहीं चलाता है। ये बड़े-बड़े पूंजीपति ही चलाते हैं। इन लोगों के लिए पांच हजार रुपये की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस रकम को भी बढ़ाने का कष्ट करें।

अन्त में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जूट उद्योग के सामने जो अन्य संकट हैं जिनकी तरफ मैंने पहले ध्यान दिलाया उसके बारे में भी आपको उपाय करना है। जो कुछ भी आपको नियम कायदा कानून बनाना है उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि किसानों को लाभ होता है या नहीं? मजदूरों को लाभ होता है या नहीं। यदि आप यह नहीं देखेंगे तो आपका कानून और कायदा कागज में ही रह जाएगा, व्यावहारिक रूप कभी धारण नहीं कर सकता है। मेरा अपना अनुभव है कि मेरे राज्य क्षेत्र उत्तर बिहार में सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया और उत्तरी भागलपुर में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है। वहां के किसानों के सामने मजबूरी है कि जलवायु की वजह से वे कोई दूसरी नगदी फसल लगा नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी एन० जे० सी० जो है, जिसका गठन आपने किया है कि किसानों का जूट वह कम से कम समर्थन मूल्य पर खरीदे, उसकी क्या स्थिति है? जब किसान मजबूरी में अपना जूट कौड़ियों के मोल पर बेच देता है तब वे बाजार में जाते हैं टंटा और बटखरा लेकर। तब भी जब तक कि प्रखण्ड विकास अधिकारी किसी किसान को यह प्रमाणपत्र नहीं देता है कि हां, वाकई यह किसान है, उसका जूट वे नहीं खरीदते हैं। इसके बाद यद्यपि कोई किसान चाहता है कि मनचाहा जूट उसे बेचना है तो वे कह देते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। इस तरह से तमाम किस्म के बहाने बनाये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि किसान मजबूरी में कौड़ियों के मूल्य में अपना जूट बेच देता है।

इसी तरह से आधुनिकीकरण की बात है। आधुनिकीकरण के नाम पर आप रुपया देते हैं लेकिन आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि यह देखा गया कि उस रुपये को कहां खर्च किया जा रहा है। क्या वाकई आधुनिकीकरण में वह रुपया खर्च किया जाता है या जिनको आप वह पैसा देते हैं वे उस पैसे को अपना नया उद्योग खड़ा करने में लगाते हैं? मेरे मन में आशंका है कि जो कि भी पैसा आप देते हैं, यदि उसकी उचित व्यवस्था, निगरानी भी आप नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से जिनको आप वह पैसा देते हैं वे उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। उस पैसे से वे अपना दूसरा कारखाना लगाएंगे। वह तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात, लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में भी ऐसी बात होती हो, तो उनके खिलाफ कैसे शिकवा-शिकायत की जा सकती है। अपने देश में आपने नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन का गठन किया है। उसके साथ 6 मिलें हैं—5 कलकत्ता में हैं और एक बिहार में है, आर० बी० एस० एम०। इन 6 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए दो साल पूर्व आपने 28 करोड़ रुपया दिया है लेकिन कारपोरेशन के लोगों ने सौतेला व्यवहार करके एक पैसा भी आर० बी० एस० एम० को नहीं दिया है। सारा 28 करोड़ रुपया उन पांच मिलों पर ही खर्च कर दिया है जो कलकत्ता में हैं जिसका नतीजा यह हुआ कि आर०बी०एस०एम०, जिसका कि आपने राष्ट्रीयकरण 1980 में कर दिया था, जहां 3 हजार मजदूर काम करते हैं स्थायी रूप से 1400 अस्थायी रूप में, उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ। मुझे जानकारी मिली है कि उसका मिनी आधुनिकीकरण करने का आपका विचार है। जिसका मतलब यह कि अभी जो लूम्स चल रहे हैं उन्हीं लूम्स का माडर्नाईजेशन किया जायेगा। उसका नतीजा यह होगा कि वहां पर मजदूरों की छटनी होगी। मैं चाहता हूं यदि आप आर० बी० एस० एम० का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो उसका पूर्णरूपेण आधुनिकीकरण होना चाहिए। वहां पर जो करीब 500 लूम्स बन्द पड़े हैं उनको भी चालू किया जाना चाहिए। यदि पूर्णरूपेण उसका आधुनिकीकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर से वहां पर जो मजदूर अस्थायी हैं उनकी सेवा भी स्थायी हो जायेगी और अलग से भी मजदूर लेने पड़ेंगे।

[श्री राम बहादुर सिंह]

इसी प्रकार से मैं शोध के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जूट से रस्सी बनाई जाती है, बोरा बनाया जाता है, बोरियां बनाई जाती हैं, टाट बनाया जाता है, और दरियां बनाई जाती हैं। यदि इस उद्योग का विकास करना है, तो बड़े पैमाने पर आपको शोध की व्यवस्था करनी होगी। शोध की व्यवस्था है, तो लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वह होनी चाहिए, वह नहीं है। इसलिए आपको पड़े पैमानेपर शोध की व्यवस्था करनी होगी कि क्या इन वस्तुओं के अलावा जूट से कोई दूसरी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। क्या कपड़ा बनाया जा सकता है? क्या कालीन बनाये जा सकते है? यदि कोई नया आविष्कार होता है तो निश्चित तौर से आज प्रतियोगिता के चलते बाजार मे इस उद्योग के सामने जो संकट खड़ा है उसका जवाब दिया जा सकता है।

अन्त में मैं एक निवेदन के साथ समाप्त करूंगा कि हमारे यहां किशनगंज के इलाके में, जिसकी मैंने चर्चा की है, पूर्णिया जिले में, वहां बड़े पैमाने पर किसान जूट की खेती करते हैं। उनकी मजबूरी है कि जूट को छोड़कर कोई दूसरी नगदी फसल लगा नहीं सकते हैं। वहां के किसानों की जूट का इस्तेमाल करने के लिए सरकार पिछले दस वर्षों से किसानों को आश्वासन देती चली आ रही है कि वहां पर एक जूट का कारखाना लगेगा।

10 वर्ष बीत गए हैं, वहां के लोग आज भी टकटकी लगाए हुए हैं कि सरकार अपने वचन का पालन करे लेकिन सरकार अपने वचन का पालन नहीं कर रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वहां के किसानों का ध्यान रखते हुए और उनके सामने जूट की खेती करने की मजबूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जो वचन दिया है वहां के लोगों को आश्वासन दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए, किशनगंज में वह मिल लगाएं।

अन्त में मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मंशा से अपने यह विधेयक पेश किया है, वह मंशा सम्पूर्ण रूप में पूरी होने वाली नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आपने एक प्रयास किया है और एक छोटा-सा अच्छा प्रयास है, इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : माननीय सभापति महोदय, यह जो जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक 1987 पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

हमारे पूर्व के वक्ता राम बहादुर सिंह जी ने काफी विस्तृत रूप से जूट के संदर्भ में चर्चा की है। उनकी भावना का भी मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि जूट बिहार में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में काफी बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है और जूट की खेती करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, वे करीब 40 लाख किसान भाई हमारे बिहार में हैं, जिन्हें सिर्फ जूट की खेती पर आश्रित रहना पड़ता है। जूट एक ऐसा उद्योग है, जिसमें पिछले लगभग 100 वर्षों से लोग कार्यरत हैं और इस पर आधारित जो किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति है, पिछले 15-20 वर्षों से इसमें काफी गिरावट आई है। बिहार के जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, उनका मैंने दौरा किया है और विस्तृत रूप से किसान भाइयों से जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की है। हमको यह बताया गया है कि जो जूट ग्रोअर्स हैं, वे धीरे-धीरे इस जूट प्रोडक्शन से अपने आप को अलग करने की कोशिश में हैं। यह बहुत बड़ी विडम्बना है। पिछले 10-15 वर्षों में जूट पर आधारित जो हमारा उद्योग था, उस उद्योग के बंद हो जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष की भावना को हमने देखा है और उनकी आर्थिक स्थिति कम-

जोर हो गई है। जूट पैदा करने में जिस तरह की चीजों की जरूरत होती है, जूट का किसान अगर जूट के अलावा दूसरी चीज पैदा करना भी चाहें, तो वह शायद नहीं कर पाएगा। हमने इस विषय में अध्ययन किया है खासकर सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और भागलपुर का इलाका है, चम्पारण का इलाका है और जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां का कुछ इलाका है, इन इलाकों में जूट की खेती जिस परम्परागत ढंग से हुआ करती थी, आज किसान उसमें अपने आप को असहाय पाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जूट के प्रोडक्शन में जो किसान लगे हुए हैं, उनकी तरफ विशेष तवज्जह देने की आवश्यकता है। जूट का उद्योग खड़ा करने में कुछ विसंगतियां हमने भी पाई हैं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बिहार में जूट के उद्योग काफी दिनों से बन्द हैं और जूट के उद्योग को चलाने के लिए बार-बार बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बात करके कई बार किसानों को यह कहा है और यह एश्योरेंस दिया गया है कि वहां जूट की इंडस्ट्री नई भी खोली जाएगी और जो पुरानी व्यवस्था है, उसको पुनःजीवित किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि उस एश्योरेंस पर कम से कम हम अवश्य ध्यान देंगे और जो भी जूट इंडस्ट्री बन्द हैं, उसको फिर से खड़ा करने के लिए मोडरेनाइजेशन प्रोग्राम आपने बनाया है। उसके लिए 28 करोड़ रुपये मिले हैं। दुर्भाग्यवश उस 28 करोड़ रुपये में से हमारा शेअर कहां चला गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान भाई जूट में लगे हुए हैं, जिनकी बदौलत जूट का उद्योग चलता है, उनको पुनः आपको खड़ा करना होगा। इसके बारे में आपसे बहुत आशाएं हैं।

पिछले वर्षों में माननीय प्रधान मन्त्री जी बिहार गए थे। वहां जाने पर स्वयं उन्होंने इस बात की चर्चा की। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने कई भाषणों में कहा और इससे किसानों में बड़ी जागरूकता आई। उन्हीं भाषणों का हम यह प्रतिफल देख रहे हैं कि जूट इंडस्ट्री के विषय में एक पोजिटिव डाइरेक्शन में, एक पोजिटिव वे में मूवमेंट हुआ है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि जूट उद्योग में जो हमारे सम्बन्धित किसान भाई हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए।

मैं जे० सी० आई० के विषय में आपका खास ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूर्णिया जिले में जो जे० सी० आई० के सेन्टर्स हैं, उनको हमने स्वयं देखा है, उनका अध्ययन भी किया है। दो दिन मैं वहां रहा हूं। माननीय मन्त्री जी हम यहां जितनी भी बात कर लें लेकिन पूर्णिया के पास कसैला एक जगह है वहां के दो सेन्टर्स को मैंने देखा है, उनमें बड़ी विसंगतियां हैं। वहां एक-एक किसान आठ-आठ दिन से अपने जूट की गाड़ी लिए हुए खड़े हुए थे। वहां जूट का कोई भी पदाधिकारी पूछने वाला नहीं था। हमारी पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम क्या करें, जितना जूट खरीदना लिखा हुआ था, उतना जूट हमने खरीद लिया। अब इसका जवाब हमारे पास नहीं था। हमने उनसे पूछा कि कितना जूट का कोटा खरीदने के लिए लिखा हुआ था? उन्होंने बताया कि यहां पर उस क्वालिटी का जूट नहीं मिलता है जिस क्वालिटी का खरीदने के लिए हमें लिखा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान क्वालिटी देखकर खेती नहीं करता है। यह परम्परागत खेती है और एक ढंग से होती है। इसमें दस महीने का समय लगता है। फिर दो महीने जूट को गलाने में लग जाते हैं। जब वह पानी में सड़ जाता है तो उसके बाद किसान उसको लाता है, उसको सुखाता है। इतनी गन्दगी और इतनी बदबू होती है कि मान्यवर आपके और हमारे सहन से बाहर की बात होती है। इतनी मेहनत के बाद गाड़ी पर अपना जूट लाद कर जे० सी० आई० के सेन्टर्स पर ले जाता है और वहां दो-दो हफ्ते खड़ा रहता है। जब उसकी यह हालत होगी तो वह स्वतः अपने को आपसे और हमसे अलग पाएगा।

हम किसी भी कारण से यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जे० सी० आई० ने किसानों के साथ

[श्री मनोज पांडे]

न्याय किया है। उसने सरासर अन्याय किया है और इस बात के गवाह हम स्वयं हैं। आपको यह एंश्योर करना होगा और अपने इस माननीय सदन में कई बार कहा भी है, इस सदन में चर्चा भी हुई है। हमारे बिहार के कृषि मन्त्री जी यहां आए थे उनकी हमारे कृषि मन्त्री जी से कई बार बातें भी हुई हैं और बिहार सरकार की तरफ से एक राय भी आई है कि आप बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाएं। आप उनसे यह कहें कि आप कितना जूट खरीद सकते हैं और कितना जूट वे सरकारें खरीदेंगी। डायरेक्ट किसानों से खरीदेंगे या हमारी सरकार से खरीदेंगे। हमें इतना बता दें। हम उतना ही जूट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम जूट ज्यादा प्रोड्यूस करें तो वह ज्यादा जूट आप बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के मत्थे मढ़ दें। लेकिन जे० सी० आई० को यह कहा जाए कि उतना जूट वह अवश्य खरीदे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रोग्राम बनाइये। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप इस स्थिति की जानकारी कर लें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जे० सी० आई० ने मिडिल मैन से भी जूट की परचेज की है। सवाल यह है कि आपको किसानों से सीधे जूट खरीदना है। जूट की क्वालिटी कई तरह की होती है, अलग-अलग दाम की होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की है, लेकिन यह जो मिडिल मैन है, जो हमेशा बीच में आकर किसानों से सस्ते-से-सस्ते दाम पर सामान खरीद कर अपने गोदामों में रख लेता है और जे०सी०आई० उस मिडिल मैन से सामान खरीदकर अपना कोटा पूरा कर लेती है, मान्यवर यह इतना शार्ट-सर्किट है और इस शार्ट-सर्किट में हमारे कई पदाधिकारी भी मिले हुए हैं और कुछ लोकल पोलीटिशियन भी मिले हुए हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, यह एक ऐसा सिलसिला है जिसमें ज्यादातर हमारे किसान भाई मारे जाते हैं। इस ओर तवज्जह देने की आवश्यकता है। मैं यह बात बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि जूट बिना किसान के नहीं चल सकता। जूट का प्रोड्यूसर जब तक ठीक नहीं होगा, उद्योग आप खड़े कर लें, बड़े-बड़े भवन और अट्टालिकाएं खड़ी कर लें, लेकिन जूट जो रा-मेटीरियल है, इसको पैदा करने वाला किसान अगर ठीक से नहीं होगा, सही परिप्रेक्ष्य में उसको नहीं देखा जाएगा, उसका आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक यह उद्योग नहीं चल पाएगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें और तीनों सरकारों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाएं और हम लोगों को यह बताएं कि किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन जे० सी० आई० खरीदेगा और कितना प्रोडक्शन हमें खरीदना होगा। अगर यह हम फिक्स कर दें तो उसके अनुसार हम भी किसान भाइयों के यहां जाकर इस बात को कह सकते हैं कि आपको इससे ज्यादा जूट पैदा नहीं करना है, ताकि वह जूट के अलावा दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रित करे और दूसरी चीजें पैदा करके फायदा कमा सके।

सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, उसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को और प्रधान मन्त्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। स्टेट एडवाइजरी कमेटी के गठन की बात कही गई है, इसमें इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस स्टेट एडवाइजरी कमेटी में कौन-कौन सदस्य होंगे। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसका सम्बन्ध किसानों से है, मजदूरों से है और जो मिल मालिक हैं, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, उनसे है, इसलिए इन तीनों के रिप्रजेंटेटिव इनमें होने चाहिए, ताकि सही रूप में इस उद्योग को आगे लाया जा सके।

दूसरी बात इस बिल में उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही

गई है, यह स्वागत योग्य कदम है। जो लोग इसके खिलाफ काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पैकेजिंग मेटीरियल के बारे में दो शब्द कहना आवश्यक है। आजकल हम यह देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग सिंथेटिक मेटीरियल यूज कर रहे हैं और शायद उसकी कास्ट भी कम है। जूट की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है, उसके आधार पर भी सिंथेटिक मेटीरियल की कास्ट कुछ ज्यादा पड़ती है, प्रोसेसिंग में या लेबर कास्ट जूट की अधिक है, लेकिन इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमें इसको फोरगो करना होगा।

इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो इनफर्मेशन मांगने की बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मेटीरियल्स को सीज करने की भी पावर्स ली गई हैं, यह भी स्वागत योग्य है, लेकिन साथ-साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इसमें जो पदाधिकारी लगाए जाएंगे वे सही मामलों में इस अधिकार का उपयोग करेंगे। जो भावनाएं इस बिल में व्यक्त की गई हैं, उनकी कद्र करते हुए इसका उपयोग करेंगे।

मैंने देखा है कि छोटे-छोटे किसान अगर सामान लाकर बेचने की बात करते हैं तो वे भी सीजर में आ जाते हैं। छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी भी सीजर में आ जाते हैं। उसमें जो व्यक्त भावनाएं हैं, उसके विरोध में जब काम होने लगते हैं तब असंतोष व्याप्त होता है और इस असंतोष का कारण यही होता है कि अगर गलत ढंग से सीजर किया जाए तो जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन भावनाओं के प्रतिकूल यह असर डालता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस विधेयक का सीमित क्षेत्र है। उस सीमा तक ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि ये बहुत देर के बाद किये जा रहे उपाय हैं, अतः मैं नहीं जानता कि देरी हो जाने के कारण इसका कितना प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रश्न के एक पहलू पर भारत सरकार मौन साधे हुए है। और वह प्रश्न यह है कि इस विशेष संकट को पैदा करने के लिए, अर्थात् सिंथेटिक बोरों से इस उद्योग को जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है। गत तीन या चार वर्षों से पी०वी०सी० के छोटे-छोटे दानों के आयात को कौन प्रोत्साहन देता रहा है। इन एच०डी०पी०ई० थैलों के निर्माण के लिए अनेक छोटे छोटे उत्पादकों की इकाइयों की स्थापना के लिए कौन प्रोत्साहन देता रहा है? यह आसमान से एकदम ही तो नहीं टपक पड़ा है। गत तीन या चार वर्षों से सरकार को लगातार यह अभ्यावेदन दिये जाते रहे हैं कि इस आयात पर और सिंथेटिक से बनी इन वस्तुओं के इस्तेमाल पर कठोरतापूर्वक नियन्त्रण किया जाये। क्योंकि अन्ततोगत्वा इसके कारण पटसन उद्योग के एक बड़े भाग को क्षति पहुंचेगी। यदि आधुनिक प्रौद्योगिकी के नाम पर आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाये तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं किंतु शर्त यह है कि इसके लिए हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति अनुकूल हो। मेरी इस प्रौद्योगिकी के प्रति आसक्ति नहीं जिनका इस्तेमाल अमरीका अथवा जापान अथवा किसी अन्य देश में किया जा रहा है क्योंकि हम अमरीका अथवा जापान में नहीं रहते अपितु हम उस देश में रहते हैं जिसे भारत कहते हैं और जिसकी विशिष्ट विशेषता है। और उनमें से एक विशेषता यह है कि हमारे देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है जो प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं उस प्रौद्योगिकी का, जिसके कारण बेरोजगारी और बढ़ जायेगी, तब तक अनुमोदन नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं दर्शा सकते कि इस विशेष प्रौद्योगिकी के लागू करने से

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने अथवा किसी वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत कम होने के कारण देश को बहुत अधिक लाभ होगा। यह मामला इस प्रकार के छोटे दानों का आयात करने से सम्बद्ध है जिनका इस्तेमाल सिंथेटिक बोरों के उत्पादन के लिए किया जाता है। केवल हम ही सरकार से आग्रह नहीं कर रहे हैं। हम किसानों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर आग्रह कर रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक बोरों का जितना अधिक उत्पादन होगा कच्चे पटसन की, जिसका इस्तेमाल पटसन की बोरी बनाने में किया जाता है, मांग उतनी ही कम होगी। अत: इसका प्रभाव कृषकों पर पड़ेगा जिनको अपना कच्चा पटसन और अधिक सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसका प्रभाव कम से कम श्रमिकों के उस वर्ग पर जरूर पड़ेगा। जो बोरों के निर्माण में, कपड़ों की बोरी बनाने में अथवा टाट को सीने में लगा है। इसीलिए, हम उस विचार को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आग्रह करते रहे हैं। किन्तु मेरे मन में इस सम्बन्ध में जरा भी संदेह नहीं है कि पटसन मिल मालिक, आई० जे० एम०ए० अपने व्यापार के कारण ही सरकार पर दबाव डालते रहे हैं क्योंकि वे लोग सिंथेटिक बोरों के नये निर्माण के समक्ष अपने बाजार के इस भाग को भी नहीं खोना चाहते हैं। मेरे मस्तिष्क में इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है कि हमारे अथवा हमारे प्रतिनिधियों की वकालत के कारण ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आई०जे०एम०ए० के दबाव के कारण ही इसे प्रस्तुत किया गया है। मुझे यह बात भली-भांति विदित है। तथापि, कभी-कभी विशेष दृष्टिकोण से सोचते हैं तो यही प्रतीत होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम तो वही निकलेगा, जो हम चाहते हैं, तथापि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, कि इस सिंथेटिक उद्योग का क्या होगा जिसे गत तीन या चार वर्षों में पनपने का अवसर प्रदान किया गया है। किन्तु इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। इसके बारे में श्री मिर्धा को निर्णय लेना होगा। इस समय वह संतुलन बनाये रखने की बात कह रहे हैं। बोरी अथवा पैकिंग की वस्तुओं के निर्माण में हम पटसन का एकाधिकार बनाये रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमें पटसन और सिंथेटिक वस्तुओं में एक प्रकार की समानता बनाये रखनी होगी। अब उन्हें यही कहना होगा क्योंकि उन्हें सिंथेटिक उद्योग को विकसित करना है। ये वही लोग हैं जिनके प्रयत्न-स्वरूप इस समय लगभग 500 एकक मौजूद हैं और उनमें से अधिकांश लघु-उद्योग एकक है तथापि उनमें से इस समय लगभग एक लाख श्रमिक लगे हुए हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें कितनी पूंजी निवेश की है, इस उद्योग में वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? क्या भारत सरकार के समर्थन के बिना यह सब किया जा सकता है? वास्तव में, ऐसे मामलों में भारत सरकार बहुत ही चतुर है क्योंकि आजकल इन वस्तुओं की खरीददारी मुख्य रूप से सरकार द्वारा ही की जाती है। पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय इस उद्योग से सबसे अधिक पटसन खरीदता है। पहले इसका निर्यात किया जाता था किन्तु अब इसका निर्यात बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इस समय पटसन से बने बोरों का ऐसा कोई निर्यात नहीं किया गया है जिसकी चर्चा की जा सके। इनकी जो भी खपत होती है देश में होती है और सरकार और विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों की ओर से इसकी सबसे अधिक खरीददारी पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

इस प्रकार, इसके पीछे उद्देश्य सिंथेटिक उद्योग को विकास करने देना था ताकि इससे प्रतिस्पर्धा के कुछ हालात पैदा हो जायेंगे और जूट मिल मालिक या तो बोरों के मूल्य में कमी करने अथवा उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। अब, तीन या चार वर्ष गुजरने के बाद इस विधेयक को लाया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य, मूल जूट उद्योग और नये सिंथेटिक उद्योग के बीच कुछ अनुपात निर्धारित करने, अर्थात् कौन-सा उद्योग कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की पैकिंग करेगा,

के लिए सरकार को एक सलाहकार समिति के माध्यम से कार्यवाही करने की कुछ शक्तियां प्रदान करना है। निस्संदेह, मुझे इस विधेयक को लागू किये जाने के तरीके के बारे में संदेह है क्योंकि निगरानी, निरीक्षण, छूट देना, दण्ड, इत्यादि ये सभी बातें हमारी व्यवस्था में सामान्यतया ठीक ढंग से नहीं चलती हैं। हम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर यह भी दिया गया है कि धारा 2, उप-खंड (ग) में, 'जूट पैकिंग सामान' की परिभाषा के अन्तर्गत, 'कारपेट बैकिंग' के सिवाय लगभग प्रत्येक मद को शामिल किया गया है क्योंकि 'कारपेट बैकिंग' का उपयोग पैकिंग के लिए नहीं किया जाता। इसके सिवाय, प्रत्येक वस्तु जैसे जूट, जूट धागा, जूट ट्वाइन, जूट बोरा बनाने के काम आने वाला कपड़ा, हैसियन कपड़ा, जूट थैला, अथवा दूसरे पैकिंग के सामान को भी शामिल किया गया है। मैं 'जूट' के अर्थ के बारे में नहीं जानता।

'जूट' क्या होता है? अगर आप दूसरी सभी वस्तुओं को निकाल देते हैं और जूट बच जाता है, तो क्या यह कच्चा जूट है? कच्चे जूट का उपयोग पैकिंग के लिए नहीं किया जाता। कच्चा जूट वह वस्तु है जिसे किसान खेतों में उगाता है। इस प्रकार, मैं जूट के अर्थ के बारे में नहीं जानता, क्योंकि इसके सिवाय प्रत्येक वस्तु जैसे—जूट धागा, जूट ट्वाइन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में अधिकतर मिल सिर्फ जूट सूत और डोरी का निर्माण करते हैं। इनमें किसी भी जूट वस्त्र अर्थात — जूट बोरा कपड़ा, हैसियन कपड़ा, जूट थैले अथवा और किसी तरह के पैकिंग सामान का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जूट की इस प्रथम मद को स्पष्ट किया जाना चाहिए। 'जूट' के अर्थ के बारे में जानने की मुझे बहुत जिज्ञासा है। जूट वह मूल कच्चा सामान है जिससे सभी वस्तुयें बनाई जाती हैं। अगर इसके लिखने में थोड़ी-सी भी गलती हो गई हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि श्री मर्धा इसको सही करवा देंगे क्योंकि इसका कोई खास अर्थ नहीं है। यह अर्थहीन है। जूट का क्या अर्थ है? कोई बात नहीं। इस प्रकार, मैं यह कह रहा था कि आरम्भ में ही इस संकट को खड़ा करने का उत्तरदायित्व स्वयं सरकार का ही है। सरकार आसानी से इस सिंथेटिक उद्योग के विकास को रोक सकती थी। परन्तु मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने बगैर किसी उद्देश्य के इसका विकास होने दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन सैकिंग, सैकिंग बैग, जूट थैले जिसे बी०-ट्विल्स कहा जाता है और दूसरी किस्मों की सैकिंग के बिक्री मूल्यों में स्थिरता रही है या ये नीचे गिरे हैं। डी०जी०एस० एण्ड डी० किस कीमत पर मिलों से इतनी बड़ी मात्रा में बोरे खरीदता है? एक समय था जब सरकार विक्रय मूल्य निर्धारित करती थी और कहती थी कि वह उनको तभी खरीदेगी जब मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाये जायेंगे। निस्संदेह, आई०जे०एम०ए०, पटसन मालिक ऐसी सीमा के विरुद्ध थे। अब, क्या स्थिति है? क्या यह एक तथ्य है कि इन सिंथेटिक बोरों की बिक्री जूट के थैलों की तुलना में सस्ता दर पर हो रही है? मेरी तो इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सभा को यह जानकारी दी जाये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जूट के बने बोरों की तुलना में ये सिंथेटिक बोरे क्या वास्तव में अधिक टिकाऊ हैं अथवा नहीं? आजकल किस सीमा तक चीनी, उर्वरक अथवा सीमेंट जैसी वस्तुओं को कितने प्रतिशत तक इन एच०टी०पी० बोरों, सिंथेटिक बोरों में पैक किया जाता है? ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान में इन वस्तुओं का सिर्फ 20 से 25 प्रतिशत तक इन सिंथेटिक बोरों में पैक किया जाता है और 80 प्रतिशत या इससे अधिक अब भी जूट के बोरों में पैक किया जाता है और इसलिए उनका दावा यह है कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार उनके सिंथेटिक्स से पटसन उद्योग को कोई खतरा नहीं है। परन्तु हमारा इस तरह का कोई विचार नहीं है। हमारे विचार में सिंथेटिक बोरे बाजार में धीरे-धीरे जगह बना रहे हैं और हम अपने दृष्टिकोण से इस बारे में भली-भांति जानते हैं, क्योंकि हम श्रमिक संघों में हैं और हम इस व्यापार की अन्दरूनी स्थिति

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। परन्तु मुझे इस बात का पता है कि बोरे बनाने और उनकी सिलाई करने वाले श्रमिकों को धीरे-धीरे छटनी की जा रही है तथा उन्हें हटाया जा रहा है और उन मिलों को बन्द कर दिया जाता है, क्योंकि मिल का प्रबन्धक वर्ग कहता है कि इन सिंथेटिक वस्तुओं का बाजार में आने की वजह से उनके बोरों की बिक्री खत्म होती जा रही है। इसी वजह से यहां पर एक उद्योग कई वर्षों से कार्य कर रहा है और श्री मिर्धा ने कहा है कि पांच या छह राज्यों में काफी लोगों का जीवन निर्वाह इस पर निर्भर है। जहां तक किसानों का संबंध है, लगभग 45 लाख परिवार इस पर निर्भर हैं और लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख श्रमिक अपने जीवन-निर्वाह के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। यह उद्योग प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है। इससे पहले यह अधिक कमाता था। इसलिए, इन बोरों के लिए कृत्रिम धागा और सामान लाकर एकदम सम्पूर्ण संतुलन को बिगाड़ना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, नुकसान हो चुका है और अब सरकार के सामने दोहरी समस्या होगी, क्योंकि यद्यपि सिंथेटिक निर्माण करने वाले लोगों का समर्थन नहीं करता हूं। परन्तु वे अब चिल्लाना शुरू कर देंगे कि उनके उद्योगों को बन्द कर दिया जायेगा और वहां पर कार्य कर रहे एक लाख लोगों में कुछ को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। श्री मिर्धा एक संतुलन पैदा करना चाहते हैं ताकि दोनों को बराबर न्याय मिल सके। सलाहकार समिति की संरचना किस तरह की है जिसके बारे में हमें ज्यादा संकेत नहीं मिला है? निस्संदेह, दूसरे सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किये हैं। इनके अनुसार सलाहकार समिति में ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जिनमें आवश्यक विशेषज्ञता हो और जो इस मामले में सलाह दे सकें। इसलिए, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस सलाहकार समिति में दोनों उद्योगों के प्रतिनिधि होंगे। स्पष्ट तौर पर जूट उद्योग और मिल मालिकों का प्रतिनिधित्व होगा। सिंथेटिक उद्योग प्रबंधकों का भी प्रतिनिधित्व होगा। भारत सरकार के मंत्रियों, जिनका संबंध इस सम्पूर्ण कार्य से है, का भी प्रतिनिधित्व होगा। परन्तु किसानों और दूसरे श्रमिकों के बारे में क्या विचार है? दूसरे सदस्यों तथा मैंने भी कहा है कि जब तक इस समिति में जूट उगाने वाले किसानों और जूट मिल श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया तो इसकी संरचना एकतरफा होगी तथा इसका दृष्टिकोण द्वेषपूर्ण होगा। क्योंकि जिन मदों पर सलाहकार समिति को अपनी सिफारिशें देनी है, उनका धारा चार में दिया गया है, विशेषतौर पर जूट उद्योग में लगे श्रमिकों और कच्चे जूट के उत्पादन में लगे किसानों के हितों के सरक्षण के बारे में उल्लेख है। इस प्रकार, अगर इन लोगों के हितों का सरक्षण इस सलाहकार समिति के लिए चिन्ता का विषय है तो किसानों और श्रमिकों के हालातों से परिचित लोगों का भी इस समिति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए अन्यथा यह समिति एक मजाक होगी।

इसके पश्चात् और बातें आती हैं, मैं जुर्माना आदि का जिक्र नहीं करना चाहता। यहां पर जब कोई व्यक्ति इस विधेयक अथवा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जूट की जगह किसी दूसरी वस्तु को पैक कर देता है तो उससे जुर्माने की मांग की जाती है। जुर्माने की धनराशि पैक किए जाने वाले जूट के उस सामान की लागत से दुगुनी होगी जिसका उपयोग किया जाना था। जिस पटसन पैकेज सामान का उपयोग किया जाना चाहिए था उसकी लागत से दुगुना — मेरे विचार में किसी भी तरह की ऐसी निवारक सजा से काम नहीं चलता और अगर आप वास्तव में इस कानून को कड़ा बनाना चाहते हैं तो सजा को निश्चित तौर पर सख्त बनाया जाना चाहिए।

मैं अंत में कुछ बातें और कहना चाहता हूं ...

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हां, आप उससे अधिक कहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कह तो सकता हूं परन्तु आप देख रहे हैं कि उन्होंने छूट का अधिकार दे दिया है और मैं बोलना चाहता हूं हालांकि यह इस विशेष विधेयक के अन्तर्गत न हो, जैसाकि भारतीय पटसन निगम के ठीक प्रकार से कार्य न करने के बारे में कई दूसरे सदस्यों ने कहा है। पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन वर्षों में कुछ नहीं किया गया है, इसलिए पटसन की खेती मे कमी आ रही है, वृद्धि होने की बजाय उसका कारण है किसानों को न्यूनतम मूल्य और लाभकारी मूल्य नहीं दिए गये। पिछले एक या दो वर्षों में ही ये मूल्य किसानों को दिए गए हैं, ऐसा सरकार की किसी नीति के कारण नहीं हुआ है बल्कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से बाजार में जो उतार-चढ़ाव आया है उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं, परन्तु सामान्यतः आप पायेंगे कि यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग ने निर्धारित किया है उसका किसान की उत्पादन लागत में जो वास्तविक वृद्धि हुई है उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा सिर्फ कीमतें कम रखे जाने के लिए किया जाता है तथा पटसन मिल मालिकों के फायदे के लिए किया जाता है, जब भी पटसन की फसल तैयार होती है तो पटसन मिल मालिक बाजार से पीछे हट जाते है और इस तरह की धारणा पैदा करते हैं कि पटसन की खरीद में उनकी कोई रुचि नहीं है, इस तरह से इसकी कीमतें और नीचे चली जाती है—हमारे किसान बहुत छोटे हैं उनके पास बड़ी जोतें नहीं हैं, अधिक संसाधन नही हैं और वे अपने इस माल का स्टाक नहीं रख सकते हैं, उन्हें इसे तुरंत बेचना होता है, नहीं तो दूसरे दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। उनकी यह हालत है। इसमें से कुछ लोग बिचौलियों की सहायता से, फसल तैयार होने से पूर्व निजी ठेकेदारों के पास चले जाते हैं कि वे पटसन के तैयार होते ही अमुक भाव में अपना माल उन्हें बेच देंगे। हमारे देश के पूर्वी भागों में सहकारिता का कार्य एकदम खराब है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है परन्तु यह सच बात है। पटसन किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए कोई भी सहकारी समिति नहीं है। इस तरह की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता तथा भारतीय पटसन निगम से कहा गया है कि वह उनके माल को खरीदें, लेकिन यह तभी खरीदें जब बाजार में इसकी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य अपर्याप्त है। भारतीय जूट निगम, जिसे कि हमने कच्चे पटसन की कीमतों पर निगरानी रखने और किसानों को बिचौलियों मिल मालिकों के एजेन्टों से बचाने और उनका संरक्षण करने के लिए एक निर्णायक के रूप में माना था, उस कार्य को करने में पूरी तरह से विफल रहा है। क्या मैं इसे कल जारी रख सकता हूं। मैं दो या तीन मिनट का समय और लूंगा। मैं इसे अभी तुरंत भी समाप्त कर सकता हूं।

सभापति महोदय : यह आपकी मर्जी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आप मुझे कल बोलने की इजाजत दें तो भी ठीक है।

सभापति महोदय : यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। आप कल बोल सकते हैं।

4.00 म०प०

भारत-अमरीकी संबंधों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगला मद नियम 193 के अधीन चर्चा है। अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस क्षेत्र और हमारे देश के सुरक्षा हितों के विरुद्ध अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को 'अवाक्स' विमान दिए जाने के निर्णय ने मुझे भारत-अमरीका संबंधों पर यह चर्चा उठाने के लिए तुरंत प्रेरित किया है।

महोदय, मेरे पास एक पुस्तक है, जिसका नाम है "नेशनल सिक्यूरिटी एण्ड स्ट्रेटजी आफ दि यूनाइटिड स्टेट्स"। इसे व्हाइट हाउस द्वारा 1986 के अन्त में तैयार किया गया था। इसके अनुसार, पहली बार अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित किए हैं। इस सरकारी दस्तावेज में वर्तमान स्थिति से विपरीत स्थिति का चित्रण किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह मूल्यांकन कैसे किया गया अर्थात् क्या यह एक विशेष व्यक्ति के मूल्यांकन पर अथवा समस्त देश की जनता की भावना पर आधारित था। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

4.01 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

आप सब इस बात से अवगत हैं कि पिछले वर्षों से अमेरिका पाकिस्तान को अत्याधुनिक किस्म के हथियार दे रहा है जैसे एफ०-16, हारपून मिसाइल, टैंक, इत्यादि और इस बारे में हमने बार-बार अपनी चिंता जाहिर की है। परन्तु पाकिस्तान को 'अवाक्स' देने के इस निर्णय ने अब तक दिए गये हथियारों के सभी संयुक्त प्रभावों को मात कर दिया है। अवाक्स विमानों से स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। इसके साथ ही हमें पता चला है कि अब पाकिस्तान ने या तो बम बना लिया है या बम बनाने की क्षमता रखता है। यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक और परमाणु विशेषज्ञ, श्री अब्दुल कादिर खान ने भी कही है। वे यह सब अमेरिका को सक्रिय सहभागिता से कर रहे हैं। हाल ही में हमने सुना कि अमेरिका ने साइमिंगटन संशोधन को निरस्त कर दिया है ताकि पाकिस्तान को अमेरिका से सैनिक सहायता आदि मिल सके तथा एटम बम प्राप्त करने में सैनिक सहायता बाधक न हो।

इन दो कारणों से इस क्षेत्र में पहले ही से चल रहे शीत युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। हम सब यह बात जानते हैं और हमने कई बार कहा है कि अवाक्स की सप्लाई भारत को लक्ष्य बनाकर की गई है। उनका यह तर्क देना कि यह अफगानिस्तान के विरुद्ध है, मान्य नहीं है। इस विमान के संचालन स्वरूप को देखा जाय तो यह विमान पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इस विमान में यह बेजोड़ क्षमता है कि वे भारत के विरुद्ध आकाशीय हमले के लिए नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है और बदले में जवाबी कार्यवाही की संभावना नहीं रहती। यह विमान सप्लाई करने का उनका मुख्य कारण विश्व पर प्रभुत्व जमाना है न कि अवाक्स की सप्लाई पाकिस्तान की रक्षा के उद्देश्य से की गई है, जैसा कि पाकिस्तान ने कहा था कि उन्हें अफगानिस्तान से हमले का खतरा है। स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक और अमेरिकी नेताओं ने भी इस बात का खंडन किया है। हम यह भी जानते हैं कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा ली हैं। इसलिए अमेरिका के दक्षिण एशिया और उसके निकटवर्ती क्षेत्र के लिए रक्षा संबंधी कनिष्ठ सहायक उपसचिव श्री राबर्ट एच० पेलिट्रीअन ने कांग्रेस समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए कहा था कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान को सोवियत संघ से कोई खतरा नहीं है। यह बहुत मार्के की और बहुत महत्वपूर्ण बात है।

जैसा कि मैंने कहा कि यह सप्लाई भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए ही की गई है और इसके क्षेत्रीय और विश्व-व्यापी प्रभाव हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरब के पास भी अवाक्स विमान हैं और कुछ खाड़ी के देश भी अवाक्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर हम इस बात को ध्यान में

रखें तो ज्ञात होगा कि 1983 में पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाकर सेंटकॉम की स्थापना करने और इस उद्देश्य से 3 लाख सैनिकों को वहां भेजने का विचार, जिसका उद्देश्य वास्तव में एशिया पर प्रभुत्व जमाना था, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अमेरिका की नीति हमारे देश की नीतियों को अर्थात् शांति और गुट-निरपेक्षता की नीति को बदलने की है। उन्होंने इस बात को कहने के लिए शब्दों का कभी भी संकोच नहीं किया। हमें पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई किए जाने और उसके अनुवर्ती परिणामों की जानकारी है। अमरीकी सभा की विदेशी कार्य मामलों संबंधी समिति की उपसमिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए सेलिग एस० हेरीसन (सीनियर एसोसिएट, एंडॉउमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस) ने कहा—

"पाकिस्तान को 1954 से 1965 तक अमरीकी सैनिक सहायता दिए जाने के अविवेचित कार्यक्रम के भयंकर परिणाम हुए। अमरीकी सैनिक साजो सामान ने ही पाकिस्तान को निरंतर दुखद घटनाओं की पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ।"

भारत पर दबाव डालने की इस नीति को अमेरिका ने तब बड़ी गंभीरता से लिया जब दिल्ली में 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 तक हुए एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के कुछ देशों ने भी भाग लिया, में श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :

"काफी समय तक हम एशिया के देशों की स्थिति पश्चिमी न्यायालयों और उनके कार्यालयों में याचिकादाताओं की सी रही है। वह अब अतीत की बात ही रहनी चाहिए। हम अब अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और हम उन सब को सहयोग देंगे जो हमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम दूसरों के हाथ का खिलौना बनना नहीं चाहते हैं।"

ऐसी जागरूकता अब केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे एशिया में उत्पन्न हो गई है जिससे अमरीका सचेत हो गया है और वे समझ गये हैं कि प्रभुत्व जमाने की उनकी नीति का भारत तथा वे अन्य देश विरोध करेंगे जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और वे इस नीति विशेष के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं।

सब जानते हैं कि जब 22 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तब उसे न केवल ब्रिटेन का अपितु अमेरिका का भी मौन समर्थन मिला था। इनमें सी०आई०ए० के अग्रदूत ओ०एस०एस०के० रसल के हेट भी इस आक्रमणकारी सेना के एक कमान्डर थे। तब से कश्मीर अमेरिका के पास भारत की शांति भंग करने का प्रिय विषय रहा है। अमेरिका ने काश्मीर के बारे में कुल मिलाकर क्या प्रस्ताव रखा था ?

(क) कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना;

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन की देखरेख में जनमत संग्रह;

(ग) अमरीकी गारंटी के अधीन स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना।

इस पृष्ठभूमि में भी, जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत में अमेरिका से पूंजी निवेश कराने के लिए अक्तूबर 1949 में अमरीका की यात्रा की थी तो अमेरिका के नेताओं ने उनसे क्या कुछ कहा और भारत से वे क्या चाहते थे। वह बिल्कुल स्पष्ट है। वे चाहते थे कि कश्मीर राज्य उन्हें दे दिया जाए जिस से वे वहां पर सैनिक अड्डे बना सकें, तभी वे भारत को सहायता देने पर विचार कर सकते हैं तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री आईजनहॉवर की उपस्थिति में भाषण देते हुए श्री नेहरू ने कहा था :

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

"विश्व को दो विरोधी खेमों में बांटने की जो प्रक्रिया है उससे यह संघर्ष बढ़ जाएगा जबकि हम उससे बचने का प्रयास करते हैं।"

यदि हम इतिहास पर सरसरी नजर डालें, तो देखेंगे कि कोरियाई युद्ध के दौरान जब भारत ने कोरिया में अमरीकी बम वर्षा के विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाया और शांतिपूर्ण समझौते की मांग की तो अमरीकी सीनेट की विदेशी मामलों संबंधी समिति ने भारत को मिलने वाली सहायता पर चर्चा स्थगित कर दी।

उन्होंने भारत को सहायता देने संबंधी चर्चा को स्थगित कर दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं और मैं समझता हूं कि उनका कुछ उल्लेख हमारी यादाश्त को तरोताजा करने में सहायक होगा। 1953 में पाकिस्तान द्वारा अमरीकी सैनिक सहायता प्राप्त करने की बात कार्यसूची में थी। 9 दिसम्बर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी प्रधान मंत्री को यह कहते हुए एक पत्र लिखा था: "इससे कश्मीर पर बातचीत में बाधा पड़ेगी।" बाद में संसद में उन्होंने कहा था: "जब सैनिक सहायक मिलती है तो पूरा देश एक सैनिक अड्डा बन जाता है।" उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा था; यदि भारत अमरीकी सैनिक सहायता लेता है तब इसे अमरीकी ब्लाक में शामिल होना पड़ेगा।" अब पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वह बिल्कुल वही है जिसकी नेहरू जी ने पहले भविष्यवाणी की थी।

जहां तक पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे का संबंध है यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जब उन्हें अवाक्स विमान देने का फैसला किया गया तब पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं ने कहा था—अवाक्स विमानों के और उन अमरीकी सैनिक कर्मियों के आने से जो इनका संचालन करेंगे—समस्त देश – संयुक्त राज्य अमरीका का सैनिक अड्डा बनने जा रहा है और वह भी बहुत बड़े रूप में बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अमरीकी कर्मियों सहित अवाक्स विमान पट्टे पर प्राप्त करने जा रहे हैं तथा वास्तविक अर्थों में पाकिस्तान का आसमान अब अमरीका के लिए है। यही उन्होंने महसूस किया था और उन्होंने कहा था। 1954 में जब अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का फैसला किया था तो श्री आईजनहावर ने जवाहरलाल नेहरू को यह कहते हुए एक पत्र लिखा था: "यदि भारत अमरीकी सैनिक सहायता चाहता है तो हम इसे देने के लिए तैयार हैं।" वे हमें सहायता देने तथा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए तैयार हैं। हम उनके इरादों को भांप सकते हैं। वे एक को दूसरे के विरुद्ध भड़का कर अपना व्यापार चालू रखना चाहते हैं। यही उन्होंने करने की कोशिश की है। अब यह हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उस समय सर्वोच्च पद पर पंडित नेहरू जैसे राजनेता थे जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था और संसद में गुस्से में यह सब कहा और सहायक सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री राबर्टसन का जिक्र किया था, जिन्होंने कहा था: "अमरीका को एशिया पर अनिश्चित काल के लिए छाया रहना चाहिए।" इस बात की निन्दा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं में से अमरीकी कर्मचारियों को हटाये जाने की मांग की थी।

तत्कालीन कांग्रेस ने, जो आज की कांग्रेस (इ) की तरह नहीं थी, पश्चिम बंगाल में कल्याणी में अपने सत्र के पश्चात सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें व्यापक रूप से सभायें आयोजित करने के लिए सुझाव दिया गया था और इसमें यह कहा गया था; "संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत और अन्य देशों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है। व्यवहार्य रूप से शीत-युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया है।" जब शीत-युद्ध को एक कठिन स्थिति या संकट में परिवर्तित किया जा रहा था और हमारे दरवाजे पर लाया जा रहा था तो तब कांग्रेस कार्यकारी समिति

ने 18 अप्रैल, 1987 के अपने संकल्प में क्या कहा था ? इसने संयुक्त राज्य अमरीका के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया ? क्या आपको इसके बारे में जानने के लिए पश्चिम बंगाल जाने की आवश्यकता है ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हैं। परन्तु फिर एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि, वे दुश्मन हैं—मेरा मतलब संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से है और वहां के लोगों से नहीं है। वहां बहुत से अच्छे लोग भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें उनकी पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर इसका जिक्र न करने का क्या कारण है ? क्या उनकी पहचान नहीं की जा सकती है ? आपको हमें वह तथ्य स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिए।

यहां उस समय के भारत-चीन प्रश्न को निपटाने के हमारे उन प्रयत्नों का जिक्र किया जाना चाहिए। जुलाई, 1954 में जनेवा सम्मेलन बुलाये जाने से पहले कोलम्बों में पांच देश—भारत श्रीलंका, बर्मा, इन्डोनेशिया और थाईलैंड—मिले और युद्ध विराम, चीन को मान्यता देने और फ्रांस की वापसी का आग्रह किया। अमरीका ने इसे पसंद नहीं किया। जब यह संदेश जनेवा सम्मेलन में भाग लेने वालों के पास पहुंचा तो वे अमरीका से प्रभावित हुए लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? परन्तु फिर आईजनहावर क्या कर रहे थे ? जब जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में एक संयुक्त सुरक्षा का प्रस्ताव रखा और भाग लेने वाले सभी देशों को कोलम्बों सम्मेलन में एक सैनिक समझौते की तरह एक सन्धि करने के लिए आमंत्रित किया और पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और फिर बाद में भारत सरकार ने इसे अस्वीकार किया। पाकिस्तान, फिलीपीन और थाईलैंड सहित कुछ देशों ने 'सीटो' की स्थापना की। हमारे उसमें भाग लेने, उस संधि का सहयोगी बनने से इन्कार करने पर संयुक्त राज्य अमरीका की क्या प्रतिक्रिया थी ? पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने हमारी इस्पात परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता देना बन्द कर दिया। उस समय हम जानते हैं कि श्री डुलेस ने क्या कहा था; उन्होंने कहा था।

"गुट निरपेक्षता अनैतिक और अदूरदर्शी है।" हम उसे नहीं भूल सकते हैं। इस सीटो नाम के सैनिक गठबन्धन ने 6 और 8 मार्च के बीच कराची में कश्मीर पर चर्चा की। फिर हम इसका भी उल्लेख कर सकते हैं कि क्या हुआ और जब हमारे ऊपर संकट था तो अमरीका ने क्या भूमिका निभाई थी या किसी की मित्रता का मूल्यांकन कहां किया जा सकता है। गोवा की स्वतन्त्रता के समय उन्होंने हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध किया और वे चाहते थे कि हम अपनी सेना वापस बुला लें। प्रत्येक बार हम देख रहे हैं कि उनका वास्तविक उद्देश्य यही रहता है कि भारत उनके कहे पर चले। इसमें सच्ची दोस्ती की बात बिल्कुल भी नहीं है; ऐसा कुछ नहीं है।

चीन के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका ने फायदा उठाने की कोशिश की। पहली बार भारत को सैनिक साजो सामान की सप्लाई की गई परन्तु पुनः इसमें उनकी कोई सच्ची मंशा न थी। हम एक साम्यवादी देश से लड़ रहे थे। अमरीका बहुत प्रसन्न था क्योंकि उनका उद्देश्य साम्यवाद को रोकना है। परन्तु पुनः उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें स्वार्थ न हो। उन्होंने इस देश में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उस स्थिति को फायदा उठाने की कोशिश की। उनका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से कैसे भिन्न था हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने मुख्य कर्मचारियों को, जो सहायता हमें दी थी उसकी निगरानी रखने के लिए रखा। यह सब कितना असर कारक रहा मैं नहीं जानता हूं; क्या यह वास्तविक रूप में सैनिक सहायता थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उन्होंने हमारे विमान क्षेत्रों का उपयोग करने की कोशिश की। इस क्षेत्र में वे एक प्रकार का हवाई सुरक्षा स्थापित करना चाहते थे। फिर वे कलकत्ता में एक वी० ओ० ए० केन्द्र स्थापित करके चालबाजी से किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते थे। यह सब हमें मालूम है।

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

1965 में भारत पाक युद्ध के पश्चात अमरीका ने दोनों को हथियारों की सप्लाई बन्द कर दी। परन्तु पुनः यहां हम उनके दोहरे मापदंड को देखते हैं। उन्होंने लड़ाकू विमान, सेबर्स पाकिस्तान को देने के लिए ईरान को अनुमति दी। बाद में उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को सप्लाई शुरू कर दी।

जो कुछ उन्होंने 1971 में बंगलादेश के स्वतन्त्रता संघर्ष में किया है उसे हम सब जानते हैं तथा भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना सातवां समुद्री बेड़ा भेजा। फिर हमारा साथ देने कौन आया? सोवियत संघ; हम सब यह जानते हैं। मुझे उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। हमारा यह संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

हम सब पंजाब की स्थिति और इसमें अमरीका की भूमिका के संबंध में जानते हैं। वे आतंकवादियों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, वे उन्हें कैसे अपने देश में आश्रय दे रहे हैं। हम सब हेडग्रीव की रिपोर्ट और श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या संबंधी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं।

हम जानते हैं कि श्रीलंका में उन्होंने कैसे प्रवेश किया, कैसे इजराइल की गुप्तचर संस्था मोसाद वहां कार्य कर रही है और कैसे वे वहां जातीय झगड़े को बरकरार रखने में जिम्मेदार है, कैसे वे समझौता करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों को विफल कर रहे हैं। हम सब यह जानते हैं।

हमारे ही देश में, ब्रह्म पुत्र परियोजना जैसी कितनी ही बातों का मैं अब जिक्र नहीं करूंगा। परन्तु हिन्द महासागर का सवाल उठता है, दियागो गार्शिया का प्रश्न है। हिन्दमहासागर के मामले में, जोकि हमारी सुरक्षा संबंधी चिन्ता से बहुत अधिक संबंधित है, में अमेरीका की क्या भूमिका है? हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने दियागो गार्शिया में अपना अड्डा बनाया है और तटीय राज्यों की क्या भावनायें हैं। हम वहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस संदर्भ में मैं कप्तान अलफ्रेड माहन, अमरीकी नौ सेना के विचारक को उद्धृत कर सकता हूं; उन्होंने हिन्दमहासागर के बारे में कहा है :—

> "जो कोई भी हिन्दमहासागर पर नियंत्रण रखेगा एशिया पर प्रभुत्व जमायेगा। यह महासागर सात समुद्रों की कुंजी है। 21वीं शताब्दी में विश्व का भाग्य निर्णय इस महासागर में किया जायेगा।"

अब ऐसा लगता है कि यह बात सच हो रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व के भाग्य का फैसला होगा या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि अमरीका के भाग्य का फैसला हो जायेगा। यह भाग जो कि 6500 किलोमीटर लम्बा और 6000 किलोमीटर चौड़ा है तथा जिसके चारों ओर एक तिहाई मानवजाति रहती है—हम इसे एक शान्ति क्षेत्र बनाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में कार्यवाही की है, 1971 में उन्होंने कुछ बातों का प्रस्ताव किया था। बाद में उन्होंने एक आयोग गठित किया; उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव किया। परन्तु यह अमरीकी सहायता के कारण नहीं हो सका। कोलम्बो को सम्मेलन के लिए स्थान के रूप में चुना गया लेकिन वे भी इससे मुकर रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए मैं समझता हूं कि श्री नटवर सिंह सभा में बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस तरह के रवैये को अपनाने से भी पहले मैं समझता हूं कि 1964 में सोवियत संघ ने प्रस्ताव किया था कि हिन्दमहासागर को 'परमाणु मुक्त क्षेत्र' बनाया जाये। तब हमें सारी स्थिति अपने लोगों को बयान करनी पड़ी थी। मैं किसी का भी पक्षधर नहीं हूं। परन्तु बात यह है कि हम स्वयं अपने देश के हिमायती हैं। हमारे देश का क्या हित है यह हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए इस संबंध में काफी कुछ हम समझते हैं तथा काफी कुछ कहा जा सकता है। कम-से-कम हम इतना तो कर सकते हैं कि एक कड़ा रवैया अख्तियार करें जोकि हर वक्त राजनयिक और लचीला न हो।

कड़ा रवैया रखें। हमने उनकी सहायता मांगी है। महोदय, मैं नहीं जानता हूं। 500 लाख डालर से 350 लाख डालर दण्ड स्वरूप काट लिये हैं। आप उन्हें बतायें। (व्यवधान) हमने उन्हें बताया है कि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फिर यह क्या है? उन्होंने कहा है यह दण्ड कार्यवाही के रूप में है। श्री नटवर सिंह आप यहां बैठें। न्यूयार्क न जायें। आप उनके राजदूत को यहां बुलायें। (व्यवधान) आप यहां से न्यूयार्क वाशिंगटन के सिवाय कहीं भी जा सकते हैं। आप वहां क्यों जाते हैं, मैं नहीं जानता हूं? क्या आप उन्हें अपने कार्यालय में नहीं बुला सकते है? (व्यवधान) मुझे लगता है कि आप वहां भारत के लिए कठिनाइयां लेने गये थे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : बुश और वाइनबरगर यहां आये थे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह एक और खतरे की बात है।

आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राजील ने अमरीकी सहायता लेने से इन्कार कर दिया था जब यह सहायता किसी शर्त पर दी गई थी। हमें उनके पास किसी भी अपमानजनक शर्तों पर भीख मांगने का कटोरा लेकर यह कहते हुए नहीं जाना चाहिए कि सहायता दो, सहायता। एड्स हमारे देश में आ ही रही है।

(व्यवधान)

मैंने कांग्रेस दल के बारे में कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अन्य एड्स के बारे में न सोचिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरे पास कांग्रेस (इ) के लिए एड्स का एक नया अर्थ है। कांग्रेस दल का 'तीव्र बुद्धि कमी लक्षण'। अब दुबारा आप वहां गये। श्री तिवारी वहां जाने ही वाले हैं। वह किस लिए जा रहे हैं? अपना सिर व्हाइट-हाऊस के पत्थरों पर फोड़ने के लिए। वह किस लिए जा रहे हैं हम नहीं जानते हैं। अब आपने कल ही इस बात की घोषणा की है। माईकल आमीकोस्ट – मैं समझता हूं कि आपके पास उनके भाषण की एक प्रति है —उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के संबंध में अमरीकी नीति पर वीटो करने का किसी भी देश को अधिकार नहीं है। हम किस लिए जा रहे हैं?

जहां तक सुपर कंप्यूटरों का सवाल है। खैर, मैं समझता हूं कि आप एक्स० एम०पी०-24 चाहते हैं। क्या वे आपको देंगे? कब तक सुपर कंप्यूटर की बात चलती रहेगी और इस देश में ऊंची बातें होती रहेंगी। क्या वे हमें देंगे? आप इन्हें खरीदेंगे या नहीं। यदि वे कहें, हम नहीं देते हैं तो आप कहेंगे 'धन्यवाद'। यदि वे कहें कि देंगे तो भी आप कहेंगे 'धन्यवाद'। यह चापलूसी और सौदेबाजी क्या है, मैं नहीं जानता हूं? यह इस देश के लोगों के लिए बहुत अपमानजनक बात है। आधुनिकीकरण तथा 21वीं सदी के प्रति झुकाव ने और मैं समझता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे मस्तिष्क को प्रभावित किया है। यह अच्छी बात है। हमें इसमें आत्म-निर्भर होना चाहिए। परन्तु क्या आप जानते हैं कि उनके प्रमुख विचारकों ने क्या कहा है। वे अन्य देशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सप्लाई को किस तरह देखते हैं। वे इसे अपनी विदेश नीति के साधन के रूप में देखते हैं। पुनः यह भी किसी स्वार्थ से हटकर नहीं है। आपके संकल्प ने अस्थिरता के बारे में कहा है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार किसी ठोस बात को लेकर आई है। जो आपने कहा है वह अस्थिरता के बारे में है। खैर, इसे कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले कहा है। आपने वाईनबर्गर को आमंत्रित किया और आप उन्हें बंगलौर की हमारी कुछ रक्षा परियोजनाओं को दिखाने ले गये। रिपोर्ट कहां है? 15 अक्तूबर के टाइम्स आफ इण्डिया में एक रिपोर्ट छपी है। अमरीकी दल को, जिसका नेतृत्व आज श्री वाइनबर्गर के डिप्टी,

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहारक सचिव ने किया, सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दर जी तथा रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा भारत के सुरक्षा मामलों और इसके अनुसंधान तथा विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। वह क्या जानकारी थी आप जानते हैं। आप सुपर कंप्यूटर प्राप्त करना चाहते हैं और वे भारत से उच्च श्रेणी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। (व्यवधान)

आप एल०सी०ए० के लिए इंजन प्राप्त कर रहे हैं, और वह भी अपने स्वयं के सात वर्षों के प्रयासों तथा कतिपय अन्य क्षेत्रों को नष्ट करके। यह एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। क्या हमें कुछ वस्तुओं के लिए जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन पर निर्भर रहना चाहिए ? क्या वे विश्वास योग्य हैं ? मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपको सुपर कंप्यूटर कहां से प्राप्त करने चाहिएं। यदि आपको आवश्यकता है तो आप पूरे विश्व में ढूंढें और इसे प्राप्त करें, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि यहां हस्ताक्षर करें, वहां हस्ताक्षर करें।

अब एक शब्द सहायता के बारे में। 1983 में केरीट्रू सी आयोग ने कहा था कि अमरीकी सहायता कार्यक्रमों ने विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। वह भी स्वार्थ से परे नहीं है। हम जानते हैं कि अमरीका पर निर्भरता के मायने क्या हैं। लैटिन अमरीका तथा अन्य बहुत सारे देशों का अनुभव हमारे सामने है। किस प्रकार उन्होंने अमेरिकी सहायता पर निर्भर रह कर तथा खाद्य तथा अन्य कार्यक्रमों पर निर्भर रहकर अपना सर्वनाश किया है। इससे उस देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है जो यह सहायता लेता है। वह आर्थिक सहायता, आदि के नाम से भाग लेते हैं। वे नेताओं को प्रलोभन देते हैं। 1977 में अमेरिका सरकार तथा विश्व रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1961—76 के बीच सी०आई०ए० ने सरकार को प्रभावित करने या उलटने के लिए 900 बड़े गुप्त कार्य किए। अतः इस बात को समझ लीजिए कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं। आप जानते है कि प्रौद्योगिकी अथवा किसी सहायता के हमारे लोभ से हम किसे अपने देश में लाएंगे। उनके साथ काम करते हमें बहुत सावधान रहना है। वे साम्राज्यवादी हैं। आपके सी०डब्ल्यू०सी० संकल्प में यह विशेष शब्द है। वह सज्जन नहीं हैं जिसके साथ सज्जनता का बर्ताव किया जाये।

महोदय, यह भी हो सकता है कि हम सहायता न लें। आप अस्वीकार भी कर सकते हैं यह मेरा सुझाव है। किन्तु आप उन्हें बचकर निकलने नहीं दीजिए। और सारा धन उन्होंने तीसरे विश्व के देशों और निर्धन देशों के साथ लूटपाट करके इकट्ठा कर दिया। कुछ बहुपक्षीय एजेंसियां भी हैं। आप अमेरिका को उन मंचों पर अन्य देशों के साथ मिलकर ले जाकर उससे अधिक डालर लीजिए और वहां से किसी शर्त के बिना सहायता की व्यवस्था कीजिए। आपको ऐसा करना चाहिए। संघर्ष होना चाहिए। आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में वह किस प्रकार ऋणग्रस्तता से संघर्ष कर रहे हैं और किस प्रकार वह एक दूसरे के समीप आने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहते हैं कि आपका धन मेरा धन है।

महोदय, इन बहुउद्देशीय एजेंसियों में भी अमेरिका ने जो शर्त रखी है वह विकासशील देशों के हित में नहीं है। मार्च, 1979 में अमेरिकी पत्रिका "टाइम" ने लिखा था कि विकासशील देश लाभप्रद ग्राहक बन रहे हैं। विकासशील देशों को सहायता देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन को दिए गए प्रत्येक अमेरिकी डॉलर के लिए इस संगठन ने विकासशील देशों को वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में दो डॉलर दिए। विश्व बैंक को दिए गए प्रत्येक डॉलर के बदले में अमेरिका को ठेकों, वर्तमान खर्च, ब्याज भुगतान आदि के रूप में 9.5 डालर मिले। ऐसा नहीं है कि सहायता देकर वह किसी को उपकृत करते हैं। वास्तव में वह लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस अनुबंधित सहायता के द्वारा किसी विशेष देश की

स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है। उनकी नीतियां नष्ट हो जाती हैं। अत: अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमें स्वच्छ सम्बन्धों के लिए प्रयास करने चाहिएं। मैं नहीं जानता कि उत्तर-दक्षिण वार्ता हमें कहां ले जायेगी किन्तु जैसा कि श्री बिपिन पाल दास ने कुछ दिन पहले कहा है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इन सब गरीब देशों को साथ-साथ लाना चाहिए।

महोदय, हमारे समाचार-पत्रों में यह भी समाचार आया है कि हमारे सम्बन्धों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जो कुछ हम कर रहे हैं अर्थात् बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को निमन्त्रण देना, आयात नीति को अधिक उदार बनाने आदि से वह बहुत प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता बहुत प्रकार से व्यक्त होती है। उन्हें इस सम्बन्ध में सुखबोध है। किन्तु आपको नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक दस अमरीकी कार्मिकों में से एक निर्माण उद्योग में और निर्यात व्यापार से सम्बद्ध हैं। अत: अन्य देशों को निर्यात करना उनके लिए आवश्यक है। वह किसी का उपकार नहीं कर रहे हैं। अत: आदरपूर्वक बराबर पूर्ति होनी चाहिए। किसी बेचारे भिखारी की भांति हमें उल्लसित नहीं होना चाहिए कि कोई हमें कुछ दे रहा है।

इस सम्बन्ध में जब मैं इस बात की मांग करता हूं कि हमारे देश के हितों के विरुद्ध अमेरिका द्वारा जो षडयन्त्र किया जा रहा है उसका भंडाफोड़ किया जाना चाहिए और हमें अपनी जनता को यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है किन्तु ऐसा करने में सरकार को स्पष्ट रूप में आगे आना है। कांग्रेस दल को स्पष्ट रूप में आगे आना है। आप अपनी सुविधा के लिए किसी विशेष अवधि के लिए अस्थिरता कह सकते हैं। अस्थिरता किसी विशेष नीति के लिए है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। यह देश की जनता का प्रश्न है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार विश्व स्थिति को देखते हैं।

मेरे पास यह 3 मई, 1987 का "मिड-डे" संस्करण है। इसमें दो समाचार हैं। एक है "प्रधान मंत्री के रक्षकों के इस्राइली संबंध।" हमने कुछ सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सिंगापुर से होते हुए इस्राइल भेजा और इसके बदले हम प्रधान मंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 'ऊजी' बंदूकें लाये। मैं नहीं जानता कि आप किसकी सुरक्षा करते हैं। आपने देखा है कि मोसाद किस प्रकार श्रीलंका में विनाश कर रहे हैं। आपको इसका उत्तर देना है। दूसरा समाचार पाकिस्तान को अमरीकी सहायता से संबंधित है जो हमारी विचारधारा को गलत ढंग से प्रभावित करता है। प्रधान मंत्री परमाणु प्रसार निषेध संधि मामले पर अपने दृष्टिकोण पर पुन: विचार करें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अमेरिका का यह विचार है कि यदि आप अणु प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करेंगे तब आपको सहायता दी जा सकती है। चाहे हम इस पर हस्ताक्षर करते हैं अथवा नहीं वह एक अलग बात है। आप संसद में आ सकते हैं और हम इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं किन्तु मुद्दा यह है कि किसी भी बात को छुपाया नहीं जाना चाहिए और उनके द्वारा हम किसी भी प्रकार से फंसाये न जाएं। यह हमारी कमजोरी का प्रतीक होगा। यदि आप परमाणु प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। यह दूसरी बात है। किन्तु यदि आप यह सोचते हैं कि इस पर हस्ताक्षर करने से वह आपके प्रति शत्रुता का रुख कम अपनायेंगे तो यह गलत है। हमें रीगन की इस पागल सरकार जैसा अच्छा मित्र नहीं चाहिए। हमें यह पसंद नहीं और एक अलग खंड भी होगा जिस पर आपको पाकिस्तान के साथ मिलकर निरीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यह परमाणु प्रसार संधि का एक और रूप है। हमें इसमें भी नहीं फंसना चाहिए।

अब मैं इस सरकार से यह चाहता हूं कि उसे अमेरिका की सरकार के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए जो भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर रही है और जो हमारी गुटनिरपेक्ष नीति, शान्ति नीति को समाप्त करना चाहती है। आपको भी पहल करनी चाहिए। इस संबंध में हम जनमत

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

तैयार करने के लिए आपका पूरा समर्थन करने जा रहे हैं।

अन्त में, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें इसके बारे में एकमत होना चाहिए। हम इस सदन में अमेरिका द्वारा हमारे देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यों के किये जाने की बात की निन्दा करने लिए एक संकल्प स्वीकार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मामले को व्यापक रूप देने के लिए माननीय सदस्य को जिन्होंने इस पर वाद-विवाद शुरू किया है, सराहना करते हुए मैं अपनी बात कहता हूं। भारत और अमेरिका के संबंध फिर एक बार खराब हो गये हैं और इनके मूल कारण भी वही हैं। माननीय सदस्य ने कुछ ऐतिहासिक किस्से बता दिए हैं। उन्होंने इस मूल प्रश्न पर हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत किया है। किन्तु मैं इस सम्मानित सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत-अमेरिका के बीच अच्छे संबंध न होने का मूल कारण विश्वव्यापी महत्वाकांक्षी और कुछ विश्वव्यापी ग्रस्तता के कारण इतिहास की एक महाशक्ति, अर्थात भारतीय राष्ट्रीयतावाद, भारतीय स्वतंत्रता से अमेरिका समझौता नहीं कर सका। 1950 से शुरू होने वाले दशक में, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू पहली बार अमेरिका गये तो उन्होंने आज के इस विश्व में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक परम्पराओं के होते हुए नारा दिया। उस समय केवल अमेरिका के पास परमाणु क्षमता और परमाणु जानकारी और परमाणु बम थे। रूस अभी आगे नहीं आया था और यह एक खतरनाक स्थिति थी। ऐसी गुप्त रिपोर्ट भी हैं कि अमरीकी सैन्यवादी—सेना औद्योगिक समूह -- अमरीका पर शासन करता है। मैं उस मुद्दे पर आता हूं। मैं इस बात पर बार-बार बल देना चाहता हूं अमरीकी प्रणाली के अन्दर ही वह शक्ति है जिसने युद्धोत्तर विश्व के सभी शान्तिपूर्ण संबंधों को नष्ट किया। उन्होंने ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रहे संबंधों को नष्ट किया। उन्होंने उस समय इस बात की भी योजना बनाई थी जो गुप्त रिपोर्ट से पता चला कि उनका परमाणु बमों पर एकाधिकार था, और उन्होंने हमला करने के लिए सोवियत संघ के बीस नगरों को लक्ष्य बनाया गया था। उस समय यह एक खतरनाक स्थिति थी।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह महान ऐतिहासिक अनुभूति की थी। चाहे किसी एक व्यक्ति में शक्ति का संकेन्द्रण हो विश्व पर पाशविक शक्ति का शासन नहीं हो सकता। उन्होंने यह नारा दिया कि चाहे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियां कुछ भी हों—उन्होंने यह नारा अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया—कि भारत किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित हो सकता है, भारत गुट निरपेक्ष है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शान्तिपूर्ण नीति का पालन करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व की स्वतंत्र नीति केवल शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व से चल सकती है। भारत ने यही नारा दिया और क्या प्रतिक्रिया रही? उनका राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ घनिष्ठ संबंध रहा जो शान्तिप्रिय, अच्छे तथा महान व्यक्ति थे। किन्तु हुआ क्या? उनके विदेश मंत्री ने कहा गुट-निरपेक्षता अनैतिक है। उन्होंने तटस्थ रहने की नीति अपनाई और आप जानते हैं, सैनिक गुट और अमेरिका में भी सैनिक औद्योगिक समूह प्रबल है।

अब मैं इसके पश्चात के कुछ वर्षों की बात करता हूं जब भारत-अमरीकी संबंध काफी अच्छे रहे। यह राष्ट्रपति केनेडी का उदारता का समय था और जब गैलब्रेथ यहां राजदूत थे। मैं गैलब्रेथ का उद्धरण देता हूं। वह कुछ महीने पूर्व यहां आये थे और मेरे विचार में नटवर सिंह ने उनसे अच्छी तरह बातचीत की थी। वे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने इस संबंध में जो कुछ कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं और वह भी कहता हूं। कि भारत-अमरीकी संबंध उस प्रकार से कभी नहीं पनपे।

उस समय रूस का जिक्र ही नहीं था और न ही भारत-रूस संबंध, और न ही आर्थिक संबंधों की बात थी। भारत ने यह निवेदन किया था कि अमरीका इस्पात संयंत्रों का निर्माण करेगा। राष्ट्रपति केनेडी और गैलब्रेथ की अनुकूल दृष्टि थी और यही समय था जब भारत की प्रथम औद्योगिक नीति सामने आई थी और यह कहा गया था कि इस्पात और अन्य मूलभूत तथा सह-उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे। राष्ट्रपति केनेडी की रुचि थी और गैलब्रेथ इतना कठिन परिश्रम कर रहे थे कि भारत-अमेरिका सहयोग से इस्पात संयंत्र का निर्माण हो। किन्तु बाद में अमरीकी नहीं परन्तु जर्मन के लोग आए और राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति केनेडी ने प्रस्ताव किया और अमेरिका की शक्ति प्रणाली सैनिक औद्योगिक समूह ने विरोध किया और इसलिए उन्होंने पुनः एक बार वीटो किया।

उसके बाद भारत-सोवियत सहयोग शुरू हो गया जो धीरे-धीरे बढ़कर आज इस बात का आदर्श उदाहरण बन गया है कि विश्व में दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयंत्र कैसे होने चाहिए।

उसके बाद 1960 के दशक में आपने फिर देखा होगा कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने वायदा किया था। पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री के बारे में, हमने उसी तरह चिन्ता व्यक्त की थी जैसी कि मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री नटवर सिंह ने अब वाशिंगटन में भारत की ओर से चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा हमने तीन दशक पूर्व किया था। हमने कहा था कि पाकिस्तान का रुझान इरादा मूलतः भारत विरोधी है और हथियारों का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध किया जाएगा। राष्ट्रपति आइजनहावर ने लिखित में आश्वासन तत्कालीन दिया था कि उन हथियारों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद उस समय रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन ने कहा था कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने अभी तक ऐसी गन नहीं देखी जिसका मुंह एक ही दिशा की ओर रहे। यह उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था। लेकिन यह सच है कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने लिखित आश्वासन दिया था कि उन हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। लेकिन 1965 में उनका प्रयोग, भारत के खिलाफ किया गया। यहां तक कि हमने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए, एक पैटन टैंक को प्रस्तुत किया था। हमने उस टैंक को पकड़ लिया था तथा दिल्ली में हमने उसका प्रदर्शन किया। अमरीकी राजदूत ने इसका विरोध किया था। जरा सोचिए। लेकिन आज स्थिति कुछ अधिक खराब है। लेकिन हमारे मित्र नटवर सिंह को तो वहां से कुछ नहीं मिला। उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा ये इतने आधुनिक हथियार किसके लिए पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं? ये हारपून मिसाइल, नौसैनिक नौकाएं आईं। क्या उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया जाएगा? वे सब नौसेना के लिए उनके उपयोग की हैं। वहां नौसेना कहां है? अफगानिस्तान में समुद्र कहां है? अब F-16, नवीनतम वायु चेतावनी प्रणाली (ए० डब्ल्यू० ए० सी० एस०) ऐवियानिक्स आदि। उनका इस्तेमाल कहां किया जाएगा? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में? अफगानिस्तान की सीमा पर या भारत में 300 कि० मी० लम्बे पंजाब और राजस्थान के मैदानी इलाकों में किया जाएगा?

लेकिन इस बार स्थिति इतनी भयावह और गम्भीर है कि उन्होंने कोई बहाना नहीं किया। कारण कुछ भी हो वे मौन रहे। इस प्रकार इस बार कोई आश्वासन नहीं दिया गया उसके बाद इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा हो गई। नवीनतम पहल भारत की ओर से हमारे प्रधान मंत्री ने की है जिन्होंने जून, 1985 में अमरीका का दौरा किया था। राष्ट्रपति रीगन और अन्य नेताओं के साथ उनकी वार्ता को अमरीकी प्रेस ने भारत-अमरीकी संबंधों को मील का पत्थर बताया है और इसका कारण यह हो सकता है कि एक आशाजनक वातावरण बना। कहा गया कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक सहयोग, उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सांस्कृतिक संपर्क आदि सहित प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है। हम एक आशा

[श्री बी० आर० भगत]

लेकर भारत-पाक संबंधों के सुखद चरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध अशांति और अविश्वास की गहरी खाइयों वाले रहे हैं। थोड़ी-सी आशा की किरण भी है। जैसा कि मैंने कहा इस समय हमारे संबंध इतने खराब हो गए हैं जितने पहले कभी नहीं थे क्योंकि शुरू में ही संयम बरतने की अवधारणा या महत्वकांक्षा का सवाल उठता था। आज विश्व में अमरीकी शक्ति की गलत ऐतिहासिक अवधारणा के उदाहरण दिए गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मूल बाधा यह थी कि वे साम्यवाद का प्रसार रोकना चाहते थे। पर मामले की असलियत यह है, इस समय मैं उल्लेख करना चाहता हूं प्रो० गालब्रेथ ने कुछ हफ्ते पहले इस विषय पर बोलते हुए क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अगर भारत-अमरीकी संबंध को सुधारना है और सामान्य बनाना है तो अमरीकियों को भारत में से शंका की इस भावना को समाप्त करना चाहिए कि अमरीकी ब्रिटिश मास्टरों (मालिकों) की जगह अमरीकी मास्टर ले रहे हैं।" वास्तव में समस्या का मूल मुद्दा यही है। इतिहास की यह दुखद स्थिति है कि 1876 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की पकड़ से निकलने वाला पहला देश अमरीका विश्व युद्ध के बाद सबसे खराब किस्म के उपनिवेशवाद का अनुगामी बन गया। हम गांधी जी के आदर्शों, प्रेरणाओं के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कहा था, "स्वतंत्र होने पर भारत विश्व के हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करेगा।" पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम आभारी हैं जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका के देशों की स्वतंत्रता के लिए काम किया। यह संघर्ष जारी है क्योंकि भारत की यह आकांक्षा है कि जब तक उपनिवेशवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक भारत आराम से नहीं बैठेगा। हम सबके लिए, हर भारतीय के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हरारे सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जनता की एकता को सुदृढ़ करने, संसाधनों का सृजन करने और अफ्रीका निधि बनाने की दिशा में बड़ी सुनिश्चित भूमिका निभाई ताकि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विरुद्ध संघर्ष को अमरीका आदि के पूरे विरोध के बावजूद जारी रखा जा सके। जैसा कि मैंने कहा उन्हें मूलत: सबसे अधिक भय भारतीय राष्ट्रीयतावाद, उसकी आजादी, स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद समाप्ति के लिए किए जा रहे उसके संघर्ष, मानवता की मुक्ति और इतिहास की दुखद घटना, जिसका अनुसरण अमरीका करता है, से लगता है। वह इस नीति का न केवल अनुसरण करते हैं कि युद्ध से पूर्व की स्थिति ही बनाये रखी जाये बल्कि ने नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद आदि के नये साधन गढ़ने की नीति का अनुसरण करते हैं। यह बहुत व्यापक विषय है।

चौधरी जी, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि आर्थिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में यह नव उपनिवेशवाद किस तरह फैल रहा है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन, मैंने कहा कि वे हर जगह हार गए हैं क्योंकि वे इतिहास की गलत राह पर हैं। उनकी अवधारणा गलत है। इसकी शुरूआत कोरिया से हुई है। वह चाहते थे कि कोरिया में जापानी उपनिवेशवाद अर्थात कोरिया पर कब्जे के दौरान छोड़े गए उपनिवेशवाद को यथा स्थिति जारी रखा जाए। उनकी यह अवधारणा थी। लेकिन उनकी हार हुई। यह सबसे पहली हार थी। वहां भारत ने अपनी भूमिका निभाई। भारत ही ऐसा देश था जो स्वीकार्य भारत की नैतिक विशालता इसी प्रकार की थी। इस संघर्ष के दौरान, भारतीय सैन्य मिशन ही वहां युद्धविराम कराने के लिए गया था। वे वहां युद्धविराम कार्य को रोकने गए। यहां आप भारतीय इतिहास, उसकी अवधारणा आदि को देख सकते हैं। आप अमरीकी प्रतिक्रिया को भी देख सकते हैं। भारत की अहिंसा की परम्परा रही है। वह एक सर्वाधिक सभ्य कार्य का अनुपालन कर रहा था जिसमें उसकी सारी जनता, खासकर आजादी की लड़ाई के दौरान सहभागी बनी जबकि विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लाखों लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा था हम अहिंसा द्वारा हर चीज का बलिदान कर देंगे लेकिन हमें स्वतंत्र होना चाहिए। भारतीय

आजादी का यह सन्देश था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इसमें विरोधाभास पैदा हुआ जिसके परिणामस्वरूप सर्वाधिक शक्तिशाली शान्तिपूर्ण आन्दोलन—शान्तिपूर्ण स्वतंत्र आन्दोलन—अर्थात आज के गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जन्म हुआ। आज 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। उनके पास सैनिक शक्ति नहीं है। मौजूदा अर्थों में शक्ति का मतलब है कि उनके पास नैतिक शक्ति है। आजादी के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी और यहां तक कि सूचनात्मक और सांस्कृतिक गुलामी के खिलाफ लड़ सकते हैं। आज इन शक्तियों का सांस्कृतिक जीवन अर्थात जन प्रचार माध्यमों आदि पर प्रभुत्व है। मुझे इन सबके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। गुलामी इतनी अधिक है कि आज भारत ने जवाहरलाल नेहरू जी आदि के नेतृत्व में, इतिहास में सबसे बड़े और शक्तिशाली आन्दोलन की शुरूआत कर दी है। यही उत्तर है। अमरीकी लोग सैनिक तौर पर और औद्योगिक दृष्टि से विश्व पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जब भी कभी राजनैतिक खामियों की बात आती है मैं एक अन्तर करता हूं कि चाहे वह राष्ट्रपति हो और चाहे कांग्रेस—उन पर इस सैनिक और औद्योगिक ग्रुप का प्रभुत्व रहता है। वे ही अन्तिम फैसला करते हैं। अगर कल कुछ हो जाता है तो नटवर सिंह जाएंगे श्री नारायण दत्त तिवारी जाएंगे और जो घटनाएं घटी हैं उन्हें देखेंगे। अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो वे जोर लगाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां यह स्थिति है। हमें जरा भी चिन्ता नहीं है। देखा गया है कि भारत को मिलने वाली सहायता को कम किया जा रहा है। यह हल साल कम होती जा रही है। 500 लाख डालर से घटकर यह 350 लाख डालर हो गई है। वह इसे पसंद करते हैं या नहीं, हमें उसकी जरा भी चिन्ता नहीं है। हम यह चिन्ता भी नहीं करते कि वह सहायता देंगे या नहीं। तो चौधरी जी, उन्हें इतना महत्व क्यों दिया जाए। हम उनसे कहते हैं, अगर आप हमें सहायता देना चाहते हैं, दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। इस देश की जनता के सामूहिक प्रयासों का धन्यवाद दीजिए कि आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। सातवीं योजना में हमारे पास केवल 6% ही सीमांत संसाधन थे शेष 4% हमारे अपने थे। इस तरह की स्थिति में प्रजातांत्रिक ढांचे में सफलता की और अधिक कहानियां हो सकती हैं खासकर संसदीय प्रणाली में जहां हमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए सारी सभा का समर्थन मिलता है। इस बारे में हमें सारी सभा की सहमति प्राप्त है। असली कठिनाई यह है कि वे हम पर इस बात के लिए जोर डालना चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र कार्यवाही, स्वतंत्र नीति को त्याग दें। वे हम पर जोर डालना चाहते हैं। कई बार वे आर्थिक सहायता आदि के माध्यम से ऐसा करते हैं। लेकिन लोगों की दृढ़ इच्छा है। हमारी जनता की सामूहिक इच्छा है। जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चुनी हुई विदेशी नीति की राह जिसका सभी ने समूची संसद और राजनैतिक दलों ने समर्थन किया है—हमने विदेशी नीति की राह चुनी है। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। हम कभी हार नहीं मानेंगे।

अगर मैं कहूं तो आज दबाव सबसे अधिक है। इससे पहले राह को त्यागने, समझौता करने, दबाव में रहने के लिए हमारे ऊपर इतना दबाव कभी नहीं डाला गया। हमने जवाब दे दिया है, हम कभी दबाव में नहीं आएंगे। हमने सामूहिक रूप से जो राह अपने लिए चुनी है उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे।

कांग्रेस कार्यकारिणीदल ने एक संकल्प पारित किया है कि अस्थिरीकरण की प्रक्रिया जारी है। चौधरी जी आप इसे शहरी अस्थिरीकरण तो मानते हैं पर आन्तरिक अस्थिरता नहीं है। श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ सांसद और नेता भी कहते हैं : आन्तरिक तौर पर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, बाहरी तौर पर स्वीकार करते हैं।" आप साम्यवादी हैं, आप आन्तरिक और बाहरी के बीच आधारभूत संबंध जानते हैं। क्या बाहरी अस्थिरीकरण आन्तरिक अस्थिरीकरण के बिना हो सकता है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इससे इंकार नहीं करते। पर ऐसा कुछ मत करिए जिससे आन्तरिक अस्थिरता और बाहरी अस्थिरता दोनों को बढ़ावा मिले। हम एक अच्छी सरकार चाहते हैं। बस यही बात है।

श्री बी० आर० भगत : हम अपनी विदेश नीति और विदेशी ताकतों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस विषय पर एक बुनियादी समझ होनी चाहिए। तब हमारे द्वारा बनाये जाने वाले उपकरणों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मेरा मुद्दा आन्तरिक अस्थिरीकरण के बारे में यह है आप जानते हैं कि कुछ लोग और ताकतें अस्थिरता उत्पन्न करने वाली बाहरी शक्तियों के साथ जुड़ी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप साम्प्रदायिकतावादियों से सम्बन्ध तोड़ लें।

श्री बी० आर० भगत : कई ताकतें हैं। वे पहले भी थीं, और अब भी हैं। यह प्रयास अक्सर किया जाता है।

दूसरा मुद्दा है कि उनके बीच एक संबंध है। हम उनके बीच अंतर नहीं कर सकते ·····

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया शान्ति रहिए, श्री रामसिंह यादव आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। आप साथ-साथ मत बोलिए, इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री बी० आर० भगत : यह कहते हुए कि अस्थिरता पैदा करने वाली आन्तरिक और बाहरी ताकतों के बीच एक संबंध है। मैं यह कहना चाहता हूं युद्धोपरांत हुई बाहरी घटनाओं को विद्यार्थियों के रूप में आपने देखा होगा कि जो ताकतें काम कर रही हैं वे कभी काम करना बन्द नहीं करती यह अक्सर होती रहती है—कभी होती है, कभी बन्द हो जाती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : खड़े हुए।

सभापति महोदय : श्री भगत को बोलने की अनुमति दीजिए। आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : हमारा देश शक्तिशाली है। लेकिन उदाहरण सभी जगहों पर मिलते हैं आपके चारों ओर जो हो रहा है उसे आप देखते हैं। ग्रेनेडा में जो कि केवल 30,000 आबादी का एक छोटा सा देश है शांतिपूर्ण ढंग से शासन बदल जाता है हिंसा से नहीं। जब एक नया शासन आता है तो वह स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिका की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है और यहां अमेरिका की पनडुब्बियां चलती हैं या निकारागुआ को देखिए। सौभाग्य से भारत एक छोटा देश नहीं है। भारत एक बड़ा देश है और इसके लोग भी उससे भी बड़े हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए किसी प्रकार का भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यह भारतीय राष्ट्रीयतावाद है। वे किसी भी प्रकार का बलिदान करेंगे। इसलिए आप भारत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन आरम्भिक रूप में और कई दूसरे तरीकों से कार्य करती हैं। ये कार्य करती हैं।

इसलिए हमें इस मामले में स्पष्ट होना चाहिए अगर वे कर सकते हैं तो इसे करेंगे। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा। साम्राज्यवाद की ये ताकतें अर्थात् सैनिक ताकतों या आर्थिक ताकतों द्वारा शासन, हमेशा चलता रहता है। क्या आप सोवियत संघ से अधिक शक्तिशाली देश के बारे में सोच सकते हैं?

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या वे जोड़तोड़ बैठाते रहते हैं। वे क्या कहते हैं ?

5.00 म०प०

उन्होंने यह सूचना अभियान शुरू किया कि सोवियत संघ एक सैनिक शक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह एक बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है। इसलिए एम०टी०आई० कार्यक्रम के पीछे मूल आधार यह है कि अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम पर उनके अपने अनुमान के अनुसार 2 ट्रिलियन डालर खर्च होगा। यह उन पर बहुत बड़ा भार है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर अमेरिका सरकार 2 ट्रिलियन डालर खर्च करे तो अमेरिकी के लोगों पर बहुत भार पड़ेगा और उन्हें सभी गरीबों और साधारण लोगों के लिए सुरक्षा आदि सभी छोड़नी पड़ेगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। यही अमेरिका वैज्ञानिकों ने कहा : यह राय वहां के दूसरे लोगों और अमेरिकी सूचना माध्यमों की थी। लेकिन इसके पीछे सिद्धांत यह है कि वे सोवियत संघ को भी सैनिक प्रतिस्पर्धा के लिए इतनी राशि खर्च करने के लिए बाध्य करेंगे। जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ टूट जायेगा क्योंकि वह आर्थिक शक्ति नहीं है। तब सभी 27 पार्टियां कांग्रेस, आधुनिकीकरण के सभी कार्यक्रम, इस शताब्दी के अन्त तक अपनी आय को दुगुनी करना प्रत्येक सोवियत नागरिक को एक घर उपलब्ध कराना, सोवियत नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये सब बातें व्यर्थ हो जायेंगी। तब विश्व में सभी देशों की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए वे जो सहायता दे रहे हैं वे देने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए एस०टी०आई० आवश्यक है। क्या यह जोड़तोड़ नहीं है क्या यह सबसे बुरी तरह का अस्थिरीकरण नहीं है इसलिए जब आप अस्थिरीकरण के प्रश्न की गहराई में जाते हो तो आपको किसी ठोस कार्यवाही की आशा नहीं करनी चाहिए। भारत में हर समय अस्थिरता पैदा की जा रही है क्योंकि भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता रहा है जो उनके घोंसले में एक कांटे की तरह है। समूची अमेरिकी साम्राज्यवादी विचार-धारा के घोंसले में एक कांटे की तरह है। भारत न केवल स्वतंत्र नीति का अनुसरण करता है बल्कि भारत में सच्चाई के लिए खड़े होने की क्षमता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था : सीधे खड़े हो जाओ और किसी भी धमकी का सामना करो चाहे वह बंगाल की खाड़ी में सातवें परमाणु बेड़े के रूप में आया हुआ भयंकरतम खतरा हो। उस समय इन्दिरा गांधी अकेली नहीं थीं। वे दुर्गा थीं। समूचा सदन उनके पीछे था समूचा देश उनके पीछे था ऐसी शक्ति थी उन्होंने इसको देखा था। उन्होंने अहिंसा की शक्ति का, जनताथं इस शक्ति का आस्वादन किया था कि वे मर जायेंगे लोग अपनी जान दे देंगे। यह भारतवर्ष की स्वतंत्रता का संदेश था जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय गांधी दर्शन के रूप में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्त हुआ था। हमने कहा था हम मर जायेंगे लेकिन हम कभी भी आत्म समर्पण नहीं करेंगे। यह भारतीय राष्ट्रीयता की शक्ति है लेकिन उन्होने उसका आस्वादन प्राप्त किया। वे हार गये, सब जगह हार गये। वियतनाम में उन्हें कटु अनुभव हुआ। उन्होंने युद्ध जारी रखा और हार गये और पूर्णतया हार गये लेकिन उन्होंने सबक नही सीखा।

अब वे हमारे क्षेत्र में आ गये हैं। स्थिति बड़ी गम्भीर है। वे अब हमारे रास्ते पर आ गये हैं। अब जोर बस इस क्षेत्र पर है इसकी शुरूआत डिएगो गारशिया अड्डे से हुई, इसके बाद इसका विस्तार किया गया तब यह एक परमाणु अड्डा बन गया और वे परमाणु सुविधाओं के लिए आसपास के क्षेत्रों में गये। इसी बीच सोवियत संघ ने भारतीय क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र घोषित करते हुए एक संकल्प पारित किया। इसे बेकार कर दिया गया।

आज हिन्द महासागर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्र है, खतरनाक क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियार, सभी प्रकार की परमाणु पनडुब्बियां इत्यादि और अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह आन्दोलन पाकिस्तान के लिए था क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। हमारे

[श्री बी० आर० भगत]

पास पाकिस्तान के लोगों के लिए हमेशा प्यार है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के लोगों की रुचि एक समान है। लेकिन, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में सैनिक शासन है और सैनिक शासन में उन्होंने यह देखा कि अफगान स्थिति और सोवियत सेनाओं की उपस्थिति के कारण पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध विकसित हुए हैं। मैं इस खबर के लिए धन्यवाद देता हूं, कि उनकी सब जगह पराजय हुई। मुझे ऐसा लगता है यहां पर पाकिस्तान को अपना प्रमुख मित्र बनाने के लिए और मध्यपूर्व इजराइल को और अफ्रीकी क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका को अपना मित्र बनाने के लिए हिन्द महासागर और झाड़ी में अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। यह गठबंधन है और इसके बाद डिएगो गारशिया अड्डा और सभी परमाणु शक्तियां हैं। यह ज्ञात हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के पास परमाणु बम है। ये सब कहानियां अमेरिकी समाचार पत्रों में आ रही हैं। मेरे पास सूचना का और कोई स्रोत नहीं है। वे कहते हैं, इजराइल के पास 50 से 100 तक परमाणु बम हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास है और पाकिस्तान की परमाणु सुविधा वहां है। वे दोहरे मानदण्ड ही नहीं अपना रहे हैं बल्कि नीति और सहायता जो उन्होंने दी है वह भी दोहरी हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बम बनाने से रोक नहीं सका। लेकिन वे कहते हैं आप इसे क्यों नहीं करते। आप एन०पी०टी० (परमाणु शस्त्र विस्तार रोक संधि) पर समझौता करें तब पाकिस्तान और भारत दोनों के पास परमाणु क्षमता नहीं होनी चाहिए। ये सब रहस्यपूर्ण बातें हैं। यह निन्दात्मक है, देश के लिए अपमानजनक है, एन०पी०टी० पर हमारी स्थिति सर्वविदित है। यह पाकिस्तान और भारत के बीच का द्विपक्षीय विषय नहीं है। यह एक नैतिक मामला है। यह एक बुनियादी नैतिक प्रश्न है। यह एन०पी०टी० पक्षपातकारी है। इसीलिए हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान के पास बम है या नहीं इसका इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने फिर सहायता दी है। राष्ट्रपति कार्टर ने विपक्ष के भय से पाकिस्तान की सहायता बन्द कर दी है और फिर 1982 में जब राष्ट्रपति रीगन आये तो उन्होंने सहायता देना फिर शुरू कर दिया उसने अपने प्रथम बार स्मिगटन संशोधन को छोड़ दिया कि कोई भी देश जो परमाणु क्षमता के लिए तैयारी कर रहा हो उसको सहायता नहीं दी जायेगी। उन्होने 5 वर्षों तक यह सहायता प्राप्त की अब फिर यह जानते हुए भी उनके पास सारी सामग्री है उन्होंने पाकिस्तान को सहायता दी है। वे जानते हैं कि पाकिस्तान के पास भूमि के नीचे बम है या वे बम बनाने वाले हैं। यह घोषणा उनके परमाणु वैज्ञानिक डा० खान ने अपने पत्रकारों के समक्ष की कि उन्होंने बम बना लिया है। यह सब होते हुए भी उन्होंने संशोधन को छोड़ दिया। यह एक धोखा है जिसका प्रयोग वे कर रहे हैं।

लेकिन हमारा उत्तर है कि इससे हम पर काफी भार आ पड़ा है। यह प्रक्रिया जैसा कि सदन में स्वयं बताया गया है। हम देखते हैं कि अमेरिका और चीन के सैनिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं। हमने अमेरिका-चीन-पाकिस्तान के त्रिपक्षीय सैनिक सहयोग की रिपोर्ट देखी है। अमेरिकी कम्पनी बरन्मेन से पाकिस्तान के लिए अमेरिका तकनीक के साथ बने चाइनीज मूल के एफ-7 विमान को और उन्नत बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कहा गया था हमारे पास यह सूचना है। हमारे पास आधुनिकतम हथियारों का समाचार है और 4.02 बिलियन डालर की सहायता की जो मंजूरी दी गई है वह इस वर्ष अक्तूबर से दी जायेगी। उसमें से 1.8 बिलियन प्रत्यक्ष सैनिक कलपुर्जे हैं।

अतः आप इस खतरे की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए जब यह स्थिति है तो संघर्ष घटनाक्रम यही है। जब मैंने यह बात कही थी कि भारत और अमरीका के संबंध बिगड़ गये हैं तो मेरा यह कथन कुछ कम ही होगा। अपने क्षेत्र में हम जिस महान खतरे का सामना कर रहे हैं, वह खतरा उस बढ़ती हुई अशान्ति के कारण है, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में और अधिक जानकारी देने की कृपा करेंगे क्योंकि उनके पास देने के लिए और अधिक

जानकारी है। हाल ही में, बढ़ती हुई अनेक प्रकार की अशांति, संयुक्त राज्य अमरीका की दोषपूर्ण और गलत कार्यवाहियों के कारण हुई है जिसके बारे में मैं यही कहूंगा कि यह सब अमरीका की विश्व व्यापि महत्वाकांक्षा और विश्व को अभिभूत करने की इच्छा के कारण है। उसके कारण ही जब हम उनके साथ संबंध सुधारने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी प्रगति नष्ट हो जाती है। हर देश के साथ हमारे अपने संबंध मैत्रीपूर्ण ही होने चाहिए। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बावजूद जब हम प्रत्येक देश के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं। जब हम शांति और गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य से कार्य करते है तो हमें प्रत्येक देश के साथ संबंध बनाने होंगे। संयुक्त राज्य अमरीका एक शक्तिशाली राज्य है। उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। उनके साथ हमारे आर्थिक संबंध हैं। व्यापार में उनके साथ हमारी साझेदारी है। उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हमारे हित में हैं। किंतु हमने जब चेष्टा की है हम असफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जून 1985 में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जो भी कदम उठाये थे वे सब के सब इस क्षेत्र से संबंधित गलत नीतियों तथा गलत जानकारी के कारण बेकार हो गये। इस सभा ने भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को सचेत कर दिया है। यह दूसरा अवसर है। विश्व में शांति बनाए रखने तथा विश्व की प्रगति के लिए हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। शान्ति और उन्नति के लिए हमें शक्तियों का संयोजन करना होगा क्योंकि अन्ततः यही वह रक्षा साधन होगा जिससे हम प्रभुत्व, साम्राज्यवाद अथवा नव-उपनिवेशवाद को उन शक्तियों को अन्तिम रूप से परास्त कर देंगे जोकि अभी भी इस विश्व में सक्रिय हैं।

धन्यवाद

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : सभापति महोदय, दो वक्ताओं ने भारत-अमरीका संबंधों की बात की है और विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है कि यह किस प्रकार से विभिन्न चरणों से गुजर रही है। मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसके लिए भी संतुलित विचार की आवश्यकता है। हमारे उनके साथ उतार-चढ़ाव हुए थे। जब हमें वास्तव में खाद्यान्न की जरूरत थी, तो पी०एल०480 ने हमारी मदद की थी और इसने उस समय पर्याप्त समर्थन दिया था। 1962 में, जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, जैसा कि श्री भगत ने उल्लेख किया है, केनेडी ने भारत को सुरक्षा प्रदान की थी। धीरे धीरे संबंधों में भी परिवर्तन आया है तथा उनकी नीतियां भी बदल गई हैं। मैं पूर्व वक्ताओं से भी सहमत हूं कि आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। हम महसूस करते हैं कि उनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब सरकारी नीतियों की बात होती है तो विभिन्न स्तरों पर बहुत भिन्नतायें हैं। निक्सन के समय के दौरान, स्थिति बिगड़ी है। मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा कि यह डेमोक्रेटिक था अथवा रिपब्लिकन, जिसके कार्यकाल में यह हुआ है अथवा यह कैसे हुआ, क्या यह अमरीकी राष्ट्रपति की मुख्य नीति है अथवा उस समय के मुख्य समर्थकों और सलाहकारों से लोग जुड़े हुए हैं। आज जो हो रहा है वह बिल्कुल भिन्न है। कार्टर के समय में अमरीका के साथ हमारे संबंधों में विभिन्न स्तर पर कुछ सुधार हुआ था। जैसा कि श्री भगत ने उल्लेख किया है, कुछ मामलों में हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं और हमारे कुछ बुरे अनुभव भी रहे हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी दी है। उनके साथ व्यापारिक संबंध हैं। उन्होंने खास तौर से हमारे विकास में सहायता दी है। लेकिन अभी भी उन्हें हमारे साथ बहुत सारी कठिनाइयां हैं। उदाहरण के तौर पर, पहले उन्होंने हमारे तारापुर संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन देने का वायदा किया था लेकिन बाद में, वे मुकर गये। और हमें इस संबंध में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं और हम विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बंगलादेश को लेकर हमारी पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के दौरान स्थिति इतनी हद तक बिगड़ी थी कि हमारे साथ उनके

[श्री बी० बी० रमैया]

संबंध बहुत खराब हो गये। इसके बावजूद उस समय भी जब हम साधारण जनता के बीच के संबंधों की तरफ गौर करते हैं तो वे इतने बुरे नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम सरकारी स्तर पर उनकी नीतियां भिन्न क्यों हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वे विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से, उनकी नीतियां ऐसी नहीं हैं। ईरान की घटनाओं को देखो, फिलीपीन और पाकिस्तान के मामले में क्या हुआ। अन्य स्थानों के मामले में उनकी नीतियां बिल्कुल भिन्न हैं। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वास्तव में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सबसे बड़े लोकतंत्र अर्थात् भारत का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी नीतियां समय-समय पर प्रत्येक मुद्दों पर बदल रही हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उनका सैनिक शासन में अधिक विश्वास है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सैनिक लोकतंत्र।

श्री बी० बी० रमैया : आप जो चाहें नाम दें। हमें विभिन्न विकल्पों को आजमाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम विभिन्न विकसित राष्ट्रों से कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमें उनकी मदद कैसे प्राप्त हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक अणु बम विश्व को नष्ट कर सकता है लेकिन यह विभिन्न तरीकों से लोगों की सहायता भी कर सकता है। कोबरा अपने जहर से मार सकता है, लेकिन कोबरा का जहर जीवन रक्षक भी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी नीतियां कैसी भूमिका निभाती हैं, हम उनकी सक्षमता का किस प्रकार प्रयोग करते हैं तथा क्या हम उनका उचित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि अमरीका ने किसी को भी चीन के साथ व्यापार नहीं करने दिया लेकिन आज उनके चीन के साथ सबसे अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान-चीन-अमरीका सम्पर्क में क्या हो रहा है, उनके स्वयं के संबंधों में? मैं महसूस करता हूं कि अगर हम विभिन्न तरीकों से, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, बड़ी शक्तियों को साथ लेकर अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से अगर हम कुछ प्रभाव डालकर स्थिति को नरम बनाते हैं तो वह मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि श्री भगत ने कहा है, आज विश्व का रक्षा व्यय हजारों बिलियन डालर से अधिक होता जा रहा है और अगर इस खर्च को मात्र 10 प्रतिशत भी कम किया जाये और इसे जरूरतमंद राष्ट्रों की सहायता करने में लगाया जाये तो विश्व की सभ्यता में बहुत अधिक सुधार आ जाएगा। यह बहुत लोगों की सहायता कर सकेगा तथा शेष विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत सारे अवसर जुटा सकेगा। हमें इस पहलू पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि हम अपने प्रभाव का, अपनी गुट-निरपेक्ष नीति का इन बड़ी शक्तियों के रुखों को विभिन्न क्षेत्रों में नरम बनाने के लिए किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बिगाड़ना सरल है। लेकिन विदेशी संबंधों के मामले में अपने आत्म सम्मान का बलिदान किए बिना अगर समझौता संभव है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में जितना संभव है अपने बेहतरीन प्रयास कर रही है। परन्तु, इसके बावजूद, घटनायें कुछ भिन्न रूप से घटित हो रही हैं। जिस प्रकार से अमरीका पाकिस्तान को सहायता दे रहा है उसे देखकर प्रत्येक को वास्तव में बहुत निराशा हुई है। जैसा कि श्री भगत ने बताया है, उनका कहना है कि यह अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने के लिए है। कोई भी विश्व में इस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि इससे यह उद्देश्य वास्तव में पूरा नहीं होता है।

हमारे बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, अमरीका के साथ हमारे संबंध नहीं सुधरे हैं। हमारी सरकार ने अवश्य ही अमरीका को मनाने के लिए अपने सभी प्रयास किए होंगे कि 1.7 बिलियन डालर की

पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता को अधिक से अधिक जितना कम किया जा सके किया जाये। लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में क्या हुआ है क्योंकि स्थिति हमारे पक्ष में नजर नहीं आती है। उदाहरण के तौर पर, सुपर कम्प्यूटर प्रणाली भी उनसे प्राप्त करने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री 1985 में अमरीका में थे उस समय उन्होंने हमें सुपर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी देने के लिए भरसक प्रयास किया था। इसमें इतना समय लग गया। लेकिन अभी तक कुछ भी प्रगति नजर नहीं आती है। हम जहां थे वहीं हैं। मुझे वास्तव में नहीं मालूम कि ठीक-ठीक समस्या क्या है, क्या शर्तें बहुत भारी हैं। निस्संदेह, हम कभी भी देश के आत्म-सम्मान का बलिदान नहीं कर सकते। अगर उनकी शर्तें उचित हैं, केवल तभी हम उनकी बात स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की छोटी सी बातों में भी हमारा सम्मान और गरिमा है न कि बड़ी बातों के मामले में ही। दुर्भाग्य से, तनाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे मार्गोपाय हैं जिनसे हम संपूर्ण व्यवस्था को बड़े राष्ट्रों, बड़ी शक्तियों से ठीक कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमने बहुत बड़ी शक्ति का विकास किया है और बहुत सारे देश हमारे साथ हैं—गुट निरपेक्ष देशों की शक्ति और राष्ट्र-मंडल देश भी। मैं नहीं जानता कि क्या यह संपूर्ण प्रणाली इसका इस्तेमाल कर पायेगी। मैं नहीं जानता क्या होने वाला है और हम अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अन्य कोई देश अपने लोगों के हितों और अपने सम्मान का ध्यान रखेगा, क्या यह हमारे लिए सहायक होगा, किस तरीके से हम यह कर सकते हैं, क्या यह संभव है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी नीति में, अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए, क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कोई और समस्या भी न खड़ी हो। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसे करने के लिए कितना बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं।

एक और बात यह है कि अमरीका हमेशा कहता है कि वह सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कोई भेद-भाव तथा रंगभेद वाली बात नहीं है। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो वे स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों से अलग हट रहे हैं। अपने देश में वे कहते हैं कि कोई भेदभाव या रंगभेद इत्यादि नहीं है और वे लोकतंत्र को समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वे इन्हीं बातों पर अपना समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। अत: बहुत से मामले जैसे वे कह रहे थे, 'अवाक्स' जो अमरीका पाकिस्तान को लीज पर देना चाहता है एक बहुत ही खतरनाक प्रणाली है। मैं नहीं जानता कि वे पाकिस्तान के बारे में ऐसा दृष्टिकोण क्यों लेते हैं। संभवत: वे इस महाद्वीप में एक अड्डा बनाना चाहेंगे। जो कोई भी उनकी शर्तों पर इसे स्वीकार करेगा, वे यह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्हें पड़ौसी देशों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे उन्हें कितना खतरा उत्पन्न होने जा रहा है तथा इससे कितना प्रदूषण उत्पन्न होगा जो हमें किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है। अगर अमरीका जैसा देश, अपने पूरे ज्ञान और अनुभव से, ऐसी प्रणाली के लिए प्रयास कर रहा है जो किसी खास महाद्वीप में बहुत सारी समस्यायें उत्पन्न कर सकता है तो यह उनके लिए ठीक नहीं है, और न किसी अन्य के लिए ही ठीक है। लेकिन चाहे जो हो, हमें परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह किसी भी दिशा में कार्य करे, कोई भी हमारी सहायता करने की कोशिश कर रहा हो, जो सहायता हमें मिलेगी चाहे वास्तव में उसी प्रकार की हो अथवा किसी अन्य प्रकार की, किस तरीके से हम यह करते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है।

मैंने पहले उल्लेख किया है और हमारे मित्रों ने भी 500 लाख डालर सहायता की छोटी सी समस्या के बारे में कहा है। मैं नहीं जानता कि वे कटौती क्यों करना चाहते हैं। शायद वे असम्मान व्यक्त करना चाहते हैं या अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही तुच्छ बात है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारा देश कभी बलिदान नहीं करेगा, यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने

[श्री बी० बी० रमैया]

आ गयी है और लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं केवल निवेदन करता हूं कि अमरीका अथवा किसी बड़े देश के साथ हमारे संबंधों के बारे में थोड़ी सावधानी और गहराई से विचार करने की जरूरत है जिससे हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रख सकें और साथ ही अपने लोगों का सम्मान करते हुए देश की सहायता कर सकें। किसी भी तरीके से हम यह करें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, मैंने सोचा कि इस प्रकार के वाद-विवाद से हमें अमरीका के साथ अपने संबंधों पर गहराई से विचार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि अमरीका विश्व की एक महान शक्ति है और जिसकी हमारे पास में विद्यमानता को हम महसूस करते हैं और हम सभी उससे चिंतित हैं। इस वाद-विवाद से हमें अपनी कूटनीति और विदेशी संबंधों पर समग्र रूप से गहराई से विचार करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं कहना चाहूंगा कि अपने साथी श्री बी० आर० भगत के भाषण से, जो उनके द्वारा दिये गये भाषणों में सबसे अच्छा भाषण है, मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस भाषण में उन्होंने अमरीका और हमारे देश के बीच के संबंधों की समीक्षा की है और उन बातों पर जोर दिया है जो आज के संबंधों—खराब संबंधों—मैं उसे शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं कहूंगा—के बारे में बताया है लेकिन साथ ही, मैं अपने मित्र का भी आभारी हूं जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया है।

5.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने हमारे सामने एक अन्य तस्वीर पेश की है अमेरिका के साथ संबंधों की उस देश के साथ हमारे अच्छे संबंधों की, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के हमारे अच्छे संबंधों की आशा है उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है; लेकिन यह सब हमारे भरोसेमंद मित्र राष्ट्रों जैसे सोवियत संघ के साथ संबंधों के मूल्य पर नहीं बनाये जा सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सुनकर खुशी हुई और जो कुछ श्री भगत ने कहा हम उसका समर्थन करते हैं कि जब कभी ऐसी बात होगी हम सब मिलकर एक राष्ट्र के रूप में उस खतरे का सामना करेंगे और कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन ऐसी बातों से संबंध को सुधारने में ज्यादा सफलता नहीं मिल पायेगी। हमारे लिए आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे उपाय करें, जिससे अमेरिका की सरकार और लोगों और विश्व को यह अहसास हो जाए कि हम इस बारे में गम्भीर हैं। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को हम बहुत महत्व देते हैं। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत उत्सव अमेरिका में काफी दिन चला, जिससे वहां के लोगों को हमें, हमारे इतिहास को समझने में मदद मिली है। मैं समझता हूं कि भारत उत्सव ने अच्छे उद्देश्य की पूर्ति की है। बुद्धिमान लोगों समेत बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने इसे सराहा है। मैं इस संकल्प के पेशकर्ता की इस बात से सहमत हूं कि कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिससे अमेरिका और भारत के संबंधों में अविश्वास और असहमति तो नहीं लेकिन डर की भावना पैदा हुई है। लेकिन मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका जो कुछ हमारे पड़ोसी देश विशेषकर पाकिस्तान में कर रहा है, उस सबका उद्देश्य भारत-विरोध है।

अमरीका की एक विश्व अवधारणा है। इसका भू-युद्धनीति संबंधी अवधारणा है। जैसाकि मेरे मित्र श्री भगत ने कहा, इसे भयग्रस्तता है। यह ग्रस्तता है साम्यवाद से खतरे की, सोवियत संघ से खतरे की और वह सोवियत संघ के बढ़ते हुए असर को रोकना चाहता है। हमें थोड़ा पीछे ऐतिहासिक तथ्यों को समझना होगा। अफगानिस्तान जोकि आज बड़ी ताकतों का केन्द्र है और जिसमें सोवियत संघ भी शामिल है, काफी समय पहले वह अमेरिका की चौकी थी। वहां उनकी इलेक्ट्रानिक लिस्निंग डिवाइस' और अड्डे थे।

अफगानिस्तान और पेशावर से ही अमरीकी जासूसी हवाई जहाज यू-2 सोवियत संघ के आसमान में जासूसी के लिए गया था और उसे मार गिराया गया था। यह सब अफगानिस्तान में ही हुआ था।

श्री नारायण चौबे : पेशावर पाकिस्तान में है।

श्री जी० जी० स्वैल : पाकिस्तान या अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी उनका काफी प्रभुत्व है। अफगानिस्तान में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही हाथ-पैर मार रहे थे। अमेरिका द्वारा इलैक्ट्रोनिक अड्डा बनाने और सोवियत संघ की विकास गतिविधियों की जासूसी के लिए अफगानिस्तान एक अच्छा अड्डा हो सकता था। अब अफगानिस्तान उसके हाथों से निकल गया है, अत: पाकिस्तान को आधार बनाया हुआ है। यही अमेरिका की नीति है। विश्व के इस भाग में अमेरिका का केन्द्रीय कमांड अब पाकिस्तान है जोकि पूरी शृंखला की मुख्य कड़ी है। हमें इस बात को समझना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि अमेरिका भारत पर कब्जा करना चाहता है, मुझे विश्वास है कि अमेरिका को भारत से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह चाहेगा कि भारत भी उसी मुख्य कड़ी का एक अन्य अंग बने। इसीलिए अमरीकी प्रशासन का भारत के प्रति इस प्रकार का रवैया है ? क्योंकि वह समझता है कि भारत अपनी जनसंख्या, नीतियों और अपनी शक्ति के बल पर उसके सामने झुकेगा नहीं। अमरीकी लोगों तक यह बात पहुंचायी जानी चाहिए कि उनकी अवधारणा ही गलत है। एक समय था जब दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में ईरान अमरीका के लिए एक महत्वपूर्ण देश था। शाह के शासन में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार शाह को दिये गए थे। अमरीका ईरान को पश्चिमी एशिया के एक सिपाही के रूप में देखना चाहता था। लेकिन यह सब ताश के पत्तों के घर की तरह धराशायी हो गया। अमरीका ईरान में हो रहे परिवर्तन को नहीं समझ पाया और ईरान जोकि एक समय में अमरीका का सबसे विश्वस्त मित्र था, विश्वासपात्र था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान में भी आज यही हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमरीकी प्रशासन के दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही है। मुझे यह पक्का पता नहीं है कि अमरीका के लोग इस प्रकार की बात से उन्मुक्त होते हैं या नहीं। उन्हें समझना चाहिए कि तानाशाह और निरंकुश शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो शासन लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करता है वह किसी भी समय समाप्त हो सकता है। एक समय में शाह की स्थिति अजेय लगती थी, लेकिन उसका भी अन्त हुआ। आज यही बात पाकिस्तान में हो रही है। वहां पर सैनिक शासन है, लोकतन्त्र नहीं है, लोग अपने ही शासन के विरुद्ध हैं। वहां का शासन, लोगों की इच्छाओं और मंजूरी के बिना कार्य कर रहा है अत: यह सम्भव है कि आन्तरिक मजबूरियों उथल-पुथल और दबावों के कारण पाकिस्तान की सरकार का तख्ता उलट दिया जाए, क्योंकि मात्र हथियारों से ही लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसका उपयोग वह अपने लोगों पर नहीं करेगा। जब आप अपने देश को तबाह करते हैं तो अपने लोगों को ही तबाह करते हैं। इसका अलावा कुछ है, जिस पर आप नियन्त्रण नहीं रख सकते। ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान में आ सकती है और एक बार पुन: अमरीकी सपना धूल में मिल सकता है। अमरीकी प्रशासन, रीगन प्रशासन न सही, कम-से-कम अमरीकी लोगों के ध्यान में तो यह बात लाई जानी चाहिए। यह प्रशासन निस्सहाय प्रशासन है। लेकिन अमरीकी लोगों को, जिन्हें अपनी कांग्रेस चुननी है, कांग्रेसमैन चुनने है, सीनेटर चुनने हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यह धारणा गलत है आप इसे अनुभव कर चुके हैं, और इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र श्री नटवर सिंह ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान, वहां के सर्वोच्च निर्णय-कर्ताओं जैसे उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सलाहकार आदि से इस विषय में विचार विमर्श हुआ था या नहीं कि आप पाकिस्तान को जो हथियार दे रहे हैं, वे सभी आप पर ही एक दिन बरस पड़ेंगे, जिस प्रकार से ईरान में हुआ। मैं नहीं समझता इस पर बातचीत हुई होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो···

श्री बृज मोहन महन्तो (पुरी) : आप ईरान से इसकी तुलना क्यों करते हैं ?

श्री जी० जी० स्वैल : मैं ऐतिहासिक तथ्य दे रहा हूं कि जो कुछ कल ईरान में हुआ, आज पाकिस्तान में भी हो सकता है, मेरा कहने का यही अर्थ था। अमरीकावासियों को यही बात समझानी है। मुझे विश्वास है कि अगर हम ऐसा करें, तो अमरीका में कई लोग हमारी बात सुनेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्व के दो महान लोकतन्त्र देश, भारत और अमरीका, जिसमें लोगों की इच्छाएं सर्वोपरि हैं, जहां शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन होता है, जो महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन के आदर्शों पर चलते हैं, एक दूसरे को न समझ पायें।

अत. मैं उन लोगों में शामिल नहीं हो सकता, जो अपने स्वार्थों के लिए अमरीका को कोसते रहते हैं। मैं भी उनकी तरह सजग हूं और इस बात से भी सचेत हूं कि आज भारत को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से ही है। अब अमरीका झूठ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आणविक प्रतिष्ठान के प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास बम है; जबकि अमरीका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह सचिव यह कहते रहे हैं कि "नहीं, पाकिस्तान के पास बम नहीं है," क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि विश्व इतना भोला-भाला है कि किसी देश के उच्च वैज्ञानिक यह माने कि उनका देश बम बनाने में पूरी तरह सक्षम है, फिर भी वह देश इसे दूसरे देश से खरीदे ? शायद उनके पास पहले ही बम होगा। इस सबके बावजूद अगर वे कहते हैं कि उनके पास बम नहीं है, इसलिए वे स्मिंग्टन संशोधन का परित्याग करेंगे ताकि अमरीका पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डालर की और सहायता दे सके। जिसमें से अधिकांश राशि सैनिक सहायता के रूप में दी जायेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन में कुछ और ही है।

इन सबसे, यह सम्भावना स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान के पास 'अवाक्स' हवाई जहाज भी हैं। और अगर ये रिपोर्ट सही है और मैं मानता हूं कि वे सही ही होंगी क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक बात है कि वे ये 'अवाक्स' खरीदेंगे—बेचेंगे नहीं बल्कि इनका भुगतान उस धन में से किया जायेगा जो उसे अमेरिका देगा यह लम्बी प्रक्रिया है। बल्कि वे ये विमान पट्टे पर लेंगे जिसका अर्थ यह है कि ये अवाक्स विमान यदि जरूरी हुआ तो पाकिस्तान में कुछ ही हफ्तों या महीनों में पहुंच जायेंगे जिसका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान के नहीं बल्कि अमरीकी पायलट उड़ायेंगे। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान की जमीन पर सभी संस्थापनायें, इंजीनियरिंग संस्थापनायें आदि होंगी जो इन विमान को चलायेंगी। अमरीका को अपना हवाई-क्षेत्र लीज पर दे रहा है। उनकी आज यह स्थिति है। हमने इस तथ्य को पहले भी कई दफा दोहराया है। मुझे अवाक्स विमानों की तकनीकी क्षमता के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वे अफगानिस्तान की ऊंचे पहाड़ी भू-भाग पर उड़ान भरने में सफल होंगे या नहीं लेकिन भारत के विरुद्ध वे सर्वाधिक सफल और घातक होंगे। ये ऊंची उड़ान भरने वाले राडार प्लेटफार्म हैं। वहां से वे 400 किलोमीटर दूर देख सकते हैं, जैसे कि कोई कौआ उड़ता है और हर चीज को देख लेता है। भारत को वे इसी प्रकार देख सकेंगे। पाकिस्तान से बम्बई तक को मार का निशाना बनाया जा सकता है। हमारे सभी हवाई अड्डे उनके सामने खुली किताब के समान रहेंगे। हम हमले के लिए अपने हवाई जहाजों को तैयार करें, इससे पहले पाकिस्तान को हमारी सारी योजनाओं की जानकारी मिल जायेगी, और पाकिस्तानी वायु सेना हमला कर सकेगी। आज यह स्थिति है। मैं नहीं जानता। मैं इसे दुबारा कहना चाहूंगा। मुझे अवाक्स विमानों के बारे में तकनीक की पूरी जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री श्री पन्त ने कहा था कि अवाक्स विमान केवल निगरानी करने वाले विमान नहीं है, बल्कि वे हथियार प्रणाली भी हैं। अगर श्री नटवर सिंह इस बारे में कुछ जानकारी दें, तो हमें खुशी होगी। हथियार प्रणाली क्या है ? मुझे बताया गया है कि ये अवाक्स विमान 'लेसर-बीम' फेंकने वाले उपकरणों से लैस हैं और इससे दुश्मन के जहाज सैकड़ों किलोमीटर

दूर भगाये जा सकते हैं। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं ? हम क्या कर सकते हैं ? क्या आप मात्र यह कहेंगे कि भारत के लोग एक देश के रूप में खड़े हो जायेंगे और फिर मर जायेंगे। इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह दुनिया कठोर, निर्दयी और यथार्थ है जहां केवल शक्ति की ही भाषा मानी जाती है। अतः जो कुछ हो रहा है, श्री भगत जो से उसकी समीक्षा सुनने में जहां मुझे खुशी होगी, वहीं मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि अमरीका और बाकी विश्व की नजर में भारत की विश्वसनीयता कैसे बनाई जाए ?

अवाक्स की एक दूसरी विशेषता भी है। अमरीकी वायुसेना के सैनिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में कार्य करेंगे। यही स्पष्ट कारण है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना तैनात है। अगर अमरीकी पायलट अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों को मार देते हैं तो क्या होगा ? क्या इससे हमारे नजदीक ही बड़ी ताकतों का विवाद-स्थल नहीं बन जाएगा ? हम और विश्व इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, हमें स्थिति का ध्यान रखना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं। इसे समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है ? एक रास्ता तो यह है कि अमरीका से इस बारे में बातचीत की जाए। अगर वे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, जैसा कि उसके रवैये से जाहिर है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, जिससे यहां की स्थिति सबके लिए गम्भीर हो जाए। वह क्या कार्यवाही है, जो हमें करनी है ? मुझे नहीं पता कि अवाक्स के बराबर, हमारे पास कोई विमान है। मैं समझता हूं कि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सोवियत संघ के पास भी अवाक्स के बराबर तकनीकी गुणों वाला कोई हवाई जहाज नहीं है, जो कि आवश्यकतानुसार हमें मिल सके। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सोवियत संघ के पास अवाक्स तो नहीं है, परन्तु परमाणु मिसाइल और अणु बम हैं।

श्री भगत एस० डी० आई० की बात कर रहे थे, और कह रहे थे, कि सोवियत संघ से आकाश में उड़ रही किसी भी मिसाइल को गिराने के लिए अमरीका दो ट्रिलियन डालर खर्च कर रहा है। यह सर्वविदित है कि सोवियत संघ के पास इन किलों को गिराने के लिए सरल और कम खर्चीले उपाय हैं। मैं इस बारे में तकनीकी जानकारी के बारे में नहीं कहना चाहता।

यद्यपि सोवियत संघ के पास अवाक्स नहीं है किन्तु उनके पास इनका मुकाबला करने के लिए कई साधन हैं मैं जानता हूं कि अमेरिका नाटो देशों में अवाक्स का इस्तेमाल कर रहा है और यूरोप के नाटो विमानन रेखा में इनका प्रयोग हो रहा है। सऊदी अरब में अवाक्स है किन्तु इनसे उन्हें लाभ नहीं है। भारत में इनका सामना करने के लिए कोई साधन नहीं है। अतः वह हम पर हावी हो सकते हैं मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान से ही खतरा नहीं है किन्तु दक्षिण से श्रीलंका में भी खतरा है। श्रीलंका ने मध्यस्थ के रूप में भारत को सर्वथा अलग कर दिया है। श्रीलंका सरकार द्वारा दिये जा रहे वक्तव्य भारत विरोधी तीखे युद्धप्रियता के हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह कथन है कि श्रीलंका के तमिल संघर्ष तमिल आंदोलन का दमन करने और समाप्त करने के लिए वह दैत्य की भी सहायता लेने के लिए तैयार हैं। हम मालूम है कि इजराइली गुप्तचर संगठन 'माहसाद' काफी समय से वहां सक्रिय है। हमें मालूम है कि ब्रिटेन का आतंक विरोधी संगठन 'विशेष वायु सेवा' वहां काम कर रहा है। रिपोर्ट मिली है कि श्रीलंका सरकार और उस देश की सशस्त्र सेनाओं को अमरीकी परामर्शदाताओं द्वारा जासूसी सहायता और सलाह दी जा रही है। श्रीलंका अच्छा 'बेस' है। अमरीका की सेंट्रल कमांड में श्रीलंका महत्वपूर्ण सूत्र सिद्ध होगा। शायद पाकिस्तान से भी अधिक अच्छा आधार स्थल श्रीलंका है। श्रीलंका में प्राकृतिक खाड़ी है, प्राकृतिक पोत त्रिंकोमाली है जो विश्व में सबसे अच्छे पोत में से एक है और जहां ब्रिटेन ने एक सौ से अधिक विशाल ईंधन टैंक वहां विरासत के रूप में छोड़ दिए थे। मुझे बतलाया गया है कि त्रिंकोमाली में किसी भी समय 10,000 मिलियन टन से अधिक ईंधन आसानी से रखा जा

[श्री जो० जी० स्वैल]

सकता है। हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या स्थिति होगी। हम भिन्न स्थिति में, ऐसी स्थिति में हैं जैसी दुनिया में पहले कभी नहीं थी। हमारे पास मौजूदा साधनों से इस स्थिति का कामना करने की सामर्थ्य नहीं है। हमें क्या करना चाहिए ? सोवियत रूस हमारा मित्र है। इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने कई बार हमारा साथ दिया है। उनकी सहायता पर हमें भरोसा है। अभी उस दिन मिग-29 के कुछ स्कवेड्रन हमें मिले हैं जो तकनीकी दृष्टि से एफ-16 से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि हमारे पास यह है किन्तु उनका सामना करने के लिए एक मित्र का सहयोग हमें प्राप्त है। क्या यह तर्क वह मानने के लिए है कि अमेरिका हमारा शत्रु है अथवा इस धारणा को लेकर हमें उनसे बात करनी चाहिए। मेरे विचार से हमने वह नीति अपनाली है। अमेरिका में भारत उत्सव का आयोजन हमने किया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम चाहते हैं कि अमरीकावासी हमें और हम अमरीका वासियों को परस्पर समझें। हम यह बताना चाहते हैं कि भारत प्रजातंत्र का विश्वस्त मित्र है। वे साम्यवाद के विरुद्ध हैं क्योंकि साम्यवाद सर्वसत्तात्मक है। उन्हें प्रजातंत्र की चिन्ता है तो प्रजातंत्र को, अमरीकी प्रजातंत्र को, विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका भारत की सद्भावना और उससे मित्रता है। हमें उनसे यह कहना चाहिए कि वह ऐसे कदम न उठाये कि हम यह महसूस करें कि हमारे चारों ओर घेराबन्दी की जा रही है। सब ओर से घिर जाने वाला देश निराशा में कोई भी कदम उठा सकता है। क्या अमेरिकी जनता यह पसन्द करेगी कि भारत के वे 80 करोड़ लोग चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करें जो प्राण देने के लिए तैयार हैं। क्या इससे अमरीका का हित होगा ? हमें अमरीकी, अमरीकी जनता और अमरीकी प्रशासन से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या श्री नटवर सिंह ने उनसे इस ढंग से और इस भाषा में उनसे बातचीत की है ··

श्री के० नटवर सिंह : जी हां, किन्तु विनम्र शैली में।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने उत्तर में वह आपको बतलाएंगे।

श्री जो० जी० स्वैल : आप वहां गये थे। यह ठीक है। लेकिन एक ओर बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जहां अमरीका से हमें अवश्य ही मित्रता रखनी चाहिए वहीं हमें उनसे स्पष्ट और साहसपूर्वक बात करनी चाहिए। श्री नटवर सिंह अभी वहां गये थे। फिर वरिष्ठ मंत्री श्री तिवारी वहां फिर गये, यह मेरी समझ में नहीं आया। वह किस लिए गए थे ? आप गये और कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे सामने खतरा है इसलिए हर व्यक्ति अमरीका जाए और वहां जाकर उनसे निवेदन करे, अनुनय-विनय करे। मेरे विचार में हम इस प्रकार किसी से भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि श्री तिवारी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए था कि जब राज्य मन्त्री वहां गये और उनकी यह यात्रा निरर्थक सिद्ध हुई तो क्या उस स्थिति में उनकी यात्रा के तुरन्त पश्चात वरिष्ठ मन्त्री का वहां जाना उचित था। इसलिए हमें यहां कुछ कदम और उठाने चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कुछ और किया जा सकता है। मैं केवल एक यह बात कह सकता हूं कि हमें सारी दुनिया को यह बता देना चाहिए कि हम इस विषय में गम्भीर हैं और हम उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आवश्यक हुआ तो हम संघर्ष करेंगे और उसे विध्वंस कर देंगे, भले ही स्वयं हम तबाह हो जाएं। हमारे सामने एक ही उपाय है। हमें आणविक हथियार बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। आज चीन का सम्मान क्यों किया जाता है ? सोवियत संघ चीन से सुलह की बातचीत क्यों करना चाहता है ? यह इसलिए है कि संघर्ष होने पर, भले ही चीन विजयी न हो और सोवियत संघ के साथ युद्ध में चीन पराजित हो जाये लेकिन चीन इस स्थिति में है कि वह रूस के लिए अपूर्णनीय क्षति कर सकता है। इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। अतः आज भारत के सामने आणविक हथियार बनाने

के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। भारत को आणविक बम विकसित करना चाहिए। हम बम का इस्तेमाल न करें लेकिन स्थिति पैदा होने पर हम लड़ाई कर सकें और हानि पहुंचा सकें। अमरीकी इसी भाषा को समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह कदम उठाने पड़ेंगे। अमरीका से हमारे संबंध के बारे में मुझे यही निवेदन करना है।

सोवियत संघ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश हमारा मित्र है। लेकिन दुनिया में परहितवाद, परोपकार जैसी कोई चीज नहीं है। हमारी तरह, अमरीका की तरह सोवियत संघ भी अपने हित के अनुसार कार्य करेगा। स्थिति की मजबूरी और राष्ट्रीय हित का तकाजा होने पर जहां तक भारत की मित्रता का प्रश्न है सोवियत संघ वही कदम उठायेगा जो उसके लिए हितकर होगा। सोवियत संघ आज चीन से समझौता करने के लिए क्यों इच्छुक है ? वह पाकिस्तान के साथ भी समझौता करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान सोवियत संघ के साथ बातचीत के लिए प्रयत्नशील है। पाकिस्तान बहुत ताकतवर नहीं है किन्तु अमरीका की सहायता से पाकिस्तान अनेक कदम उठा सकता है। इसका एक कारण है।

मुझे आश्चर्य है कि उस दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक बैठक से उठकर अचानक सोवियत राजदूत के निवास पर गये। आपने यह खबर अखबारों में पढ़ी होगी। वह इस्लामाबाद में सोवियत राजदूत के निवास पर बातचीत के लिए गए। यह अचरजपूर्ण है और नई तथा वर्तमान दुनिया की यथार्थ कूटनीति का संकेत है। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। ऐसा समय आ सकता है जब सोवियत संघ हमारी सहायता न कर सके। इसलिए हम अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसका विकल्प एक मात्र आणविक हथियार विकसित करना और शान्ति के लिए बातचीत करना है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय दिन के अन्त में खाली पेट बोलना बहुत कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मस्तिष्क में तो कई विचार हैं। वह तो खाली नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ हैरत है। आज सबेरे मैंने विदेश मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन किया। हमने 10 दिन पहले ही इस पर बहस की थी। इस रिपोर्ट में मैंने भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बारे में उत्साहवर्धक बातें पढ़ीं कि पिछले वर्ष उनमें कैसे प्रगति हुई। और हमारी विदेश नीति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर 10 दिन बाद आज हम पुनः चर्चा कर रहे हैं, इससे इसका महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इस अवधि में कोई घटना घटी है। विदेश नीति के प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें निरंतरता होना जरूरी है। मुझे विश्वास है श्री नटवर सिंह इससे सहमत होंगे। कूटनीति में संतुलन रहने पर ही उसमें विश्वसनीयता पैदा हो सकती है। और मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि हमारी नीति में इतने घुमाव और मोड़ हैं, वह बहुत ही ढुल-मुल है, उसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि सुखाभास से उन्माद की स्थिति आ गई लगती है। इसमें तारतम्य का अभाव है, एक क्षण उग्रता और दूसरे क्षण शीतलता है। यह कूटनीति नहीं है। यह विफलता की स्वीकारोक्ति है। हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की देखभाल वाले व्यक्तियों के भ्रम और अपरिपक्वता का यह प्रमाण है। उन्हें दस दिन पहले क्या यह मालूम था कि घटनाचक्र में क्या परिवर्तन आ रहा है ? क्या होने वाला है इसका क्या उन्हें लेशमात्र भी आभास नहीं था ? मुझे इस पर आश्चर्य है। मेरे विचार में या तो हमारी पिछली नीति गलत थी अथवा वर्तमान नीति गलत है। श्री नटवर सिंह जी आपको इनमें एक को चुनना होगा कुछ समय पहले इक्कीसवीं सदी में हमारे प्रवेश और अमरीका से सहयोग में पूर्ण समरसता थी। इक्कीसवीं सदी में हमारा प्रवेश पूर्णतया अमरीकी संस्कृति से प्रभावित होगा। प्रधान मंत्री की यात्रा वर्ष 1985 की महत्वपूर्ण

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

घटना थी। भारत उत्सव का आयोजन किया गया। उस समय वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्षितिज में नवोदित नक्षत्र की प्रशंसा की। हमने वहां जन सम्पर्क की व्यावसायिक फर्म की सेवायें अमेरिका में भारत को लोकप्रिय बनाने के लिए हासिल की। बहुराष्ट्रीय उद्योगों के प्रति हमने खुले द्वार की नीति अपनाई। रक्षा सामग्री के बारे में हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। आपने उन्हें एक सूची दी। उच्च टेक्नालॉजी हस्तांतरण के बारे में एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गये जिसमें सुपर कम्प्यूटर भी शामिल है।

कुछ ही समय पहले हमने विज्ञान और तकनालॉजी तथा अन्य विषयों के बारे में परस्पर सहयोग के आधार पर पी०एल० 480 के धन को उपयोग करने के बारे में हमने एक समझौता किया। इसकी स्थिति क्या है? मुझे आश्चर्य है। क्या यह हमारे कूटनीतिक संबंध की अनुपयुक्त व्यवस्था का प्रमाण नहीं है? क्या आप अपनी कमजोरियों और कमियों को 1947 के बाद होने वाली घटनाओं की याद दिलाकर नये शब्द और नये वाक्यों का इस्तेमाल करके छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में एक उक्ति है। कोई भला नहीं है कोई बुरा नहीं है; कोई देव नहीं है कोई दैत्य नहीं है। स्थाई मित्र अथवा स्थाई शत्रु कोई नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्थिर नहीं होते बल्कि प्रगतिशील होते हैं। विश्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्थिर हो सकता है। लेकिन पण्डित जवाहर लाल नेहरू सरीखे दूरदृष्टा ने सन् पांचवें दशक के अन्तिम भाग में मुख्य मंत्रियों को लिखे अपने एक पत्र मे कहा था कि वह दो प्रणालियों में विश्व के स्थायी ध्रुवीकरण में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा था कि दोनों प्रणालियां एक दूसरे के निकट आएंगी क्योंकि कम्युनिस्ट फिलासफी नहीं हो सकती है, कम्युनिस्ट फिजिक्स और केपिटलिस्ट कैमेस्ट्री नहीं हो सकती। विज्ञान और तकनालॉजी तथा आधुनिकीकरण की नई शक्तियां उन्हें अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समीप लाएंगी और आज हम अपनी आंखों के सामने यह देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा कल सवेरे 11 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मई, 1987/16 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

पी० एल० एस०—48/28/45/87 (एन०)

© 1987 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित